खण्ड-06 सत्र -08 (भाग-01) / अंक-100

बुधवार

27 फरवरी, 2019 / 8 फाल्गुन, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

आठवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-08 (भाग-01) में अंक 96 के अंक 101 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

विषय सूची

सत्र–8(01) बुधवार, 27 फरवरी, 2019/8 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक–100

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवथा	3–7
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर प्रश्न संख्या–21, 22 एवं 24 से 30)	7–48
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या– 23 एवं 31 से 40)	49–112
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्रश्न संख्या–68 से 141)	113–480
6.	विशेष उल्लेख (नियम – 280)	481–504
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	
8.	प्रतिवेदनों पर सहमति	504–505
9.	समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने पर सहमति	505–509
10.	प्रतिवेदनों पर सहमति	
11.	वार्षिक बजट (2019–20) पर चर्चा	510–554

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-8 भाग (2) बृहस्पतिवार, 22 अगस्त, 2019/31 श्रावण, 1941 (शक) अंक-102

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1 श्री शरद कुमार

2 श्री संजीव झा

3 श्री पंकज पुष्कर

4 श्री पवन कुमार शर्मा

5 श्री अजेश यादव

6 श्री महेन्द्र गोयल

7 श्री राम चंद्र

8 श्री सुखबीर सिंह दलाल

9 श्री ऋतुराज गोविन्द

10 श्री संदीप कुमार

11 श्री रघुविन्दर शौकीन

12 श्रीमती बंदना कुमारी

13 श्री जितेन्द्र सिंह तोमर

14 श्री राजेश गुप्ता

15 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

16 श्री सोमदत्त

17 सुश्री अलका लाम्बा

18 श्री आसिम अहमद खान

19 श्री विशेष रवि

20 श्री हजारी लाल चौहान

21 श्री शिव चरण गोयल

22 श्री गिरीश सोनी

23 श्री जरनैल सिंह

24 श्री राजेश ऋषि

25 श्री महेन्द्र यादव
26 श्री आदर्श शास्त्री
27 कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28 सुश्री भावना गौड़
29 श्री सुरेन्द्र सिंह
30 श्री विजेन्द्र गर्ग
31 श्री प्रवीण कुमार
32 श्री मदन लाल
33 श्री सोमनाथ भारती
34 श्रीमती प्रमिला टोकस
35 श्री नरेश यादव
36 श्री करतार सिंह तंवर
37 श्री प्रकाश
38 श्री अजय दत्त
39 श्री दिनेश मोहनिया
40 श्री सौरभ भारद्वाज
41 सरदार अवतार सिंह कालका
42 श्री सही राम
43 श्री नारायण दत्त शर्मा
44 श्री अमानतुल्लाह खान
45 श्री मनोज कुमार
46 श्री नितिन त्यागी
47 श्री ओम प्रकाश शर्मा
48 श्री एस.के. बग्गा
49 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50 श्रीमती सरिता सिंह
51 मो0 इशराक
52 श्री श्रीदत्त शर्मा
53 चौ. फतेह सिंह
54 श्री जगदीश प्रधान
55 श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही[1]

सत्र-8 भाग (1) बुधवार, 27 फरवरी, 2019/08 फाल्गुन, 1940 (शक) अंक-100

सदन अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री रामनिवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्षः इस सत्र के पाँचवें दिन सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत।

माननीय अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज प्रदर्शन के कारण भारतीय जनता पार्टी के झण्डे लगे हुए थे, विधान सभा के बिल्कुल गेट तक और विधान सभा के सामने से आने वाला रोड, गाड़ियाँ पार्क करके विधायकों को अंदर आने से अंदर रोका गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, मेरा ऑब्जैक्शन है।

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड विजेन्द्र जी, नहीं, इसपे ओब्जेक्शन है? सुन लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा विजेन्द्र जी। जो वास्तविकता है, विधायकों के ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इस सदन को चलते हुए इतने वर्ष हो गए, ये पहली बार हुआ है, इस ढ़ंग

से सड़क को रोका गया, ये प्रदर्शन की जगह नहीं है, चंदगीराम अखाड़े को तय किया हुआ है। सत्ता में रहकर उसका अर्थ ये नहीं है कि सत्ता का दुरूपयोग किया जाए, लोकतंत्र का हनन किया जाए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो विडियो है विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, इसमें आपको हमारा साथ देना चाहिए, सदन का साथ देना चाहिए, इसमें सदन का साथ देना चाहिए। पूरा गेट रोका हुआ है, पूरा गेट रोका हुआ है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः क्या कर रहे हैं? क्या करें पुलिस आपका साथ दे रही है! पुलिस आपका साथ दे रही है!

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आया, तब कुछ नहीं था, वो तो टाइमली किया गया, मैं एक बजे आया हूँ, आप जा के देख लीजिए, आया, नहीं आया। वो तो विडियो है पूरा, पूरा विडियो बनवा रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं, एक सेकंड सही राम जी। सैक्रेटेरिएट से... विधान सभा की बातचीत की गई डीसीपी से, उन्होंने माना कि हॉ ब्लॉकेज किया हुआ है और हम, हाथ खड़े किए हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये पोजिशन है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, ये चीज उचित नहीं है, वास्तविकता को अगर हम... चलिए बैठिए आप, आप बैठिए, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः ऐसा है, सिरसा जी, एक बार जाकर देख आइए प्लीज, देख आइए जाकर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः छोड़िए, बैठिए, चलिए बैठिए, वो दिखा देंगे, क्या पोजिशन है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए अजय दत्त जी, बैठिए अब, बैठिए प्लीज, नितिन जी, प्लीज, बैठिए। बैठिए नितिन जी। ये विषय खराब हो जाएगा सारा, नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः बैठिए। माननीय सदस्यगण कृपया ध्यान देंगे। आज महान स्वतंत्रता सैनानी श्री चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है। उन्होंने आज ही के दिन 27 फरवरी, 1931 को इलाहबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने अंग्रेजों की गोली से मरना भी पसंद नहीं किया और खुद को गोली मारकर देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। उनका जन्म 23 जुलाई, 1906 को मध्यप्रदेश के झाबुआ में हुआ था वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने के बाद वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। जब न्यायधीश के सामने उन्हें पेश किया

गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना घर बताया। लाला लाजपतराय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने वर्ष 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी एस. पी. सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 1931 में इलाहबाद में अंग्रेजों ने श्री चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोल दिया और उसमें वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं सकते और वे आजाद ही रहेंगे। अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए उन्होंने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ और उन जैसे वीर शहीदों के बलिदान से जो आजादी हमें मिली, उसकी रक्षा करना तथा देश हित के लिए कार्य करना, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुझे आपको ये सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आज छठी विधान सभा की सौवीं बैठक आयोजित की जा रही है। छठी विधान सभा की पहली बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थी। तमाम अवरोधों के बावजूद दिल्ली विधान सभा ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया है और हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी है। सदन में विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई है और संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए कार्यवाही में भाग लेकर माननीय सदस्यों ने कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया है, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

स्टार्ड क्वैश्चन नम्बर–21 पवन कुमार शर्मा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, नियम–54 में हम चाहते हैं उसका रिप्लाई जो आया है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, नेता प्रतिपक्ष ने नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः इस सूचना को मैं स्वीकार नहीं कर रहा फिर भी विजेन्द्र जी को मैं जानकारी दे रहा हूँ कि अनस्टार्ड क्वैश्चन में आपका इसी विषय पर क्वैश्चन लगा हुआ है और उसका उत्तर आपको पूरा मिल गया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। क्वैश्चन नंबर–21 पवन कुमार शर्मा।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री पवन कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूँगा कि प्रश्न संख्या–21 का जवाब दें:

क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा में अनियमितताओं संबंधी जनता की शिकायतों पर सात राशन की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे जिसके कारण जनता की परेशानी बढ़ गई है;

ख) यदि हाँ, तो इन दुकानों के स्थान पर नई उचित दर दुकानें कब तक खोल दी जाएगी;

ग) क्या यह भी सत्य है कि नए राशन कार्डों के लिए आवेदन तो लिए जा रहे हैं लेकिन नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं;

घ) यदि हाँ, तो नए राशन कार्ड कब से जारी करने शुरू कर दिए जाएँगे;

ङ) क्या राशन कार्डों की संख्या अथवा राशन यूनिटों पर कोई अधिकतम सीमा है; और

च) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय खाद्य मंत्री (श्री इमरान हुसैन): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं.–21 का उत्तर प्रस्तुत हैः

क) जी हाँ, यह सत्य है कि सात दुकानों का लाईसेंस रद्द किया गया परन्तु जनता की परेशानी को देखते हुए इन दुकानों के राशन कार्डों को इसी विधान सभा की अन्य नजदीकी राशन दुकानों अन्य दो अस्थायी राशन की दुकानों पर लगाए गए हैं;

ख) इस विधान सभा क्षेत्र में दो नई उचित दर दुकानें (अस्थाई) खोली गई हैं तथा नई उचित दर दुकानें (अस्थायी) खोली गई हैं तथा नई उचित दर दुकानें (स्थाई) के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा;

ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् है। 01.08.2018 से पूरी दिल्ली में कुल 24448 राशन कार्ड बनाये गए हैं तथा मण्डल–04 (आदर्श नगर) में 62 नए राशन कार्ड बनाये गए हैं;

घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार;

ङ) भारत सरकार 72,77,995 लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन उपलब्ध करा रही हैं;

च) उपरोक्त (ग) के अनुसार;

माननीय अध्यक्षः सप्लीमैंटरी।

श्री पवन कुमार शर्माः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर के 'क' भाग में लिखा गया है कि नजदीकी दुकानों पर राशन कार्ड शिफ्ट कर दिए

गए हैं। तो मंत्री जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिफ्ट किए गए कार्ड हैं तो उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और कुछ बहुत दूर भी पड़ते हैं। उनको महंगा पड़ता है। राशन काफी रिक्शा–भाड़ा लगाकर जाने–आने में तकलीफ होती है। तो जो बाकी पाँच दुकानें और बची हैं; दो तो टेम्परेरी खोल दी हैं तो वो कब तक खोल दी जायेंगी?

माननीय खाद्य मंत्रीः खुलवा देंगे, जल्दी खुलवा देंगे।

माननीय अध्यक्षः ऐनी सप्लीमैंटरी? दो सिर्फ। सहीराम जी, प्रमिला जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय ये बताने का कष्ट करेंगे कि हर सर्कल में जितने भी हमारे 70 विधान सभा सर्कल है। उनमें एफएसओ, इंस्पेक्टर और डाटा एँट्री ऑपरेटर की संख्या पूरी है?

माननीय खाद्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग सभी पोस्टों पर वेकेंसी जो है, वो पूरी नहीं है एक–एक एफएसओ को दो–दो सर्कल दिए हुए हैं और एफएसआई को भी दो–दो, तीन–तीन सर्कल दिए हुए हैं। स्टॉफ की बहुत शॉर्टेज है विभाग के अंदर। तो मैं इसके लिए कई बार उपराज्यपाल जी से मिल चुका हूँ और कई बार चीफ सेक्रेटरी से भी इस पर बात कर चुका हूँ। लगातार बात चल रही है। अभी कुछ अधिकारी उन्होंने दिए थे विभाग को, जो लगा दिए गए हैं।

माननीय अध्यक्षः प्रमिला जी, क्वेश्चन ये आदर्श नगर विधान सभा के लिए है। निकालिए क्या निकालते हैं। बोलिए–बोलिए प्लीज घबराइए मत।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो राशन की दुकानें हैं, वो कब से कब तक खोली जाती है, ये जानना चाह रही हूँ मैं?

माननीय अध्यक्षः समय खोलने का कितने बजे से है?

माननीय खाद्य मंत्रीः समय सुबह 9.00 बजे से दोपहर को 1.00 बजे तक और शाम को 4.00 बजे से 8.00 बजे तक है।

श्रीमती प्रमिला टोकसः पूरे महीने खुला रहता है, कब—कब खुला रहता है?

माननीय खाद्य मंत्रीः जो भी आपके यहाँ ऑफ होता है अगर संडे ऑफ होता है तो ऑफ रहता है बाकी तो।

श्रीमती प्रमिला टोकसः नहीं खोलते हैं। वो खाली 3—4 दिन ही खोलते हैं, अन्यथा बंद रहती है और इतना हा—हाकार मच जाता है। सुबह 4.00 बजे से लाइन लगनी शुरु हो जाती है क्योंकि वे सोचते हैं कि मुझे राशन नहीं मिलेगा इसलिए।

माननीय खाद्य मंत्रीः नहीं, अगर ऐसी कोई शिकायत है, आप मुझे बताओ। मैं खुद आऊँगा आपके एरिये में और मैं खुद...

श्रीमती प्रमिला टोकसः मेरे एरिये में ऐसी बहुत सारी...

माननीय खाद्य मंत्रीः खुद सर्वे करूँगा और विभाग को भी आदेश दूँगा। आपके एरिया में निरंतर सर्वे करेंगे और जो भी होगा इस पर हल करेंगे।

माननीय अध्यक्षः मैं अभी बात करता हूँ। श्री ओम प्रकाश जी, प्रश्न संख्या—22।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 22 प्रस्तुत हैः

क्या उप **मुख्य मंत्री** महोदय बताने की कृपा करेंगे किः

क) वर्ष 2018 में दिल्ली सरकार द्वारा किस–किस विभाग के कितने–कितने विज्ञापन जारी किए गए;

ख) प्रत्येक विज्ञापन का शीर्षक–वार तथा व्यय–वार विवरण क्या है; और

ग) दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु पैनल में लिए गए समाचार पत्रों तथा किस–किस समाचार पत्र को कितने–कितने विज्ञापन एवं उनका कितना–कितना भुगतान किया गया, पूर्ण विवरण दें ?

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया)ः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रस्तुत हैः

क) दिल्ली सरकार के सभी विभागों से इस संबंध में जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है और इस विषय में जानकारी संकलित की जा रही है;

ख) उपरोक्त के अनुसार; और

ग) दिल्ली सरकार में विज्ञापन हेतु वर्तमान में कोई पैनल नही है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन डीएवीपी में दिल्ली के लिए सूचीबद्व प्रकाशनों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात विज्ञापन जारी किए जाते है और 2018–2019 के वित्तीय वर्ष में 21 फरवरी 2019 तक विज्ञापन पर कुल 29.45 करोड़ रुपये की राशि का व्यय हुआ है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमैंटरी।

श्री ओम प्रकाश शर्माः अध्यक्ष जी, भाग 'क' का तो कोई जवाब दिया ही नहीं। कब तक जवाब आने की आशा की जाए और भाग 'ग' का जो

जवाब है, उसके अनुसार ये लगातार मुझे लगता है कि ये भी जवाब पूरा नहीं है। जिस हिसाब से विज्ञापन अखबारों में दिए जा रहे हैं और हम रोजाना देखते हैं और ये जो जवाब लिखा हुआ है। इन दोनों का किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है।

माननीय उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मांगी गई है, माननीय सदस्य ने एक–एक विज्ञापन एक–एक विभाग से कब किस तरह जारी किया गया उसका क्या रेट था, उस पर कितना खर्चा हुआ। इसके संबंध में सूचना कैलकुलेशन करने में समय लगेगा और जैसे ही होगा विधान सभा को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः श्री रामचन्द्र जी अनुपस्थित है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। श्री विजेन्द्र गर्ग जी प्रश्न संख्या–24।

श्री विजेन्द्र गर्गः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं–24 प्रस्तुत हैः

क) राजेंद्र नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने होटल एवं गेस्ट हाउस चल रहे हैं उनके नाम एवं पते सहित पूर्ण विवरण दें;

ख) उपरोक्त में से किन–किन होटलों एवं गेस्ट हाउसों को अग्निशमन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' मिला हुआ है;

ग) उपरोक्त में से किन–किन होटलों एवं गेस्ट हाउसों को बिल्डिंग बाईलॉज के मुताबिक 'कंप्लीशन सर्टिफिकेट' मिला हुआ है, पूर्ण विवरण दें; और

घ) उपरोक्त में से किन–किन होटलों एवं गेस्ट हाउसों को रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति तथा नगर निगम के लाइसेंस मिले हुए है, पूर्ण विवरण दें?

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न सं– 24 का उत्तर इस प्रकार है:

क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम:

राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र में 191 लाईसेंस शुदा गेस्ट हाउस है। पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है[1]।

बिक्री कर विभाग, दिल्ली सरकार:

व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली सरकार , होटल एवं गेस्ट हाउस के संचालन के संबंध में कोई विनियिमन नहीं बनाता है। इसलिए व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली सरकार में इस तरह की श्रेणी अलग से नहीं है।

आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर:

1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात इस विभाग से मनोरंजन कर/विलासिता कर समाप्त हो गयी है, अतः आबकारी विभाग के पास होटल तथा गेस्ट हाउस के रजिस्ट्रेशन का मौजूदा विवरण नहीं है। यद्यपि आबकारी विभाग द्वारा होटलों /गेस्ट हाउसों के अन्दर एल–15 (कमरे में शराब परोसना) एवं एल–16 (होटल में स्थित बार) लाइसेंस जारी किये जाते हैं। विभाग के अभिलेखों के अनुसार विधान सभावार आंकड़े संकलित नहीं होते हैं। राजेन्द्र नगर विधान सभा के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों में जारी किये गए एल–15/एल–16 लाइसेंसों एवं लाइसेंसधारकों की संख्या का विवरण संलग्न सूची 'क' में उपलब्ध है।

ख) अग्निशमन विभाग

अग्निशमन विभाग द्वारा होटलों एवं गेस्ट हाउसों को दिये गये प्रमाणपत्र की सूची संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्त सभी गेस्ट हाउसों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त था;

ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम

तीन सम्पतियों को कम्पलीशन सर्टिफिकेट दिये गये हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैः

1. 4/27, W.E.A Karol Bagh New Delhi.
2. 18/5, Arya Samaj Road, Karol Bagh New Delhi.
3. 7A/74, W.E.A. Karol Bagh New Delhi.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें साथ–साथ ये भी कहना चाहूँगा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने क के अंदर ये कहा है कि 191 बिल्डिंगों को लाइसेंस दिए गए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा। परन्तु उसमें से कंप्लीशन सर्टिफिकेट सिर्फ तीन को दिए गए ये अंडरलाइन करने वाली चीज है और जो वो तीन हैं, वो उनका नाम दिया गया है। इसका मतलब 188 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं।

घ) उत्तरी दिल्ली नगर निगमः

उपरोक्त गेस्ट हाउसों में से 4 गेस्ट हाउसों में भूतल पर रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस/अनुमति दी गई है पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर

आबकारी विभाग से सम्बधित नहीं है, फिर भी इस क्षेत्र के होटलों/गेस्ट हाउसों में शराब परोसने का एल–15/एल–16, का विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है;

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री विजेन्द्र गर्गः अध्यक्ष महोदय, भाग 'ग' के संबंध में मेरा पूरा सवाल है जवाब आया है राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र में 191 लाईसेंस शुदा गेस्ट हाउस हैं। सर, ये जवाब ठीक नहीं है। लाइसेंसशुदा तो 191 गेस्ट हाउस इन्होंने लिखा है लेकिन गैर लाइसेंसशुदा भी गेस्ट हाउस वहाँ धड़ल्ले से चल रहे हैं। जिनकी वजह से ये हादसा अर्पित पैलेस होटल में हुआ जिसमें 17 निर्दोष लोगों की जानें गईं। इसके संदर्भ में कितने बगैर लाइसेंस के वहाँ गेस्ट हाउस चल रहे हैं, ये जवाब भी आना चाहिए। ये अधूरा जवाब है सर। मेरा 'ग' के संबंध में पूरा सवाल है तीन सम्पत्तियों को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिए गए, ये बिल्कुल क्लीयर उत्तरी दिल्ली नगर से जवाब आया कि तीन को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिए गए लेकिन 191 में वहाँ होटल और गेस्ट हाउस चल रहे हैं सर। उनको बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के एमसीडी ने कैसे होटल और गेस्ट हाउस चलाने का लाइसेंस दिया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है? 'घ' के संबंध में उपरोक्त गेस्ट हाउसों में से चार गेस्ट हाउस में भूतल पर रेस्टोरेंट चलने की अनुमति दी गई। आज वहाँ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मिली भगत से स्थानीय पार्षद की मिली भगत से हर गेस्ट हाउस में हर होटल के अन्दर भूतल पर भी रेस्टोरेंट है रूफ टॉप पर भी रेस्टोरेंट है और बेसमैंट में भी रेस्टोरेंट है जिनकी वजह से ये अग्नि कांड हुआ। अर्पित पैलेस, जिस होटल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर माननीय मंत्री जी सत्येन्द्र जैन साहब और हम ऊपर तक गए। ऊपर फाइबर शीट का वहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ था जहाँ 21 गैस के

सिलेंडर भी रखे गए थे और इतना बड़ा अग्नि काण्ड हुआ। उसके बेसमैंट के अन्दर भी सारा स्टोरेज का सामान रखा गया था जिसकी वजह से...

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन।

श्री विजेन्द्र गर्गः उस होटल में भंयकर आग लगी। तो ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने पैसों के लालच में वहाँ इंसानी जिंदगियों से खेल रहा है और ये केवल एक गेस्ट हाउस में भी अग्नि काण्ड का आज पता चला हमें। लेकिन वहाँ ऐसे बहुत से गेस्ट हाउस हैं जिनके अन्दर ये घटनाएँ कब भी घटित हो सकती हैं और वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँचने तक का कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि संकरी गलियाँ 8–8 फुट की गलियाँ हैं जिनके अन्दर गेस्ट हाउस हैं। जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी जो गैर लाइसेंस सुधा गेस्ट हाउस हैं, वो ऐसी ही गलियों के अन्दर हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से अनुरोध है, माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उन सबकी जाँच करके और उन गेस्ट हाउस को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए अन्यथा बड़ा अग्नि कांड उस क्षेत्र में कोई होने वाला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का कि इन्होंने दिल्ली अग्नि शमन विभाग को निर्देश जारी करके वहाँ लगभग 100 होटलों के फॉयर के एनओसी रद्द कराए हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आज दिल्ली नगर निगम का कर्त्तव्य बनता है कि उन होटलों को बंद करें जिनके एनओसी कैंसिल हुए हैं। दिल्ली नगर निगम से ये जवाब मांगा जाए कि ये गेस्ट हाउस गैर–कानूनी रूप से क्यों चल रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्री(श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कई प्रश्न हैं। पहली बात तो जैसे विधायक साहब ने बताया कि 191 नहीं, इससे ज्यादा होटल वहाँ गेस्ट हाउस चल रहे हैं वहाँ पर। जिस दिन अर्पित होटल में आग लगी थी, उसी दिन से हमने फॉयर डिपार्टमैंट को आदेश दिए थे कि पूरे इलाके के सभी गेस्ट हाउसेज और होटल्स को चेक किया जाए तो लगभग 200 तो चैक किए जा चुके हैं। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 191 तो इन्होंने लिखा है। 200 से ज्यादा चैक हो चुके हैं जिसमें 150 के करीब जिनके पास लाइसेंस हैं, कैंसिल किए जा चुके हैं। तो जिनके पास भी लाइसेंस थे, उनके अगर कोई भी कमी पाई जा रही है सबको कैंसिल किया जा रहा है और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ जिसका फॉयर लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है अगर कोई भी चलता हुआ मिले तो मुझे बता दें। उसके लिए हम एमसीडी के खिलाफ भी, पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर कराएँगे। अगर फॉयर एनओसी के बिना भी चलवाते हैं तो ये तो अति हो गई। जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैंने चेक कराए थे जिनकी हमने लाइसेंस कैंसिल किए शुरू में दो–तीन दिन उन्होंने चलाए। उनको लगा था कि शायद इन्होंने कैंसिल कर दिए, चल जाएगा। तब जब हमने सख्ती की और उनको बताया कि इसके अन्दर क्या प्रोविजन हैं अगर बिना फॉयर एनओसी के आपने चलवाए तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो सारे के सारे वो बंद हो रहे हैं, इमिजेटली बंद हो रहे हैं पहली चीज। दूसरी चीज जैसे अर्पित होटल जिस दिन उसमें आग लगी थी, मैं खुद गया था वहाँ पर बेसमैंट के अलावा छः मंजिल उसके ऊपर बनी हुई थी। पाँच मंजिल पक्की थी और छठी मंजिल में टेम्परेरी कवर करके उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी। बिल्डिंग बाय लॉज के अन्दर किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के अन्दर चार मंजिल से ज्यादा नहीं बन सकती। चार मंजिल और बेसमैंट और स्टिल्ट अलग से। तो बेसमैंट को काउंट न

करें, स्टिल्ट को काउंट न करें तो चार मंजिल होती हैं। उसमें चार की जगह छः मंजिल थी। पाँच पक्की मंजिल और छठी मंजिल टेम्परेरी बनाई थी और उसके क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। इसके साथ–साथ ही जो पेसिज था और स्टेयरकेस थी मतलब आपको मैं जिस साधन में बताना चाहूँगा कि कितना भयावह स्थिति थी 17 लोगों की उसमें मृत्यु हुई। 17 में से दो लोगों की कूदने की वजह से और तीन लोगों की जलने की वजह से। 12 लोगों की डेथ जो हुई, वो सफोकेशन से हुई। मतलब धुएँ की वजह से। वो अपने कमरे में थे, कमरे में कोई आग नहीं लगी। पूरे होटल के अन्दर दो या तीन कमरे जले हैं। बाकी कमरे जले भी नहीं थे। मैं खुद देख के आया। सबसे बड़ा इश्यू क्या था कि जितने भी पेसिज थे, जितने भी स्टेयरकेस थी, सारे में कार्पेट लगाया गया था। पूरी दीवारों के ऊपर लकड़ी की पेनलिंग की गई थी और कोई वेंटिलेशन नहीं था। मतलब बाहर हवा निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि जब आग लगी तो वो पूरे पेसिज और जो रास्ता था, रास्ता सारा बंद हो गया और कार्बन–मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसमें कोई गंध नहीं होती और कोई कलर भी नहीं होता है। तो दरवाजों के नीचे थोड़ी जगह होती है उसमें जैसे कमरों के अन्दर कार्बन–मोनोऑक्साइड गई तो लोग उसपे सबसे पहले डिस्लॉरेंट हो जाते हैं फिर उसमें बेहोश हो जाते हैं और फिर डेथ हो जाती है। तो सबसे ज्यादा डेथ हुई इसकी वजह से कि ये लोगों को रास्ता बंद मिला और कार्बन–मोनोऑक्साइड की वजह से लोग उसकी वजह से बेहोश हुए। तो मैंने इसके लिए सभी एमसीडीज को फॉयर डिपार्टमैंट को, यूडी डिपार्टमैंट के सभी अधिकारियों को बुलाया था। तो 10 हमने चेंजिज बिल्डिंग बाय लॉज में प्रपोज किए हैं। जल्दी ही उनको नोटिफाई किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि हमारे अधिकारीगण इसके अन्दर भी कोई नया ज्ञान

न ले आएँ। परन्तु मैं मानता हूँ कि अगर उसको नहीं करेंगे तो वो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे, अगर कोई दोबारा ऐसा कोई हादसा होता है। 10 में से मेजर ये है कि किसी भी गेस्ट हाउस के अन्दर *पैसेज ऐण्ड स्टेयरकेस* के अन्दर कोई भी *इन्फ्लेमेब्ल मैटीरियल फ्लोरिंग* दीवारों पे लगाने नहीं दिया जाएगा। जलने वाली कोई भी चीज; कार्पेट लगाते हैं, दीवारों के ऊपर लकड़ी लगाते हैं, विनायल लगाते हैं, फोम लगाते हैं, उस तरह का मैटेरियल अलाउ नहीं किया जाएगा। स्टेयरकेस को और जीने को नेच्युरल वेंटिलेशन किया जाए अगर वो पॉसिब्ल है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रोविजन किया जाए। जो जहाँ पर लोग रात को सोते हैं जैसे कि आपके रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसिज, होटल्स, इवन हॉस्पिटल्स तो वहाँ पर कार्बन–मोनोऑक्साइड के अलार्म लगाए जाएँ। क्योंकि कार्बन–मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो दिखती नहीं है उसमें गंध में नहीं आती। आदमी बेहोश हो गया, उसके बचने का चांस नहीं है। तो अलार्म ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, लगाने चाहिए और लगाने के लिए कहा गया है। अगर गैस बैंक लगाना है जैसे अभी माननीय सदस्य ने बताया छत के ऊपर गैस बैंक लगा दिया, 21 सिलेंडर छत पे रखे हैं उन्होंने। तो उसको नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार उसको कंफर्मिंग होना चाहिए कि गैस बैंक अगर बना रहे हैं तो उसको कंफर्म करके उस स्टैंडर्सस पे मानक पे खरा उतरना चाहिए। छत को जो भी रूफ को आप *इन्फ्लेमेब्ल मैटीरियल* से कवर नहीं कर सकते। किसी भी मैटेरियल से कोई भी इन्फ्लेमेब्ल मैटीरियल जैसे कि एफआर शीट्स से इसको कवर किया गया था, अर्पित पैलेस को नहीं कर सकते हैं। बेसमैंट में और छत के ऊपर कुकिंग का प्रोविजन नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह के 10 नये प्रपोजल दिए गए हैं जिसको की मैंने अप्रूव कर दिया और जहाँ तक ये बहुत ही जल्द ही इनको नोटिफाई कर दिया

जाएगा ताकि आगे से इस तरह की गंभीर हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके।

माननीय अध्यक्षः सिर्फ दो। हाँ, विजेन्द्र जी। नहीं, आपका हो चुका है। आपने तीन क्वेश्चन निकाल लिए थे उसी में।

श्री विजेन्द्र गर्गः सर मैं एक माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें क्या जो वहाँ उस क्षेत्र में जितने भी होटल्स हैं, उनके सभी वो मानदंड पे खरा उतर रहे हैं कि नहीं इसकी जाँच का कोई भविष्य का कार्यक्रम है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार जो चेक करने की जिम्मेदारी है, वो एमसीडी की बनती है। दिल्ली फॉयर सर्विस जो चेक कर रही है, उसमें लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। 80 परसेंट से ज्यादा के कैंसिल हो रहे हैं। मैंने बताया लगभग 200 चैक हो चुके हैं जिसमें से लगभग 150 के करीब कैंसिल हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी, महेन्द्र गोयल जी।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अभी तो इस अग्नि कांड के अन्दर 17–18 मौत हुए थी जिसका बहुत दुःख हुआ। ये लापरवाही एमसीडी की तो है ही, साथ में फॉयर की भी है।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, क्वेश्चन लाओ प्लीज।

श्री महेन्द्र गोयलः मैं वो ही क्वेश्चन के अन्दर ही बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम अपने पे कोई आरोप कोई नहीं लगा सकते। अभी 170 की भी आपको सूचना मिलेगी। जितने बड़े–बड़े टैण्ट लगे हुए हैं, चाहे आप

जीटी करनाल रोड ले लें, चाहे आप गुड़गाँव रोड ले लें, मेहरौली ले लें। इनके जितने भी टैण्ट हैं, किसी के पास भी फॉयर की एनओसी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और इस सदन से अपील कर रहा हूँ और मंत्री जी से अपील कर रहा हूँ, इसकी ओर भी आप ध्यान दें कि हम 170 की मरने की सूचना को पाएँ, उससे पहले ये कार्रवाई हो जाए, ये मेरा अनुरोध है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिनते भी मोटल्स हैं या डैण्ट–टैण्ट के अन्दर जो फंक्शंस किए जाते हैं, इसके ड्राफ्ट रूल्स बना दिए गए हैं और पब्लिक के ऑब्जेक्शंस के लिए आज या कल में ये नोटिफाइ कर दिए जाएँगे। मैं आदरणीय सदस्य से कहूँगा, उनको पढ़ लें और जो भी सुझाव देना चाहें, दे दें। इसको भी दिल्ली के अन्दर सख्ती से लागू किया जाएगा, जल्दी ही इसको लागू किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः बैठिए सोमनाथ भारती जी। अंतिम इस पर।

श्री सोमनाथ भारतीः माननीय मंत्री जी चूंकि ये दर्दनाक हादसा... इसने पूरी दिल्ली को हिला दिया था। हमने सदन के अंदर शोक भी जाहिर किया था। *कम्पलीशन सर्टिफिकेट एक नैसेसरी रिक्वायरमैण्ट है।* अगर उसे लाइसेंस मिले किसी को चलाना है गेस्ट हाउस तो, तो *कम्पलीशन सर्टिफिकेट के एब्सेंस में फॉयर का एनओसी कैसे मिल रहा है, नम्बर एक।* नंबर–2 इसके ऊपर क्या आपने कोई व्हाइट पेपर निकाला है और उस व्हाइट पेपर के आधार पर पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ वहीं नहीं जहाँ ये घटना घटी है। पूरी दिल्ली के अंदर गेस्ट हाउसेज और टैण्ट हाउसेज और जहाँ जहाँ पब्लिक इक्ट्ठा होती है, जहाँ जहाँ पब्लिक के रहने की व्यवस्था की जाती है, गेस्ट हाउस या होटल में हो क्या सबकी आडिट होगी?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि हमने फॉयर डिपार्टमैंट की छः टीमें बनवा दी हैं कि अभी सबसे पहले हमने कहा था कि करोल बाग एरिया को स्टार्ट किया जाए। उसके बाद दिल्ली के अंदर जितने भी गेस्ट हाउसेज, होटल्स वगैरह सभी को चैक किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ए टू जेड। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा जो भी अगर कोई इम्प्रूवमैंट में लिए बिल्डिंग बायलॉज में या किसी तरह की सजेशन है तो वो दे दें और जहाँ तक कंप्लीशन की बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर अगर एमसीडी के क्षेत्र में पाँच लाख बिल्डिंगें बनी होंगी तो कंप्लीशन सर्टीफिकेट पाँच हजार के पास भी नहीं है, ये बहुत बड़ा करप्शन का धंधा है और इसके बारे में कोई भी संजीदा तौर पर किसी भी लेवल पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पाँच हजार करोड़ रुपया हर साल रिश्वत के रूप में मिलते हैं बिल्डिंग डिपार्टमैंट से और ये कहाँ तक जाते हैं, ये पता नहीं है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तरह तरह की कमेटियां बैठती हैं, तरह तरह का कुछ बनता है, उसमें कोई न कोई अड़ंगा अड़के सबको इन चीजों को बंद कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीशन होना या न होना, ये करप्शन की वजह से है।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–25 अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–25 प्रस्तुत है।

क्या **निर्वाचन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) गाँधी नगर (एसी 61) विधान सभा में कुल कितने मतदाता हैं;

ख) इनमें से कितने पुरुष एवं कितनी महिला मतदाता हैं;

ग) गाँधी नगर (एसी 61) विधान सभा में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए;

घ) गाँधी नगर (एसी 61) विधान सभा में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए;

ङ) उपरोक्त में से जिन लोगों को मतदाता सूची से नाम हटाये जाने से पूर्व नोटिस दिया गया, उनकी सूची उपलब्ध करायी जाए; और

च) गांधी नगर (एसी 61) विधान सभा में मतदाताओं का जातिवार विवरण क्या है?

माननीय निर्वाचन मंत्री (श्री इमरान हुसैन): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–25 का उत्तर प्रस्तुत है:

क) गाँधी नगर (एसी 61) विधान सभा में कुल 172114 मतदाता हैं;

ख) इनमें से 96742 पुरुष एवं 75372 महिला मतदाता हैं;

ग) सूची संलग्न है[2];

घ) सूची संलग्न है;

ङ) हटाने की सूची के अनुसार (संख्या नं– 4) सभी को नाम हटाये जाने का नोटिस दिया गया;

च) सॉफ्टवेयर जातिगत आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है;

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी कोई वाजपेयी जी?

श्री अनिल वाजपेयीः माननीय मंत्री जी, जो नाम हटाये गये हैं, उसकी सूची तो उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

---

[2]संलग्नक www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः ये सूची संलग्न है। ये देखिये इतना मोटा पोथा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये बाजपेयी जी के लिए है।

माननीय अध्यक्षः हाँ, ये इतना मोटा बंडल बाजपेयी जी के क्वेश्चन का है। सप्लीमेंटरी, विजेन्द्र जी, आप सप्लीमेंटरी?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसी से संबंधित मेरे भी प्रश्न थे और 27 नवंबर को दिल्ली विधान सभा के इस सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था; वोट काटने के लिए कि वोट कट गई हैं और एक भाजपा का तंत्र जो है, वो वोट कटवा रहा है और फोन भी हो रहे हैं। उस पर सारे ये सब जो है, इस पर ये इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया का रिप्लाई आया है जो मैं चाहता हूँ कि इसको सदन में टेबल किया जाए क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन ने आपके उस रेजल्यूशन में जितने आपने आरोप लगाये थे, सबका खंडन किया है और दूसरा, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मिनट, एक मिनट हाँ, जी।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के हैडक्वार्टर में जवाब भिजवाता है क्या?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कहाँ भिजवाता है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः मैं पूछ रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्यों, क्या हुआ?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः इलेक्शन कमीशन जो है, भारतीय जनता पार्टी की बी. टीम है क्या?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये लो ना।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः भारतीय जनता पार्टी के पास में हैडक्वार्टर...

माननीय अध्यक्षः आप इधर दे दीजिए न। विजेन्द्र जी, आप यहाँ दीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय उप मुख्यमंत्रीः इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अरे! मंत्री जी ने जवाब दिया है जवाब में। जवाब दिया है मंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन का। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं।

माननीय अध्यक्षः इलेक्शन कमीशन का जवाब आपके पास कैसे आया? वो तो सरकार के पास आएगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरे पास मंत्री जी ने भेजा है।

श्री ओमप्रकाश शर्माः सिसोदिया जी पढ़ते नहीं हो।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक मिनट, ये जवाब, ये मंत्री जी ने जवाब में भेजा है। ये देखिये। ये लगा हुआ है। ये अब मैं पढ़ देता हूँ। ये मंत्री जी ने भेजा है, इसे टेबल किया जाए। अब आप बीजेपी का नाम इसमें ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी, देखिये मेरी बात सुनिये, एक बार प्लीज।

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो डाक्युमैंट मंत्री जी के जवाब में आया है, वो तो टेबल्ड है ही, उसमें टेबल करके कौन सा फांसी पड़ रही है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः टेबल नहीं है, ये टेबल होना था। ...(व्यवधान) दूसरा मंत्री जी ने मुझे जवाब भेजा है। मैंने पूछा था; पिछले चार साल में कितने वोट कटे हैं। आपने भेजा है मुझे, दस लाख और ये मुख्य मंत्री जी का ट्वीट है कि चार साल में चौबीस लाख कटे हैं। अब आप बताइए, मुख्य मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं साफ क्योंकि मंत्री जी के जवाब में....

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, सप्लीमेंटरी क्या हुआ है आपका?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मंत्री जी के जवाब में ये इयरवॉइज लिखा हुआ है।

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, सप्लीमेंटरी क्या हुआ ?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सप्लीमेंटरी ये हुआ कि पिछले चार साल में कुल कितने वोट कटे हैं, इयरवाइज, वो बताए जाएँ।

माननीय अध्यक्षः अब देखिये, एक चीज मैं क्लीयर करूँ माननीय मंत्री जी नेकृ

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः विजेन्द्र जी, आप मेरे से बात कर लीजिए एक बार। ये चीफ सैक्रेटरी के नाम लैटर है।

विजेन्द्र गुप्ताः जी।

माननीय अध्यक्षः चीफ सैक्रेटरी को एड्रेस करके लिखा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये ऊपर पढ़िये इसका हैडिंग, रेजल्यूशन मैं पढ़ देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः देखिये, मैंने देख लिया है सारा।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसमें लिखा है, Resolution adopted on 27.11.2018 by Legislative Assembly of Delhi regarding illegal deletion of names of lakhs of voters from Voter list in Delhi. ये आपके हमारे प्रस्ताव के अगेंस्ट जवाब है।

माननीय अध्यक्षः चलिये, जवाब आ गया न इसका?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पर आपने रेजल्यूशन में लिखा था कि जवाब टेबल किया जाए तीन महीने के अंदर–अंदर और टेबल आप कर नहीं रहे, आज तीन महीने हो गये। आज तीन महीने हो गये पूरे। इसमें आप प्रस्ताव पढ़िये। प्रस्ताव के अंत में आपने रिजॉल्व किया है, सदन में जवाब रखा जाएगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः या तो इनका ये पॉइंट ठीक है कि जो आप खुद जवाब दे रहे हैं सप्लीमेंटरी में, उसको टेबल नहीं कर रहे। जब खुद ही जवाब दे रहे हैं...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप टेबल क्यों नहीं कर रहे जब सदन में हो रहा था?

माननीय अध्यक्षः जवाब आ गया तो टेबल हो गया न।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः देखिये रूल्स की वॉयलेशन है ये। आपके ऑर्डर की वॉयलेशन है। आपने कहा तीन महीने में टेबल करो तो यहाँ पर मंत्री जी खुद अपने बंद कमरे में तो जवाब भेज रहे हैं लेकिन आपको टेबल करने के लिए...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप टेबल करवाइए इसको।

माननीय अध्यक्षः बात हो गई आपकी न।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, जी।

माननीय अध्यक्षः क्वेश्चन हो गया। माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर दे रहे हैं, चलिये।

माननीय निर्वाचन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न संख्या–25 का उत्तर मैंने दिया जो गाँधी नगर विधान सभा से था और इलेक्शन कमिशन ने जो मुझको लिखके भेज देते हैं क्योंकि उसको मैं यहाँ सदन के पटल पर रख देता हूँ क्योंकि दिल्ली इलेक्शन कमीशन....

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमने आरटीआई में भी जवाब ले रखा है और मंत्री जी ने भी दे रखा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मंत्री जी ने दे दिया। बस, छिपा रही है तो विधानसभा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब हो गया न? सिरसा जी, विषय पूरा हो गया। विजेन्द्र जी, विषय पूरा हो गया। चलिए, भई अब हो गया न? विजेन्द्र जी आपने उत्तर दे दिया सारा। अब हो गया। हाँ जी, बोलिए।

माननीय निर्वाचन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जवाब मैंने प्रश्न संख्या–25 का दे दिया है।

विजेन्द्र गुप्ताः हमारा जवाब तो दो।

माननीय अध्यक्षः आपने टेबल कर दिया न अब। ये टेबल हो गया है। मैं अभी करवा दूँगा सर्कुलेट। ठीक है? गुलाब सिंह जी, बोलिये।

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि वोट जब कटती है तो सीधा सा कहा है कि एमएलओ जो घर तक जाता है, वो बीएलओ और वही तो रिपोर्ट करता है कि किसी की डेथ हो गई है या कोई शिफ्ट हो गया है, तभी जाकर वोट कटती है। एड्रेस चेंज होते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में इस संदर्भ में कि कोई वहाँ पर... पुश्तैनी उसका मकान है, जैसे गाँव की वोट लगा लीजिए। लोग वहीं पर रह रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से और उसका शिफ्ट लिखकर और उसका वोट काट दिया गया। हमारे यहाँ पर बहुत वोट कट गये तो क्या इसमें कोई कार्रवाई बीएलओ के ऊपर कुछ होती है, कोई सस्पेंड होते हैं या क्या कोई कार्रवाई बनती है के नहीं बनती है?

माननीय निर्वाचन मंत्रीः अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो आप मुझे दें मैं उस पर कार्रवाई कराता हूँ।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–26, राखी बिड़ला जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हम फोर्स नहीं कर सकते। भई विजेन्द्र जी, मंत्री जी नेकृ जो भी कोई उत्तर आता है स्टार्ड क्वेश्चन का, आन्सर मंत्री जी के माध्यम से आता है। मंत्री ने उत्तर दे दिया आपके अन स्टार्ड क्वेश्चन का। इसका मतलब टेबल हो गया आलरेडी फिर उसमें क्या रह गया अब? नहीं अब नहीं।

प्रश्न संख्याः 26।

सुश्री राखी बिड़लाः माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या–26 का जवाब देने की कृपा करें।

क) मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया कब से आरम्भ हो जाएगी;

ख) क्या विभाग की पुराने राशन कार्डो को ठीक करने एवं उसमें नए नाम जोड़ने का कोई योजना है, पूर्ण विवरण दें;

ग) मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, पूर्ण विवरण दें;

घ) क्या मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र में राशन की चोरी व अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु विभाग द्वारा मार्च 2015 से 30 अप्रैल 2018 के दौरान कोई छापेमारी/निरीक्षण किया गया; और

ङ) यदि हाँ, तो कब–कब और किन–किन अधिकारियों के नेतष्त्व में ये अभियान चलाए गए तथा क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई, पूर्ण विवरण दें?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 26 का जवाब निम्न प्रकार से हैः

क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् है;

ख) पुराने राशन कार्डो में संशोधन/जोड़ने का काम सतत् रूप से चल रहा है;

ग) मंगलोपुरी विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी एफ.एस.ओ.(1) एफ. आई.आई.(1), डाटा एँट्री ऑपेरटर(2) और एम.टी.एस(1);

घ) जी हाँ;

ङ) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उचित दर दुकानों का औचक निरीक्षण खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, दिल्ली सरकार व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उच्चतर अधिकारियों और निरीक्षण टीम के नेतष्त्व में किया गयाः

क्रम स.	एफ.पी.एस संख्या	निरीक्षण तिथि	विवरण
1.	1915	30/12/2015	FIR On dt. 20/1/2016FPS Cancelled on 26/6/2016
2.	5054	01/07/2016	जोनल सहायक आयुक्त (पश्चिमी) जुर्माना रूपया 10,000/–लगाया
3.	5033	1/07/2016	जोनल सहायक आयुक्त (पश्चिमी) जुर्माना रूपया 10,000/–लगाया
4.	9095	02/08/2017 03/01/2018	FIR on dt. 18/8/2017FPS CANCELLED ob 22/1/2018
5	5033	4/10/2017	लाइसेंसी के विरूद्व FIR दिनांक 4/10/2017 को दर्ज कर दी गई। FPS Cancelled on 16/12/2017 Revoked On 15/2/18
6.	5213	11/01/2016	FIR On dt.12/4/2016
7.	5056	17/08/2017	जोनल सहायक आयुक्त (पश्चिमी)जुर्माना रूपया 10,000/–लगाया

प्रवर्तन शाखा ने इस निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी। राखी जी।

सुश्री राखी बिड़लाः सर, सिर्फ माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि जो कैंसिल की गई हैं दुकानें और चार दुकानों की नई अलाटमैंट की रिक्वेस्ट भी भेजी थी, वो कब तक शुरू हो जाएगी?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः जो आपने भेजी थी, वो बहुत जल्दी शुरू करा देंगे, अलाटमैंट करवा देंगे।

सुश्री राखी बिड़लाः नहीं मंत्री जी, आपको भी याद होगा मैंने अभी फोन किया था जब चार अलाटमैंट प्रोसेस में आ गई थी लेकिन वो किसी कम्पलेंट की वजह से कैंसिल हो गई थी। तो बस मेरी गुजारिश इतनी है कि ये जो छः दुकानें हैं, इनको आप जल्दी से जल्दी शुरू करा दें एक समय सीमा के तहत।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः ठीक है।

माननीय अध्यक्षः स्पलीमैंटरी।

श्री प्रकाश जारवालः माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि 70 विधान सभाओं में कितने राशन कार्ड अब तक पेंडिग हैं, उनका क्या स्टेटस है? अध्यक्ष जी, बहुत परेशान हैं लोग।

अध्यक्ष महोदयः भई देखिए, माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे पाएँगे।

श्री प्रकाश जारवालः आगे के लिए चलो। पूरे लोग परेशान हैं। अध्यक्ष जी, क्या है जनता डेली ऑफिस में आती है और क्या है कि वो डेली क्यू में लगा देते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, बताइए मंत्री जी। कुछ उत्तर देंगे?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीः नहीं, ये पूरा विवरण मैं इन्हें दे दूँगा, अभी थोड़ी देर में दे दूँगा। विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो मुझे बनाकर बताएँ। मैं अभी देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः गुलाब जी।

श्री गुलाब सिंहः अध्यक्ष जी ये सवाल लगा लीजिए या इसको एक चर्चा का विषय बना लीजिए क्योंकि मैंने अभी चार पाँच दिन पहले कैम्प लगाया था। मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में कम से कम पाँच सात बार तो मिल चुका हूँ। चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये दस पन्द्रह बार चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ। मेरे यहाँ पर इन्सपेक्टर नहीं है और साढ़े चार लाख मतदाताओं की विधान सभा के अंदर एक भी राशन सम्बन्धित शिकायतें सुनने के लिए दफ्तर नहीं है और उसके लिए मैं दस बार कह चुका हूँ। नई दुकानों के लिए कह चुका हूँ। इन्सपेक्टर है कोई एन्ट्री नहीं हो रही है वहाँ पर। डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नहीं है। कोई काम मेरे यहाँ पर नहीं हो रहा है पिछले तीन चार साल से। क्या उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जा रहा है?

माननीय अध्यक्षः आप एक बार लिखित में दीजिए मुझे।

श्री गुलाब सिंहः ठीक है जी।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–27, नितिन त्यागी जी।

SHRI NITIN TYAGI: Sir, request Minister of Urban Development to kindly answer question No.27:

(a) How much and at what rate land was allotted to Lovely Public School at Priyadarshini Vihar in Laxmi Nagar;

(b) Total area of the school at present;

(c) Whether there is any additional land with the school besides the land originally allotted to it; and

(d) If so, from which agency the school got this land?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा। परसों इस सदन के अंदर फॉर्मर्स के लिए सब्सिडी देने का बीड़ा उठा था बड़े जोर शोर से। कल दिल्ली सरकार ने केबिनेट मिटिंग के अंदर फॉमर्स को जो उनके फिक्सड चॉर्जेज 125 रुपये थे, बीस रुपये किलोवाट कर दिये हैं। कल इसको कर दिया है।

माननीय अध्यक्षः गुलाब सिंह जी, अब तो खड़े होकर धन्यवाद दे दो।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः दूसरी बात।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): सर पूरे दिल्ली देहात की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद और मेरे पास पगड़ी नहीं है, नहीं तो मैं खुद पगड़ी बांध कर मंत्री जी का धन्यवाद करता।

माननीय अध्यक्षः वहाँ बुलाकर के पगड़ी बाँधो भई। गाँव के क्षेत्र में बुलाकर पगड़ी बाँधो। चलिए, ठीक है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अब ये नहीं, ऐसा नहीं सोमनाथ जी, प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अभी पूरा तो पढ़ने दो। अभी पूरा सुन लो। अध्यक्ष महोदय, अभी आधा बताया था। जो ये सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी 01 अप्रैल, 2018 से दी जाएगी। यानी कि जब से लागू हुई थी, तब ही से रिफंड वापिस किया जाएगा। सबका पैसा वापिस किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–27 का जवाब दे दीजिए।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः इनका भी जवाब दे दूँ। नहीं, तो वो कहते रहेंगे कि वो हमारे सदन के अंदर विपक्ष की जरूरत नहीं होती विपक्ष बाहर हो तो काम चलता रहता है।

माननीय अध्यक्षः भई मेरी इच्छा थी कि क्वेश्चन 30 तक आ जाएँ। थोड़ा सा सावधानी रखें। जिन लोगों के लगे हैं, बड़ी मुश्किल से बारी आती है। आधा घण्टा वैसे ही खराब हो गया है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः इसके लिए कोशिश की जा रही है। जब हो जाएगा, तब बता देंगे। उससे पहले नहीं बता सकते भई। प्रश्न संख्या 27 का जवाब निम्न प्रकार से हैः

क) शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार के अनुसार कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, विद्यालय को छः लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब

से दो एकड़ जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा प्रीमियम का दो प्रतिशत ग्राउन्ड रेट देना तय हुआ था।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

यह विद्यालय पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

ख) शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकारः

उपरोक्त 'क' के अनुसार

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

उपरोक्त ' क' के अनुसार

ग) शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकारः

यह सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगमः

उपरोक्त 'ग' के अनुसार;

घ) शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकारः

उपरोक्तानुसार।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी। नितिन जी।

श्री नितिन त्यागीः जो सप्लीमैंटरी एक्चूअली जी, तरीके से सर, बनाना चाह रहा हूँ। इसमें मैं सर, थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि एक तो जो आरटीआई एक मेरे पास है जिसके एकॉर्डिंगली इसका जो लैंड की कॉस्ट

है, वो एक रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आबंटित की गई थी। दो एकड़ जमीन आबंटित की गई थी। यहाँ पर छः लाख प्रति एकड़ क्यों आ रहा है? कौन सी चीज सही है; वो मैने आपको बग्गा जी को दी हुई थी उसकी कॉपी। तो ये एक मैं चाहूँगा कि कल को टेबल कर दूँ और आप इसको प्लीज चैक करवा लें। दूसरा ये दो एकड़ में बताते हैं पर बहुत बड़ा स्कूल है। इससे ज्यादा लैंड घेरी हुई है उसने। क्या रेमेडी है इसकी कि वो लैंड घेरी हुई है और कौन इस चीज को चैक कर सकता है? और ऐसा कई और स्कूलों ने भी कर रखा है। जो मुझे एक दम पुख्ता रूप से मुझे पता है कि लोगों ने स्कूल्स नें लैंड वो घेरी है। तो जो आबंटित लैंड है, उससे ज्यादा अगर लैंड घेरी हुई है तो वो पब्लिक यूज की लैंड है और क्या उनकी ईडब्ल्यूएस की संख्या बढनी चाहिए? वो पब्लिक के वेलफेयर की लैंड जो घेरी हुई है या वापिस ली जाएगी या उसे पैसे देने पड़ेंगे? पब्लिक यूज की लैंड का, उसका क्या रेमेडी है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय उठाया है कि अगर स्कूल को जो लैंड आबंटित है; दो एकड़ है और उसने कब्जा दो एकड़ या चार एकड़ पर एक्स्ट्रा कर रखा है। ये जो कब्जा है, ये ऐसे तो आसानी से तो हो नहीं सकता। किसी ने, जिस डिपार्टमैंट की जमीन है, उसने उसकी मिलीभगत से ही किया होगा। इसकी जाँच की जाएगी और एक महीने के अंदर जाँच रिपोर्ट सदन की सामने रखी जाएगी।

माननीय अध्यक्षः ऐनी सप्लीमैंटरी? ये लक्ष्मी नगर से रिलेटिड है। मैं इसके अलावा अलाऊ नहीं करूँगा। नहीं प्लीज, मैंने कोई अलाऊ नहीं किया।

ये कोई तरीका नहीं होता है जरनैल जी। चलिए पूछिए, आप पूछिए।

श्री जरनैल सिंहः मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे प्राइवेट पूरी दिल्ली में हैं। हमारी विधान सभा में भी हैं। तो ये हर विधान सभा वाइज जानकारी दी जाए।

...(व्यवधान)

श्री अजेश यादवः अध्यक्ष महोदय, रोहणी सैक्टर 13 में एक कोऑपरेटिव सोसायटी है...

अभी उसने बीच में से रास्ता था; डीडीए का रास्ता। क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड है या कुछ है। डीडीए की जमीन वेंकटेश स्कूल ने अभी घेर ली है और उसकी बाउंड्री कर ली है। वेंकटेश्वरा स्कूल है रोहिणी के अंदर जो कि रास्ता था आने जाने का, वो स्कूल के अंदर अपनी बाउंड्री के अंदर ले लिया है रास्ता। बिल्कुल मेरे घर के सामने की बात है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सोम नाथ जी, नहीं। ये क्वेश्चन ऑवर चल रहा है प्लीज। ये कोई तरीका है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनको कितनी लैंड अलॉट हुई है और कितनी लैंड पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो सारा जाँच करा के पूरा का पूरा सदन के सामने रखा जाएगा।

...(व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः पूरी दिल्ली का बता रहे हैं ना। पूरी दिल्ली के सभी स्कूलों का कह दिया है।

माननीय अध्यक्षः श्री महेन्द्र गोयल जी। प्रश्न संख्या 28 ।

श्री महेन्द्र गोयलः मैं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या– 28 प्रस्तुत हैः

क) क्या विभाग की सरदार कालोनी सैक्टर–16, रोहिणी व अमर ज्योति कालोनी, सैक्टर– 17, रोहिणी में कुछ व्यावसायिक प्लॉट आबंटित करने की कोई योजना विचाराधीन है;

ख) यदि हाँ, तो विभाग की इन प्लॉटों के संबंध में योजना का पूर्ण विवरण क्या है;

ग) क्या यह भी सत्य है कि इन प्लॉटों पर दिन प्रतिदिन अवैध कब्जे बढते जा रहे हैं;

घ) इन प्लॉटों से सभी अवैध कब्जे हटाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है;

ङ) क्या विभाग अमर ज्योति कालोनी स्थित खाली पड़ी चार दुकानें चुनाव आयोग को किराए पर देने में समर्थ है; और

च) अमर ज्योति कालोनी, सेक्टर 17, रोहिणी स्थित बस्ती विकास केंद्र की वर्तमान स्थिति क्या है तथा वह किस और कार्य में प्रयोग किया जा रहा है?

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या– 28 का उत्तर प्रस्तुत हैः

क) विभाग में उपलब्ध सरदार कॉलोनी सेक्टर–16, रोहिणी के ले आउट प्लान में एक प्लाट वेजिटेबल प्लेटफार्म के लिए निर्धारित है जिसमें 12 प्लेटफार्म (2.06 मीटर X2.65 मीटर) का प्रावधान किया गया है;

अमर ज्योति कॉलोनी के लेआउट प्लान में दुकानों का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है;

ख) उपरोक्त;

ग) नहीं। संज्ञान में आने पर उचित कार्रवाई की जाती है;

घ) व्यवसायिक प्लॉट से अवैध कब्जे हटाने की जिम्मेदारी डूसिब की है;

ङ) इस सन्दर्भ में चुनाव आयोग से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सम्बन्धित अनुरोध आने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी; और

च) बस्ती विकास केन्द्र सुभीक्षा एनजीओ को आबंटित है जो कि शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करता है तथा उसके कैम्पस में आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए स्थान आबंटित किया गया है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी।

श्री महेन्द्र गोयलः सर, 'क' भाग का जो आपने प्लेटफार्म अलॉट करने की बात कही है, ये कब तक हो जाएँगे? एक तो ये है मेरा। और मैं आपको

बता देता हूँ जो प्रश्न का भाग 'ख' है आपका कि अभी संज्ञान में नहीं है, वहाँ पर कब्जे हैं और डूसिब का आपने जवाब दिया है कि वो कब्जे हटाने की डूसिब की जिम्मेवारी है तो निवेदन है कि वो डूसिब अपने कब्जे हटा के उसपे अपनी चारदीवारी भी कर ले और ये जो दुकानों के बारे में पूछा है, ये कब तक हो जाएँगी? और एक 'ङ' भाग का जो सवाल है मेरा, इसके लिए मैंने बहुत पहले से एप्लीकेशन दी हुई है। तकरीबन चार साल हो गए कि निर्वाचन आयोग का जो ऑफिस है, जहाँ पर आईडी कार्ड बनते हैं, वो मेरी विधान सभा में न हो के बवाना में जा के बनवाने पड़ते हैं। किराए पे उन्होंने जगह ले रखी है और यदि अमर ज्योति कालोनी के अंदर आपकी चार दुकानें जो पड़ी हैं, ये आप दे दोगे तो वोटर आईडी का यहाँ पर वो सेंटर खुल जाएगा जो मेरी विधान सभा के लिए भी और एक आदर्श काम भी होगा ये।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अभी चुनाव आयोग से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, अनुरोध प्राप्त होने के बाद इसको कंसीडर करके कर दिया जाएगा।

श्री महेन्द्र गोयलः सर, मैंने एप्लीकेशन दे रखी है।

माननीय अध्यक्षः भई महेन्द्र जी, देखिए जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, बीच में मत टोकिए, प्लीज।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः आपने नहीं, उनसे आना पड़ेगा चुनाव आयोग से अनुरोध चाहिए।

श्री महेन्द्र गोयलः ठीक है।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः जहाँ तक जो अगर जैसा अवैध कब्जे बताए हैं माननीय सदस्य ने, उन सब को हटाया जाएगा जल्द से जल्द और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करके उनको अपने कब्जे में लिया जाएगा और भाग 'क' के बारे में सिर्फ 12 प्लेटफार्म हैं और इसके बारे में जल्दी कोई न कोई डिसीजन लिया जाएगा।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–29 श्री मनोज कुमार जी। बस 30 तक दूँगा।

श्री मनोज कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से प्रश्न–29 का उत्तर चाहता हूँ, धन्यवाद।

क) क्या दिल्ली में कोई भी शराब की दुकान खोलने से पहले क्षेत्रीय विधायक को पूर्व सूचना अथवा उसकी अनुमति ली जाती है;

ख) एसी–56 विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी शराब की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स व बॉर स्थित हैं;

ग) क्या कोंडली विधान सभा क्षेत्र में शराब की दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर अथवा बॉर खोलने संबंधी कोई आवेदन विभाग के पास लम्बित है;

घ) यदि हाँ, तो किन–किन स्थानों पर;

ङ) क्या शराब की दुकान खोलने से पहले उस क्षेत्र की जनता से राय ली जाती है;

च) शराब की दुकान के कारण अपराधों में वृद्धि होने की स्थिति में उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

छ) शराब की दुकान खोलने हेतु एक परिवार के कितने सदस्यों को लाइसेंस दिया जा सकता है?

माननीय उप मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–29 का उत्तर प्रस्तुत हैः

क) जी नहीं। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

ख) दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंसों का निर्गमन विधान सभा वार नहीं किया जाता है। पते के आधार पर एसी 56 विधान सभा क्षेत्र (कोंडली) के अन्तर्गत संभावित क्षेत्र में आने वाली शराब की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर व बार की संख्या निम्न हैः

1.	शराब की दुकानें	–	09
2.	डिपार्टमेंटल स्टोर	–	03
3.	बार	–	01

ग) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कोंडली विधान सभा में शराब की दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर्स अथवा बार खोलने सबंधी कोई आवेदन लंबित नहीं है;

घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

ङ) जी, नहीं, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है;

च) शराब की दुकानो को दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 22(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनहित में स्थानांतरित किया जाता है; और

छ) दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 तथा नियम एवं शर्तो के अनुसार परिवार के सदस्यों के आधार पर लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है अपितु योग्य व्यक्ति को शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस दिया जाता है।

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी, मनोज जी। सप्लीमेंटरी कोई नहीं? अनिल जी।

श्री अनिल बाजपेयीः सर मेरा इसी से रिलेटिड सवाल है।

माननीय अध्यक्षः क्या है क्वेश्चन? कीजिए न।

श्री अनिल बाजपेयीः सर ये है, मैं हमारे जो माननीय डिप्टी सीएम साहब हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गाँधी नगर विधान सभा के एक प्रतिनिधि अपने रसूखों का इस्तेमाल करके मंदिर और दोनों के बीच में 100 मीटर का भी दूरी नहीं है और वहाँ पे शराब का ठेका खोल दिया गया, ऐसे ही सर हमारे यहाँ जी ब्लाक में न्यू सीलमपुर में शराब का ठेका जो खोला गया है 50 कदम की दूरी पे मंदिर नहीं है और 50 कदम की दूरी पे हमारा स्कूल है और वहाँ पर हम लोग काफी वो कर भी चुके हैं और आज तक वहाँ पे शराब का ठेका सर बंद नहीं किया गया। मेरा

अनुरोध है सर, एक बार और लोग भी तैयार हैं, लोगों ने लिख के भी दे दिया है, इसको बंद करा दिया जाए।

माननीय उप मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि इसकी जानकारी मुझे अलग से लिख के दे दें और उसपे जो भी संबंधित नियमानुसार कार्रवाई होगी, उसको करवाएँगे।

माननीय अध्यक्षः जरनैल जी।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में शिकायत थी एक लोगों की शराब दुकान से संबंधित तो उसको लेकर एक जनसभा की गयी थी जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय उप मुख्य मंत्री जी आए थे और वहीं पर आन द स्पाट लोगों की ये वोटिंग कराई गयी तो सबने कहा जी, ये दुकान बंद कराई जाए। वहीं पर मेरे सामने आन द स्पॉट माननीय मुख्य मंत्री साहब ने डिपार्टमैंट को...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः प्लीज।

श्री जरनैल सिंहः डिपार्टमैंट को आदेश भी दिए कि ये दुकान तत्काल बंद की जाए पर आज तक अध्यक्ष जी, वो दुकान बंद नहीं हो पाई, उसके कुछ कारण बताए जाएँ?

माननीय उप मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस का केस मुझे याद है और मैं खुद भी उस जन सुनवाई में गया था और उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है मेरे पास अभी स्टेट्स अपडेट नहीं है। ये मामला अदालत

में भी गया था, अदालत में जाने के बाद इसपे क्या हुआ, मैं सदन को अवगत करा दूँगा।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न संख्या–30, संजीव झा जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमैंटरी लगाना था।

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब और नहीं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः सप्लीमेंटरी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः देखिए, फिर 280 रह जाएगा सारा।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः सप्लीमेंटरी लगाना...

माननीय अध्यक्षः नहीं, प्लीज।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः सप्लीमेंटरी लगाना ...

श्री संजीव झाः मैं माननीय निर्वाचन मंत्री जी से प्रश्न संख्या–30 का उत्तर चाहता हूँ, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

क) वर्तमान में बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या है;

ख) पिछले दो सालों में बुराड़ी विधान सभा में कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं; और

ग) जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, मतदाता केंद्रवार उनके नाम, पते एवं नाम हटाए जाने के आधार व कारणों सहित पूर्ण विवरण क्या है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने हाथ नहीं खड़ा किया, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः दो लोगों को समय दिया मैंने, चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय निर्वाचन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–30 का उत्तर प्रस्तुत हैः

क) बुराड़ी विधान सभा में कुल 325084 मतदाता हैं;

ख) 2017 में हटाए गए मतदाता – 305

2018 में हटाए गए मतदाता – 4436; और

ग) केन्द्रवार हटाए गए मतदाताओं का विवरण संलग्न है[3]

माननीय अध्यक्षः सप्लीमेंटरी?

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, इसमें 'ग' का जवाब है कि केन्द्रवार हटाए गए मतदाताओं का विवरण संलग्न है लेकिन सर, कोई विवरण हमारे पास आया नहीं है?

माननीय निर्वाचन मंत्रीः अगर नहीं आया है तो मैं अभी दिलवा देता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं, विवरण आए हैं।

माननीय निर्वाचन मंत्रीः आया है विवरण, आया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सीडी नहीं है?

श्री जितेन्द्र तोमरः नहीं।

माननीय अध्यक्षः मुरूगन जी, देखिए, ये सीडी नहीं है?

श्री जितेन्द्र तोमरः उसमें मुझे जवाब दिया है कि त्रि नगर विधान सभा क्षेत्र के सभी राशन कार्डधारकों के नाम पते सहित ब्यौरा संलग्न सीडी में उपलब्ध है। लेकिन सीडी नहीं है यहाँ पर खूब ढूँढ ली। कई बार ढूँढी।

माननीय अध्यक्षः चलिए करते हैं इसको। नहीं ऐसा रहता है तोमर जी, जो मुझे जानकारी दी गयी है जिन मेंबर का क्वेश्चन होता है, उनको हॉर्ड कापी दी जाती है बाकी को सीडी दी जाती है।

श्री संजीव झाः मेरे को न हार्ड है न सीडी दी गयी है

माननीय अध्यक्षः ठीक है। करवाते हैं। एस के बग्गा जी। नहीं अब कोई सप्लीमेंटरी नहीं, प्लीज।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

23. श्री रामचंद्र : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में शराब की 3 दुकानें (1) प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने सेक्टर–24 रोहिणी (2) प्राथमिक विद्यालय, सेक्टर–20 तथा (3) प्रहलादपुर गांव (बांगर), निकट महादेव चौक, में चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इन शराब की दुकानों के विद्यालयों के नजदीक होने के कारण क्षेत्रीय विधायक द्वारा इनके विरुद्ध कई बार लिखित शिकायतें और व्यक्तिगत मीटिंग भी की जा चुकी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन शराब की दुकानों को अन्यंत्र स्थानांतरित करने हेतु कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) और (ख) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त स्थल पर शराब की दुकानें दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार है एवं नियम 51(1) के अंतर्गत है और जिनकी दूरी स्कूलों के द्वार/प्रवेश मार्ग से 100 मीटर से अधिक है;

(ग) सेक्टर–20 रोहिणी की शराब की दुकान का स्थानांतरण का प्रस्ताव शॉप नंबर–1, भू–तल ई.एस.एस. प्लाजा कमुनिटी सेंटर, सेक्टर–3, रोहिणी, के लिए विचारधीन है; और

(घ) उपरोक्तानुसार।

31. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल 2017 से अब तक भवन विभाग द्वारा बुक की गई सम्पत्तियों का वार्डवार ब्यौरा दीजिए;

(ख) इन सम्पत्तियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए;

(ग) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में भवन विभाग द्वारा कुछ सम्पत्तियां सीलबंद की गई थी;

(घ) क्या इन सीलबंद हसम्पत्तियों में अभी भी अनाधिकृत निर्माण चल रहा है; और

(ङ) क्या इन सीलबंद सम्पत्तियों में अभी भी अनउधिकृत निर्माण चल रहा है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) से (ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर नियम**

पालम विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल, 2017 से अब तक भवन विभाग द्वारा बुक की गई संपत्तियों तथा भवन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा सूची में संलग्न है;*

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अप्रैल, 2017 से अब तक कोई भी सील नहीं हटाई गई है; और

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

नहीं। भवन, विभाग नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा ऐसी सम्पत्तियां जिनमें पुननिर्माण हुआ हो भवन विभाग द्वारा कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उस पर डी.एम.सी. एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है।

32. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक वर्ष के भीतर सभी अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने और इनका स्वामित्व अधिकार देने का कोई वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए;

(ग) इन कॉलोनियों का सीमांकन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दीजिए;

(घ) क्या यह कार्य इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को सौंपा गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा खर्च किया गया व्यय एवं अब तक इस संबंध में हुई प्रगति बताइये?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)**

दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का वादा किया है। दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए संशोधित नियमावाली भारत सरकार के शहरी एवं आवासन मंत्रालय के पास लम्बित हैं। नियमावली के अनुमोदन के बाद की जायेगी;

(ख) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)**

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ग) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)**

शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संशोधित विनियम भारता सरकार के शहरी एवं आवासन मंत्रालय को 2015 में अनुमोदन के लिए भेजा था जिसने कॉलोनियों के सीमांकन की जानकारी मांगी थी। कॉलोनियों के सीमांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनायी गयी :–

1. गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सर्वेक्षण।
2. सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण।
3. जी.एस.डी.एल. से सर्वेक्षण।

इन सभी प्रयासों से असफल रहने पर शहरी विकास विभाग ने TSM Survey का निर्णय लिया और दो कम्पनियों को इसके लिये चुना जिन्हें राजस्व विभाग के नक्शे बनाकर देने थे और राजस्व विभाग को उन्हें प्रमाणित करना था। लेकिन तय समय सीमा में बहुत ही कम काम करने पर राजस्व विभाग के सलाह पर उन्हें इस काम से हटाया गया। वर्तमान में राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर माननीय शहरी विकास विभाग मंत्री के अनुमोदन से ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण करने कार्य राजस्व विभाग को सौंपा गया है;

(घ) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)**

सीमांकन का कार्य इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को पूर्व में सौंपा जा चुका है; और

(ङ) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)**

संतोषप्रद कार्य नहीं होने से इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पायी है।

33. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमार पुर विधान सभा (ए.सी.–3) में बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण के दौरान रद्द हुए राशन कार्डों कि संख्या बताइये;

(ख) रद्द किए गए राशन कार्डों का पूरा विवरण, जिसमें उपभोक्ताओं और जिस उचित दर दुकान के पास पंजीकृत थे, उनके नाम, पते, मोबाइल संख्या;

(ग) इन राशन कार्डों को रद्द करने से पहले तामील नोटिसों कि प्रतियों सहित उन्हें जारी करने हेतु दिये गये आवेदन पत्रों की प्रतियाँ प्रदान की जाए; और

(घ) उपरोक्त राशन कार्ड जारी करने से पहले उनका सत्यापन करने के लिए प्रति–नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं मोबाइल संख्या बताइये?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जनवरी, फरवरी, मार्च 2018 में बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन वितरण के दौरान तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र में 3193 राशन कार्ड रद्द किए गए;

(ख) रद्द किए गए राशन कार्डों का पूर्ण विवरण जिसमें उपभोक्ताओं और जिस उचित दर दुकान के पास पंजीकृत थे, उनके नाम, पते, मोबाइल संख्या सी.डी. में संलग्न है;*

(ग) नोटिस की प्रतियाँ तथा जारी किए गए आवेदन की प्रतियाँ सी. डी. में संलग्न है; और

(घ) सूची विवरण सहित संलग्न है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

Department of Food, Supplies and Consumer Affairs

Govt. of NCT of Delhi

Sl. No.	Volunteer ID	Circle	Name of Volunteer	Gende	Department	Designation	Mobile	Status	Dale of Issue	Activate/ Deactivate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2636	03-Timarpur	A.K.Ram	M	Directorate of Education, GNCTD	TGT	9868973646	Active	24/07/2014	Deactivate
2	2642	03-Timarpur	Amit Kumar Gupta	M	Ministry of Railway Railway Board	Assistant	9555896673	Active	24/07/2014	Deactivate
3	2639	03-Timarpur	Arun Kumar	M	Directorate of Education, GNCTD	Lecturer	9650231246	Active	24/07/2014	Deactivate
4	2629	03-Timarpur	Avedesh Kumar Srivastava	M	Public Works Department	LDS	9999016955	Active	24/07/2014	Deactivate
5	2633	03-Timarpur	Bhagat Singh	M	Directorate	Lab	9899733869	Active	24/07/2014	Deactivate

					of Education, GNCTD	Assistant				
6	2641	03-Timarpur	Dr. Mithlesh Kumar Mishra	M	Directorate of Education, GNCTD	TGT	9868563790	Active	24/07/2014	Deactivate
7	2648	03-Timarpur	Jai Singh Bagri	M	Department of Social Welfare	Dispatch Rider	9910255696	Active	24/07/2014	Deactivate
8	2640	03-Timarpur	Krishan Lal Yadav	M	Directorate of Education, GNCTD	Lecturer	9818710806	Active	24/07/2014	Deactivate
9	2646	03-Timarpur	Laxman Prasad Meena	M	Ministry of Finance. Department of Expenditure	Sr. Statistical Officer	8010258595	Active	24/07/2014	Deactivate
10	2645	03-Timarpur	Manoj Kumar Malik	M	Ministry of Defence	Assistant	9868821616	Active	24/07/2014	Deactivate
11	2632	03-Timarpur	Mukesh Kumar Gupta	M	Department of Land & Building	UDC	9810637249	Active	24/07/2014	Deactivate

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	2647	03-Timarpur	Nand Kishor	M	Women & Child Development Wcd Department, GNCTD	UDC	9818462779	Active	24/07/2014	Deactivate
13	2650	03-Timarpur	Quaisar Ali	M	Directorate of Education, GNCTD	Teacher	9968984786	Active	24/07/2014	Deactivate
14	2643	03-Timarpur	Rajesh Kumar Parmar	M	Directorate of Education, GNCTD	Lab Assistant	9971049069	Active	24/07/2014	Deactivate
15	2637	03-Timarpur	Ram Avtar Gautam	M	Directorate of Educatjon, GNCTD	Lecturer	9868375749	Active	24/07/2014	Deactivate
16	2651	03-Timarpur	Ramesh Chander	M	Directorate of Health Services, GNCTD	Retired	9013839216	Active	24/07/2014	Deactivate
17	2634	03-Timarpur	Ravi Kumar	M	Ministry of Health,	Stenogra-pher	9990677925	Active	24/07/2014	Deactivate

					Department of Family Welfare					
18	2638	03-Timarpur	Ravi Kumar	M	Ministry of Defence	LDS	9210969768	Active	24/07/2014	Deactivate
19	2628	03-Timarpur	Sakendra	M	MCD North Delhi Municipal Corporation	Teacher	9716030416	Active	24/07/2014	Deactivate
20	2649	03-Timarpur	Satya Narayan Maurya	M	Directorate of Education, GNCTD	Librarian	9213896091	Active	24/07/2014	Deactivate
21	2630	03-Timarpur	Uday Singh	M	Directorate of Education, GNCTD	Lab Assistant	9990746514	Active	24/07/2014	Deactivate
22	2644	03-Timarpur	Vinod Kumar Singh	M	Ministry of Defence	Sr. Admn. Asstt.	3447000374	Active	24/07/2014	Deactivate
23	2635	D3-Timarpur	Vir Dev Vimal	M	Directorate of Education, GNCTD	TGT	3447551747	Active	24/07/2014	Deactivate

34. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में सीकरी भट्टा और श्याम नगर से झुग्गी–झोपड़ी पट्टियों को दूसरी जगह न बसाने और उन्हें पक्के मकानों में न बसाने के क्या कारण है;

(ख) यदि हाँ, तो इन झुग्गी–झोपड़ी पट्टियों को दूसरी जगह न बसाने और उन्हें पक्के मकानों में न बसाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि संबंधित विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराने के बाद भी इन झुग्गी–झोपड़ी पट्टियों को दूसरी जगह नहीं बसाया गया और ना ही उन्हें पक्के मकान दिये गये हैं और झुग्गियों की संख्या बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो ये झुग्गी–झोपड़ी पट्टियों को दूसरी जगह कब बसाया जायेगा और झुग्गी डालने वालों को पक्के मकान कब तक दिये जायेंगे

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जे.जे. बस्ती सीकरी भट्टा व श्याम नगर की झुग्गीयाँ दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की जमीन पर स्थित है। इन झुग्गीयों को हटाने के लिए विभाग द्वारा एक योजना बनाई गई थी। परन्तु विभाग द्वारा तीन बार प्रयास के बावजूद भी झुग्गीवासियों के भारी विरोध के कारण सर्वे नहीं हो सका। वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों का डिमान्ड सर्वे किया जा रहा है। इस सवे के आधार पर डुसिब द्वारा दिल्ली सरकार एवं एम.सी.डी. की भूमि पर स्थित झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की योजना बनाई जाएगी। प्रति संलग्न है।;

(ख) उपरोक्त।

(ग) सवेक्षण का काय पूरा होने पर ही एक योजना के अनुसार इन झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास का कार्य शुरू किया जा सकेगा। झुग्गियों के बढ़ने के बारे में विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपरोक्त।

Government of NCT of Delhi

Department of Urban Development

9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat

I.P. Estate, New Delhi-110002

F.No.692(7)/UD/BSUP/2015/40111-16 Dated: 08/02/2019

ORDER

The Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015, formulated under Section 10(1) of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act, 2010, has been issued by the Govt. of NCT of Delhi vide order RNo.730(7)/UD/BSUP/2016/CD-021366111/3014-22 dated 11.12.2017, after due approval of the Competent Authority, Govt. of NCT of Delhi. The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide Cabinet Decision No.2673 dated 29.01.2019 has decided to rename "The Delhi Slum & J J Rehabilitation and Relocation Policy, 2015" as "Mukhya Mantri Awas Yojna", applicable in the National Capital Territory of Delhi.

The decision on of the Council of Minister, Govt. of NCT of Delhi is enforced with immediate effect, henceforth, "The Delhi Slum

& J J Rehabilitation and Relocation Policy, 2015" is renamed as "Mukhya Mantri Awas Yojna", applicable in the National Capital Territory of Delhi.

This issues with the approval of Hon'ble Minister for Urban Development, Govt. of NCT of Delhi.

Deputy Secretary (BSUP)
Phone No. 23392247
Dated: 08/02/2019

F.No.692(7)/UD/BSUP/2015/1010-16

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-54,
2. Joint Secretary to Hon'ble Chief Minister, GNCT of Delhi.
3. Secretary to all Hon'ble Ministries, GNCT of Delhi
4. Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Govt. of India Nirman Bhawan, New Delhi-11.
5. Vice-Chairman (DDA), Vikas Sadan, INA, New Delhi
6. All Pr. Secretaries/Secretary/HODs of GNCTD
7. CEO, DUSIB, Punarwas Bhawan, I.P Estate, New Delhi

Deputy Secretary (BSUP)
Phone No. 23392247

Government of NCT of Delhi
Department of Urban Development
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
IP Estate, New Delhi-110002

F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/CD Dated: 11/12/2017
No.021366111/3014-22

ORDER

In pursuance of the provision of sub section (1) of Section 10 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act, 2010 (The Delhi Act 07 of 2010), the Delhi Urban Shelter Improvement Board in its 16th Meeting on 11.04.2016 approved the Delhi Slum Rehabilitation and Relocation Pohcy-2015. The Council of Ministers, Government of National Capital Territory of Delhi, vide Cabinet Decision No.2384 dated 08.07.2016 has approved the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2015 and subsequently modified the same vide Cabinet Decision No.2482 dated 20.06.2017

The Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, has approved the said Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2015, which will supersede all previous guidelines of this Government in this matter and modifications thereof. It will also be applicable in all such cases where relocation of slum and Jhuggi Jhopri dwellers has already been done as per this policy.

This Order is issued in supersession of Order F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/CD No 021366111/3002-10 dated 07 12 2017.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 (PART-A)

1. This policy is based on the following principles:

   (i) The people living in jhuggis perform critical economic activities in Delhi like drivers, vegetable vendors, maid servants, auto and taxi drivers, etc.

   (ii) In the past, adequate housing was not planned for these people in middle or upper class areas, to which they provide services. As a result, a number of jhuggi bastis mushroomed all over Delhi close to the areas, where they provide services.

   (iii) They have encroached upon the lands on which they live.

   (iv) The decisions of the Hon'ble Supreme Court of India in Chameli Singh Vs. State of UP [1996 (2) SCC 549] and in Shantistar Builders Vs. N.K. Toitame, [1990 (1) SCC 520] and numerous other judgments have laid down that the right to life is not a right to mere animal existence and that the right to housing is a Fundamental Right. Going further, in Ahmedabad Municipal Corporation Vs. Nawab Khan Gulab Khan, [1997 (11) SCC 123], the Supreme Court held that even poverty stricken persons on public lands have a Fundamental Right to housing. The Court laid down that when slum dwellers have been at a place for some time, it is the duty of the Government to make schemes for housing the jhuggi dwellers. In the most recent decision of the Chief Justice's Bench in the Delhi High Court in Sudama Singh Vs. Government of Delhi [168 (2010) DLT 218), the Court referred to the provisions of the Delhi Master Plan and emphasised in-situ rehabilitation. It is only in the extra ordinary situation, when in situ rehabilitation is not possible,

then only, rehabilitation by relocation is to be done. The normal rule is in-situ up-gradation and re-development.

(v) The recent Supreme Court decision in Gainda Ram Vs. Municipal Corporation of Delhi, [2010(10) SCC 715] reiterates that hawkers have a fundamental right to hawk. It is, therefore, dear that the poor, who come to the city for work, must reside reasonably close to their place of work. Even apart from the legal aspect, studies have shown that resettlement at far way places invariably force the poor to return to their informal housing arrangements close to their place of work.

(vi) Government of National Capital Territory of Delhi recognizes that the habitat and environment in which Jhuggi Jhopri Bastis exist is often dirty, unfit for human habitation and unhygienic both for the inhabitants living in that area as well as for the people living in surrounding areas.

(vii) Government of National Capital Territory of Delhi, therefore, wishes to put in place and implement this policy to house the poor in a permanent and humane manner; at the same time, dear lands for specific public projects and roads etc.

2. Keeping the above principles in mind, Government of National Capital Territory of Delhi announces the following policy for rehabilitation and relocation of Jhuggi Jhopri basti.

(a) **Nodal Agency**

The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) will be the Nodal Agency for relocation/rehabilitation of Jhuggi

Jhopri bastis in respect of the lands belonging to MCD and Delhi Government and its Department/Agencies. In case of Jhuggi Jhopri colonies existing in lands belonging to Central Government/Agencies like Railways, Delhi Development Authority, Land & Development Office, Delhi Cantonment Board, New Delhi Municipal Council, etc. the respective agency may either carry out the relocation/rehabilitation themselves as per the policy of the Delhi Government or may entrust the job to the DUSIB:

Provided that, the Agencies while doing relocation rehabilitation/in-situ redevelopment of the dwellers of Jhuggi Jhopri Bastis must ensure that the methodology, benefits and provisions adopted in such tasks are in conformity with the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojna and provisions which have been notified by the Central Government from time to time.

(i) **Who is eligible for rehabilitation or relocation**

Jhuggi Jhopri Bastis which have come up before 01.01.2006 shall not be removed (as per National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011) without providing them alternate housing. Jhuggis which have come up in such Jhuggi Jhopri Bastis before 01.01.2015 shall not be demolished without providing alternate housing; (this is in supersession of the earlier cut-off date of 04.06.2009 as notified in the guidelines of 2013)

(ii) **No new jhuggis to be allowed in Delhi**

Government of National Capital Territory of Delhi shall ensure that no new jhuggi comes up after 01.01.2015. If

any jhuggi comes up after this date, the same shall immediately be removed' without providing them any alternate housing. Government of National Capital Territory of Delhi will use the following methods to ensure that no new jhuggis come up:

a. Government of National Capital Terntory of Delhi has started procuring satellite maps every three months to keep an eye on any new constructions. New illegal constructions would be removed immediately.

b. Government of National Capital Territory of Delhi is willing to do joint inspections with' land owning agencies at regular intervals and any fresh jhuggis would be removed immediately.

c. Government of National Capital Territory of Delhi would enroll volunteers from Jhuggi Jhopri Bastis, who will act for the Government and would inform Government if any fresh jhuggi comes up in any area.

(iii) **In-situ rehabilitation**

Delhi Urban Shelter Improvement Board shall provide alternate accommodation to those living in Jhuggi Jhopri Bastis, either on the same land or in the vicinity within a radius of five kilometers. In case of exceptional circumstances, it can even go beyond five kilometers with prior approval of the Board. The terms and conditions at which alternate ' accommodation will be provided and the eligibility conditions are being separately notified.

(iv) In-situ Rehabilitation of Jhuggi Jhopri Bastis on lands belonging to other Land Owning Agencies

i. Delhi Urban Shelter Improvement Board is willing to take over any Jhuggi Jhopri Basti on the model of Kathputli Colony from any land owning agency in Delhi for in-situ re-developments on the same terms and conditions on which Delhi Development Authority has given Kathputli Colony slum rehabilitation project to a private builder. Therefore, each land owning agency may make a list of all such bastis which they are willing to hand over to Delhi Urban Shelter Improvement Board on these terms.

ii. For the balance bastis:-

Master Plan of Delhi 2021 envisages that for in-situ rehabilitation of Jhuggi Jhopri Bastis, a maximum of 40% land can be used as a resource and minimum of 60% of land has to be used for in-situ redevelopment to rehabilitate Jhuggi Jhopri dwellers. Delhi Urban Shelter Improvement Board will prepare a scheme of rehabilitation of any Jhuggi Jhopri Basti and use such portion of land which is required for rehabilitation of Jhuggi Jhopri Dwellers depending upon density of the said Basti and pass on the remaining portion of land to the Land Owning Agency, which will have to bear the cost of rehabilitation The cost of rehabilitation would include the cost of construction of dwelling units and cost of land in case, additional land belonging to Delhi

Urban Shelter Improvement Board is used for rehabilitation.

(v) Relocation in rare cases

Any Land Owning Agency will not demolish any Jhuggi Jhopri Basti which is eligible as pet para 2(i) above unless:

1. there is any Court order

2. that basti has encroached a street, road, footpath, Railway safety zone, or a park

3. the encroached and is required by the land owning agency for specific public project as envisaged in The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, which is extremely urgent and can't wait.

In the circumstances where the land owning agency brings the proposal before Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), and Delhi Urban Shelter Improvement Board is satisfied and undertakes the demolition, the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) shall make all efforts to relocate the jhuggis in that Jhuggi Jhopri Basti, clear the land and hand it over to land owning agencies within next six months after the date of DUSIB resolution. In such circumstances, the land owning agency shall pay such amounts to Delhi Urban Shelter improvement Board in advance, which meets: (i) Cost of construction of alternative dwelling units, (ii) Cost of the land which will be on 'Institutional Rate' at which Delhi Urban Shelter Improvement Board has purchased the land, (iii) Cost of relocation. However, the beneficiary contribution as well as the contribution made by the

Government of India, if any, towards the cost of construction of dwelling units, will be deduced from the aforementioned cost of rehabilitation.

This provision will come into effect only when Cenfral Government approaches Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) for rehabilitation, removal and relocation of jhuggi jhopri Basti. However, in this case also, the provisions which have been notified by Central Government will prevail.

Rehabilitation work to be completed in five years -

Delhi Urban SheWer Improvement Board (DUSIB) hopes to complete this task of rehabilitating al! Jhuggi Jhopri Bastis in Delhi in the next five years, if it receives cooperation from all land owning agencies.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 (PART-B)

1. The eligibility criteria for allotment of aWemaWve dwelling units to rehabilitate and relocate Jhuggi Jhopri dwellers would be as under:

   (i) The Jhuggi Jhopri dweWer must be a citizen of India and not less than 18 years of age;

   (ii) The Jhuggi Jhopri basti in which the Jhuggi Jhopri dwellers are residing must be in existence prior to 01.01.2006. However, the cut-off date of residing in the jhuggi for becoming eligible for rehabilitation shall be 01.0^.20^5 (this is in supersession of the earlier cut-off date of 04.06.2009, as notified in the guidelines of 2013);

(iii) The name of Jhuggi Jhopri dweller must appear in at least one of the voter lists of the years 2012, 2013, 2014 and 2015 (prior to 0101.2015) and also in the year of survey, for the purpose of rehabilitation;

(iv) The name of the Jhuggi Jhopri dweller must appear in the joint survey conducted by the DUSIB and the Land Owning Agency;

(v) The Jhuggi Jhopri dweller(s) will be subjected to bio-metric authentication by Aadhar Card or bio-metric identification by other mechanism;

(vi) Jhuggi Jhopri dweller must possess any one of the 12 documents issued before 01.01.2015 as prescribed in the subsequent para;

(vii) The beneficiary family should not own a pucca house (an all-weather dwelling unit) either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India as per the guidelines of Pradhan Mantri Av/as Yojana (Urban) PMAY(U).

(viii) No dwelling unit shall be allotted if the jhuggi is used solely for commercial purpose;

(ix) In case, the jhuggi is being used for both residential and commercial purpose, the Jhuggi Jhopri dweller can be considered for allotment of one dwelling unit. In case, the ground floor of the jhuggi is being used for commercial purpose and other floors for residential

purpose that will entitle the Jhuggi Jhopri dweller for one dwelling unit only;

(x) If a different family, having separate Ration card issued prior to 01.01.2015, which fulfils all the other eligibility criteria is living on upper floor, the same will also be considered for allotment of a separate dwelling unit, (this is in supersession of the earlier notified guidelines of 2013.

(xi) The ineligible Jhuggi Jhopri dwellers will be removed from the Jhuggi Jhopri Basti at the time of its rehabilitation/relocation/clearance of Jhuggi Jhopri Basti.

2. As envisaged in Para 1 (vi) above, the Jhuggi Jhopri dweller must possess any one of the following documents issued before 01.01.2015 to become eligible for the purpose of allotment of Dwelling Unit:

(i) Passport;

(ii) Ration Card with photograph;

(iii) Electricity bill;

(iv) Driving License;

(v) Identity Card/Smart Card with photograph issued by State/ Central Government and/or its Autonomous Bodies/ Agencies like PSU/Local Bodies (except EPIC):

(vi) Pass book issued by Public Sector Banks/ Post Office with photograph;

(vii) SC/ST/OBC Certificate issued by the Competent Authority;

(viii) Pension document with photograph such as Ex-serviceman's Pension Book, Pension Payment Order, Ex-serviceman widow/dependent certificate, old age pension order or widow pension order;

(ix) Freedom Fighter Identity Card with photograph;

(x) Certificate of physically handicapped with photograph issued by the Competent Authority;

(xi) Health Insurance Scheme Smart card with photograph (Ministry of Labour scheme);

(xii) Identity card with photograph issued in the name of the descendanr(s) of the slum dweller from a Government school or Certificate with photograph issued by the Principal of a Government School mentioning therein that the descendant(s) of the JJ dweller is/was the student of the school.

3. **Appellate Authority**

(i) Delhi Urban Shelter Improvement Board will constitute an Appellate Authority for redressal of the grievances related to determination of eligibility for allotment of alternate dwelling unit for rehabilitation and relocation of JJ dwellers. The Appellate Authority will consist of the following:

(a) Retired Judge of the level of Additional District Judge;

(b) Retired civil servant of the level of Joint Secretary to Government of India;

(c) An expert member to be nominated by the Chairperson of Delhi Urban Shelter Improvement Board;

(d) Deputy Director of Delhi Urban Shelter Improvement Board to be nominated by the Chief Executive 'Officer (DUS1B) - as Convener

(ii) The terms and conditions of the Appellate Authority will be decided by the Board separately.

(iii) Any Jhuggi Jhopri dweller feeling aggrieved by any order passed by an officer/ committee, authorized to determine eligibility of the Jhuggi Jhopn dweller shall be entitled to file an appeal before the Appellate Authority within a period of thirty days from the date of communication of the impugned order.

(iv) The Appellate Authority may for good and sufficient reasons, entertain an appeal filed beyond the period of limitation provided under clause (iii) above.

(v) The Appellate Authority may confirm, revoke or reverse the order appealed against and may pass such orders as it deems fit.

(vi) Order passed in appeal by the Appellate Authority, duly accepted by the Chief Executive Officer, Delhi Urban Shelter Improvement Board shall be final.

4. **Terms and conditions of Allotment of alternative Dwelling Unit**

(i) The contribution of the beneficiary will be Rs. 1,12,000/- (Rs. One Lakh Twelve Thousand) per dwelling unit having the carpet area of 25 sq.mtr (The contribution may slightly vary on case to case basis depending upon the actual carpet area of the dwelling unit). In addition, the beneficiary will be required to pay an amount of Rs.30,000/- (Rs. Thirty Thousand) at the time of the allotment of the dwelling unit, towards the cost of maintenance for a period of five years.

(ii) The dwelling unit shall be allotted to the eligible Jhuggi Jhopri dweller for a period of ten years on lease hold basis after which rt will be converted into freo-hold as per the prevalent policy (this is in supersession of the earlier leasehold period of fifteen years as notified in the guidelines of 2013)

(iii) Allotment will be made in the name of person(s) as provided under PMAY (U) Scheme guidelines.

(iv) The allottee shall not sublet or part with possession of the dwelling unit, by way of General Power of Attorney or any other document. The Delhi Urban Shelter Improvement Board will have the right to verify the veracity of the original allottee through Bio-metric survey using Aadhar data-base or otherwise. In case a different person {s)/family is found living at the time of surveyin the dwelling unit, the allotment/lease is liable to be

cancelled and Delhi Urban Shelter Improvement Board will have the right to re-enter the dwelling unit.

(v) Delhi Urban Shelter Improvement Board may assist those beneficiaries who are not able to arrange the contribution to avail loans from banks/ financial institutions including co-operative banks.

5. **Maintenance of dwelling units after allotment**

(i) It has been observed that after allotment of dwelling units to Jhuggi Jhopri dwellers for rehabilitation, the maintenance of the common services in these colonies is not done properly by the occupants due to ignorance, lack of knowledge to form associations and/or lack of funds etc.

(ii) Therefore, the Delhi Urban Shelter Improvement Board will maintain the common services in these colonies for a period of frve years after allotment.

(iii) For this purpose, a Corpus in the form of "DUSIB Estate Management Fund" will be created in Delhi Urban Shelter Improvement Board.

(iv) The allottees will have to contribute Rupees thirty thousand per dwelling unit as maintenance charges which will be deposited in the above said fund.

(v) The maintenance will include common areas like staircase, open ground, water supply and electric supply systems up to the dwelling units; external services e.g. sewer lines, roads, street lights, drainage and parks etc.

(vi) Depending upon the requirement, Delhi Urban Shelter Improvement Board may contribute in this fund from its own resources and attempt will be made as far as possible to carry on the maintenance from the interest earned from this fund.

(vii) In order to ensure that there are sufficient resources for maintenance of these colonies, Delhi Urban Shelter Improvement Board will also request the Government of National Capital Territory of Delhi to give Grant-in-aid for this fund.

(viii) After five years, the maintenance will be transferred to the Residents Welfare Associations which will be required to get registered as Societies and work out their own mechanism for maintenance.

(ix) Delhi Urban Shelter Improvement Board may give grant in aid to the Residents Welfare Associations/ Registered Societies of these colonies depending upon the requirement of the works to be done.

6. Chief Executive Officer, Delhi Urban Shelter Improvement Board is authorized to approve the operational guidelines keeping in view the overall spirit of the policy.

This issues with the approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(Rajesh Ranjan)
Deputy Secretary (UD)

FNo.730(7)/UD/BSUP/2016/CD Dated: 11/12/2017
No.021366111/3014-22

Copy for information & necessary action to:

1. CEO (DUSIB), Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Raj Niwas Marg, Delhi-54.
2. Advisor to Hon'ble Chief Minister Delhi.
3. Secretary to Hon'ble Minister for Urban Development, GNCTD.
4. Secretary. Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt, of India, Nirman Bhawan, New Delhi.
5. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
6. All Pr. Secretaries/Secretaries/HODs of GNCTD/Local Bodies/Autonomous Bodies.
7. SO to Chief Secretary, Delhi.
8. PA to Pr Secretary (UD)

(Rajesh Ranjan)
Deputy Secretary (UD)

35. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा 2017 से नए राशन कार्डों के लिए प्राप्त किए गए आवेदन–पत्रों की संख्या बताइये, इसका ब्यौरा दीजिए;

(ख) पुराने राशन–कार्ड जमा कराने के बाद नए राशन कार्ड जारी करने की अधिकतम समय सीमा कितनी है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करने बंद कर दिये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा बताइये; और

(ङ) नये राशन कार्ड जारी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों का पूरा ब्यौरा दीजिए?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) मण्डल संख्या–38 दिल्ली छावनी में वर्ष 2017 से अब तक कुल 476 नए कार्ड के लिए आवेदन स्वीकार किए गए हैं;

(ख) नए राशन कार्ड बनाने की अधिकतम समय सीमा 30 दिन है;

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत केवल AAY/ PR कार्ड बनाने का प्रावधान है;

(घ) उपरोक्त (ग) अनुसार; और

(ङ) नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाते हैं।

1. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी।

2. आवेदक के निवास प्रमाण पत्र की कॉपी अगर आधार कार्ड में दिये हुए पते या राशन कार्ड के पते से भिन्न है। बेघर व्यक्ति के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

3. राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक हो।

4. आवेदन में लिखे पते का बिजली का बिल।

36. श्री सोमनाथ भारती : क्या **चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वह जनसंख्या और मतदाताओं के बीच आदर्श अनुपात है;

(ग) इस विधान सभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंटों संबंधी सम्पर्क विवरण दीजिए;

(घ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की अद्यतन बूथवार मतदाता सूची उपलब्ध कराइये;

(ङ) नया मतदाता पत्र प्राप्त करने और मतदाता पत्र के विवरण में शुद्धियां कराने की मानक संचालन प्रक्रिया क्या है;

(च) जिन मामलों में मकान मालिक आवास का प्रमाण देने में आवेदकों की मदद नहीं करते हैं, उन मामलों में उनके लिए नया मतदाता पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया/पद्धति क्या है;

(छ) जिन मामलों में आवेदकों के पास जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, उन मामलों में नया मतदाता पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है;

(ज) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यस्क नागरिक को उसका मतदाता पत्र प्राप्त हो, ताकि वह लोक सभा चुनाव, 2019 में अपना मत डाल सके इसे सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(झ) वैध मतदाता पत्र रखने वाले सभी मतदाता वास्तव में अपना मत डाल सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ञ) इन सभी जागरूकता अभियानों की जानकारी दीजिए और इन अभियानों में राजनीतिक रूप से चुने हुए जन प्रतिनिधियों की भागीदारी कैसे हो?

चुनाव मंत्री : (क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 185645 है एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता की संख्या 142883 है;

(ख) इस प्रकार की कोई सूचना हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) अपेक्षित जानकारी हमारी ऑफिस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं;

(घ) अपेक्षित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैः–

https://ceodelhi.gov.in/ConstitutentyDetailENG1/aspx?num=zPWOln0+Jh4Eh1A0VSBaDw==&ii=e

(ङ) अपेक्षित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है :–

https://eci.gov.in/faqs/voter-electors/resident-electors/faqs-resident-electors-r11/

(च) अपेक्षित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है :–

https://eci.gov.in/faqs/voter-electors/resident-electors/faqs-resident-electors-r11/

(छ) अपेक्षित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है :–

https://eci.gov.in/faqs/voter-electors/resident-electors/faqs-resident-electors-r11/;

(ज) जून 2018 के महीने में अपंजीकृत नागरिकों और भावी निर्वाचक जो 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, कि पहचान करने और उनको पंजीकृत करने के लिए घर–घर जाकर सर्वेक्षण किया गया था इस उपलक्ष्य में दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों अथवा अन्य शिक्षण संस्थाओं में कैम्प भी लगाये गये थे। निर्वाचक नामावली में सभी अपंजीकृत नागरिकों को नामांकित करने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों में 23.02.2019 और 24.02.2019 पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। SVEEP गतिविधियों द्वारा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा की जाती है कि वे NVSP पोर्टल www.nvsp.in या 7738299899 पर एस.एम.एस. के माध्यम से या मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर अपने नामावली में नाम दर्ज करने हेतु नाम की जांच करें और यदि नहीं मिला तो निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने हेतु NVSP पोर्टल पर या तो ऑनलाइन फॉर्म–6

या मतदाता केंद्रों पर फॉर्म–6 आवेदन करें। इसके अलावा उन्हें चुनाव के समय मतदान के लिए भी प्रेरित किया जाता है;

(झ) SVEEP गतिविधियों द्वारा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा की जाती है कि वे NVSP पोर्टल www.nvsp.in या 7738299899 पर एस.एम. एस. या मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर उनके नाम की जांच करें और यदि नहीं मिला तो निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने हेतु NVSP पोर्टल पर या तो ऑनलाइन फॉर्म–6 या मतदाता केंद्रों पर फॉर्म–6 में आवेदन करें। इसके अलावा उन्हें चुनाव के समय मतदान के लिए भी प्रेरित किया जाता है; और

(ञ) राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल एजेंट (BLA-II) की तैनाती सुनिश्चित करें और अपने संबंधित क्षेत्र में सभी बचे हुए पात्र मतदाताओं का नामांकन करने के लिए BLO के साथ मिलकर काम करें।

37. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाने पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए और इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने प्लास्टिक पोलीथीन पर पूरा प्रतिबंध लगाया हुआ है;

(घ) यदि हाँ; तो प्लास्टिक पोलीथीन का विकल्प क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने प्लास्टिक पोलीथीन के प्रयोग रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(च) यदि हाँ, तो इसका पूरा ब्यौरा दीजिए?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) और (ख) सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही हैं इनमें से प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं;

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने दिल्ली में केवल अनुमोरिदत ईंधन का उपयोग करने के लिए 29.06.2018 को अधिसूचना जारी की है।
- औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों/यूनिट्स को प्रदूषणकारी ईंधन इस्तेमाल करने की जगह पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) ने दिल्ली में निरन्तर परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की स्थापना करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को सुदृढ़ किया है। पुराने नेटवर्क के अंतर्गत डी.पी.सी.सी. के इस तरह के केवल छह केन्द्र थे और इस वृद्धि से डी.पी.सी.सी. द्वारा संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 26 हो गयी है।
- डी.पी.सी.सी. एवं Washington University, USA ने एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षर किया है जिसके तहत दिल्ली में वायु की गुणवत्ता जानने हेतु Real time Source Apportionment अध्ययन किया जा रहा है।

- बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा : प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ई–वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के ई–वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और ई'रिक्शा आदि को अपनाने वालों के लिए सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है हाल में खरीदे गये बैटरी चालित चौपहिया और दुपहिया वाहनों के मालिकों को दिल्ली सरकार दुपहिया वाहनों के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त 2,000 रुपये से 5,500 रुपये और चौपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी अपनी ओर से देती है। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली चालित ई–रिक्शा के मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

- वायु प्रदूषण रोकने हेतु समबद्ध एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित हाई लेवल टास्क फोर्स (HLTF) भी समय–समय पर समीक्षा कर रहा है।

  दिल्ली पार्क एण्ड गार्डन सोसाइटी द्वारा पौधों का लगाने व पार्क के रख–रखाव हेतु प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय सहयता बढ़ा कर रुपये 2 लाख प्रति एकड़ मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत लागू किया गया है। साथ ही विकेन्द्रित एस.टी.पी. लगाने की योजना में एक मुश्त वित्तीय सहायता राशि रुपये 2 लाख प्रति एकड़ की दर से प्रदान की जाती है।

- दिल्ली सरकार के नेतृत्व में वन विभाग 20 एजेंसियों के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाये जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों से अब तक वन विभाग तथा अन्य सभी ग्रीनिंग एजेंसियों द्वारा लगाए गए पौधों/वृक्षों/झाड़ियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :—

वित्त वर्ष 2015—2016	16,51,448
वित्त वर्ष 2016—2017	24,75,665
वित्त वर्ष 2017—2018	19,62,598
वित्त वर्ष 2018—2019	(18,01,2019 तक 27,83,406)

इन योजनाओं का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किय ाजा रहा है।

(ग) से (च) अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 के तहत दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। इस अधिसूचना के तहत् दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पॉली प्रोपलीन व न बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियाँ भी शामिल हैं) के प्रयोग, विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय एवं ढुलाई पर प्रतिबंध लगाया है;

यह अधिसूचना याचिका संख्या वित्त वर्ष WPC 7012/2012 द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन थी परन्तु 05. 12.2016 के फैसले के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2017 को याचिका संख्या QA 181/2016 की RA 1/2017 तथा OA 04/2017 में दिए गए अन्तरिम निर्देश के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 50 माइक्रोन से

कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबन्ध लगाया है एवं दोषियों को 5000/– रुपये पर्यावरण मुआवजा भरने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन निर्देशों का क्रियान्वयन तीनों नगर निगम, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल, रेवन्यू डिर्पाटमेंट, दिल्ली कैंट बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा किया जा रहा है;

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पालन की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.01.2019 तक 41952 किलो 50 माइकोन से कम प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई, दोषियों के 3720 चालान काटे गए एवं 63,80,000/– रुपये पर्यावरण मुआवजे के रूप में जमा किए गए हैं;

दिनांक 01.08.2018 को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है क्योंकि कुछ मसले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

38. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि टीकरी कलां, नई दिल्ली–41 रोहतक रोड स्थित आजाद हिन्द ग्राम का कुछ भाग 2011 से सील बंद है;

(ख) अत्यधिक राष्ट्रभक्ति महत्व का स्थान होने के बावजूद भी इस भूमि की सील न खोलने के क्या कारण है;

(ग) आजाद हिन्द ग्राम, टीकरी कलां, नई दिल्ली–41 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर न लगाने के कारण बताइए;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मुण्डका विधान सभा क्षेत्र की टीकरी सीमा को छोड़कर दिल्ली की सभी सीमाओं का जीर्णोद्धार किया जा चुका है; और

(ङ) पर्यटन विभाग से जुड़े सभी कार्यालयों और उनसे जुड़े सम्बन्धित अधिकारियों के नाम, पते सहित उन्हें सौंपे गये कार्यों का विवरण दीजिए?

माननीय पर्यटन मंत्री : (क) जी हां;

(ख) परिसर का कुछ भाग दिनांक 25.8.2011 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा सील किया गया था। इसकी सील खुश्लवाने के लिए डी.टी. टी.डी.सी. ने मोनीटरिंग कमेटी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संपर्क किया। अंत में डी.टी.टी.डी.सी. ने इसकी सील खुलवाने के लिए अपीलेट ट्रब्यूनल, नगर निगम को याचिका नं. 962/213 दायर की। अपीलेट ट्रब्यूनल ने अपने आदेश दिनांक 8.7.16 के द्वारा डी.टी.टी.डी.सी. को कुल 58,06,080/– मिसयूज चार्जेज के रूप में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को अदा करने के लिए कहा और उसके बाद ही परिसर की सील खोली जाएगी। इस आदेश के खिलाफ डी.टी.टी.डी.सी. ने जिला जज (पश्चिम), तीस हजारी न्यायालय में अपील दायर की है। जो अभी लंबित है। अंतिम बहस की तारीख 8.3.2019 तय हुई है;

(ग) यह कहना गलत होगा कि आजाद हिंद ग्राम, टीकरी कलां, नई दिल्ली–41 में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर नहीं है। प्रतिमा को लगाने का स्थान तत्कालीन दिल्ली सरकार द्वारा चुना गया था। इस प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व. श्री साहिब सिंह वर्मा ने 23 जनवरी 1997 को किया था;

(घ) यह कहना गलत होगा कि मुण्डका विधान सभा क्षेत्र की टीकरी सीमा को छोड़कर दिल्ली की सभी सीमाओं का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली के बारह एन्टरी प्वांटस को

सौन्दर्यकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इनमें से पांच एन्टरी प्वांट्स का सौन्दर्यकरण प्रधिम चरण में किया जायेगा, जिनके नाम हैं– एन.एच. 1 पर सिंधु बोर्डर, एन.एच.8 पर गुरुग्राम बार्डर, एन.एच. 24 पर गाजीपुर बार्डर, दिलशाद गार्डन के पास अपसरा बार्डर और आनन्द विहार आई.एस. बी.टी. के पास आनंद विहार बार्डर। शेष सात एंटरी प्वाइटस का सौंदर्यकरण, जिनमें टीकरी बार्डर भी सम्मिलित हैं, दूसरे चरण में किया जा सकता है; और

(ङ) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार सहित दिल्ली पर्यटन के संबंधित अधिकारियों के नाम पते और उन्हें सौंपे गये कार्यों का विवरण संलग्न है।;

Detail of Officers of Department of Tourism, GNCTD

Sl. No.	Name of The Officer	Designation	Work Allocation	Contact No.
1	Ms. Rinku Dhugga	Secretary (Tourism)	Head of Department	011-23392143
2	Sh. B.R. Singh	Spl. Secretary (Tourism)	Additional Charge	011-23392291
3	Sh. Adeshwar Kant	Dy. Secretary (Tourism)	Head of Office	011-23812878
4	Sh. Narender Kumar	Asstt. Director	All work related with Plan Schemes	011-23812940

Details of Officers of DTTDC Ltd.

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Work Allocation	Contact No.
1	2	3	4	5
1	Shri Shurbir Singh	MD & CEO, DTTDC		011-24611712, 24621040, 23370571
2	Shri C. Arvind	General Manager, DTTDC		011-24624354
3	Sh. Puran Singh Mehra	Chief Manager (Finance)	Financial Controller	011-24638688
4	Sh. B.L. Agrawala	Company Secretary	Company Secretary & Legal , Personnel & PGMS	011-24629262, 24629365
5	Sh. Shishir Bansal	CPM (WB)	Wazirabad Bridge	011-23819595
6	Sh. A.K. Singh	CPM (Tsm.)	Tsm Projects, School	011-26331607
7	Sh. Ajay Kumar	Sr. Chief Manager	Liquor	011-24698393, 22410163
8	Sh. Raj Kumar	Chief Manager	Dilli Haat, Janakpurl,	011-25612181

	Sharma		Nelghourhood Culture Centre Raja Garden Flyover	
9	Sh. Sudhir Sobtl	Chief Manager	PR & Publicity , Film Shooting, Events & Caterinq	011-24618026, 24647005
10	Sh. Mahesh Kumar Arora	Chief Manager	GAD, Nature Bazar & Azad Hind Gram	011-24618026, 24647005
11	Mrs. Sundari Sathyamani	Chief Manager (Flnance)	Finance -Corporate, Gratuity Trust, IMFL & Audit and also assigned the work of Plannlnq	011-24618026, 24647005
12	Sh. Ajay Jain	Manager (Finance)	Finance -Tourism, Taxation, Transport, Events &Catering, Viqilance,PF	011-24618026, 24647005
13	Sh. Manoj Kumar	Manager	Garden of Five Senses, Project, Adventure Tourism & Tourism	011-29534519, 29536401

1	2	3	4	5
14	Sh. Rajesh Juneja	Manager	Dilli Haat Pitampura, School Groups Tour, Mukhya Mantri Tirath Yatra,GTB Memorial & Enforcement	011-27317663
15	Ms. Jogindri Choudhary	Manager	Tourism	011-23363607, 23365358
16	Sh. Ratan Singh	Manager	Dilli Haat INA, Travel, Transport & HOHO	011-26119055
17	Mrs. S.K. Kaushik	Manager	Nature Bazar ,Qutab Restaurant	011-29534519, 29536401
18	Sh. Ravi Kiran	Manager	Liquor	011-24698393, 22410163
19	Sh. Sanjeev Chuqh	Manager	GAD & Planning	011-24618026, 24647005
20	Sh. Ichchha Shanker	Manager	Liquor	011-22410163

39. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में 2015 से लेकर 2018 तक कितनी उचित दर दुकानों का चालान काटा गया, इसका पूर्ण विवरण दीजिए;

(ख) इस अवधि में सीलबंद की गई उचित दर दुकानों की संख्या तथा इन्हें सीलबंद करने का कारण भी बताइये;

(ग) 2018 से अब तक उचित दर दुकानों के विरुद्ध कितनी शिकायतें हुई; और

(घ) इन शिकायतों में से कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है?;

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में 2015 से लेकर 2018 तक 25 दुकानों का चालान काटा गया (सूची संलग्न है);

(ख) इस अवधि में एक राशन की दुकान संख्या–7492 मै. विद्यावती को विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा जांच के दौरान राशन दुकानदार द्वारा राशन वितरण में आनियमितता पाई जाने के कारण उपरोक्त राशन की दुकान को सील किया गया;

(ग) 2018 से अब तक नौ लिखित शिकायतें उचित दर दुकानों के विरुद्ध प्राप्त हुई; और

(घ) सभी शिकायतों का नियमानुसार निवारण कर दिया गया है।

Office of the Assistant Commissioner: Distt South
Food & Supply Department: Govt. of NCT of Delhi
Asian Market: Pushp Vihar Sector-III, New Delhi

Sl. No.	Circle No.	Date of Inspection	Name, Number and address of FPS inspected	Shortcomings noticed during inspection	Action taken report	Details of shops reopened/ remarks, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	48	27.5.16	Mohan Lal, FPS-6553	FPS found closed	Penalty Rs.2000/-	
2	48	27.5.16	Bajarang Store, FPS-7812	FPS found closed	Penalty Rs.5000/-	
3	48	2.1.16	Hansraj, FPS-6111	Variation wheat-64 Kg & Rice 15 Kg, Misbehaviour with card holder	Suspend on 9.3.16	Revoked on 29.3.16 with penalty of Rs. 10000/-
4	48	3.2.16	Bajrang Store, FPS-7812	FPS found closed	Penalty Rs.3000/-	
5	48	3.2.16	Goel Store, FPS-7485	FPS found closed	Penalty Rs.3000/-	
6	48	18.12.15	Garg Departmental Store, FPS-7806	FPS found closed	Penalty Rs.5000/-	

7	48	18.12.15	Rajasthan Store, FPS-5066	FPS found closed	Penalty Rs.5000/-
8	48	18.12.15	RamNiwas,FPS-5055	FPS found closed	Penalty Rs.5000/-
9	48	18.12.15	Kliem Chand, FPS-6088	FPS found closed	Penalty Rs.5000/-
10	48	18.12.15	Sajida Begam, FPS-6830	FPS found closed	Penalty Rs.5000/-
11	48	10.3.16	Holy Store, FPS-6552	FPS found closed	Penalty Rs.3000/-
12	48	10.3.16	Shiv Store, FPS-6987	FPS found closed	Penalty Rs.3000/-
13	48	10.3.16	Vidyawati, FPS-7492	FPS found closed	Penalty Rs.3000/-
14	48	4.5.16	Radhey Sham, FPS-6636	FPS found closed	Penalty Rs.2000/-
15	48	4.5.16	Hari charan Ram Avtar, FPS-6089	FPS found closed	Penalty Rs.2000/-
16	48	4.5.16	Bajrang Store, FPS-7812	FPS found closed	Penalty Rs.3000/-

1	2	3	4	5	6	7
17	48	4.5.16	Ram Sahay, FPS-4991	FPS found closed	Penalty Rs.3000/-	
18	48	4.5.16	SagarMal, FPS-6231	FPS found closed	Penalty Rs.2000/-	
19	48	21.4.16	RamNiwas, FPS-5055	FPS found closed	Pennlty Rs.1000/-	
20	48	21.4.16	Rajasthan Store, FPS-5066	FPS found closed	Penalty Rs.1000/-	
21	48	.21.4.16	Khem Chand, FPS-6088	FPS found closed	Penalty Rs.1000/-	
22	48	21.4.16	Sagarmal, FPS-6231	FPS found closed	Penalty Rs.1000/-	
23	48	1.6.16	Radhey Shyam, FPS-6636	FPS found closed	Penalty Rs.1000/-	
24	48	2.6.16	Vidyawati, FPS-7492	Variation Wheat 15.5 Kg, Rice 8 Kg	Penalty Rs.10000/-	
25	48	7.3.18	Laxmi Store, FPS-8511	FPS found closed	Penalty Rs.1000/-	

40. श्री जगदीप सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुग्गी झोपड़ी डालने वालों के पुनर्वास/वैकल्पिक मकान आवंटित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या यह सत्य है कि मायापुरी स्थित झुग्गी–झोपड़ी पट्टिया तोड़ी जा रही है; और

(ग) इन झुग्गी–झोपड़ी डालने वालों को कब तक पुनर्वास कर दिया जाएगा;

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में बसी झुग्गी झोपड़ी वासियों को पुनर्स्थापित करने हेतु दिल्ली स्लम एवम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति–2015 आदेश संख्या F.No. 7307/UD/BSUP/2916/CD No.021366111/3014-22 D दिनांक 11.12.2017 द्वारा जारी कर दिया गया है तथा इस नीति के अनुसार झुग्गी झोपड़ी वालों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है तथा इस नीति के मापदंड को अपनाया जा रहा है। इस नीति को नए आदेशों के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रति संलग्न है;

(ख) इस सम्बन्ध में डूसिब में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड भू–स्वामी संस्था के अनुरोध पर दिल्ली स्लम एवं जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति–2015 के अनुसार निर्धारित पुनर्वास राशि प्राप्त होने के पश्चात् झुग्गी–झोपड़ियों को पुनर्वासित करता है। वर्तमान में मायापुरी की झुग्गी–झोपड़ियों को हटाने का किसी भी भू–स्वामी संस्था का अनुरोध डूसिब के पास लम्बित नहीं है; और

(ग) मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों का डिमान्ड सर्वे किया जा रहा है। एवं इसके आधार पर नोडल एजेंसी डी.डी.ए. (केन्द्र सरकार की जमीनों पर) एवं डूसिब (दिल्ली सरकार एवं एम.सी.डी. की भूमि पर) द्वारा पुनर्वास की योजना बनाई जाएगी।

Government of NCT of Delhi
Department of Urban Development
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-110002

F.No.692(7)/UD/BSUP/2015/4010-16 Dated: 08/02/2019

ORDER

The Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015, formulated under Section 10(1) of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act, 2010, has been issued by the Govt. of NCT of Delhi vide order RNo.730(7)/UD/BSUP/2016/CD-021366111/3014-22 dated 11.12.2017, after due approval of the Competent Authority, Govt. of NCT of Delhi. The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide Cabinet Decision No.2673 dated 29.01.2019 has decided to rename "The Delhi Slum & J J Rehabilitation and Relocation Policy, 2015" as "Mukhya Mantri Awas Yojna", applicable in the National Capital Territory of Delhi.

The decision on of the Council of Minister, Govt. of NCT of Delhi is enforced with immediate effect, henceforth, "The Delhi Slum & J J Rehabilitation and Relocation Policy, 2015" is renamed as "Mukhya Mantri Awas Yojna", applicable in the National Capital Territory of Delhi.

This issues with the approval of Hon'ble Minister for Urban Development, Govt. of NCT of Delhi.

Deputy Secretary (BSUP)
Phone No. 23392247

F.No.692(7)/UD/BSUP/2015/4010-16 Dated: 08/02/2019

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-54,
2. Joint Secretary to Hon'ble Chief Minister, GNCT of Delhi.
3. Secretary to all Hon'ble Ministries, GNCT of Delhi
4. Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Govt. of India Nirman Bhawan, New Delhi-11.
5. Vice-Chairman (DDA), Vikas Sadan, INA, New Delhi
6. All Pr. Secretaries/Secretary/HODs of GNCTD
7. CEO, DUSIB, Punarwas Bhawan, I.P Estate, New Delhi

Deputy Secretary (BSUP)

Phone No. 23392247

Government of NCT of Delhi
Department of Urban Development
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
IP Estate, New Delhi-110002

F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/CD Dated: 11/12/2017
No.021366111/3014-22

ORDER

In pursuance of the provision of sub section (1) of Section 10 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) Act, 2010 (The Delhi Act 07 of 2010), the Delhi Urban Shelter Improvement Board in its 16th Meeting on 11.04.2016 approved the Delhi Slum Rehabilitation and Relocation Pohcy-2015. The Council of Ministers, Government of National Capital Territory of Delhi, vide Cabinet Decision No.2384 dated 08.07.2016 has approved the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2015 and subsequently modified the same vide Cabinet Decision No.2482 dated 20.06.2017

The Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi, has approved the said Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Relocation and Rehabilitation Policy, 2015, which will supersede all previous guidelines of this Government in this matter and modifications thereof. It will also be applicable in all such cases where relocation of slum and Jhuggi Jhopri dwellers has already been done as per this policy.

This Order is issued in supersession of Order F.No.730(7)/UD/BSUP/2016/CD No 021366111/3002-10 dated 07 12 2017.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 (PART-A)

1. This policy is based on the following principles:

   (i) The people living in jhuggis perform critical economic activities in Delhi like drivers, vegetable vendors, maid servants, auto and taxi drivers, etc.

   (ii) In the past, adequate housing was not planned for these people in middle or upper class areas, to which they provide services. As a result, a number of jhuggi bastis mushroomed all over Delhi close to the areas, where they provide services.

   (iii) They have encroached upon the lands on which they live.

   (iv) The decisions of the Hon'ble Supreme Court of India in Chameli Singh Vs. State of UP [1996 (2) SCC 549] and in Shantistar Builders Vs. N.K. Toitame, [1990 (1) SCC 520] and numerous other judgments have laid down that the right to life is not a right to mere animal existence and that the right to housing is a Fundamental Right. Going further, in Ahmedabad Municipal Corporation Vs. Nawab Khan Gulab Khan, [1997 (11) SCC 123], the Supreme Court held that even poverty stricken persons on public lands have a Fundamental Right to housing. The Court laid down that when slum dwellers have been at a place for some time, it is the duty of the Government to make schemes for housing the jhuggi dwellers. In the most recent decision of the Chief Justice's Bench in the Delhi High Court in Sudama Singh Vs. Government of Delhi [168 (2010) DLT 218), the Court referred to the provisions of the Delhi Master Plan and emphasised in-situ rehabilitation. It is only in the extra ordinary situation, when in situ rehabilitation is not

possible, then only, rehabilitation by relocation is to be done. The normal rule is in-situ up-gradation and re-development.

(v) The recent Supreme Court decision in Gainda Ram Vs. Municipal Corporation of Delhi, [2010(10) SCC 715] reiterates that hawkers have a fundamental right to hawk. It is, therefore, dear that the poor, who come to the city for work, must reside reasonably close to their place of work. Even apart from the legal aspect, studies have shown that resettlement at far way places invariably force the poor to return to their informal housing arrangements close to their place of work.

(vi) Government of National Capital Territory of Delhi recognizes that the habitat and environment in which Jhuggi Jhopri Bastis exist is often dirty, unfit for human habitation and unhygienic both for the inhabitants living in that area as well as for the people living in surrounding areas.

(vii) Government of National Capital Territory of Delhi, therefore, wishes to put in place and implement this policy to house the poor in a permanent and humane manner; at the same time, dear lands for specific public projects and roads etc.

2. Keeping the above principles in mind, Government of National Capital Territory of Delhi announces the following policy for rehabilitation and relocation of Jhuggi Jhopri basti.

(a) **Nodal Agency :** The Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) will be the Nodal Agency for relocation/rehabilitation of Jhuggi Jhopri bastis in respect of the lands belonging to

MCD and Delhi Government and its Department/Agencies. In case of Jhuggi Jhopri colonies existing in lands belonging to Central Government/Agencies like Railways, Delhi Development Authority, Land & Development Office, Delhi Cantonment Board, New Delhi Municipal Council, etc. the respective agency may either carry out the relocation/ rehabilitation themselves as per the policy of the Delhi Government or may entrust the job to the DUSIB:

Provided that, the Agencies while doing relocation rehabilitation/in-situ redevelopment of the dwellers of Jhuggi Jhopri Bastis must ensure that the methodology, benefits and provisions adopted in such tasks are in conformity with the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojna and provisions which have been notified by the Central Government from time to time.

(i) Who is eligible for rehabilitation or relocation : Jhuggi Jhopri Bastis which have come up before 01.01.2006 shall not be removed (as per National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011) without providing them alternate housing. Jhuggis which have come up in such Jhuggi Jhopri Bastis before 01.01.2015 shall not be demolished without providing alternate housing; (this is in supersession of the earlier cut-off date of 04.06.2009 as notified in the guidelines of 2013)

(ii) No new jhuggis to be allowed in Delhi : Government of National Capital Territory of Delhi shall ensure that no new jhuggi comes up after 01.01.2015. If any jhuggi comes up after this date, the same shall immediately be removed’without

providing them any alternate housing. Government of National Capital Territory of Delhi will use the following methods to ensure that no new jhuggis come up:

a. Government of National Capital Terntory of Delhi has started procuring satellite maps every three months to keep an eye on any new constructions. New illegal constructions would be removed immediately.

b. Government of National Capital Territory of Delhi is willing to do joint inspections with' land owning agencies at regular intervals and any fresh jhuggis would be removed immediately.

c. Government of National Capital Territory of Delhi would enroll volunteers from Jhuggi Jhopri Bastis, who will act for the Government and would inform Government if any fresh jhuggi comes up in any area.

(iii) In-situ rehabilitation : Delhi Urban Shelter Improvement Board shall provide alternate accommodation to those living in Jhuggi Jhopri Bastis, either on the same land or in the vicinity within a radius of five kilometers. In case of exceptional circumstances, it can even go beyond five kilometers with prior approval of the Board. The terms and conditions at which alternate ' accommodation will be provided and the eligibility conditions are being separately notified.

(iv) In-situ Rehabilitation of Jhuggi Jhopri Bastis on lands belonging to other Land Owning Agencies

i. Delhi Urban Shelter Improvement Board is willing to take over any Jhuggi Jhopri Basti on the model of Kathputli Colony

from any land owning agency in Delhi for in-situ re-developments on the same terms and conditions on which Delhi Development Authority has given Kathputli Colony slum rehabilitation project to a private builder. Therefore, each land owning agency may make a list of all such bastis which they are willing to hand over to Delhi Urban Shelter Improvement Board on these terms.

ii. For the balance bastis:-

Master Plan of Delhi 2021 envisages that for in-situ rehabilitation of Jhuggi Jhopri Bastis, a maximum of 40% land can be used as a resource and minimum of 60% of land has to be used for in-situ redevelopment to rehabilitate Jhuggi Jhopri dwellers. Delhi Urban Shelter Improvement Board will prepare a scheme of rehabilitation of any Jhuggi Jhopri Basti and use such portion of land which is required for rehabilitation of Jhuggi Jhopri Dwellers depending upon density of the said Basti and pass on the remaining portion of land to the Land Owning Agency, which will have to bear the cost of rehabilitation The cost of rehabilitation would include the cost of construction of dwelling units and cost of land in case, additional land belonging to Delhi Urban Shelter Improvement Board is used for rehabilitation.

(v) Relocation in rare cases

Any Land Owning Agency will not demolish any Jhuggi Jhopri Basti which is eligible as pet para 2(i) above unless:

1. there is any Court order

2. that basti has encroached a street, road, footpath, Railway safety zone, or a park

3. the encroached and is required by the land owning agency for specific public project as envisaged in The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, which is extremely urgent and can't wait.

In the circumstances where the land owning agency brings the proposal before Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), and Delhi Urban Shelter Improvement Board is satisfied and undertakes the demoUWon, the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) shall make all efforts to relocate the jhuggis in that Jhuggi Jhopri Basti, clear the land and hand it over to land owning agencies within next six months after the date of DUSIB resolution. In such circumstances, the land owning agency shall pay such amounts to Delhi Urban Shelter improvement Board in advance, which meets: (i) Cost of construction of alternative dwelling units, (ii) Cost of the land which will be on 'Institutional Rate' at which Delhi Urban Shelter Improvement Board has purchased the land, (iii) Cost of relocation. However, the beneficiary contribution as well as the contribution made by the Government of India, if any, towards the cost of construction of dwelling units, will be deduced from the aforementioned cost of rehabilitation.

This provision will come into effect only when Cenfral Government approaches Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) for rehabilitation, removal and relocation of jhuggi jhopri Basti. However, in this case also, the provisions which have been notified by Central Government will prevail.

Rehabilitation work to be completed in five years -

Delhi Urban SheWer Improvement Board (DUSIB) hopes to complete this task of rehabilitating all Jhuggi Jhopri Bastis in Delhi in

the next five years, if it receives cooperation from all land owning agencies.

Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 (PART-B)

1. The eligibility criteria for allotment of aWemaWve dwelling units to rehabilitate and relocate Jhuggi Jhopri dwellers would be as under:

   (i) The Jhuggi Jhopri dweWer must be a citizen of India and not less than 18 years of age;

   (ii) The Jhuggi Jhopri basti in which the Jhuggi Jhopri dwellers are residing must be in existence prior to 01.01.2006. However, the cut-off date of residing in the jhuggi for becoming eligible for rehabilitation shall be 01.0^.20^5 (this is in supersession of the earlier cut-off date of 04.06.2009, as notified in the guidelines of 2013);

   (iii) The name of Jhuggi Jhopri dweller must appear in at least one of the voter lists of the years 2012, 2013, 2014 and 2015 (prior to 0101.2015) and also in the year of survey, for the purpose of rehabilitation;

   (iv) The name of the Jhuggi Jhopri dweller must appear in the joint survey conducted by the DUSIB and the Land Owning Agency;

   (v) The Jhuggi Jhopri dweller(s) will be subjected to bio-metric authentication by Aadhar Card or bio-metric identification by other mechanism;

(vi) Jhuggi Jhopri dweller must possess any one of the 12 documents issued before 01.01.2015 as prescribed in the subsequent para;

(vii) The beneficiary family should not own a pucca house (an all-weather dwelling unit) either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India as per the guidelines of Pradhan Mantri Av/as Yojana (Urban) PMAY(U).

(viii) No dwelling unit shall be allotted if the jhuggi is used solely for commercial purpose;

(ix) In case, the jhuggi is being used for both residential and commercial purpose, the Jhuggi Jhopri dweller can be considered for allotment of one dwelling unit. In case, the ground floor of the jhuggi is being used for commercial purpose and other floors for residential purpose that will entitle the Jhuggi Jhopri dweller for one dwelling unit only;

(x) If a different family, having separate Ration card issued prior to 01.01.2015, which fulfils all the other eligibility criteria is living on upper floor, the same will also be considered for allotment of a separate dwelling unit, (this is in supersession of the earlier notified guidelines of 2013.

(xi) The ineligible Jhuggi Jhopri dwellers will be removed from the Jhuggi Jhopri Basti at the time of its rehabilitation/relocation/clearance of Jhuggi Jhopri Basti.

2. As envisaged in Para 1 (vi) above, the Jhuggi Jhopri dweller must possess any one of the following documents issued before 01.01.2015 to become eligible for the purpose of allotment of Dwelling Unit:

(i) Passport;

(ii) Ration Card with photograph;

(iii) Electricity bill;

(iv) Driving License;

(v) Identity Card/Smart Card with photograph issued by State/ Central Government and/or its Autonomous Bodies/ Agencies like PSU/Local Bodies (except EPIC):

(vi) Pass book issued by Public Sector Banks/ Post Office with photograph;

(vii) SC/ST/OBC Certificate issued by the Competent Authority;

(viii) Pension document with photograph such as Ex-serviceman's Pension Book, Pension Payment Order, Ex-serviceman widow/dependent certificate, old age pension order or widow pension order;

(ix) Freedom Fighter Identity Card with photograph;

(x) Certificate of physically handicapped with photograph issued by the Competent Authority;

(xi) Health Insurance Scheme Smart card with photograph (Ministry of Labour scheme);

(xii) Identity card with photograph issued in the name of the descendanr(s) of the slum dweller from a Government school or Certificate with photograph issued by the Principal of a Government School mentioning therein that the descendant(s) of the JJ dweller is/was the student of the school.

3. Appellate Authority

(i) Delhi Urban Shelter Improvement Board will constitute an Appellate Authority for redressal of the grievances related to determination of eligibility for allotment of alternate dwelling unit for rehabilitation and relocation of JJ dwellers. The Appellate Authority will consist of the following:

(a) Retired Judge of the level of Additional District Judge;

(b) Retired civil servant of the level of Joint Secretary to Government of India;

(c) An expert member to be nominated by the Chairperson of Delhi Urban Shelter Improvement Board;

(d) Deputy Director of Delhi Urban Shelter Improvement Board to be nominated by the Chief Executive 'Officer (DUS1B) - as Convener

(ii) The terms and conditions of the Appellate Authority will be decided by the Board separately.

(iii) Any Jhuggi Jhopri dweller feeling aggrieved by any order passed by an officer/ committee, authorized to determine

eligibility of the Jhuggi Jhopn dweller shall be entitled to file an appeal before the Appellate Authority within a period of thirty days from the date of communication of the impugned order.

(iv) The Appellate Authority may for good and sufficient reasons, entertain an appeal filed beyond the period of limitation provided under clause (iii) above.

(v) The Appellate Authority may confirm, revoke or reverse the order appealed against and may pass such orders as it deems fit.

(vi) Order passed in appeal by the Appellate Authority, duly accepted by the Chief Executive Officer, Delhi Urban Shelter Improvement Board shall be final.

4. **Terms and conditions of Allotment of alternative Dwelling Unit**

(i) The contribution of the beneficiary will be Rs. 1,12,000/- (Rs. One Lakh Twelve Thousand) per dwelling unit having the carpet area of 25 sq.mtr (The contribution may slightly vary on case to case basis depending upon the actual carpet area of the dwelling unit). In addition, the beneficiary will be required to pay an amount of Rs.30,000/- (Rs. Thirty Thousand) at the time of the allotment of the dwelling unit, towards the cost of maintenance for a period of five years.

(ii) The dwelling unit shall be allotted to the eligible Jhuggi Jhopri dweller for a period of ten years on lease hold basis after which rt will be converted into freo-hold as per the prevalent

policy (this is in supersession of the earlier leasehold period of fifteen years as notified in the guidelines of 2013)

(iii) Allotment will be made in the name of person(s) as provided under PMAY (U) Scheme guidelines.

(iv) The allottee shall not sublet or part with possession of the dwelling unit, by way of General Power of Attorney or any other document. The Delhi Urban Shelter Improvement Board will have the right to verify the veracity of the original allottee through Bio-metric survey using Aadhar data-base or otherwise. In case a different person {s)/family is found living at the time of surveyin the dwelling unit, the allotment/lease is liable to be cancelled and Delhi Urban Shelter Improvement Board will have the right to re-enter the dwelling unit.

(v) Delhi Urban Shelter Improvement Board may assist those beneficiaries who are not able to arrange the contribution to avail loans from banks/ financial institutions including co-operative banks.

5. **Maintenance of dwelling units after allotment**

(i) It has been observed that after allotment of dwelling units to Jhuggi Jhopri dwellers for rehabilitation, the maintenance of the common services in these colonies is not done properly by the occupants due to ignorance, lack of knowledge to form associations and/or lack of funds etc.

(ii) Therefore, the Delhi Urban Shelter Improvement Board will maintain the common services in these colonies for a period of frve years after allotment.

(iii) For this purpose, a Corpus in the form of "DUSIB Estate Management Fund" will be created in Delhi Urban Shelter Improvement Board.

(iv) The allottees will have to contribute Rupees thirty thousand per dwelling unit as maintenance charges which will be deposited in the above said fund.

(v) The maintenance will include common areas like staircase, open ground, water supply and electric supply systems up to the dwelling units; external services e.g. sewer lines, roads, street lights, drainage and parks etc.

(vi) Depending upon the requirement, Delhi Urban Shelter Improvement Board may contribute in this fund from its own resources and attempt will be made as far as possible to carry on the maintenance from the interest earned from this fund.

(vii) In order to ensure that there are sufficient resources for maintenance of these colonies, Delhi Urban Shelter Improvement Board will also request the Government of National Capital Territory of Delhi to give Grant-in-aid for this fund.

(viii) After five years, the maintenance will be transferred to the Residents Welfare Associations which will be required to get registered as Societies and work out their own mechanism for maintenance.

(ix) Delhi Urban Shelter Improvement Board may give grant in aid to the Residents Welfare Associations/ Registered Societies of these colonies depending upon the requirement of the works to be done.

6. Chief Executive Officer, Delhi Urban Shelter Improvement Board is authorized to approve the operational guidelines keeping in view the overall spirit of the policy.

This issues with the approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(Rajesh Ranjan)
Deputy Secretary (UD)

FNo.730(7)/UD/BSUP/2016/CD Dated: 11/12/2017
No.021366111/3014-22

Copy for information & necessary action to:

1. CEO (DUSIB), Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

Copy for information to:

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Raj Niwas Marg, Delhi-54.
2. Advisor to Hon'ble Chief Minister Delhi.
3. Secretary to Hon'ble Minister for Urban Development, GNCTD.
4. Secretary. Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt, of India, Nirman Bhawan, New Delhi.
5. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
6. All Pr. Secretaries/Secretaries/HODs of GNCTD/Local Bodies/Autonomous Bodies.
7. SO to Chief Secretary, Delhi.
8. PA to Pr Secretary (UD)

(Rajesh Ranjan)
Deputy Secretary (UD)

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

68. श्री जितेंद्र सिंह तोमर : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में फरवरी 2015 से अब तक कौन से एफ.एस.ओ. कब तक कार्यरत रहे;

(ख) उनका नाम और तिथि सहित ब्यौरा दें;

(ग) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी राशनकार्ड धारकों के नाम पते सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से चालू और बंद राशन कार्ड का पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) बंद राशन कब तक पुनः चालू कर दिए जाएंगे;

(च) नये राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा उनका पूर्ण विवरण क्या है; और

(छ) इन आवेदकों के राशन कार्ड कब तक बन जाएंगे?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) व (ख) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में फरवरी से अब तक 2015 कार्यरत एफएसओ की सूची निम्न है :–

क्र.सं.	एफ.एस.ओ. के नाम	कार्य ग्रहण	से अब तक की अवधि
1	2	3	4
1.	सी.पी. वशिष्ट	–	01/01/15

1	2	3	4
2.	कमला देवी	08/10/15	15/10/15
3.	एस.के. पॉल	15/10/15	31/12/15
4.	रविंदर कौर	04/01/16	01/04/16
5.	रीता कश्यप	01/04/16	28/04/16
6.	रविंदर कौर	28/04/16	19/12/16
7.	आर.के. उप्पल	20/12/16	30/06/17
8.	ए. विजया कुमार	30/06/17	23/07/18
9.	रीता कश्यप	01/08/18	25/01/19
10.	भूषण शर्मा	25/01/19	अब तक

(ग) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी राशन कार्ड धारकों के नाम पते सहित ब्यौरा संलग्न* सी.डी. में उपलब्ध है;

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार;

(ङ) निरस्त राशन कार्ड वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः सक्रिय किए जा सकते हैं;

(च) नये राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा उनका पूर्ण विवरण सी.डी. में संलग्न है; और

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(छ) आवेदकों के द्वारा जमा कराये गए फार्मों को कम्प्युटर में दर्ज किया जाता है तथा वरीयता एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर कार्ड निर्गत किए जाते हैं।

69. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में नए राशन कार्ड बनाने का व पुराने राशन कार्ड में नई नाम जोड़ने का कार्य बंद होने के क्या कारण हैं, विस्तृत विवरण दें;

(ख) आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र में सभी दुकानदारों द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कितने परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, पूर्ण विवरण सहित जानकारी उपलब्ध कराएं;

(ग) आर.के. पुरम विधान सभा में मौजूदा उचित दर दुकान मालिकों द्वारा राशन कार्ड धारकों को समय पर राशन न देने की शिकायत अधिकारियों को किए जाने के बावजूद भी उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, सरकार की ऐसे दुकानदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या योजना है;

(घ) क्या भविष्य में इस क्षेत्र में राशन की नई दुकान खोलने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) पुराने राशन कार्डों में नाम जोड़ने का काम तथा नये कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् है;

(ख) कुल 12552 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। विवरण सी.डी. में संलग्न है;

(ग) राशन कार्ड धारकों की उचित दर दुकान के मालिकों की शिकायत मिलने पर उस दुकान का निरीक्षण किया जाता है तथा अनियमिता पाई जाने पर दुकानदार के खिलाफ (पेनल्टी/सस्पेंशन जैसी उचित कार्रवाई की जाती है);

(घ) अभी स क्षेत्र में राशन की नई दुकान खोलने की कोई योजना नहीं है; और

(ङ) उपरोक्त "(घ)" के अनुसार।

70. श्री संजीव झा : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार के खाद्य संभरण विभाग द्वारा दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने का कार्य आरंभ करने की कोई योजना है;

(ख) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस समय कितने राशन कार्ड पेंडिंग की स्थिति में हैं;

(ग) एन.एफ.एस. योजना के तहत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अब तक बनाए जा चुके राशन कार्डों का पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि निर्धारित आय से अधिक आय होने पर जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द हो जाते हैं उन उपभोक्ताओं द्वारा अपील करने पर संबंधित सहायक आयुक्त के कार्यालय से जवाब नहीं दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् है;

(ख) 4514 आवेदन;

(ग) 38617 कार्ड बनाए जा चुके हैं;

(घ) जिन राशन कार्डधारी की आय 1 लाख होने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द/निरस्त किए जाते हैं, वह कार्डधारी अपनी आय का प्रमाण पत्र लेकर डी.जी.आर.ओ./ए.डी.एम. (DGRO/ADM) के पास अपील के लिए जाते हैं तथा अनुमोदन होने के बाद कार्ड जारी कर दिया जाता है; और

(ङ) उपरोक्त।

71. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाँदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी उचित दर दुकान हैं;

(ख) कितने लोगों के पास राशन कार्ड हैं;

(ग) राशन कार्ड हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) इन उचित दर दुकानों के खिलाफ अब तक प्राप्त शिकायतें और इन पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ङ) राशन की डोर स्टेप डिलीवरी कब तक शुरू होने की संभावना है;

(च) राशन विभाग के पास राशन कार्ड बनाने के आवेदन कब से लम्बित है; और

(छ) 2018 में आवेदन करने वालों के साथ–साथ अब तक लंबित आवेदकों को कब तक राशन कार्ड मिल जाएंगे?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) उचित दर दुकानों की संख्या 13 है;

(ख) कुल 14,819 कार्ड बनाए गए हैं;

(ग) 931 आवेदन लंबित है;

(घ) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रवर्तन शाखा में चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र से संबंधित पिछले एक वर्ष में अब उचित दर दुकान संख्या 8535 मै. मुसरत जहाँ 1054, पाठक राम किशन दास, चितली कबर, दिल्ली–110006 की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसका औचक निरीक्षण दिनांक 14.01.2019 को कराया गया जांच करने के बाद निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण टीम को स्पष्टीकरण के लिए भेजी हुई है;

(ङ) राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की योजना विचाराधीन है;

(च) राशन कार्ड बनाने के कुछ आवेदन 2013 से लंबित है; और

(छ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् जारी है।

72. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन की उचित दर दुकान ऊपर ई–पॉज (E-POS) मशीनें पुनः ना लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि 28 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों में ई–पॉज मशीनें सुचारू रूप से काम कर रही है;

(ग) सरकार द्वारा इन मशीनों को हटाने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या सरकार ने नये राशन कार्ड जारी करना आरंभ कर दिया है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) यह प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) जी हां;

(ग) दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय सं. 2555 दिनांक 20.02.2018 के तहत दिनांक 25.04.2018 को अगले आदेश आने तक e-PoS को तकनीकी कारणों से निलंबित रखा गया है; और

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् है।

73. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में नए राशन कार्ड बनाने तो पुराने कार्ड में नए नाम जोड़ने का कार्य बंद है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस क्षेत्र के सभी उचित दर दुकानदारों द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कितने परिवारों को राशन मुहैया कराया जा रहा है; और

(घ) भविष्य में राशन की नई दुकाने खोलने की सरकार की क्या योजना है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) जी नहीं;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ग) कुल 12552 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। विवरण सी.डी. में उपलब्ध है; और

(घ) अभी इस क्षेत्र में राशन की नई दुकान खोलने की कोई योजना नहीं है।

74. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों के घर–घर राशन पहुंचाने की सुविधा शुरू करने जा रही हैं;

(ख) यदि हां तो इस सुविधा का लाभ जनता को कब से मिलने लगेगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि अभी नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां तो पिछले दो सालों में अब तक मादीपुर विधानसभा में बनाए गए राशन कार्ड का विवरण क्या है; और

(ङ) राशन कार्ड से जिन लोगों के नाम कट गए थे उनके नाम जोड़ने के लिए हाल ही मादीपुर विधानसभा क्षेत्र जो कैंप लगाया गया था, उसके परिणामों का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) घर–घर राशन पहुंचाने की योजना विचाराधीन है;

(ख) उपरोक्त 'क' अनुसार;

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत् जारी है;

(घ) 01/01/2017 से 31/12/2018 तक 139 राशन कार्ड बनाए गए हैं। सूची सलंग्न* है; और

(ङ) जिन कार्ड धारियों ने जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक ई–पोस द्वारा राशन नहीं लिया था उन लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिये गए थे मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कैंप लगाए गए थे उनमें केवल 101 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा डी.जी.आर.ओ. रजौरी गार्डन के द्वारा दोबारा राशन कार्ड बनाने की मंजूरी दे दी है।

75. श्री अनिल कुमार वाजपेयी : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं;

(ख) गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्ड धारकों के नाम काटे गए हैं, उनके नाम, पते और मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी क्या है; और

(ग) गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के उचित दर दुकानों के फर्म के नाम, पते के साथ पूरा विवरण क्या है?

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र में 21120 कार्डधारक है;

(ख) सूची सी.डी. में संलग्न हैं; और

(ग) सूची संलग्न* है।

76. श्री मनोज कुमार : क्या **माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है;

(ख) कोंडली विधानसभा के लिए कितने नए राशन कार्ड बनाने की योजना है;

(ग) क्या यह सत्य है कि कोंडली विधानसभा में फर्जी राशनकार्ड काटे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ङ) क्या फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों पर कोई कार्रवाई की गई है;

(च) यदि हां तो उसका पूरा विवरण क्या है;

(छ) क्या राशन की दुकानों के बाहर कोई शिकायत पेटी या बोर्ड पर शिकायत केंद्र का नंबर लिखा गया है;

(ज) यदि हां, तो वह नंबर क्या है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(झ) क्या राशन की दुकानों को ठेके पर देने या किसी को किराए पर भी देने की कोई प्रक्रिया है; और

(ञ) यदि नहीं, तो ऐसा करने वाले राशन दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है?

माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री : (क) एन.एफ.एस. पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इस समय दिल्ली में राशन कार्डधारियों की संख्या 1715176 है तथा 135235 आवेदन फार्म प्रक्रियाधीन है;

(ख) किसी भी क्षेत्र में राशन कार्ड बनाने की संख्या, दिल्ली के लिए निर्धारित लाभार्थियों की संख्या में उपलब्धता तथा उस मण्डल में प्राप्त पात्र आवेदनों पर निर्भर करती है;

(ग) इस तरह का कोई मामला मण्डल कार्यालय के संज्ञान में नहीं है;

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(छ) जी हां;

(ज) विभाग द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नं. 1800—22—4950 तथा 1967 है;

(झ) जी नहीं; और

(ञ) यदि किसी दुकानदार के विरुद्ध कोई शिकायत मिलती है तो विभाग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

77. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री तथा कबाड़ के व्यवसाय हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट एक्ट–2016 तथा एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन हेतु दिल्ली सरकार ने नियम तय किये हैं;

(ख) यदि हां तो इन नियमों का विवरण क्या है;

(ग) इन नियमों के अनुपालन करवाने हेतु सरकार की मौजूदा व्यवस्था तथा जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण क्या है;

(घ) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में उपरोक्त नियमों के अनुपालन करवाने हेतु सरकार द्वारा निगरानी/औचक निरीक्षण के लिए किये गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में सरकार के नियम के उल्लंघन करते हुए इन व्यवसायों में संलग्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ पिछले चार वर्ष में की गई कार्रवाई का विवरण क्या है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) जी हां;

(ख) ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016 (सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट एक्ट–2016) के तहत शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार ने ठोस कचरा प्रबन्धन संबंधी राज्य सरकार की नीति/कार्यनीति बनाई है जिसे 3 नवम्बर,

2017 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किया है। इस नीति का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सक्षम, पर्यावरण अनुकूल और स्थायी कचरा प्रबन्धन प्रणाली प्रदान करना है जिसके अन्तर्गत समूचे कचरे का सुरक्षित संग्रहण, पृथक्करण, ढुलाई, उपचार और निपटान सुविधाएं शामिल हैं और समुचित उपाय करते हुए परिष्कृत पर्यावरणीय नतीजे हासिल करना हैं।

इसके अलावा नगर निगमों ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट बाई लॉज बनाये हैं;

ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016 (सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट एक्ट–2016) इस लिंक पर उपलब्ध हैं :–

https://moef.nic.in/sites/defaul/files/SWM%202016_0.pdf

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ठोस कचरा प्रबन्धन बाई लाँज, 2017 इस लिंक पर उपलब्ध है :–

https://it.delhi.gov.nic.in/writereaddata/egaz20188255.pdf

(ग) ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2016 (सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट एक्ट–2016) एवं ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी राज्य सरकार की नीति/कार्यनीति के अनुपालन के लिए शहरी विकास विभाग नोडल विभाग हैं। शहरी विकास विभाग इस शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से अनुपालित करवाता है;

(घ) इन नियमों के अनुपालन करवाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी सेनेटरी इंस्पेक्टर/सहायक या अन्य वरिष्ठ अधिकारी है; और

(ङ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार नियमों के उल्लंघन विगत चार वर्षों में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

वर्ष	खुले में कचरा इत्यादि चलाने हेतु चालान		मलबा चालान		अन्य	
2015	1	रु. 500	3	रु. 7,800	423	रु. 11,37,300
2016	6	रु. 3700	193	रु. 4,53,800	1602	रु. 50,69,600
2017	31	रु. 35,800	170	रु. 4,31,000	1020	रु. 23,04,630
2018	4	रु. 4,300	36	रु. 97,200	144	रु. 3,30,400

78. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दिनों दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या था;

(ख) क्या यह सत्य है कि पड़ोसी राज्यों के पराली जलाने से प्रदूषण की मात्रा हर वर्ष बढ़ जाती है;

(ग) पिछले चार वर्षों में पड़ोसी राज्यों से बढ़ने वाले प्रदूषण की वर्षवार औसत मात्रा क्या रही;

(घ) पड़ोसी राज्य पराली न जलाएं इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए;

(ङ) क्या यह सत्य है कि प्रदूषण के नाम पर एन.जी.टी. द्वारा छोटे मझोले व्यापारियों के मनमाने चालान किए जा रहे हैं;

(च) दिल्ली में कुल प्रदूषण का कितना प्रतिशत पड़ोसी राज्यों के कारण है; और

(छ) एन.जी.टी. ने पड़ोसी राज्यों में पिछले एक वर्ष में कितने चालान किए या नोटिस दिए, पूर्ण जानकारी दी जाए?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं–

- वाहनों का प्रदूषण;
- सड़क और मिट्टी की धूल;
- निर्माण व विध्वंस गतिविधियों के कारण उत्पन्न धूल;
- सूखे पत्तों/कचरे आदि का जलना;
- पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल अवशेषों को जलाने के कारण प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि होती है;
- औद्योगिक इकाई/थर्मल पावर स्टेशन;

इसके अलावा मौसम की स्थिति/परिवर्तन भी प्रमुख कारण हैं;

(ख) और (घ)

- सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे किसानों का पराली न जलाने के लिए जन जागरूक करने एवं कृषि उपकरण और Happy Seeder के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण 2017 से 2018 में पंजाब में 11% की और हरियाणा में 30% की कमी आयी है।

- विगत चार वर्षों में डी.पी.सी.सी. द्वारा मोनिटर किया गया Continuous ambient air quality data संलग्न है (संलग्न–I);

(ङ) इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है;

(च) इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है; और

(छ) इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

संलग्नक–I

DPCC CAAQMS Yearly City Average of Various Pollutants (2015-2018)

Year	PM 10 (ug/m3)	PM 2.5 (ug/m3)	SO2 (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	03 (ug/m3)	NH3 (ug/m3)	CO (ug/m3)	C6H6 (ug/m3)
2015	295	133	18	72	45.11	43.97	1.51	4.41
2016	303	137	21	72	39.78	43.16	1.84	6.28
2017	277	130	23	74	43.60	37.99	2.07	5.20
2018	277	128	19	50	38.57	40.00	1.52	3.10

*Yearly City Average of 4 stations except 2018 (24 stations average)

79. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 01.01.2015 से मुंडका विधान सभा क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं इन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण क्या है;

(ख) 01.01.2017 से इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली चिन्हित की गई यूनिटों/कारखानों का विवरण क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली/यूनिटों/कारखानों जिनके विरुद्ध 01.01.2017 से क्या कार्रवाई की गई है का विवरण क्या है;

(घ) 01.01.2017 से मुंडका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्लास्टिक और अन्य सामग्री जलाने के विरुद्ध कितने चालान काटे गए हैं?

(ङ) 01.01.2017 से इस क्षेत्र में पर्यावरण सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या प्रयत्न किए गए; और

(च) मुंडका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पर्यावरण, वन, वन्य, प्राणी सुधार करने के प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम, कार्यालय पते एवं मोबाइल नम्बर का विवरण क्या है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) वन विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2015 से अब तक की मुंडका विधान सभा क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें–10 है और अपराध मामला दिल्ली वृक्ष अधिनियम (परिक्षण) के अंतर्गत 1994 प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है एवं जांच पड़ताल की प्रक्रिया चल रही है;

(ख) 01.01.2017 से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली चिन्हित की गई 26 यूनिटों/कारखानों के विवरण की जानकारी की प्रतिलिपि संलग्न है; (संलग्नक–I)

(ग) 01.01.2017 से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों/कारखानों पर की गई कार्रवाई के लिए समय–समय पर प्राप्त शिकायत–पत्र उचित कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के आदेशानुसार गैर पुष्टि क्षेत्र और रिहायशी क्षेत्र की शिकायतें उत्तरी दिल्ली नगर निगम व एस.डी.एम. (पंजाबी बाग) कार्यालय और सम्बन्धित पुलिस थाने में भेज दी जाती हैं (29 शिकायतों की प्रतिलिपि संलग्नक–II पर संलग्न है);

(घ) मुंडका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्लास्टिक और अन्य सामग्री जलाने के विरुद्ध उत्तरी दिल्ली नगर निगम एवं एस.डी.एम. (पंजाबी बाग) कार्यालय से चालान किये जाते हैं दिनांक 01.01.2017 से काटे गए चालान इस प्रकार हैं :–

- एस.डी.एम. (पंजाबी बाग)–5 चालान
- उत्तरी नगर निगम–77 चालान

(ङ) 01.01.2017 से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण सुधार करने के लिए सरकार/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जिसमें एक–एक अधिकारी एस.डी.एम. कार्यालय (पंजाबी बाग), दिल्ली पुलिस, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली होम गार्ड कार्यालय से पर्यावरण–मार्शल की नियुक्ति की है;

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 5236 पेड़ तथा 22147 झाड़ीदार पौधे लगाये गये हैं; और

(च) उत्तरी नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम, कार्यालय पते एवं मोबाइल नम्बर का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबाइल
1.	वी. सतीश कुमार	उप. निदेशक (उद्यान)	9717787517
2.	कुंवरपाल शर्मा	सहा. निदेशक (उद्यान)	9717787515
3.	नरेन्द्र सिंह	अनुभाग अधि. (उद्यान)	9650798729

मुंडका विधान सभा क्षेत्र पश्चिम वन प्रभाग के अन्तर्गत नांगलोई रेंज के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुंडका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पर्यावरण, वन, वन्य, प्राणी सुधार करने के प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम, कार्यालय पते एवं मोबाइल नम्बर का विवरण इस प्रकार है :–

- श्री एस.के. मुआन गुइते, भारतीय वन सेवक–उप–वन संरक्षक (पश्चिम) दूरभाष नंबर–011–23361879, मोबाइल नंबर–91 8800873022, कार्यालय का पता–उप–वन संरक्षक, पश्चिम वन प्रभाग, मंदिर लेन, बिरला मंदिर, नई दिल्ली–110060।
- श्री आर.पी. मिश्रा उप क्षेत्राधिकारी, मोबाइल नंबर–91 9213829275, कार्यालय का पता–पूठ कलाँ, सुल्तानपुरी बस टर्मिनल, नई दिल्ली–110086।

डी.पी.सी.सी. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम, कार्यालय पते एवं मोबाइल नम्बर का विवरण इस प्रकार है :–

- डा. बी.एम.एस. रेड्डी, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, सी.एम.सी.–IV, डी.पी.सी.सी., द्वितीय तल, विकास भवन–II, सिविल लाइन, दिल्ली फोन :– 9717593543
- श्री राजीव शर्मा, पर्यावरण अभियंता, सी.एम.सी.–IV, डी.पी.सी.सी. द्वितीय तल, विकास भवन–II, सिविल लाइन, दिल्ली फोन :– 9717593532

Annexure-I

List of Units Identified Polluting in Mundka Constituency

Sl. No.	Name & Address of the unit	Activily of the Unit	SCN u/s 31(A) of Air Act, 1981	SCN u/s 33(A) of Water Act, 1974	Direction u/s 31 (A) of Air Act, 1981	Direction u/s 33(A) of Water Act, 1974
1	2	3	4	5	6	7
1	Pharaohs Resort. Nil-10(Rohtnk Road), Tikri Kalan, Delhi-1100-11	Motel without Kitchen with 15 Rooms	23-03-17	23-03-17		
2/	Sanskriti Banquet and Guest House, Plot No 888, Metro Pillar No 497, Swam Park, Mundka, Delhi-110041	Guest House/Banquet	13*02-18	13-02-18	05-04-18	05-04-18
3	Royal Garden, Hiran Kudna Marg, Rohtak Road. NH-10, New Delhi-41	Parry Hall	13-02-18	13-02-18	05-04-18	05-04-18
4	Ocean The Grand, Hiran Kudra Road, Metro Pillar No 626 , Delhi-110041	Party Lawn	13-02-18	13-02-18	05-04-18	05-04-18

1	2	3	4	5	6	7
5	Royal Link, Hiran Kudra Marg. NH-10, Rohtak Road, Metro Pillar No 626, Delhi-41	Party Lawn	13-02-18	13-02-18	05-04-18	05-04-18
6	Srishti Vatika, Hiran Kudra Road. Rohtak Road, Delhi-41	Parly Lawn	13-02-18	1.1-02-18	05-04-18	05-04-18
7	VAO Industries. G-3, DSIDC Complex, Nangloi, Delhi-41	Footwear Manufacturing	14-03-18	14-03-18		
8	Cargo Motors (Delhi) Pvt. Ltd., 77/3, Plol No 03. Pillar No 497, Swam Park, Saine Road, Mundka, Delhi-110041	Showroom Repair. Servicing & Denting Panning of Cargo Vehicles	26-03-18	26-03-18		
9	Chanson Hospitality (P) Ltd. 4, Nangloi, Opp. Surajmal Stadium. Delhi-110041	Banqueting, Restaurant and Bar	26-03-18	26-03-18		
10	Orchd (At Royal Garden), Khasra No 90/8, Village Ghevra, Hirankudna Marg, Rohtak Road, NH-10, Delhi-41	Party lawn			05-04-18	05-04-18

11	Ridhi Siddhi Vinayak Enterprises. D-32/a, Kh. No 44/2, Naresh Park Extn Indl. Area, New Delhi-110041	Mfg of Footwear			05-04-18	15-04-18
12	Shree Balaji Foowtear Industries. D-42,43 & 44, Ground & First Floor, KH. No 75/5, Naresh Park Extn, Indl, Area, New Delhi-110041	Mfg of Footwear			15-04-18	15-01-18
13	Premier Packaging. D-42, Kh. No 44/2, Naresh Park Extn, Najafgarh Road Nangloi, New Delhi-41	Mfg. of Corrugated box			05-04-18	05-04-18
14	System India Pvt. Ltd.; Kh. No 111/7, Mundka Indl. Area, New Delhi-41	Aluminium Pressure Die Casting with Power Coating (dry)				
15	Nitya Farma, Kh. No 34/10, Main Rohtak Road, Near Metro Pillar No. 747, Tikri Kaian, Delhi-41	Farm House/Party Lawn	04-10-18	04-10-18		

1	2	3	4	5	6	7
16	Sanskriti By Mehak (A Unit of Sanyukt Hospitality LLP), Kh. No 882/1,882/2,885, 886/1,888/1, S88/2 and 889, Village Mundka, 1 Delhi-110041	Party Lawn	30-10-18	30-10-18		
17	Enpeecon, Khasra No 16-17, Gali No 6, Near Harnandi Dharamkania Mundka, New Delhi 110041	Ready Mix Concrete	29-10-18	29-10-18		
18	Saurashtra Colors Tones Pvt. Ltd.. H-1, DSIIDC, Nangloi Industrial Area, Delhi-110041	Mfg. of Paper / Duplex Box with Printing				
19	J.S. Automobiles, Shed No 32. SFC Calegory-II, DSIDC Industrial Complex, Rohtak Road, Nangloi, New Delhi-110041	Automobile Servicing and Repair Station with Washing				
20	Shri Ram Ready Mix Concrete Pvt. Ltd., Kh. No 126/6/3/15, Village Mundka, Delhi-110041	Ready Mix Concrete (KMC) Plant	08-01-19	08-01-19		

21	NDCON Construction, Kh. No 126/16(4-12), Village Mundka, Delhi-110041	Ready Mix Concere (RMC) Plant	11-01-19	11-01-19
22	Enpeecon, Khasra No 16-1 7, Gali No 6. Near Harnandi Dhararnkanta Mundka, New Delhi 110041	Ready Mix Concerte (RMC) Plain	11-01-19	11-01-19
23	S Kumar Concrete Pvt. Ltd.. Kh. No 29/9. Village Tikri Kalan, Nizampur Road. Metro Pilloai 725, Delhi-41	Ready Mix Concerete (RMC) Plain	17-01-19	7-01-19
24	Wonder Ready Mixture Concrete Pvt. Ltd., Kh. No 339. Under Hitension Wire, Railway Line, Mundka, New Delhi-110041	Ready Mix Concerete (RMC) Plant	7-01-19	7-01-19
25	Raj Ready Concrete Work Pvt. Ltd., Kh. No 29/12, Village Tikri Kalan, Delhi-41	Ready Mix Concerete (RMC) Plant	17-01-19	7-01-19
26	Shiv Shakti Enterprises, Kh. No I 63/19 & 63/20, Mundka, Delhi-41	Ready Mix Concrete (RMC) Plant	9-01-19 2	9-01-19

Annexure-II

Sl. No.	Date of receipt of the complaint	Content of the complaint	Details of the complainant	Action Taken
1	2	3	4	5
1	22.12,2017	Illegal dyeing unit M/s . Ghamshyam udyog located at Tikri Border Nizampur Road Delhi. (C723-25)	Sh. Jitender Singh (Advocate), Khasra No 76, Tikri-Kalan, Delhi	Forwarded to MCD (North)
2	18.02.2017	Illegal activity of Mobile Oil Batteries, Acid and Plywood etc. in Tikri kalan, Ghevra, Khanjhawala, Nizampur, Rani Khera, Mundka, ranholla, Hiran kudna, Nanglio, Kamruddin Nagar, Pera Garhi etc.	1. Sh. Mahavir Singh & ors. (President), Niwal Village Welfare Association, H. No 207, near pol no 14, Village Nilwal P.o Tikri Kalan, Delhi-110041. 2, Sh. Dilbag Singh Niwal Village Welfare Association, H.No. 207, near pol no 14, Village Nilwal P.O. Tikri Kalan, Delhi-110041	Forwarded to MCD (Norlh)

3	16.04.2017	Illegal dust plant at Baba Hari Das colony, Tikri Border New Delhi-110041	Baba Hari Das resident welfare society, 135, Baba Hari Das Nagar, Tikri Border, New Delhi-110041	Forwarded to MCD (North)
4	29.11.2017	Unhygienic condition, stagnant water and stinking garbage at PVC Market Road. Tikri Kalan (G160-G164)	Mr. Sanjay Kumar Jain email id-sanjaykumarjn@ hotmail.com	Forwarded to MCD (North)
5	22.06.2017	Illegal factory at Mundka vidhan sabha (C12-13)	Sh. Jagdish S/O Sh. Rubhubir, S, Main Najafgarh Road, Nangloi, Delhi-41	Forwarded to MCD (North)
6	21.07.217	Illegal plastic factory Ms Vindi Plstic. Chou Tikrikala. Godwon Nu 7. lane No 7. New Dehli-110041, (C14-19)	Rave Samanta, tollygungem Kolkata	Forwarded to MCD (North)
7	16.02.2018	Complaint against plot no 746. near SBI Bank, VPO Tikri Kalan, Delhii-110041. (C/58-59)	Sh Narender. Plot no 746. Near SBI Bank. VPO Tikan Kalan, Delhi-41	Forwarded to MCD (North)
8	07.03.2018	Illegal buchad khana at B-260.261.262 at J. J. Colony	Sh. Om Sharma, 13/7, Shakti Nagar, Delhi-11007	Forwarded to MCD (North)

1	2	3	4	5
		Camp no.2. Nangloi, Delhi—41 (760)		
9	13.02.2018	Illegal work at Tikri Kalan, Hiran Kunda, Mundaka using & burning of plastic kabad, (C/61-62)	Sh. Manoj kumar, Sh. Mahavir Singh.	Forwarded to MCD (North)
10	21.03.2018	Illegal factories at 71-72 & 21 A, 9/6, Ratan Park, Veena Enclave near Hanuman mandir, near Nangloi Railway Station (C/67-69)	Sh. Sahil Puri (Delhi High Court), Chamber No-284, Western Wings, Tis Hazari Court, Delhi-110054	Forwarded to MCD (North)
11	10.04.2018	Illegal work shop at C-58, 5 Bharaya pur, Ramesh Nagar, Delhi-110015 (C/101)	Sh. Jogal Kishor, C-57, Bharaya Puri, Ramesh Nagar, Delhi-15	Forwarded to MCD (North)
12	17.04.2018	Illegally noise pollution by DJ at Navyog Block, Vishnu Garden, Delhi-n0018.(C/102-104)	Sh. Charanjeet Singh, Nayyug Block, Vishnu Garden, Delhi-110018	Forwarded to DC (Revenue) West
13	09.04.2018	Jeans Dying Factorie.being operated at New F block Raghubir Nagar near Guru	Sh. Gurjeet Singh S/o Sh. Surjeet Singh, H.No. H-53 A, Rajouri Garden,	Forwarded to MCD (North)

		Gobirid Singh Hospital	Delhi-110027	
14	02.05.2018, 04.05.2018, 09.05.2018	Illegal & unauthorized factories of Dyeing 7 washing of Jeans with Chemicals in New F-Block, Raghubir Nagar (C/1-24)	Sh. Manjinder Singh Sirsa H'ble MLA, 7/77, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026	Forwarded to MCD (North)
15	02.05.2018	Illegal Door Closure factory at WZ-283/375, Gaddi Wali Gali No 11, Vishnu Garden Ex, New Delhi-110018 (C/63)	Known	Forwarded to MCD (North)
16	31.05.2018	Very high pollution at DSIDC Nangloi, Delhi-41. (C/83-89)	Sh. Ramavtar Meghwal, B-296, J. J. Colony, Nangloi No 2, Delhi-110041	Forwarded to MCD (North)
18	14.05.201S	Complaint against pollution causing black oil factroies at Rohtak Road (between Mundka and Hiran Kunja), New Delhi-41	Sh. Sukhbir Singh Dala, MLA, Mundka Constituency Delhi Legislative Assembly.	The same compalint was received through PGMS ID no 2017094582 and same was forwared to The Commissioner of Police, MCD (North) & SDM Narela, Punjabi Bagh

1	2	3	4	5
19	09.07.2018 EQ 13742 to Ch	Complaint regarding severe pollution of may kinds produced due lo large no. of illegal, hazardous activities operating on public land encroached by Srishanpal Kb. No 292/4, near Hansa Plywooed, Sayed gaon, New Delhi-110087. (C/8-9)	Sh. Jagpal Singh Yadav, RZ-1, Sayed Nangloi, New Delhi-110087.	Forwarded to MCD (North)
20	ms/4589 recived on 27.07.2018	illegal work by Dolphin Petrol Company at Tikri Area. (C/13-14)	Sh Mahinder Singh Chauhan, T-Huts, CN-101/190. C-Block, Jahangirpuri, Delhi-110033	Forwarded to MCD (North)
21	24.07.2018/ 15124	High Air Pollution in Swaran Park Mundka (C/24-25)	Sh. Shriance Jain (Scientist 'E') Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 2. Bhanu Parkash by Mai.	The matter of Swaran park Munda is court case file
22	26.109.2018	Illgal waste Burning at Mundka. (C/123-124)	1. Shriance Jain, Scientist 'E' Central Pollution Control	Forwarded to MCD (North)

			Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar. Delhi-110032. 2. Harshit Sh. Kumar Yadav by mail	
23	11.12.2018. 12.12,2018, 13.12.2018, 29.11.2018, 18.12.2018, 21.12.2018	Illegal garbage waste in the Mundka Constituency of outer Delhi. (C/22-26)	Sh. Umesh Sharma, H. No 60A Block Vikaspuri extn, Nilothi Extn, Nangloi, Delhi-110041.	Forwarded to MCD (North)
24	25.01.2019	Complaint about the unauthorised plastic factory' in residential area in Mundka, Delhi. (C/56-58)	1. Dr. Anwar Ali Khan OSD (Tech.) to Minister of Environnint Govt. of NCT of Delhi. office of the Minister of Foof & Civil Suppliers, Environment & Forests and Election Govt. of NCT of Delhi, 8th floor, A Wing Delhi Secretariat, New Delhi-110002.2. Sh. Hemant Kumar	Forwarded to MCD (North)
25	01.01.2019	Illegal work by in front of	Sh. Daya Kishan, RZ-22,	Forwarded to MCD

1	2	3	4	5
		Nand Sons Timber Traders Kh. No 85/10 Gali no 7 Mundka by Godwon of G S Chemical in under ground tank at Mundka, Delhi-110041	Binova Enclave CRT Camp Jhajida Kalan, Najafgarh Delhi-110043	(North)
26	09.01.2019	Day by day to hazardously buring of garbage and non concrete path in the residential area in Mundka, Delhi-41. (C61-62).	Sh. Manoj Rani. Mundka Residents Welfare Association, 588, Shiv Mandir, Mundka, Delhi-110041,	Forwarded to MCD (North)
27	09.01.2019	Illegal encroachment at Mundka, Delhi-110041 (C/62-65)	Dr Jeet Singh Yadav, 635, Village Mundka, Delhi-110041	Forwarded to MCD (North)
28	09.01.2019	Illegal running many industries in Mundka Ranikhera Delhi-110041. (C/96-97)	Oram Sabha Mundka. 439/1, Near Sishu Wala Talab. Mundka, Delhi-110041	Forwarded to MCD (North)
29	09.01.2019	Illegal many plastic factories at Mundka, Delhi-110041. (C/62-65)	Dr. Jeet Singh Yadav, 635. Village Mundka, Delhi-110041	Forwarded to MCD (North)

80. श्री संजीव झा : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुरारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग की किन–किन स्थानों पर कितनी–कितनी जमीन उपलब्ध है तथा उनके खसरे नंबर का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या इन भूखंडों की चारदीवारी करके सुरक्षित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन्हें अवैध कब्जों से सुरक्षित रखने हेतु विभाग द्वारा इनकी चारदीवारी करने की कोई योजना है;

(घ) क्या किसी परियोजना के तहत इन खाली पड़े भूखंडों का उपयोग करने की भी वन एवं पर्यावरण विभाग की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) बुरारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग के पास मुखमेलपुर में लगभग 133 एकड़ और जिंदपुर में लगभग 105.9 एकड़ का क्षेत्र है। खसरा विवरण अनुलग्नक–अ में संलग्न है;

(ख) और (ग) मुखमेलपुर में चारदीवारी मौजूद है। जिंदपुर में वह क्षेत्र जिस पर अदालत में सुनवाई चल रही है उस हिस्से को छोड़कर जिंदपुर में चारदीवारी मौजूद है; और

(घ) और (ङ) वन विभाग द्वारा इन भूखंडों पर वृक्षारोपण किया हुआ है जिसे और सघन किया जाना प्रस्तावित है।

Alipur Range Jindpur forest

Sl. No.	Details	
1	Name of Forest	Jindpur forest
2	Notification No. and Date	Given by GaonPradhan
3	Area	536 bigha and 18 biswa
4	Beat name	Jindpur forest
5	Name of Forest Ranger	Shivcharan
6	Name of Forest Division	West Forest Division
7	Name of Forest Circle	Alipur Range
8	Forest Status Notified	No Forest Notification
9	Year of Allotment	28/03/1984
10	Ownership	Forest Department
11	Name of Village	Jindpur
12	Name of Tehsil	Naya Bans Gaon
13	Subdivision of Revenue	Naya Bans Gaon
14	District Revenue	North West

Sl. No.	Khasra No.	Bigha	Biswa
1	1/23	1	17
2	24	6	2

Sl. No.	Khasra No.	Bigha	Biswa
3	2/21	2	11
4	3/11	6	6
5	12	5	1
6	18	5	3
7	19	4	16
8	20	4	16
9	21	4	16
10	22	4	16
11	23	4	16
12	24	3	9
13	4/1	4	16
14	3	3	00
15	7	5	12
16	13	4	16
17	14	4	16
18	15	4	16
19	16	4	16
20	19	4	16

Sl. No.	Khasra No.	Bigha	Biswa
21	20	4	16
22	21	4	16
23	22	4	16
24	25	4	16
25	5/2	1	6
26	3	4	14
27	4	4	16
28	6	4	16
29	5/24	4	16
30	25	4	16
31	8/4	3	00
32	5	4	10
33	6	4	16
34	7	4	16
35	9/1	4	16
36	5	4	16
37	6	4	16
38	10	4	16

Sl. No.	Khasra No.	Bigha	Biswa
39	11	4	16
40	14	4	16
41	15	4	16
42	16	4	16
43	17	4	16
44	24	4	16
45	25	4	16
46	10/1	4	16
47	2	4	16
48	3	4	16
49	4	6	11
50	8	4	16
51	9	4	16
52	10	4	16
53	11	4	16
54	12	4	16
55	13	4	16
56	18	4	16

Sl. No.	Khasra No.	Bigha	Biswa
57	19	4	16
58	20	4	16
59	21	4	16
60	22	4	16
61	23	4	16
62	13/1	4	16
63	2	4	16
64	3	4	16
65	8	4	16
66	9	4	16
67	10	4	16
68	11	4	16
69	12	4	16
70	19	4	16
71	20	4	16
72	14/4	4	16
73	5	4	16
74	6	4	16

Sl. No.	Khasra No.	Bigha	Biswa
75	7	4	16
76	8	4	16
77	9	4	16
78	10	4	16
79	11	4	16
80	12	4	16
81	14	4	16
82	15	4	16
83	16	4	4
84	17	4	4
85	21/7	4	8
86	8	2	18
87	9	3	2
88	2	4	16
89	3	4	16
90	4	4	16
91	16/5	4	16
92	6	4	16

Sl. No.	Khasra No.	Bigha	Biswa
93	24/12/1	4	2
94	12/2	0	4
95	30/8	2	16
96	13	4	16
97	14	4	16
98	17	4	16
99	33/17/2	1	8
100	19/2	3	00
101	20/2	2	10
102	37/1	4	16
103	2	4	16
104	8	4	16
105	9	4	12
106	10	4	16i
107	11	4	16
108	12	4	16
109	13	4	16
110	14	6	1

Sl. No.	Khasra No.	Bigha	Biswa
111	17	3	7
112	18	4	16
113	19	4	16
114	20	6	6
115	22	2	8
116	23	3	14
117	26	0	4
118	38/5/2	1	14
119	6	3	3
120	15	2	14
121	16	2	17
Kila	121	536	18

Alipur Range Mukhmelpur Forest

Sl. No.	Details	
1	Name of Forest	MukhmelpurForest
2	Notification No and Date	No. F.l r(38)/54p/Dl 1 dated 2/03/1955
3	Area	94.31 Acre

Sl. No.	Details	
4	Beat name	Mukhmelpur Forest
5	Name of Forest Ranger	Shivcharan
6	Name of Forest Division	West Forest Division
7	Name of Forest Circle	Alipur Range
8	Forest Status Notification	No. F.l T(38)/54p/Dl 1 dated on 03/03/1955
9	Year of Allotment	1955
10	Ownership	Forest Department
11	Name of Village	Mukhmelpur
12	Name of Tehsil	Naya Bans
13	Subdivision of Revenue	Naya Bans
14	District Revenue	North West

Sl. No.	Khasra No.	Bigha
1	173	0.61
2	174	0.66
3	175	0.42
4	182	0.41
5	185	0.53

Sl. No.	Khasra No.	Bigha
6	186	0.64
7	189	0.72
8	193	0.10
9	220	0.43
10	230	0.22
11	231	0.39
12	242	0.49
13	256	0.32
14	257	0.28
15	272	0.30
16	273	0.34
17	274	0.24
18	275	1.05
19	288	0.24
20	289	0.39
21	299/1	0.25
22	300	0.67
23	301	0.68

Sl. No.	Khasra No.	Bigha
24	302	0.75
25	303	0.79
26	304	0.78
27	305	1.74
28	306	1.0
29	307	1.40
30	308	1.40
31	309	1.00
32	310	1.38
33	311	1.09
34	312	0.58
35	313	1.40
36	314	1.40
37	315	1.00
38	316	0.78
39	317	1.15
40	318	0.74
41	319	0.33

Sl. No.	Khasra No.	Bigha
42	320	0.75
43	323	1.31
44	324	0.86
45	325	0.94
46	326	1.00
47	327	1.00
48	328	1.00
49	329	1.00
50	330	0.94
51	331	0.21
52	332	1.00
53	333	1.00
54	334	1.00
55	335	1.00
56	336	0.94
57	337	0.94
58	339	1.00
59	362	0.71

Sl. No.	Khasra No.	Bigha
60	386	0.29
61	387	1.00
62	428	0.45
63	429	0.63
64	430	0.41
65	431	0.43
66	432	0.49
67	433	0.53
68	434	0.59
69	435	0.61
70	436	0.42
71	439	0.94
72	441	0.95
73	442	1.00
74	443	0.94
75	444	0.94
76	445	1.00
77	446	1.00

Sl. No.	Khasra No.	Bigha
78	447	1.00
79	448	1.00
80	449	1.00
81	450	1.00
82	451	1.00
83	453	1.00
84	454	1.00
85	494	1.00
86	495	1.00
87	496	1.00
88	497	1.00
89	498	1.00
90	499	1.00
91	500	1.00
92	503	1.00
93	504	1.00
94	535	0.58
95	536	0.51

Sl. No.	Khasra No.	Bigha
96	539	1.00
97	570	0.93
98	571	0.93
99	587	1.00
100	588	1.00
101	611	1.08
102	615	1.00
103	616	1.00
104	618	1.29
105	619	1.15
106	620	0.42
107	623	0.34
108	624	0.32
109	625	0.18
110	626	0.46
111	627	0.24

81. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पर अलग–अलग क्षेत्रों में जो पेड़ों की कटाई की गई है उसकी परमिशन दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो किस नियम के तहत;

(ग) क्या यह सत्य है कि पेड़ काटने वाली एजेंसी ने उन नियमों का पालन नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो उनके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) भविष्य में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की योजना का विस्तृत विवरण क्या है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) और (ख) जी हां, दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत दिल्ली में किसी भी वृक्ष को काटे/हटाये जाने की अनुमति उस क्षेत्र के संबंधित वृक्ष अधिकारी से लेना अनिवार्य है।

दिल्ली के विकास में संलग्न विभिन्न विकास इकाइयों को अलग–अलग क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की अनुमति की जाती रही है। यह अनुमति दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है;

(ग) और (घ) पेड़ों के कटान के नियमों का पालन न होने की स्थिति में ऐसी विकास इकाइयों के विरुद्ध दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है जिसका नवीनतम ब्यौरा तैयार किया जा रहा है; और

(ङ) गत वर्ष 27 लाख से अधिक पौधे वन एवं सहयोगी हरित एजेंसी के द्वारा लगाए जा चुके हैं इसके अतिरिक्त 5 लाख के लगभग पौधे इसी वर्ष 31 मार्च तक लगाने का लक्ष्य है।

इसी तरह प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना है।

82. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हवा में उड़ रहे धूल के कणों से दूषित हो रहे वातावरण की रोकथाम हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस विषय पर कोई टास्क फोर्स द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में उक्त टास्क फोर्स द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि धूल से फैल रहे प्रदूषण पर रोकथाम हेतु सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद भी ले रही है; और

(च) यदि हां तो इन स्वयं सेवी संस्थाओं का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) हवा में उड़ रहे धूल के कणों से दूषित हो रहे वातावरण की रोकथाम हेतु विभिन्न योजनाएं तैयार की गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

- दिल्ली में नगर निगमों द्वारा 48 मैकेनिकल रोड स्वीपरों से सड़कों की सफाई की जा रही है।

- सड़कों की धूल को रोकने हेतु नगर निगमों द्वारा 340 Water Sprinklers/Tankers लगाए गए हैं।
- विभिन्न विभागों द्वारा नालों से निकली हुई सिल्ट को प्रबन्धित किया जा रहा है।
- धूल के कणों को रोकने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जा रहा है एवं सड़कों के किनारे खुली हुई जगह को हरा भरा या पक्का किया जा रहा है।
- विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण कार्य की जगहों पर धूल को रोकने के लिए किए गये उपायों की जांच की जाती है और उल्लंघन होने पर चालान किया जाता है।

(ख) माननीय हरित न्यायालय के अनुपालन में, विभिन्न निकायों/विभागों के जैसे कि नगर निगमों राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों को निर्माण कार्य की जगहों की जांच करने एवं चालान करने के लिए अधिकृत किया गया है;

(ग) आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन जोन में आता है। सिविल लाइन जोन मं 14 Feb 2019 तक कूड़ा/पत्ती जलाने के कारण 420 NGT चालान किये गये तथा जिनसे रु. 8,70,000/– प्राप्त हुए; और

(घ) और (ङ) जी नहीं।

नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग उचित कार्रवाई करते हैं।

83. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की मैडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में क्या पॉलिसी है;

(ख) इससे होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण;

(ग) कितने मामलों में कार्रवाई की गई है;

(घ) पॉलीथीन से होने वाले प्रदूषण के बारे में दिल्ली सरकार की नीति एवं तत्संबंधी न्यायालय के आदेश क्या है; और;

(ङ) इनके अनुपालन के लिए क्या प्रयास किये गए हैं?;

माननीय पर्यावरण मंत्री : (क) दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान/प्रबन्धन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के तहत किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016, दिल्ली के सभी अस्पतालों एवं औषधालयों में लागू कर दिये गये है;

(ख)

- प्रशिक्षण कार्यकर्मों, जागरूकता सम्मेलनों, अस्पतालों एवं औषधालयों में पोस्टर एवं अखबारों में विज्ञापनों द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है।;
- बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) सरकारी तौर पर अधिकृत संस्था है।

- दिल्ली में दो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट निपटान सुविधाएँ (CBWTF) चल रही हैं जो अस्पतालों एवं औषधालयों से बायोमैडिक वेस्ट इक्टठा करके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स 2016 के तहत निपटान करती है।

- डी.पी.सी.सी. अस्पतालों, औषधालयों एवं कामन बायोमेडिकल वेस्ट निपटान सुविधाओं को रूल्स के तहत अनुज्ञा (Authorization) प्रदान करती है;;

(ग)

- डी.पी.सी.सी. द्वारा 1880 authorization non bedded Health Care Unit [HCFs] को दिए गए तथा 1/1/2018 से 15/1/2019 तक 422 HCFs को नोटिस दिए गए; और

(घ) व (ड.) अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 के तहत दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिसूचना के तहत दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियसें (जिसमें पॉली प्रोपलीन व न–बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियॉ भी शामिल है) के प्रयोग, विनिर्माण आयात, भण्डारण, विक्रय एवं ढुलाई पर प्रतिबंध लगाया है।

यह अधिसूचना याचिका संख्या WPC 7012/2012 द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन थी परन्तु 05.12.2016 के फैसले के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया है।

माननीय 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2017 को याचिका संख्या OA 281/2016 की RA 1/2017 तथा OA 04/2017 में दिए गए अन्तरिम निर्देश के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबन्ध लगाया है एवं दोषियों को 5000/– रुपये पर्यावरण मुआवजा भरने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन निर्देशों का क्रियान्वयन तीनों नगर निगम, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल, रेवन्यू डिर्पाटमेंट, दिल्ली कैंट बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा किया जा रहा है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पालन की काय रनउंवाई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.12.2018 तक 41897 किलो 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई, दोषियों के 3672 चालान काटे गए एंव 63,15,000/– रुपये पर्यावरण मुआवजे के रूप में जमा किए गए हैं।

दिनांक 01.08.2018 को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है क्यांकि कुछ मसले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

84. श्री अनिल कुमार बाजपेयी : क्या **माननीय राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाँधी नगर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के स्वामित्व के भूखंडों का विस्तृत विवरण क्या है;

(ख) गाँधी नगर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के कितने पार्क है;

(ग) उनकी क्या यथास्थिति है;

(घ) क्या यह सत्य है कि गाँधी नगर विधान सभा क्षेत्र में शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास पार्क का विकास होना था;

(ङ) यदि हाँ, तो यह पार्क कब तक डेवलप हो जायेगा और उसमें जनता को क्या सुविधाएं उपलब्ध की जायगी;

(च) शास्त्री पार्क में वन विभाग के पार्क के नक्शे की कॉपी उपलब्ध कराते हुए उसके एरिया का विवरण बताये;

(छ) इस पार्क का जीर्णोद्धार कब कराया गया था;

(ज) इस पार्क में कितने द्वारा है और क्या कम होना था; और

(झ) सरकार की ओर से यह पार्क जनता को कब समर्पित किया जायेगा?

माननीय राजस्व मंत्री : (क) गाँधी नगर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग के अंतर्गत निम्न पौधारोपण क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र वन विभाग को डी.डी.ए. द्वारा पौधारोपण के लिए दिए गये हैं जिनकी स्वामित्वता डी.डी.ए. के अधीन है। वन विभाग के अंतर्गत तीनों क्षेत्रों की जानकारी निम्न है–

S.N.	Site	Area (ha.)	Saplings planted	Year of plantation
1	2	3	4	5
1.	शास्त्री पार्क नियर मेट्रो स्टेशन (FCA)	8.354	13290	2015–16

1	2	3	4	5
2.	शास्त्री पार्क नियर मेट्रो स्टेशन (DPTA)	6.6	10290	2015–16
3.	शास्त्री पार्क नियर शास्त्री पार्क कॉलोनी (DPTA)	5.65	8100	2015–16
4.	शास्त्री पार्क यमुना फ्लड प्लेन्स नियर ओल्ड आयरन ब्रिज (DPTA)	21.52	23911	2018–19

(ख) से (ड.) गाँधी नगर विधान सभा क्षेत्र में वन विभाग का कोई पार्क नहीं है। वन विभाग द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में दिल्ली परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पौधारोपण किया गया है जिनमें से शास्त्री पार्क नियर कॉलोनी को आम जनता के लिए सिटी फारेस्ट के रूप में विकसित किया गया है जहाँ पर लोग स्वच्छ वातावरण का लाभ उठा सके। सिटी फारेस्ट में लोगों की सुविधा के लिए रास्ते का, ईको हट, बैठने के लिए बेंच आदि का निर्माण किया गया है जिसको आम जनता के लिए वन विभाग तुरंत खोलने जा रहा है। इसके अलावा शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पौधारोपण क्षेत्र को वन विभाग द्वारा अगले वर्ष 2019–20 में आम जनता के लिये सिटी फारेस्ट में विकसित करने का कार्य शुरू किया जायेगा जिसमें पब्लिक के लिये रास्ते का निर्माण, बैठने के लिए बेंच, इको हट, औषधि वर्धक पौधे आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

शास्त्री पार्क यमुना फ्लड प्लेन्स नियर ओल्ड आयरन ब्रिज पर सितम्बर

2018 में पौधारोपण किया गया है। पौधे छोटे होने के कारण पौधारोपण क्षेत्र को अभी सिटी फारेस्ट में विकसित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त पौधारोपण क्षेत्रों के नक्शे संलग्न* है।

85. श्री मनोज कुमारः क्या **माननीय पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंडली विधान सभा क्षेत्र में स्थित एस.टी.पी., कूड़े का पहाड़ गाजीपुर, मुर्गा मण्डी, मछली मण्डी, बकरा व भैंस मण्डी, बूचड़खाना में से कौन–सी पर्यावरण को दूषित करती है;

(ख) कोई संस्था अगर दूषित करती है तो उस पर पर्यावरण विभाग क्या कार्रवाई करता है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण होने के कारण पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराध ीन है; और

(घ) यदि हां तो उसका विवरण क्या है?

माननीय पर्यावरण मंत्रीः (क) एस.टी.पी. प्रदूषित जल को संशोधित करने के लिये प्रयोग किये जाते हैं। कूड़े का पहाड़ (Land fill) गाजीपुर, मुर्गा मण्डी, मछली मण्डी, बकरा व मैंस मण्डी, बूचडखाना आदि संस्थान आदि पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करते हैं, तो वे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। डी.पी.सी.सी. इसकी समय–समय पर जांच करती है;

(ख) पर्यावरण मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण कानूनों एवं नियमों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है; और

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) और (घ) पू.दि.न.नि. ने गाजीपुर डम्प को खत्म करने के लिए मैसर्स ए.जी. डाटर्स के साथ प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन पुराने कूड़े को प्रोसेस करके बिजली, पानी तथा ईंधन बनाने का प्रायोगिक परियोजना के तहत करार किया है और अगर ये परियोजना सफल हो जाती है तो पूरे डम्प को प्रोसेस करने के लिए लागू की जायेगी। अभी इस परियोजना को चालू करने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लीयरेंस बहुप्रतीक्षित है।

86. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की आबकारी नीति क्या है;

(ख) लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किये गए लाइसेंसों की संख्या, विस्तृत विवरण सहित क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में शराब से उत्पाद शुल्क के रूप में अर्जित राजस्व का पश्चिमी दिल्ली सहित जिलावार विवरण दीजिए?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के द्वारा दिल्ली में वैध शराब की उपलब्धता दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अनुसार विनियमन, नियंत्रण तथा आवेक्षण सुनिश्चित करना है;

(ख) आबकारी लाइसेंस, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010, नियम व शर्तें, परिपत्र तथा आदेश के अंतर्गत नियमानुसार जारी किये जाते हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान लाईसेंसों की सूची संलग्न–'क' पर है; और

(घ) अर्जित राजस्व का विवरण जिलावार एकत्रित नहीं किया जाता है। पिछले पांच वर्षों चालू वर्ष में संकलित राजस्व निम्न है–

2013–2014 : 3150.63 करोड़

2014–2015 : 3422.39 करोड़

2015–2016 : 4238.32 करोड़

2016–2017 : 4238.50 करोड़

2017–2018 : 4551.57 करोड़

Annexure-A

Sl. No.	Category of licence	01.04.2015 to 31.03.2016	01.04.2016- 31.03.2017	01.04.2017 to 31.03.2018
1	2	3	4	5
1	L-1 & L-31	73	69	67
2	L-1F & 1-32	21	18	18
3	1-3 & L-33	04	04	06
4	L-2	02	04	03
5	L-6	10	Nil	Nil
6	L-7	Nil	Nil	Nil

1	2	3	4	5
7	L-8	01	Nil	Nil
8	L-9	01	Nil	Nil
9	L-10	51	09	Nil
10	L-12	46	20	Nil
11	L-15/L-15F	03	03	03
12	L-16/L-16F	06	03	05
13	L-17/L-17F	161	62	154
14	L-18/L-18F	09	03	04
15	L-19/L-19F	Nil	01	02
16	L-20/L-20F	Nil	Nil	Nil
17	L-28/L-28F	01	02	01
18	L-29/L-29F	Nil	Nil	Nil
19	Motel L-15 & Motel L-15F	Nil	01	Nil
20	Motel L-16 & L-16F	Nil	01	Nil
	Total N. of vends	389	200	263

87. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 10 वित्तीय वर्ष में पश्चिम दिल्ली जिले, विशेषकर द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद नियम, 2010 के नियम 32 के अनुसार

"एल1–एल31, एल1एफ–एल32, एल3–एल33" एवं एल 17' कैटेगरी में जारी किये गए लाइसेंसों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) विगत 10 वर्षों में पश्चिमी दिल्ली जिले में विशेषकर द्वारका विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद नियम 2010 के नियम 24 के तहत वर्णित शर्तों का प्रयोग का विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा मद्द–निषेध पर पिछले दस वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण क्या है;

(घ) दिल्ली सरकार को विगत दस वित्तीय वर्ष में उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा निर्गत उत्पाद विभाग से लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ स्थानीय निवासियों की आपत्ति/शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई तथा उसके तरीके का विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में लाइसेंसों का निर्गमन विधानसभावार नहीं किया जाता है। पते के आधार पर विभाग में उपलब्ध अभिलेखों अनुसार विगत 10 वित्तीय वर्षों में द्वारका विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद नियम, 2010 के नियम 32 के अनुसार एल–1/एल–31, एल–1एफ/एल–32, एल–3/एल–33 कैटगरी में कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। एल–17 कैटेगरी में चालू लाइसेंसों की संख्या–21 है, जिनकी सूची संलग्न–'क' पर है;

(ख) एल–17 लाइसेंस जारी करते समय, निरीक्षण के उपरान्त दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 24 का प्रयोग आवेदनों में सुनिश्चित किया जाता है;

(ग) मद्य–निषेध पर पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण सूची संलग्न–'ख' पर है;

(घ) अनुलग्नक–'ग' पर संलग्न है; और

(ङ) आबकारी विभाग के प्रवर्तन शाखा को लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ स्थानीय निवासियों की शिकायतें विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें कंट्रोल रूम, पी.जी.एम.एस., शिकायती पत्र आदि शामिल हैं। शिकायत के विवरण, प्रकार, गंभीरता और शीघ्रता के आधार पर प्रवर्तन शाखा के द्वारा निरीक्षण के उपरान्त उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा उन पर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के सेक्शन–17 तथा दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के अंतर्गत नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

सूची 'क'

List of L17/L17F Count in Dwarka Excise year wise

Excise Year	Licence Type	Total
20132014	L17	2
	L17&L17F	12
	Total	14
20142015	L17	2
	L17&L17F	11
	Total	13
20152016	L17	1

Excise Year	Licence Type	Total
	L17&L17F	12
	Total	13
20162017	L17	1
	L17&L17F	13
	L17F	1
	Total	15
20172018	L17	1
	L17&L17F	17
	Total	18
20182019	L17&L17F	21
	Total	21

सूची 'ख'

Directorate of Prohibition: GNCT of Delhi

1, Canning Lane, K.G. Marg: New Delhi-110001

F.No. 7(1)/DOP/Question/Vidhansabha/2017-18/1114 Dt. 21/2/19

To,

The Assistant Commissioner (Excise)
Office of the Commissioner of Excise
L & N Block, Vikas Bhawan, New Delhi.

Sub: Vidhan Sabha Unstarred question no. 87 point no. 3 raised by Shri Adarsh Shastri, Hon'ble.

Sir,

With reference to vide letter no. F. Ex.A/S/2018-19/4718 dt. 20/02/2019, the requisite information is as under:-

Sl. No.	Financial Year	Expenditure incurred on Advertisement & Publicity (Rs.)
1.	2008-09	7258412
2.	2009-10	13487948
3.	2010-11	14366315
4.	2011-12	15999959
5.	2012-13	20271635
6.	2013-14	44188855
7.	2014-15	1042030
8.	2015-16	16000
9.	2016-17	3637531
10.	2017-18	9824001

This issues with the prior approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Joint Director (Proh.)

Budget Estimate and Actual Collection of Revenue

(2008-09 to 2017-18)

Head	Year	Actual Collection (Rs. in Crores)
0039 EXCISE	2008-09	1420.91
0039 EXCISE	2009-10	1643.56
0039 EXCISE	2010-11	2027.09
0039 EXCISE	2011-12	2533.72
0039 EXCISE	2012-13	2869.74
0039 EXCISE	2013-14	3151.63
0039 EXCISE	2014-15	3422.39
0039 EXCISE	2015-16	4238.32
0039 EXCISE	2016-17	4238.50
0039 EXCISE	2017-18	4551.57

88. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली शराब की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2015 से अब तक कितने लोगों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या यह सत्य है कि आबकारी विभाग द्वारा छोटे–छोटे मोहल्लों में अवैध रूप से बिकने वाली शराब के खिलाफ कार्रवाई की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच सालों में विधान सभा वार कितने लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, पूर्ण विवरण दें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है;

(ख) वर्ष 2015 से अब तक शराब तस्करी/बिक्री में लिप्त लोगों पर की गई कार्रवाई निम्नलिखित है–

वर्ष	कुल दर्ज मुकदमे	कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
2015	881	898
2016	873	916
2017	874	860
2018	774	778
2019 (दिनांक 18.02.2019 तक)	116	126

(ग) जी हां, यह सत्य है; और

(घ) विधानसभा वार ब्यौरा संकलित नहीं है। पिछले पांच सालों में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत है :–

वर्ष	कुल दर्ज मुकदमे	कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
2014	682	717
2015	881	898
2016	873	916
2017	874	860
2018	774	778
2019 (दिनांक 18.02.2019 तक)	116	126

89. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़गंज और करोल बाग क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा सभी, पब और रेस्टोरेंटो को दिए गए शराब के लाइसेंसों का श्रेणीवार विवरण क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में पब, बार और रेस्टोरेंटों में आखिरी आर्डर का निर्धारित समय तक इनके खुलने व बंद होने के समय का विवरण क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के पब, बार और रेस्टोरंटों में महिला एवं पुरुषों द्वारा लाइव सिंगिंग एवं म्यूजिक के लिए भी आबकारी विभाग कोई लाइसेंस देता है;

(घ) आबकारी विभाग द्वारा पब, बार और रेस्टोरेंटो को दिए जाने वाले सभी लाइसेंसों का श्रेणीवार पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्र में जनवरी 2018 से जनवरी 2019 तक विभाग द्वारा निरीक्षण किये गए पब, बार और रेस्टोरेंटों का, वहां पर पाई गई खामियों सहित पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विवरण संलग्न सूची 'क' पर उपलब्ध है;

(ख) पब, बार और रेस्टोरेंट में आखिरी आर्डर का कोई समय विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है, यद्यपि इनके प्रतिदिन खुलने का समय सुबह 11:00 बजे और बंद होने का समय रात्रि 01:00 बजे है;

(ग) जी नहीं;

(घ) प्रति 'ख' पर संलग्न है; और

(ङ) आबकारी विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा जनवरी 2018 से जनवरी 2019 तक पहाड़गंज क्षेत्र के 3 रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 1 रेस्टोरेंट, जिसका नाम बारकोड लॉज और रेस्टोरेंट है, उसमें आबकारी नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। करोल बाग क्षेत्र में 1 रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया जिसमें आबकारी नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। विवरण 'ग' पर संलग्न है।

सूची 'क'

3. Details of active L15/L15F, L16/L16F, L17/L17F, L18/L18F, L19/L19F, L20/L20F, L21/L21F, L28/L28F and L29/L29F licenses issued in Paharganj and Karol Bagh Areas

Area	License Type	Total Count of License
Karol Bagh	L17	14
Karol Bagh Total		14

Details of Karol Bagh Restaurants are given below:

License ID	Vend Name	Description	Address	Licence Type	Area
L17/2019/ 05120	M/S Barwala A Unit of Pags Spirits Castle	Restaurant	First Floor -119, Karol Bagh Mall Gurudwara Road Karol Bagh	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2018/ 04995	Street Kitchen Restro Bar	Restaurant	15A/63, WEA, Karol Bagh	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2018/ 04931	Pikkle Rest A Unit of Shine More Hospitality	Restaurant	25 B Pusa Road Ff, Delhi Karol Bagh	L17&L17F	Karol Bagh

License ID	Vend Name	Description	Address	Licence Type	Area
L17/2016/ 03425	Regent Bar & Lounge	Restaurant	4/72, GF, WEA, Krishna Market, Karol Bagh, Delhi-5	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2015/ 03143	Barshala (A Unit of Indospirit Bars Pvt. Ltd.)	Restaurant	938/3 Naiwala Karol Bagh	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2015/ 02860	Delly Belly Restaurant A Unit of Delhi Kighters	Restaurant	Shop No. 2120/58, Bank Street, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2014/ 02419	Boheme Cafe Bar	Restaurant	Ground Floor, 16A/1, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2012/ 000463	Aroma Spice Restaurant	Restaurant	15A/61, WEA Karol Bagh Tank Road	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2009/ 000231	Spicy by Nature Restuarant	Restaurant	15A/55, W.E.A. Saraswati Marg, Karol Bagh New Delhi	L17&L17F	Karol Bagh

L17/2009/ 000217	Kiwi Restro	Restaurant	16/21, WEA, Padam Singh Road, Karol Bagh, New Delhi	L17&17F	Karol Bagh
117/2006/ 000071	Jade Garden Restaurant	Restaurant	5/66 WEA, Padam Singh Road, Koral Bagh, New Delhi	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2002/ 000107	Cross Roads Restt.	Restaurant	17A/1, WEA, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi	L17&L17F	Karol Bagh
L17/2001/ 000051	Dimple Restt.	Restaurant	2105, DBG Road, Karol Bagh, New Delhi-5	L17&L17F	Karol Bagh

Area	License Type	Total
Paharganj	L15	1
	L17	18
	L18	1
Paharganj Total	20	

Details of Paharganj Hotel and Restaurants are given below:

License ID	Vend_Name	Description	Address	Area
L15/2018/ 04810	The White Klove	Hotel	1563, GF, FF, SF, TF, Laxmi Narayan Street, Paharganj	Paharganj
L17/2018/ 05030	M/s Urban Garden Lounge	Restaurant	1563, GF and FF, Main Bazar, Laxmi Narain Street, Pahar Ganj, New Delhi	Paharganj
147/2018/ 05029	M/s Dream Restro Bar	Restaurant	Ground Floor Shop No. 39, Panchkuian Road, Paharganj	Paharganj
L17/2018/ 04959	The Barcode Lounge & Restaurant	Restaurant	6F/FF-21, 22, 24/1, Krishna Market Plot No 5/80A Pahar Ganj New Delhi	Paharganj
L17/2018/ 04935	Leo's Restaurant & Bar Unit of UR Food	Restaurant	1643-45, GF, Main Bazar, Pahar Ganj, Delhi	Paharganj
L17/2017/ 04443	R-1, Restro Bar	Restraurant	400/28,401-402/27 Plot No 4 Block Restaurant No 80a, Krishna Market Paharganj New Delhi	Paharganj
L17/2016/ 03849	Yours Bar	Restaurant	Property No. 4566 & 4568, GF & FF,	Paharganj

L17/2014/ 02536	Cheers Restobar	Restaurant	Plot no.1, Block-80A, UGF, Krishna Market, Paharganj, New Delhi-55	Paharganj
L17/2013/ 000611	Delhi Katadka	Restaurant	3738, D.B. Gupta Road, Paharganj, Delhi	Paharganj
L17/2013/ 02154	Delhi Knighters Restaurant and Caters Pvt. Ltd.	Restaurant	AG -1 RG City Centre, Motia Khan, Pahar Ganj	Paharganj
L17/2013/ 02085	Lefair Way	Restaurant	2206, 1st Floor, Rajguru Road, Chuna Mandi, Paharganj	Paharganj
L17/2013/ 01936	Sam's Restaurant	Restaurant	1548, MF, Main Bazar Paharganj, New Delhi	Paharganj
L17/2012/ 000484	Gold Restobarh	Restaurant	4350, 4th Floor, Main Bazar, Paharganj	Paharganj
L17/2011/ 000440	White Heart Restobar	Restaurant	5136/1, Ground Floor, Mainbazar Pahar Ganj New Delhi	Paharganj
L17/2010/ 000303	Allure Resto Bar Rest	Restaurant	65, D.B. Gupta Road, Pahar Ganj New Delhi	Paharganj

License ID	Vend_Name	Description	Address	Area
L17/2009/ 000210	My Bar (A Unit of Guru Tegh Bahadur Enterprises)	Restaurant	5136, Main Bazar Pahar Ganj New Delhi	Paharganj
L17/2009/ 000170	Green Chilly Restaurant	Restaurant	XV-2351, Rajguru Road, Chuna Mandi, Pahar Ganj New Delhi	Paharganj
L17/2004/ 000003	True Blue Restaurant Paharganj	Restaurant	11, Qutab Road, Pahar Ganj, New Delhi	Paharganj
L17/2002/ 000147	The Gem Restaurant	Restaurant	1050, Main Bazar Pahar Ganj, New Delhi	Paharganj
L18/2001/ 000087	Metro Polis	Restaurant	1634-35 Main Bazar, Paharganj ND-55	Paharganj

सूची 'ख'

क्र.सं.	प्रारूप	लाइसेंसों का विवरण
1.	एल–15	किसी होटल में निवासियों को उनके कमरों में भारतीय शराब प्रदान करना।
2.	एल–15 एफ	प्रारूप एल–15 के लाइसेंस धारक को किसी होटल में निवासियों को उनके कमरों में विदेशी शराब प्रदान करना।
3.	एल–16	किसी होटल से सम्बद्ध किसी बार/रेस्तरां में भारतीय शराब प्रदान करना।
4.	एल–16 एफ	प्रारूप एल–16 में लाइसेंस धारक को किसी होटल से सम्बद्ध बार/रेस्तरां में विदेशी शराब प्रदान करना।
5.	एल–17	स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय शराब प्रदान करना।
6.	एल–17 एफ	प्रारूप एल–17 में लाइसेंस धारक को स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी शराब प्रदान करना।
7.	एल–18	स्वतंत्र रेस्तरां में वाइन, बियर और अल्कोपाप प्रदान करना।

क्र.सं.	प्रारूप	लाइसेंसों का विवरण
8.	एल–18 ए	स्वतंत्र रेस्तरां में भारतीय बियर और अल्कोपाप प्रदान करना।
9.	एल–18 ए एफ	स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी बियर और अल्कोपाप प्रदान करना।
10.	एल–18 एफ	प्रारूप एल–18 में लाइसेंस धारक को स्वतंत्र रेस्तरां में विदेशी शराब प्रदान करना।
11.	एल–19	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्तान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में चौबीसों घंटे भारतीय शराब प्रदान करना/की बिक्री करना।
12.	एल–19 एफ	प्रारूप एल–19 में लाइसेंस धारक को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां में चौबीसों घंटे विदेशी शराब प्रदान करना।
13.	एल–20	किसी लग्जरी ट्रेन में बार/डाइनिंग कार में भारतीय शराब प्रदान करना।
14.	एल–20 एफ	प्रारूप एल–20 में लाइसेंस धारकों को किसी लग्जरी ट्रेन में बार/डाइनिंग कार में विदेशी शराब प्रदान करना।

क्र.सं.	प्रारूप	लाइसेंसों का विवरण
15.	एल–28	किसी क्लब में भारतीय शराब प्रदान करना।
16.	एल–28एफ	प्रारूप एल–28 में लाइसेंस धारकों को किसी क्लब में विदेशी शराब प्रदान करना।
17.	एल–29	किसी ऐसी क्लब/मेस में भारतीय शराब प्रदान करना, जिसकी सदस्यता सशस्त्र सेनाओं के सेवारत या अवकाश प्राप्त सदस्यों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित हो तथा क्लब/मेस वाणिज्यिक आधार पर संचालित न की जा रही हो।
18.	एल–29 एफ	प्रारूप एल–20 में लाइसेंस धारक को किसी ऐसी क्लब/मेस में विदेशी शराब प्रदान करना, जिसकी सदस्यता सशस्त्र सेनाओं के सेवारत या अवकाश प्राप्त सदस्यों सहित सरकारी कर्मचारियों, सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित हो तथा क्लब/मेस वाणिज्यिक आधार पर संचालित न की जा रही हो।

सूची 'ग'

विवरण सूची–प्रश्न संख्या–89

पहाड़गंज और करोल बाग क्षेत्र में जनवरी–2018 से जनवरी–2019 तक आबकारी विभाग द्वारा किये गए निरीक्षण :–

क्र. सं.	रेस्टोरेंट का नाम एवं पता व निरीक्षण की तारीख	विवरण
1	2	3
1.	ली. फेयर वे रेस्टोरेंट 2206, प्रथम तल पहाड़गंज, नई दिल्ली दिनांक : 02.02.2018	आबकारी नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
2.	दी. जेम. रेस्टोरेंट, 1050, मेन बाज़ार, पहाड़गंज, नई दिल्ली दिनांक : 02.02.2018	आबकारी नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।
3.	बार कोड लौंज और रेस्टोरेंट, भू तल एवं प्रथम तल, 21/22, 24/1, पहाड़गंज, नई दिल्ली दिनांक : 30.12.2018	1. रेस्टोरेंट ने हैप्पी आवर्स के आफ़र तथा ब्लैकडॉग और बीरा बीयर पर छूट के विज्ञापन लगा रखे थे। 2. रेस्टोरेंट द्वारा नियमाविरुद्ध पूरी बोतल शराब के लिए के.ओ.टी. जारी किये हुए थे।

1	2	3
4.	किवी रेस्टोरेंट, 16/21, डब्लू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली दिनांक : 27.01.2018	आबकारी नियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।

90. **श्री सुखबीर सिंह दलाल** : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों की शराब की दुकान पर बेची जाने वाली अल्कोहल/वाइन के प्रकार/किस्मों का विवरण क्या है;

(ख) केवल एल–6, एल–7 एवं एल–10 की अलग अलग दुकानों पर बेची जा सकने वाली वाइन/शराब/अल्कोहल की किस्मों का विवरण क्या है;

(ग) एल–6, एल–7 एवं एल–10 की सभी दुकानों पर बेचीं जा सकने वाली सभी वाइन/शराब/अल्कोहल की किस्मों का विवरण क्या है;

(घ) एल–7, एल–6 एवं एल–10 की दुकानों के बीच अंतर क्या है; और

(ङ) क्या उस स्थान पर शराब/वाइन/अल्कोहल की दुकान खोली जा सकती है जो स्थान उक्त या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली के विभिन्न शराब की दुकानों पर बेची जाने वाली अल्कोहल/वाइन के प्रकार/किस्मों का विवरण की सूची–'क' पर संलग्न है;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) उपरोक्तानुसार;

(घ) दुकानों का विवरण निम्न है :

एल–6 : सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय शराब की खुदरा दुकान।

एल–7 : निजी क्षेत्र में भारतीय शराब की खुदरा दुकान।

एल–10 : शॉपिंग मॉल में भारतीय एवं विदेशी शराब की खुदरा दुकान।

(ङ) जी नहीं। किसी भी स्थान पर शराब/वाइन/अल्कोहल की दुकानों का लाइसेंस दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, एवं नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जाता है।

Count of Brand Name

#	Liquor Category	Liquor Subcategory	Total
1	Alcopop	Alcopop	13
		Beer	118
2	Beer	Lager	24
		Strong	32
3	Brandy	Brandy	14
4	Gin	Gin	36
5	Liqueur	Liqueur	62
6	Mixed Alcoholic Beverages	Mixed Alcoholic Beverages	18

#	Liquor Category	Liquor Subcategory	Total
7	Rum	Non Economy	27
		Rum	8
8	Vodka	Vodka	113
9	Whisky	Non Economy	86
		Whisky	244
10	Wine	Wine	1105
	GRAND TOTAL		1900

91. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा के अंतर्गत चल रही शराब की दुकानों की संख्या व इनका पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि जन–शिकायत के आधार पर इन सरकारी शराब की दुकानों को बंद कराया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो पूर्ण नियमों का विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें बद कराने के दूसरे प्रावधानों का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंसों का निर्गमन विधानसभावार नहीं किया जाता है। पते के आधार

पर पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संभावित शराब की दुकानों की संख्या–7 है। सूची–'क' पर संलग्न है;

(ख) दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 25 के तहत सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए सक्षम अधिकारी के द्वारा दुकानों को अस्थायी तौर पर निर्धारित समय के लिए बंद किया जा सकता है। अनुच्छेद–25 की प्रति–'ख' पर संलग्न है। दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 22(2) के अन्तर्गत दुकानों को जनहित में स्थानांतरित किया जा सकता है, प्रति–'ग' पर संलग्न है;

(ग) उपरोक्तानुसार; और

(घ) उपरोक्तानुसार।

प्रश्न संख्या 91

सूची 'क'

List of Vends in Palam Area

1.	DCCWS	01
2.	DSCSC	01
3.	DSIIDC	02
4.	L-10	02
5.	L-12	01
	Total	**07**

सूची 'ख'

दिल्ली आबकारी अधिनियम–2019

या इसके भुगतान के लिये यथा निर्धारित किसी बन्धपत्र के निष्पादन होने तक नहीं उठाई जाएगी।

23. कुछेक व्यक्तियों को शराब बिक्री मना करना

कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसशुदा विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेण्ट पच्चीस वर्ष की आयु से कम दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शराब नहीं बेचेगा या सौंपेगा चाहे उसने स्वयं या दूसरों ने पीनी हो।

24. कुछेक व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

कोई भी लाइसेंसधारी अपने परिसर में इक्कीस वर्ष से कम या छूत रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नियुक्ति किए जाने के लिए अनुमति नहीं देगा।

25. सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिये दुकानें बंद रखना

उपायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लाइसेंसधारी को लिखित में नोटिस देकर जिस दुकान में कोई शराब बेची जाती है, सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिये उतने समय के लिये या जितना समय वह आवश्यक समझते हैं उतने समय के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकते हैं :

शर्त यह है कि लाइसेंस वर्ष मिलाकर कुल पन्द्रह दिन से अधिक दिन बन्द नहीं रहेगी या किसी एक बार में लगातार तीन दिन से अधिक दिन बन्द नहीं रहेगी :

आगे यह शर्त और है कि यदि आबकारी आयुक्त का अभिमत है कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष दुकान या सारी दुकानें किसी वर्ष में पन्द्रह दिन से अधिक अवधि या एक बार में लगातार तीन दिन से अधिक अवधि के लिए बन्द रहेंगी, तो वह अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं।

अध्याय IV

आबकारी राजस्व

26. आबकारी राजस्व के संघटक एवं प्रकृति

निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आबकारी राजस्व लगाकर वसूल किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) शुल्क,

(ख) लाइसेंस शुल्क,

(ग) लेबल पंजीकरण शुल्क,

(घ) आयात तथा निर्यात शुल्क।

सूची 'ग'

दिल्ली आबकारी अधिनियम–2019

(7) कितनी भी यात्रा में लाहन वर्जित है।

21. अवधि जिसके लिए लाइसेंस मंजूर किया जा सकता है

(1) जब तक कि सरकार अन्यथा आदेश न दे, लाइसेंस आम तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है।

(2) विशेष मामलों और विशेष अवसरों पर जिनका निर्धारण उपायुक्त द्वारा किया जा सकता है, शराब की बिक्री की व्यवस्था के लिए अस्थायी लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।

(3) अस्थायी लाइसेंस को छोड़कर सभी लाइसेंस, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाये, प्रदान किए जाने या नवीकरण किए जाने के बाद आने वाली 31 मार्च से प्रवृत्त किए जायेंगे।

22. किसी क्षेत्र में दुकानों की संख्या का निर्धारण

(1) शराब और भांग की दुकानों की संख्या, जिन्हें किसी क्षेत्र में लाइसेंस दिया जा सकता है, का निर्धारण सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर किया जायेगा कि आबादी की उचित आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कितनी संख्या में ये दुकानें अनिवार्य हैं।

(2) उपायुक्त, किसी भी समय, जनहित में, आदेश जारी करके किसी लाइसेंसीकृत शराब या भांग की दुकान को एक बस्ती से दूसरी बस्ती में स्थानांतरित कर सकता है।

23. कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस मंजूर करने पर प्रतिबंध

ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा जिन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता—

धारा—13 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, मादक द्रव्यों की दुकान के लिए लाइसेंस निम्नांकित व्यक्तियों को जारी नहीं किया जायेगा :—

(क) ऐसा व्यक्ति जिसके पास आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या नहीं है या जिसका मूल्यांकन आयकर के लिए नहीं हुआ है;

(ख) ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली वैट अधिनियम, 2004 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है;

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिल्ली में मानक द्रव्य की बिक्री के लिए पहले लाइसेंस रहा हो उसके आबकारी राजस्व जमा कराने में विफल रहने तथा सरकार के परवर्ती आदेश द्वारा उसे शुल्क के भुगतान से छूट न दिए जाने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया हो।

92. **श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में टैगोर गार्डन सेंटर स्कूल के डी–ब्लाक के पास शराब की दुकान है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि नियमानुसार स्कूल के निकट पान, तम्बाकू, सिगरेट एवं शराब आदि की दुकान नहीं होनी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो फिर यह शराब की दुकान किस कानून के तहत खुली हुई है;

(घ) स्थानीय निवासियों के इस शराब की दुकान विरुद्ध शिकायत करने पर भी इस दुकान के बंद ना होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस शराब की दुकान को कब तक बंद करवा दिया जाएगा?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त स्थल पर शराब की दुकान दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार है एवं नियम 51(1)

के अंतर्गत है और जिसकी दूरी स्कूल के द्वार/प्रवेश मार्ग से 100 मीटर से अधिक है;

(ख) दूरी के बाबत शराब की दुकानें नियम 51(1), दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के अंतर्गत खोली जाती है। नियम 51, लाइसेंसीकृत परिसरों से सम्बद्ध शर्तें :

(1) भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटर के दायरे में नहीं होगी :–

(क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान,

(ख) धार्मिक स्थल

(ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल : परन्तु, खंड (ग) में वर्णित शर्त परिसर 'पर' शराब के सेवन संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगी :

परन्तु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत होने के बाद प्रदान किए जायेंगे :

परन्तु अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की खुदरा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा, तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण 1 : उपरोक्त खंड (क) के प्रयोजन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से अभिप्रायः है मिडॅल और हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान।

स्पष्टीकरण 2 : उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक धार्मिक स्थान से निहितार्थ है 400 वर्ग फुट से अधिक आच्छादित क्षेत्र वाला पक्का ढांचा।

स्पष्टीकरण 3 : दूरी के नाम का अर्थ है लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर के वास्तविक मुख्य द्वार/प्रवेश मार्ग के मध्य बिन्दु तक की पारणीय दूरी;

(ग) उपरोक्तानुसार;

(घ) आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 तथा नियम एवं शर्तों के अनुरूप है; और

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

93. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में शराब और वाइन की सभी दुकानों की संख्या बताते हुए, दुकानों का नाम, पते सहित विवरण क्या है;

(ख) क्या इन सभी दुकानों को लाइसेंस दिया गया है;

(ग) क्या इन सभी दुकानें नियमों के तहत चल रही है;

(घ) आर.के. पुरम सेक्टर–6, बसंत पैलेस मार्किट में स्कूल की दीवार से लगते हुए चल रहे शराब के ठेके को मंजूरी के नियमों का विवरण क्या है; और

(ङ) आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियों के अंदर चल रही शराब की दुकानों से स्थानीय निवासियों को आपत्ति होने पर ऐसी दुकानों को बंद किये जाने के प्रावधानों का विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंसों का निर्गमन विधानसभावार नहीं किया जाता है। पते के आधार पर आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में 16 शराब की दुकानें हैं, संभावित सूची–'क' पर संलग्न हैं;

(ख) जी हां;

(ग) जी हां;

(घ) उपरोक्त स्थल पर शराब की दुकान दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार है तथा नियम 51(1) के अंतर्गत चालू है; और

(ङ) दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 25 के तहत सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए सक्षम अधिकारी के द्वारा दुकानों को अस्थायी तौर पर निर्धारित समय के लिए बंद किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 की प्रति–'ख' पर संलग्न है। दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 22(2) के अन्तर्गत दुकानों को जनहित में स्थानान्तरित किया जा सकता है, **प्रति–'ग' पर** संलग्न है।

प्रश्न संख्या 93

सूची 'क'

List of Vends in R.K. Puram

1.	DCCWS	01
2.	DSCSC	02
3.	DSIIDC	02
4.	DTTDC	05
5.	L-7	02
6.	L-12	04
	Total	**16**

सूची 'ख'

या इसके भुगतान के लिये यथा निर्धारित किसी बन्धपत्र के निष्पादन होने तक नहीं उठाई जाएगी।

23. कुछेक व्यक्तियों को शराब बिक्री मना करना

कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसशुदा विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेण्ट पच्चीस वर्ष की आयु से कम दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शराब नहीं बेचेगा या सौंपेगा चाहे उसने स्वयं या दूसरों ने पीनी हो।

24. कुछेक व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

कोई भी लाइसेंसधारी अपने परिसर में इक्कीस वर्ष से कम या छूत रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नियुक्ति किए जाने के लिए अनुमति नहीं देगा।

25. सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिये दुकानें बंद रखना

उपायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लाइसेंसधारी को लिखित में नोटिस देकर जिस दुकान में कोई शराब बेची जाती है, सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिये उतने समय के लिये या जितना समय वह आवश्यक समझते हैं उतने समय के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकते हैं :

शर्त यह है कि लाइसेंस वर्ष मिलाकर कुल पन्द्रह दिन से अधिक दिन बन्द नहीं रहेगी या किसी एक बार में लगातार तीन दिन से अधिक दिन बन्द नहीं रहेगी :

आगे यह शर्त और है कि यदि आबकारी आयुक्त का अभिमत है कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष दुकान या सारी दुकानें किसी वर्ष में पन्द्रह दिन से अधिक अवधि या एक बार में लगातार तीन दिन से अधिक अवधि के लिए बन्द रहेंगी, तो वह अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं।

अध्याय IV

आबकारी राजस्व

26. आबकारी राजस्व के संघटक एवं प्रकृति

निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आबकारी राजस्व लगाकर वसूल किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) शुल्क,

(ख) लाइसेंस शुल्क,

(ग) लेबल पंजीकरण शुल्क,

(घ) आयात तथा निर्यात शुल्क।

सूची 'ग'

(7) कितनी भी यात्रा में लाहन वर्जित है।

21. अवधि जिसके लिए लाइसेंस मंजूर किया जा सकता है

(1) जब तक कि सरकार अन्यथा आदेश न दे, लाइसेंस आम तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है।

(2) विशेष मामलों और विशेष अवसरों पर जिनका निर्धारण उपायुक्त द्वारा किया जा सकता है, शराब की बिक्री की व्यवस्था के लिए अस्थायी लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।

(3) अस्थायी लाइसेंस को छोड़कर सभी लाइसेंस, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाये, प्रदान किए जाने या नवीकरण किए जाने के बाद आने वाली 31 मार्च से प्रवृत्त किए जायेंगे।

22. किसी क्षेत्र में दुकानों की संख्या का निर्धारण

(1) शराब और भांग की दुकानों की संख्या, जिन्हें किसी क्षेत्र में लाइसेंस दिया जा सकता है, का निर्धारण सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर किया जायेगा कि आबादी की उचित आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कितनी संख्या में ये दुकानें अनिवार्य हैं।

(2) उपायुक्त, किसी भी समय, जनहित में, आदेश जारी करके किसी लाइसेंसीकृत शराब या भांग की दुकान को एक बस्ती से दूसरी बस्ती में स्थानांतरित कर सकता है।

23. कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस मंजूर करने पर प्रतिबंध

ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा जिन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता–

धारा–13 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, मादक द्रव्यों की दुकान के लिए लाइसेंस निम्नांकित व्यक्तियों को जारी नहीं किया जायेगा :–

(क) ऐसा व्यक्ति जिसके पास आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या नहीं है या जिसका मूल्यांकन आयकर के लिए नहीं हुआ है;

(ख) ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली वैट अधिनियम, 2004 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है;

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिल्ली में मानक द्रव्य की बिक्री के लिए पहले लाइसेंस रहा हो उसके आबकारी राजस्व जमा कराने में विफल रहने तथा सरकार के परवर्ती आदेश द्वारा उसे शुल्क के भुगतान से छूट न दिए जाने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया हो।

94. श्री सोमनाथ भारती : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे शराब विक्रय केन्द्रों, रेस्तरां, होटलों, बार्स को जारी किए गए विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के धारकों का नाम, पता, मोबाइल संख्या, लाइसेंस जारी करने की तिथि सहित पूरा विवरण क्या है;

(ख) यदि इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो इन शिकायतों का विवरण;

(ग) ऐसे विक्रय केन्द्रों के निकट विद्यालय, अस्पताल सभी धार्मिक स्थल है तो ऐसे शराब विक्रय केन्द्रों से इनकी दूरी कितनी है;

(घ) क्या यह सत्य है कि सफदरजंग इन्क्लेव में कमल सिनेमा कॉम्लेक्स में शराब की दुकानें हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो उसकी मार्किट में एक से अधिक शराब विक्रय केंद्र खोलने की अनुमति देने का औचित्य क्या है

(च) यदि इनको बंद करने संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है तो इसको पूरा विवरण; और

(छ) इन शिकायतों पर अभी तक की गई कार्रवाई का भी पूरा ब्यौरा क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेसों का निर्गमन विधानसभावार नहीं किया जाता है। पते के आधार पर 21 शराब की दुकानें हैं, जिनकी सूची – 'क' पर संलग्न है। होटल,

क्लब, रेस्टोरेंट में जारी किये गए लाइसेंसों की संख्या–63 है, जिसकी सूची – 'ख' पर संलग्न है;

(ख) सूची – 'ग' पर संलग्न है;

(ग) दूरी के बावत शराब की दुकानें नियम 51 (1), दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अंतर्गत खोली जाती है।

नियम 51, लाइससेंसीकृत परिसरों से संबद्ध शर्तें

(1) भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटर के दायरे में नहीं होगीः

(क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान,

(ख) धार्मिक स्थल

(ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल : परंतु, खंड (ग) में वर्णित शर्त परिसर 'पर' शराब के सेवन संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगी :

परंतु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत होने के बाद प्रदान किए जायेंगे :

परंतु, अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की खुदा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा, तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण 1 : उपरोक्त खंड (क) के प्रयोजन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से अभिप्रायः है मिडॅल और हायर सेकेंडी स्कूल, कॉलेज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान।

स्पष्टीकरण 2 : उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक धार्मिक स्थान से निहितार्थ है 400 वर्ग फुट से अधिक आच्छादित क्षेत्र वाला पक्का ढांचा।

स्पष्टीकरण 3 : दूरी के नाम का अर्थ है लाइसेंस के लिए प्रभावित परिसर के वास्तविक मुख्य द्वार/प्रवेश मार्ग के माध्य बिंदु तक की पारणीय दूरी।

(घ) जी हाँ;

(ङ) उपरोक्त स्थल पर शराब विक्रय केन्द्रों का लाइसेंस दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009, दिल्ली आबकारी नियम 2010 तथा नियम एवं शर्तों के अनुरूप है;

(च) सूची – 'घ' पर संलग्न है; और

(छ) उपरोक्तानुसार।

सूची 'क'

Details of liquor vend functioning at Malviya Nagar Constituency:-

Sl. No.	Vend Name & Address	Category of Licence
1	2	3
1.	Harish Ch/auhan, Sh. No. G-4, Triveni Commercial Complex, Sheikh Sarai, Ph-I, New Delhi.	L-7

1	2	3
2.	Jain Departmental Store, G-F-C-3, SDA Mt. Opp. IIT, Gate, New Delhi.	L-7
3.	Singla Liquors Pvt. Ltd., Sh. No.-11, CSC, Panchsheel Park, RBI Colony, New Delhi-16	L-7
4.	Safdarjung Enclave-II, DDA Market, Safdarjung Enclave, New Delhi.	L-6
5.	Masjid Moth, Shop No.-4, CSC DDA Market, Ph-ll, Masjid Moth, New Delhi.	L-6
6.	Malviya Nagar, Shop No.-19, Old Malviya Nagar, New Delhi-7	L-6
7.	Panchsheel Park, Shop No.-3, LSC, Panchsheel Park, New Delhi.	L-6
8.	Hauz Khas, E-52, Hauz Khas, Main Market, New Delhi.	L-6
9.	Sarvpriya Vihar, Shop No.-2, Sarvpriya Vihar, Market, Delhi.	L-6
10.	Hauz Khas, G-2/5, Hauz Khas, Market, Delhi	L-6
11.	Malviya Nagar, Shop No. 489/55/4, Maharishi Dayanand Marg, Corner Market, Malviya Nagar, New Delhi.	L-6
12.	Malviya Nagar, Shop No. C-2, Malviya Nagar, New Delhi-17.	L-6

1	2	3
13.	Safdarjung Enclave, A-B/E 21, Safdarjang Enclave, Mkt., (Near Kamal Cinema), New Delhi.	L-6
14.	Evergood Pacaging Pvt. Ltd., Shop No.-1, B-6, Commercial Complex, Safdarjung Enclave, New Delhi.	L-12
15.	Virender Dutt & Company, Property No.-43, Community Center, Zamrudupur, Kailash Colony Extn. Delhi.	L-12
16.	Vimal Monga, Shop No. F-19 & 20, Select City Walk, Distt. Centre, Saket, New Delhi.	L-10
17.	Jyotsna Garments Pvt. Ltd., Shop No.-12-A, Ground Floor, Plot No.D-2, Southern Park, Distt. Centre, Saket, New Delhi.	L-10
18.	CALX Paper Pvt. Ltd., Shop No.-131, DLF, South Court, Saket, Delhi.	L-10
19.	Lakshit, Shop No.-33, GF, Rectangle-1, Distt. Centre, ABW Mall, Saket, New Delhi.	L-10
20.	Mukul Vinod Mehra, Shop No. DSC-123 & 124, DLF South Court Mall, Distt. Centre, Saket, New Delhi.	L-10
21.	Malviya Nagar, Safdarjung Development Area, New Delhi.	L-9

सूची 'ख'

Details of active L15/L15F, L16/L16F, L17/L17F, L18/L18F, L19/L19F, L20/L20F, L21/L21F, L28/L28F and L29/L29F of Assembly Constituency (AC) Area 56- Malviya Nagar

Assembly Constituency	Iicencetype	Total Count of License
Malviya Nagar	L15&L15F	1
	L17&L17F	57
	L18&L18F	3
	L288&L28F	2
Malviya Nagar Total		63

Details are given below:

Licensei	Vend Name	Address	Licence Type	Assembly Constituency
1	2	3	4	5
L15/2017/ 04481	J R D Luxury Solutions C/oJ R D Buildcon Pvt Ltd.	B-7/113A, Safdarjung Enclave	L15&L15F	Malviay Nagar

1	2	3	4	5
L17/2019/ 05140	Cafe North East L&L Hospitality & Aviation Pvt Ltd	105, First Floor, Hauzkhas, Aurobidno Place Market Delhi-110016	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2019/ 05070	VTAT Hospitality Private Limited	Unit No. 214-215, Second Floor, DDA Commercial Complex, Aurobindo Place, Hauz Khas, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2018/ 04863	North East Flavours U/O Kyong Etsoyi India Pvt. Ltd.	S-5, Ground Floor, Green Park Ext.	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2018/ 04853	On The Rocks	First Floor, 40A, 1st Floor, Malviya Nagar	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2018/ 04817	PGS Times Square	S 35A, 2nd and 3rd Floor Green Park Main Market	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2018/ 04619	Rang Mahal Restaurant & Bar	489/55, 2nd Floor, Corner Market, Malviya Nagar	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2018/ 04574	Chateau A Unit of Nirolas Enterprise	Ground Floor, 84, Adchini New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar

L17/2018	M/s Bar O Bar A Unit of R2 H2 Restro Bar	Ground Floor 489/55/2 Ground Floor Maharishi Dayand, Malviya Nagar	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2017/ 04528	Recycle A Unit of Vintero Hospitality P Ltd	50 & 50 A , 3rd And 4th Floors, Hauz Khas Village New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2017/ 044424	Baris-Aunit og G-line Development Ltd.	Property No, 3/FF, Local Shopping Centre, EFGH Block, Masjid Moth, Gk-2, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/20177/ 01391	Hyperlocal A Unit of Light Box Restaurants Pvt Ltd	C-5, First Floor, Second Floor & Third Floor, Safdarjung Development Area, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2017/ 04383	Musical Restaurant Pvt Ltd	201,2nd Floor,Attached Open Area ,Dda Commercialcomplex, Aurbindo Place, Hauzkhas, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2017/ 04373	Rehab - A Unit of Tatva Hospitality	30, Second Floor, Rear Portion, Hauz Khas Village	L17&L17F	Malviya Nagar

1	2	3	4	5
L17/2016/ 03793	Bario Hauz	Second and Thrid Floor of 50-Ehauz Khas Village	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2016/ 03570	Mafioso	28 Seconf Floorhauz Khas Village	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2015/ 03308	The Groghead-A Unit of Sav Entertainment Company	A 5, SF, Green Park, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2015/ 03153	The Piano Man Unit of Innovative Cafes Llp	Plot N0.22, GF, MF, FF, SF, B6 & B7 Safdarjung Development Area, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
117/2015/ 03021	The Beer Cafe-A Unit of BTB Marketing Pvt Ltd	Prop No.8A, 1st Floor Hauz Khas Village New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2015/ 02933	Vapour Bar Exchange Unit of Ringlets Tradex Pvtltd	First, Second & Third Floor, 11 Hauz Khas Village, Main Market Road, New Delhi - 110016.	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2015/ 02923	The Yard- A Unit of Hungry Belly Foods	A2/A, SF, Green Park, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar

L17/2014/ 02769	ZAI	03, G.F., LSC, EFGH Block, Masjid Moth, G.K.II N.A.	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2014/ 02706	Klub Koots - A Unit of Rosebay Cafe Pvt Ltd.	Shop No. 30 3rd Floorfront Facing Hauz Khas Village	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2014/ 02699	Coast Cafe A Unit Of ' Ogaan Indian Pvt Ltd	H 2 Second Floor And Third Floor Hauz Khas Villagenew Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2014/ 02675	The Same Place	FF, SF & Third Floor, Hauz Khas Village, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2014/ 02672	Baarsoom	Third Floor, 26 Hauz Khas Village, Main Market Road, New Delhi - 110016.	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2014/ 02528	Social and Tinur A Unit of Ephiphany Hosp Pvt Ltd.	First & Second Floor of 9-A&12 Hauz Khas Village	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2014/ 02518	Hijack Restaurant (A Unit of 3 Monkeys Restt. LLP)	B-6/6, Second and Third Floor Local Shopping Centre, Safdarjung Enclave	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2014/ 02516	Summer House Cafe	First Floor, DDA Shopping Complex, Aurovindo Place Hauz Khas, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar

1	2	3	4	5
L17/2013/ 000600	Imperfecto Restaurant	Fourth Floor 1A/1, Hauz Khas Second Floor Third Floor & Village New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2013	Cire Restaurant	Resturant 30, 1st Floor Hauz Khas Village	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2013/ 000582	Bull Dog (Unit of S & A Hosp.)	Second Floor & Third Floort-6B Hauz Khas Village Main Mkt Rd New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2013/ 02300	Roost Bistro A unit of Plot Fish Food Pvt Ltd.	Shop.No 8 & 9 GF Buld No 30 Hauz Khas New Delhi shop No 8 & 9 GF Buld No 30 Hauz Khas New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2013/ 01432	Masha	First Floor, 9a Hauz Khas Village Main Market Road, New Delhi 30/Hauz Khas Village New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2013/ 00603	Fore Your Restaurant	30, Hauz Khas Village, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar

L17/2012/ 000576	Moon Shine A unit of Silverspoon Restt & Hotel	30B, Second Floor, Front Portion Hauz KhasVillage New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2012/ 000570	Verve The Lounge Bar 28	Third Floor, Khasra No.756/ 620/330 Restaurany Village Hauz Khas New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2012/ 000557	Kaffeine Restaurant	50A 1st Floor Hauz Khas Village New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2012/ 000556	Maquina Restt	30A, Ground Floor Hauz Khas Village New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2012/ 000555	Raas Restaurant	First Fl00r & Second Floor 9A, Hauz Khas Village New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2012/ 000543	Tarami Restaurant	30 A, 1st Floor Hauz-Khas Village NewDelhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2012/ 000539	Garrage Inc	30 Second Floor Hauz Khas Villnew Restaurant Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2011/ 000436	Rabit Hole A Unit of Royalty Hotels Pvt Ltd.	30A Hhauz Khas Village New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar

1	2	3	4	5
L17/2011/ 000430	Nagalands Kitchen	S-2 Green Park Uphar Cinema Complex New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2011/ 000374	Red Chilli Restt	S-15, Ground Floor, Green Red Chilli Restt. Park Extention New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2010/ 000305	RDX Restaurant	Shop No 4 Block A & B Community Centre Safdarjung Enclave	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2010/ 000287	Days of Raj Restaurant	81/3, 1st Floor, Adhichini, Aurbindo Marg, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2010/ 000270	Adaab Restaurant -	81/3 Ground Floor Adchin, Sir Arbindo Marg, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2009/ 000191	Chi Restaurant	C-1, Community Centre Safdarjung Development Area New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2006/ 000079	Main Land China Restt.	4 LSC Masjid Moth Greter Kailash-II New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar

L17/2005/ 000027	Masala Junction	C-2, Ground Floors DDA Commercial Restaurant Centre Opp. III Gate, Outer Ring Road	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2003/ 000205	Publiqa Unit of KSK Hospitality	50/8 Yusuf Sarai Market New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2003/ 000190	Waves Restaurant	A-4 Sarvodaya Enclave Aurbindo Marg Waves Restaurant, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2002/ 000119	Park Balluchi Restt.	Inside Deer Parkhauz Khas Village	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2001/ 000083	Clay Oven (Green Park)	D-1 Ashirvad Complex Green Park New Delhi -16	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2001/ 000078	Golden Dragon (RBI Colony)	RBI Colony Outer Ring Roadopp Panchil Park Hauz Khas	L17&L17F	Malviya Nagar
L17/2001/ 000076	Drums of Heaven	S-14 Green Park Ext. N.Delhi-16	L17&L17F	Malviya Nagar

1	2	3	4	5
L17/2001/ 000069	Suribachi Restt.	T-540/4 Malviya Nagar New Delhi-17	L17&L17F	Malviya Nagar
L18/2001/ 05156	The Brew Room A unit of Excelsoir Food & Co.	First Floor, Second Floor, C-16, SDA Market, Hauz Khas, New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
L18/2014/ 02657	What A Comic Show	C-21, Second Floor SDA Market, Opp. IIT Gate	L17&L17F	Malviya Nagar
....	....	D-1b, Green Park New Delhi	L17&L17F	Malviya Nagar
....	....	Gulmohar Park New Delhi -29	L17&L17F	Malviya Nagar
		Lower Ground Floortemple complex Road No. 2 Sarvapriya Vihar N.Delhi-16	L17&L17F	Malviya Nagar

सूची 'ग'

Details of complaints received in Enforcement Branch, Excise Department in r/o Retails liquor vends /Restaurant in Malviya Nagar Assembly Constituency

Sl. No.	Name of Source of complaint	Date of inspection	Name and Address License premises	Action taken
1	2	3	4	5
1	PGMS complaint ID No. 2018052704 regarding overcharging	25.05.2018	M/s DCCWS, Malviya Nagar, New Delhi	During the inspection, no excise violation was noticed.
2	Routine inspection as per direction ofAC (Enf.)	28.07.2018	M/s Bar O Bar Restaurant, Malviya Nagar, Delhi	During the inspection the following violations were observed : 1. One full bottle of whisky was found served on table to the customer. 2. Brand promotion of Simba and Kingfisher was found noticed. Accordingly necessary

1	2	3	4	5
				action was taken against the restaurant as per rules. Inspection was conducted and no excise violation was observed at the time of visit.
3	DARPG Grivance of Sh. Deepak Kumar regarding overcharging	24.09.2018	M/s Ashi Exports Pvt. Ltd. (L-12), PVR Saket, Malviya Nagar Extn.	Inspection was conducted and no excise violation was observed at the time of visit.
4	Complaint made by Sh. Som Nath Bharti, MLAMalviya Nagar and RWA regarding public nuisance around liquor vends in B-6 Market, Safdarjung Enclave	25.08.2018	Area of B-6 Market, Safdarjung Enclave	Inspection was conducted on 20.08.2018 and 25.08.2018 but no public nuisance due to the existence of two liquor shops in B-6 Market was observed.
5	Complaint received from Sh. Avinash Wadhwa regarding Excise violations	14.12.2018	M/s Bar O Bar Restaurant, Malviya Nagar, New Delhi	Inspection was conducted and no excise violation was observed at the time of visit.
6	Complaint received	14.12.2018	M/s Rang Mahal	Inspection was conducted

	from Sh. Avinash Wadhwa regarding Excise violations		Restaurant, Malviya Nagar, New Delhi	and no excise violation was observed at the time of visit.
7	Complainant alleged that the distance between Bar O Bar restaurant and the Arya Public School/Arya Samaj temple is less than 100 meters.	14.12.2018	M/s Bar O Bar restaurant M/s Rang Mahal Restaurant M/s Ice Cafe M/s DTTDC Liquor ; shop Malviya Nagar, Delhi	Verified the allegations made by the complainant; against the wine shop situated at corner market, Malviya Nagar, Delhi and distance was measured between the main gate of thetemple/school and the restaurant namely Bar O Bar.
8	Request received to re-measure the distance as the Complainant alleged that the distance between Bar O Bar restaurant and the Arya Public School/Arya Samaj temple is less than 100 meters.	19.12.2018	M/s Bar O Bar : Restaurant, Malviya Nagar, New Delhi	Re-measured the distance between the building of Arya Public School and Arya Samaj Mandir with M/s Bar O Bar restaurant in the presence of Sh. Som Nath Bharti, Hon'ble MLA along with the complainant
9	Routine inspection as per direction of AC (Enf.)	02.02.2019	M/s Rang Mahal Restaurant & Bar, 489/55, 2nd Floor,	During inspection, following violations were observed. 1. Board regarding statutory

1	2	3	4	5
			Corner Market, Malviya Nagar, Delhi	warning was not found displayed at the time of visit. 2. Three expired beers were found in the restaurant.Action is being taken as per rules.

सूची 'घ'

Details of the Complaint regarding vends in Kamal Cinema Complex, Malviya Nagar Assembly Constituency

1	Deep Kaushik Gen. Secretary, RWA	L-6 Wine & Beer Shop, B-6 Market, Safdargang Enclave, New Delhi	Complaint was received regarding feeling scared of the safety of residents and visitors	Inspection was carried out by this department and found no nuisance in the vicinity of liquor vend was noticed by the inspection team.
2	R.G. Sharma, General Secretary SEWA(Safdargung Enclave Welfare Association)	L-6 vend M/s DTTDC, Fafdarjung Enclave behind Kamal Cinema, New Delhi	Complaints received regarding dozen eateries and workers living out in parks and nooks and corners leading to violation of parks with liquors	Inspection was carried out by the department on 17.08.2017 and revealed that no violation under Delhi Excise Act-2009 and rules thereunder was found

95. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आबकारी विभाग की नीति के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों एवं धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि सर्वोदय कन्या विद्यालय मलका गंज से कुछ दूरी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप शराब की दुकानें चल रही हैं;

(ग) इन दुकानों की अनुमति कब और किस आधार पर दी गई है; और

(घ) शराब की दुकान का लाइसेंस देने हेतु प्राथमिक विद्यालय को सरकार के स्कूल न मानने के क्या कारण हैं;

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दूरी के बावत शराब की दुकानें नियम 51 (1), दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अंतर्गत खोली जाती है।

नियम 51, लाइससेंसीकृत परिसरों से संबद्ध शर्तें

(1) भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटर के दायरे में नहीं होगी :

(क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान,

(ख) धार्मिक स्थल

(ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल : परंतु, खंड

(ग) में वर्णित शर्त परिसर 'पर' शराब के सेवन संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगी :

परंतु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत होने के बाद प्रदान किए जायेगे :

परंतु, अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भारतीय शराब, विदेशी शराब या देसी शराब की खुदा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा, तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण 1 : उपरोक्त खंड (क) के प्रयोजन के लिए प्रमुख शैक्षिक संस्थानों से अभिप्रायः है मिडॅल और हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान।

स्पष्टीकरण 2 : उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक धार्मिक स्थान से निहितार्थ है 400 वर्ग फुट से अधिक आच्छादित क्षेत्र वाला पक्का ढांचा।

स्पष्टीकरण 3 : दूरी के नाम का अर्थ है लाइसेंस के लिए प्रभावित परिसर के वास्तविक मुख्य द्वार/प्रवेश मार्ग के माध्य बिंदु तक की पारणीय दूरी।

(ख) जी हाँ। दुकान नंबर–16 मलकागंज में स्थित शराब की दुकान दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम, 2010, तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार चालू है;

(ग) उस दुकान का स्थानांतरण उपरोक्त स्थल पर दिल्ली शराब लाइसेंस नियम, 1976 के अंतर्गत 2005 में किया गया; और

(घ) दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, दिल्ली आबकारी नियम 2010, में वर्णित नहीं है।

96. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जारी योजनाओं को जनता तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है;

(ख) क्या उनके लिए सरकार किसी प्रकार के सुविधा कैंप भी लगाए जाते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की विभिन्न योजनाओं को पिछले पांच वर्षों में किस माध्यम से उन तक पहुंचाया गया है; और

(ङ) जनता के लिए किसी योजना के प्रचार के कितने समय के अंतराल पर पुनः प्रचार किया जाता है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी को संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, बाह्य प्रचार माध्यम, प्रेस विज्ञप्ति, संवाददाता सम्मेलन, दिल्ली मासिक पत्रिका आदि के माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचाता है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक पोर्टल

www.edistrict.delhi.govt.nic.in के माध्यम से दिल्ली के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं तथा इसका प्रचार विभागीय वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और दिल्ली सरकार घर से घर (डोर टू डोर स्टेप डिलिवरी–1076) के माध्यम से भी किया जाता है। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्राों के लिए संकलित जय भीम प्रतिभा विकास योजना का प्रचार विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाता है। उपरोक्त योजनाओं का प्रचार दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर होर्लिंग लगाकर भी किया जाता है;

(ख) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभाग द्वारा वर्तमान में कोई सुविधा कैम्प नहीं लगाए गए हैं। हालांकि समय–समय पर विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कैम्पों में उनके अनुरोध पर इस विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार किया जाता है।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय की ओर से किसी प्रकार के सुविधा कैंप नहीं लगाए जाते हैं;

(ग) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं होता;

(घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विभाग की विभिन्न योजनाओं को पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित माध्यमों से उन तक पहुंचाया गया है।

1. समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा।

2. विभागीय वेबसाईट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

3. डोर टू डोर स्टेप डिलिवरी–1076

विभिन्न विभागों और संस्थानों द्वारा इस वर्ग के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी पैम्पलेट तथा बैनर द्वारा भी प्रचार किया जाता है।

(ङ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनता के लिए किसी योजना हेतु सामान्यत 1 वर्ष के समय के अंतराल पर पुनः प्रचार किया जाता है।

संबंधित विभाग के अनुरोध पर सूचना एवं प्रचार निदेशालय समय–समय पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करता है।

97. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की विज्ञापन नीति क्या है;

(ख) दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018–19 में प्रचार व विज्ञापन इत्यादि के लिये कितना बजट रखा;

(ग) उपरोक्त में से अब तक कितना बजट व्यय किया जा चुका है;

(घ) क्या सरकार केवल टैंडर और डिस्पले विज्ञापन ही देती है या कुछ लेख, सम्पादकीय तथा समाचार भी स्पांसर करती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसकी व्यय समेत विस्तृत जानकारी दें?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) सूचना एवं प्रचार निदेशालय की विज्ञापन नीति की प्रति अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है;

(ख) सूचना एवं प्रचार निदेशालय का वर्ष 2018–19 में प्रचार व विज्ञापन के लिये संशोधित 200 करोड़ रुपए का बजट है;

(ग) 2018–2019 के वित्तीय वर्ष 21 फरवरी, 2019 तक विज्ञापन पर कुल 29.45 करोड़ रुपए की बजट राशि व्यय की जा चुकी है;

(घ) दिल्ली सरकार द्वारा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन डी.ए.वी.पी. में दिल्ली के लिए सूचीबद्ध प्रकाशनों के आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात टेंडर और डिस्पले विज्ञापन के अतिरिक्त लेख, संपादकीय तथा समाचार भी स्पांसर किर जाते हैं; और

(ङ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

No. F.2/106/77-PRO/Delhi Administration, Delhi

Dated: the 13/09/1978

Notification

The Lt. Governor, Delhi, is pleased to make the following rules for regulating the conditions for the release of advertisement to newspapers etc, and fixation of rates in respect thereof namely:-

Rules

1. These rules may be called Delhi Administration Advertisement Rules (Amendment) 1978.

2. (a) In these Rules, an 'approved paper' means a paper approved by the Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information & Broadcasting for release of advertisement by Delhi Administration.

(b) 'Director' means the Director of Information & Publicity, Delhi Administration, Delhi, so far as advertisements from the Directorate of Information & Publicity and other offices of the Administration are concerned and the Director of Family Welfare relating to the advertisements from his office.

(c) Administration' means Delhi Administration.

(d) 'Advertisement' means any advertisement whether classified or displayed released by Delhi Administration.

(e) 'Paper' means any printed periodical work containing public news registered under the Press and Registration of the Books Act, 1367 (Central Act 25 of 1867).

3. The Director will release display advertisements as per the guidelines approved by the Executive Council from time to time to the newspapers, Journals and magazines on the rates as approved by Delhi Administration taking into consideration the rates fixed by the Directorate of Advertising and Visual Publicity on the basis of circulation of the paper, the strata of the society it caters, the importance of the space to be utilized and other factors.

4. The Director will release the advertisements involving expenditure not exceeding Rs. 500 in each case.

5. (i) All Departments of Govt, other than the Courts of Law shall, unless immediate publication by them is necessary to avert any direct resultant loss to the Government will send their advertisements for publication in the approved

papers to the Director sufficiently in advance to the date by which day they are intended to be published stating generally the field of operation of the approved papers in which they are to be published (a Department which resultant loss, may give a certificate to the effect and intimate it to the Director).

(ii) All Advertisements received by the Director, shall normally be released to the approved papers in the form in which they have been received, but the Director shall, whenever necessary, with a view to economise space, waive the right to make essential amendments in the layout and composition thereof.

6. The Director may also release advertisements to the souveniour or yearbook published in Delhi up to a maximum of Rs. 500 in each case, but such releases shall not be made to oblige any party or simply to finance any organization. The total expenditure on this account ,would not exceed 10% of the budget provision allocated specifically for the release of the advertisements. Prior approval of Chief Executive Councillor will be obtained for releasing advertisements to those publications.

7. The Director shall determine the rate of advertisements to be given in Souveniours, Yearbooks etc., keeping in view all relevant factors including the size of the advertisement, its publicity, potential, circulation, the strategical importance of the page on which the advertisements is to be published etc.

8. In selecting newspapers, magazines and periodicals for Government advertisements and campaigns, due regard shall be paid to:-

   (a) effective circulation (normally papers having a paid circulation below 1000 are not used)

   (b) regularity in publication (normally a period of six months un-interrupted publication)

   (c) class of readership,

   (d) adherence to accepted standards of journalistic ethics, and

   (e) other factors such as pulling power, production standards, the language and areas intended to be covered within the available funds.

9. Where it is considered necessary or expedient in public interest to do so, the Director may, not-withstanding anything contained in these rules, release advertisement to any newspaper/ magazines, if such advertisement is considered necessary, with the prior approval of Chief Executive Councillor.

10. Payment of bills of advertisements pertaining to the Directorate of Information & Publicity will be made by the Director, payment of bills pertaining to other advertisements shall be made by the concerned department that sends the advertisements, to the Director for release.

11. No payment shall be made of any bill, if the advertisement to which it relates has been:-

    (a) published after the expiry of the date by which it was required to be published

    (b) published incorrectly, and

    (c) without obtaining written order of the Competent Authority.

12. The Director shall see that an approved paper does not contravene the above rules and for this purpose, he may:

    (a) Verify the circulation, regularity etc. of the approved papers with the statistics maintained by the Registrar of Newspaper of India.

    (b) Consult the Central Press Council or the Accreditation Committee of Delhi Admn., if he entertains doubts that the approved paper is not following the required ethical standard or publishing distorted news with a view to malign Delhi Admn.

13. If any approved paper does not remain true to or contravenes any of the conditions specified above, the Director may remove forever or for a specific period the name of the paper and no Govt, advertisement shall thereafter, or during such period as ordered, be released to such papers.

14. Rules circulated vide this Administration's letter No.F.2 (39)/74-PRO, dated 20.9.75 are hereby cancelled.

By Order,
Sd/
(CD. Sharma) Dy. Secretary (PR)
Delhi Admn.; Delhi.

No. F.2(106)/77 - PRO/ Dated: the 13.9.78

Copy forwarded for information to the:-

1. Secy, to the Govt. of India, Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
2. All Heads of Deptts. Delhi Admn., Delhi.
3. All Local Offices under the Delhi Admn.
4. All Departments of the Delhi Admn., Sectt.
5. Secy, to the C.E.C./Executive Councillors(Medical, Labour, Revenue).
6. Director of Information & Publicity, Delhi.
7. Public Relations Deptt. (Two copies) for publication in Part-IV of the Delhi Gazette (Ordinary).
8. Under Secy.(Languages), Delhi Admn., Delhi for the record of Language Deptts. (Two copies).
9. Pvt. Secy, to Chairman Metropolitan Council, Delhi.

Sd/
(C.D. Sharma)
Dy. Secretary (PR), Delhi Admn., Delhi.

98. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत चार वर्षों में प्रतिवर्ष दिल्ली में प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी, उर्दू भाषाओं में सभी सरकारी उपयोगी सूचनाओं के प्रसार प्रचार के लिए क्या–क्या प्रयास अलग–अलग भाषाओं में किए गए;

(ख) सभी जनउपयोगी सूचनाएं जनता के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी बड़ी भाषाओं में और दिल्ली के राजकीय भाषाओं में प्रसारित होने में विगत चार वर्षों का वर्षवार व्यय क्या है; और

(ग) सूचना एवं प्रसारण निदेशालय एवं मंत्रालय के स्तर पर अलग–अलग भाषाओं में काम करने के लिए मानव संसाधन की क्या व्यवस्था; कितना स्टाफ है, का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा विभिन्न भाषा अकादमियों के माध्यम से भाषाओं का प्रचार–प्रसार किया जाता है। सरकारी उपयोगी सूचनाओं के प्रसार–प्रचार का कार्य सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार से संबंधित है।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय, संबंधित विभाग के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डी.ए.वी.पी. दिल्ली सूची में सूचीबद्ध अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी, उर्दू भाषाओं के प्रकाशनों को विज्ञापनों जारी करता है।

यह निदेशालय हिन्दी, उर्दू और पंजाबी भाषा में 'दिल्ली' नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है;

(ख) सूचना एवं प्रचार निदेशालय सभी जनउपयोगी सूचनाएं प्रेस विज्ञप्ति, आमंत्रण इत्यादि के माध्यम से मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक) को निशुल्क प्रसारित करता है।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय का पिछले चार वर्षों में विज्ञापनों पर वर्षवार व्यय निम्न है।

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
2015—16	59.89
2016—17	66.26
2017—18	117.70
2018—19	29.45

सूचना एवं प्रचार निदेशालय का पिछले चार वर्षों में त्रिभाषी (हिन्दी, उर्दू, पंजाबी) पत्रिका 'दिल्ली' पर वर्षभार व्यय निम्न है।

वर्ष	व्यय (रुपए में)
2015—16	589500
2016—17	736875
2017—18	442125
2018—19	589500

(ग) वर्तमान में सूचना एवं प्रचार निदेशालय में पंजाबी और उर्दू

अनुवादक का एक–एक पद रिक्त है। इन पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को अनुरोध किया जा चुका है।

99. श्री बिजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 में कितनी कितनी राशि विभिन्न मदों में प्राप्त हुई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली के नागरिकों के लिए कौन–कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की ज़ा रही है़;

(ग) इन योजनाओं के लिए सरकार को प्राप्त धनराशि का विवरण क्या है;

(घ) दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2017–2018 तथा 2018–2019 के लिए अनुमानित जी.एस.टी. टैक्स और वास्तव में प्राप्त धनराशि का विवरण क्या है; और

(ङ) इससे सरकार को अपेक्षा से अधिक प्राप्त आय का विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से विभिन्न मदों में प्राप्त हुई राशि का विवरण 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 (माह जनवरी तक) के लिए संलग्घक 'क' पर उपलब्ध है।

वर्ष 2019–20 के लिए अभी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) इन योजनाओं का विवरण और दिल्ली सरकार को योजनाओं के लिए वर्ष 2018–19 में (माह जनवरी तक) प्राप्त धनराशि की जानकारी संलग्घक 'ख' पर उपलब्ध है;

(घ)

वर्ष	बजट अनुमान (जी.एस.टी.)	संशोधित अनुमान (जी.एस.टी.)	प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)
2017–18	*	14900	13880.02
2018–19	23400	20670	15892.06**

*दिल्ली में जी.एस.टी. दिनांक 01.07.2017 से लागू किया गया है।

**जनवरी 2019 तक

(ङ) इससे सरकार को अपेक्षा से अधिक आय प्राप्त नहीं हुई है।

संलग्घक 'क'

दिल्ली सरकार को केंद्र से प्राप्त राशि का विवरण

योजना विभाग

अतारांकित प्रश्न संख्या–99

दिनांक–27.02.2019 (Rs. in crores)

Table 1: Grants received from GOI

Sl.N.	Items	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 Received up to Jan 2019
1.	Share in Central Taxes	325.00	325.00	325.00	325.00
2.	Normal Central Assistance	394.98	462.89@	412.98	449.99
3.	Compensation to J&K Migrants	7.05	18.18	0.00	0.00
4.	1984 Riot victims	0.00	85.00	10.66	10.59
5.	GIA to Delhi Disaster Response Fund	0.00	0.00	5.00#	0.00
	Total (1 to 5)	727.03	891.07	753.64	785.58

@ Includes Rs. 49.90 crore released dunng 2015-16 and received by GNCTD dunng 2016-17 for construction of new building (5 Block) for Delhi High Court at Bapo Nagar, Zakir Hussain Marg, New Delhi.

GOI released dunng 2016-17 and received by GNCTD during 2017-18.

Table 2: Funds received under Central Sponsored Schemes

S.N.	Items	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Received up to					Jan 2019
1.	Receipts under CSS	866.55	1156.28	527.16	679.06
2.	NSAP	27.15	81.73$	54.58	0.00&
3.	CRF	14.59*	5.54	1.16+	0.00
4.	Setting up of two Special Courts	0.00	0.00	0.00	1.19
5.	Others	50.00**	0.00	0.12++	0.00
	Total (1 to 5)	958.29	1243.55	583.02	680.25

$ Includes Rs. 27.15 crore released by GOI during 2015-16 and received by GNCTD during 2016-17.

& now NSAP is covered under C55

* GOI released during 2014-15 and received by GNCTD during 2015-16.

+ Received from MIO Transport & Highways, GOlan account of CRF during financial year 2017-18.

** GOI released during 2014-15 and received by GNCTD during 2015-16 on account of water development projects including Renuka River

++ Received from M/O Law & Justice & Empowerments, GOI for setting up of 02 Special Courts in Delhi during financial year 2017-18.

Table 3: Compensation received under CST/ VAT/ GST

S.N.	Items	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 Received up to Jan 2019
1.	Compensation on A/c of CST/VAT	2572.97	690.54	690.53##	0.00^
2.	GST Compensation	0.00	0.00	157.00	3140.00
	Total (1 to 2)	2572.97	690.54	847.53	3140.00

GOI released during 2016-17 and received by GNCTD during 2017-18.

^ GST rolled out in Delhi w.e.f. 01.07.2017

संलग्नक 'ख'

योजना विभाग
अतारांकित प्रश्न संख्या–99
दिनांक–27.02.2019

S.No.	Name of the CSS Scheme	Receipts upto January, 2019 (Rs. in lakhs)
1	2	3
1.	Delhi State Health Mission (CSS)	13365.95
2.	National Health Mission (NHM)	4684.00

1	2	3
3.	Management, monitoring and evaluation of Mid Day Meal Scheme (CSS)	5841.13
4.	Sarva Siksha Abhiyan (CSS)	18798.75
5.	Integrated Child Development Services (CSS)	5457.19
6.	Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOPAS) NSAP (CSS)	1704.12
7.	Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) NSAP (CSS)	117.19
8.	Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)	674.13
9.	Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY)(CSS).	125.31
10.	RGSEAG SABLA for supplementary nutrition-Other Charges	311.78
11.	Foot and Mouth Disease control programme (CSS).	33.06
12.	Conduct of Livestock Census (CSS)	53.00
13.	Blue Revolution : Integrated development and Management of Fisheries	35.23
14.	Integrated Development of Wildlife Habitat	542.97
15.	GIA to Delhi Computerzation of Police Service Society under CCTNS (Crime & Criminal Trackinq Network & System-CSS)	87.58

1	2	3
16.	Implementation of Eprison project (CSS)	144.00
17.	Swachh Bharat Mission-UD DEPARTMENT	5312.50
18.	Samagra Shiksha for secondary Education	3172.54
19.	Dte. of TTE-Major Works	295.00
20.	Multi sectoral development programme for minority concentration districts (CSS)	187.43
21.	Prevention of Atrocities Act, 1989 (CSS) Other Charqes	48.00
22.	Post Matric Scholarship for SC students (CSS) GIA-General	702.00
23.	National Family Benefit Scheme	233.81
24.	Supplementary Nutrition Programme (SNP) (CSS)	3381.08
25.	RESEAG-SABLA for SNP (SCSP) Other Charges	71.55
26.	National Cretches Scheme (CSS)	62.22
27.	State Child Protection Society(CSS)(Genl.)	54202
28.	Mahila Shakti Kendra (MSK) (CSS)	40.00
29.	Poshan Abhiyan(CSS)	1767.75
30.	Others	11504
	Grand Total	67906.33*

*This amount of Rs. 67,906.33 lacs IS the central share released by the Govt. of India. In addition to this, Govt. of NCT of Delhi also provides matching share in these schemes based on the funding pattern of each of the CSS Schemes.

100. श्री बिजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के योजना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में सैक्टर/हेड वाइज कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) वित्तीय वर्ष 2018–19 में सभी सैक्टरों को जारी किये गये पैसे में से अप्रैल, 2018 से जनवरी 2019 तक प्रत्येक माह कितनी धनराशि और आबंटित राशि का कितना प्रतिशत खर्च किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि में जारी की गई राशि में से कितनी राशि शेष है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) वित्तीय वर्ष 2018–19 में सैक्टर वाइज आबंटित राशि एवं जारी/खर्च की गई राशि का विवरण संलग्नक 'क' में दिया गया है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2018–19 में सभी सैक्टरों के अंतर्गत स्कीम/प्रोजेक्ट्स/प्रोग्राम के लिए 22000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। अप्रैल, 2018 से जनवरी, 2019 तक किये खर्च व इसका आबंटित राशि से प्रतिशत का विवरण निम्न है–

क्रम संख्या	माह	माह वार खर्च (रुपये करोड़)	आवंटित राशि का प्रतिशत खर्च
1	2	3	4
1.	अप्रैल, 18	323.5	1.5
2.	मई, 18	1011	4.6

1	2	3	4
3.	जून, 18	1117.3	5.1
4.	जुलाई, 18	540.4	2.5
5.	अगस्त, 18	880.7	4.0
6.	सितंबर, 18	1558.3	7.1
7.	अक्टूबर, 18	1596.8	7.3
8.	नवबंर, 18	891.4	4.1
9.	दिसंबर, 18	491.2	2.2
10.	जनवरी, 19	1969.5	9.0
	कुल जनवरी 2019 तक का खर्च	10380.1	47.18

(ग) आबंटित राशि जनवरी, 2019 तक का खर्च तथा शेष राशि का विवरण निम्न है

(रुपये राशि)

क्रम	बजट संख्या	जनवरी 2019 2018–19	शेष राशि तक का खर्च
1.	22000	10380.1	11619.9

अतारांकित प्रश्न संख्या 100

संलग्नक – क

वर्ष 2018–19 के लिए स्कीम/कार्यक्रम/परियोजनाओं के अंतर्गत बजट आवंटन एवं जारी/खर्च की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सैक्टर	राशि	जारी/खर्च की गई राशि (जनवरी 2019 तक)
1	2	3	4
1.	ग्रामीण विकास	214.00	76.09
2.	लघु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	90.00	45.08
3.	ऊर्जा	138.00	357.74
4.	उद्योग	13.00	3.38
5.	परिवहन	2568.00	1161.43
6.	विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	61.00	38.66
7.	सचिवालयी आर्थिक सेवाएं	21.00	2.66
8.	पर्यटन	44.00	2.12

1	2	3	4
9.	नागरिक आपूर्ति	10.00	0.88
10.	सामान्य शिक्षा	5414.00	1807.34
11.	तकनीकी शिक्षा	306.00	108.12
12.	कला एवं संस्कृति	145.00	51.43
13.	खेल और युवा सेवाएं	154.00	37.86
14.	चिकित्सा	2656.00	1206.22
15.	जनस्वास्थ्य	603.00	488.76
16.	जलापूर्ति और स्वच्छता	2350.00	1604.38
17.	आवास	122.00	28.94
18.	शहरी विकास	2984.00	767.8
19.	अ.जा./अजजा/अपिव/ अल्पसंख्यक	355.00	176.13
20.	श्रम और श्रमिक कल्याण	457.00	46.47
21.	समाज कल्याण	1391.00	1164.04
22.	महिला और बाल कल्याण	1073.00	848.97
23.	पोषण	373.00	156.59

1	2	3	4
24.	कारावास	28.00	14.92
25.	लोक कार्य	154.00	87.77
26.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	235.00	89.05
27.	कृषि और अनुषंगी सेवाएं	41.00	7.24
	कुल	22000.00	10380.07

101. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2019 तक संशोधित मतदाता सूचियों का विवरण क्या है; और

(ख) दिल्ली नगर निगम चुनाव–2017 के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या–23 करोल बाग की मतदाता सूची से काटे गये मतदाताओं के नामों का विवरण; और

(ग) इसके कारण क्या हैं?

माननीय चुनाव मंत्री : (क) 31 जनवरी, 2019 तक संशोधित मतदाता सूचियों का विवरण संलग्न है; और

(ख) दिल्ली नगर निगम चुनाव–2017 के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 23 करोल बाग की मतदाता सूची से काटे गये मतदाताओं के नामों का विवरण कारण सहित संलग्न* है।

(ग) उपरोक्त।

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

102. श्री बिजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निर्वाचन आयोग को उचित कार्रवाई हेतु भेजे गये दिल्ली विधानसभा के 27.11.2018 को दिल्ली में वोटों को काटे जाने से संबंधित पारित प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग से उत्तर प्राप्त हुआ है उनकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग के उत्तर से सरकार संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में प्रत्येक वर्ष मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए; और

(ङ) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा कितने नाम मतदाता सूची में जोड़े गए?

माननीय चुनाव मंत्री : (क) विधान सभा के 27.11.2018 को दिल्ली में वोटों को काटे जाने से संबंधित पारित प्रस्ताव पर उत्तर निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार को दिया गया है। इसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उत्तर की प्रतिलिपि संलग्न है;

(ख) इस कार्यालय से संबंधित नहीं है;

(ग) इस कार्यालय से संबंधित नहीं है;

(घ) 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में मतदाता सूची से हटाये गये नामों की संख्या की सूची संलग्न है; और

(ङ) 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में मतदाता सूची में जोड़े गये नामों की संख्या की सूची संलग्न है।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

No. 39/ECI/Terr/Lett./Nor-DL/2018/Vol.II/646 Date: 14th December, 2018

To,

The Chief Secretary,
Government of National Capital Territory of India,
Delhi

Subject:- Resolution adopted on 27-11-2018 by the Legislative Assembly of NCT of Delhi regarding the alleged illegal deletions of names of lakhs of voters from the voter Lists in Delhi' - regarding.

Sir,

I am directed to refer to the letter No. F.22(3)/Resolutions/2015/SAS-VI/Leg/3030 dated 28-11-2018 on the subject cited addressed to the Chief Election Commissioner of India by the Secretary (Legislative Assembly Secretariat, NCT of Delhi), and to draw your attention to the following Constitutional and legal provisions:-

(i) Under Article 324 of the Constitution, the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls and the conduct of elections to Parliament, State Legislatures and offices of President and Vice President is vested in the Commission.

(ii) Subject to the provisions of Article 327, the Parliament enacted the Representation of the People Act, 1950 and

Registration of Electors Rules, 1960, which provide a well hierarchical electoral machinery and lay down a detailed and clear scheme and procedure for preparation and periodical revision and preparation of electoral rolls in the country.

(iii) Sections 13A. 13AA and 13B of the 1950 Act, provides for appointment and responsibilities of Chief Electoral Officers, District Election Officers and Electoral Registration Officers, the key functionaries to prepare electoral rolls. While the Electoral Registration Officer is the statutory authority responsible for preparation of rolls for a constituency under his charge, District Election Officer and Chief Electoral Officer coordinate and supervise all work related to preparation of roll at the district and stale level, respectively. The Act also provides a well defined mechanism for appeals against orders of Electoral Registration Officers.

(iv) Though all these officers belong to the State Governments concerned, they are appointed by the Commission, in consultation with the State Governments and they shall be deemed to be on deputation to the Commission for the period during which they are so appointed and they shall, during that period, be subject to superintendence, control and discipline, under Section 13CC of the Act.

2. The Commission orders revision of electoral rolls annually, with reference to 1st January of the year as qualifying date. However, the rolls are constantly in the state of updating/preparation, except for a brief period between the last date of making nominations at an election and completion of election process. Thus, updating the Electoral Rolls

is a dynamic process to take care of inclusion of new first time electors, migration of electors and removal of entries which are not correct.

3. During the current year, the Commission has issued schedule for Special Summary Revision of electoral rolls of intensive nature in all States/UTs, including NCT of Delhi, with reference to 1st January, 2019, as qualifying date. This being an election year and the current revision being the last opportunity for revision of rolls before the forthcoming general elections to House of the People and several State Assemblies, the Commission chalked out a detailed programme of pre-revision activities like, 100% house to house verification by Booth Level Officers in their respective polling areas with special focus on un-enrolled eligible citizens, prospective electors, deletion of names of dead, duplicate/multiple and permanently shifted electors, correction of existing entries and identification of persons with disabilities. The Booth Level Officers were instructed to collect details and requisite forms of claims and objections (Form- 6,7 & 8), during such field verifications.

4. The draft roll which was published on lsl September, 2018, was prepared on the basis of final roll of the last revision published in January, 2018 and supplements prepared on the basis of claims and objections received during the period from January, 2018 to August, 2018. The citizens were given period of two months from 1st September till 31s' October, 2018 for filing claims and objections. All these applications are being disposed of by the Electoral Registration Officers concerned within the given time schedule and roll will be finalised and published on 4th January, 2019. Applications are being received even after the last date of filing claims and objections i.e. 3151 October, 2018, which would be acted upon during period of continuous updation, after the date of final publication, i.e. 04-01-2019.

5. The draft roll published on 01-09-2018 was displayed in all the designated locations, offices of Electoral Registration Officers and website of Chief Electoral Officer, Delhi, for scrutiny and inspection by the general public, political parties and other stakeholders. Besides, 2 copies of complete set of roll was given, free of cost, to the recognized political parties as per ECI instructions. Again, the final roll will be displayed at designated locations, offices of Electoral Registration Officers and CEO's website, in addition to sharing with political parties, as was done in case of draft rolls.

6. Thus, the citizens are given ample opportunities to check their names in electoral roll and if anyone finds that his name is not included in the final roll, which would be published during next month, he can apply under continuous updating process, which starts from the very next day following the day of final publication, ensuring that every eligible citizen would have enough opportunity to include his/her name in the electoral rolls.

7. In the resolution of the Legislative Assembly dated 27th November, 2018 forwarded to the Election Commission, by Secretary of Legislative Assembly Secretariat, Chief Electoral Officer, Delhi has been directed to put complete list of voters, deleted after February, 2015, on the website of Chief Electoral Officer, Delhi and also to give a physical and digital copy thereof to all the recognized political parties. The Chief Electoral Officer has also been directed to conduct a door to door survey of all the deletions along with the representatives from all the recognized political parties. Further, in the resolution, the Delhi Government has been directed to conduct inquiries into all deleted voters who are subsequently found genuine and fix the responsibility of the erring officials and submit a report before the House within a period of three months.

8. The 1950 Act and Registration of Electors Rules provide a well defined mechanism for preparation of electoral rolls and any person having a grievance can avail of the remedy as provided for therein. The Hon'ble Supreme Court in Pampakavi Rayappa Belangali -vs- B.D. Jatti (AIR 1971 SC 1348) has categorically held that the 1950 Act, and the Rules form a complete code in the matter of electoral rolls and that the entries in the electoral roll can only be challenged under the scheme of the said Act and Rules.

9. As explained above, the scheme of the Law is that the Chief Electoral Officer and other statutory authorities referred to above are to perform their functions related to preparation and revision of rolls under the superintendence, direction and control of the Commission and not any other authority.

10. The above mentioned Constitutional and the legal provisions along with the comprehensive process of Revision of Electoral Rolls may be noted and also be brought to the notice of all concerned including Secretary Legislative Assembly. It would be seen that the directions to the Chief Electoral Officer and the directions for disciplinary action against the election officials are not as per the provisions of the Law referred to above.

11. Kindly, acknowledge the receipt.

Yours faithfully,
(J.K. Rao)

Secretary
Reply to Vidhan Sabha

Additions and Deletions Electors of NCT of Delhi

Year	Deletions	Additions
2015	451469	732812
2016	227141	415856
2017	98363	460450
2018	377359	235593

103. श्री रामचन्द्र : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में डी.यू.एस.आई.बी. के तहत शाहबाद डेरी कॉलोनी में कई वर्ष पहले झुग्गी–झोपड़ी वालों को झुग्गी तोड़कर प्लाट दिए जा रहे थे, तो उसमें से लगभग 700 परिवारों से 1680/–रु. प्रति परिवार लिए गए थे;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा उन्हें कागजात के रूप में डी.एस. (D.S.) पी.एस. (P.S.) सर्टिफिकेट दिए गए थे;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे परिवारों का प्लाट देने की योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन परिवारों का प्लाट कब तक दिए जायेंगे?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जी हाँ यह सत्य है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी तोड़कर इनसीटू योजना के तहत प्लाट दिए गये थे तथा 798 लोगों द्वारा 1680/–रु. प्रति परिवार की दर से राशि जमा

करवाई गई थी। इस योजना में 192 परिवारों का ड्रा नहीं किया गया था क्योंकि इस मामले में अनियमिताओं की शिकायतें मिली थीं। बाद में 1 जुलाई 2008 के आदेशानुसार सभी प्रकार के प्लाट्स आवंटित करने पर रोक लगा दी गई थी;

(ख) जी हाँ यह सत्य है; और

(ग) व (घ) वर्तमान में ऐसी कोई भी योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है। साथ ही यह बताना भी उचित होगा कि नई पॉलिसी (मुख्यमंत्री आवास योजना) के अनुसार अब झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को प्लाट की जगह फ्लैट का आवंटन किया जाता है।

104. श्रीमती प्रमिला टोकस : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी झुग्गी झोपड़ी कैंपों की गलियों में नालियों के निर्माण के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सभी झुग्गी झोपड़ी कैंपों में विभाग द्वारा बनाये गए बस्ती विकास केन्द्रों को एन.जी.ओ. (N.G.O.) को दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सभी बस्ती विकास केंद्रों में एन.जी. ओ. द्वारा उन बस्तियों को लेकर कोई भी विकास कार्य या सामाजिक कार्य नहीं किया जाता;

(घ) यदि हां, तो क्या इन (बस्ती विकास केंद्रों) एन.जी.ओ. को खाली कराने की सरकार की कोई योजना है;

(ङ) यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सैक्टर आर.के. पुरम में कनक दुर्गा कैंप में पिछले कई सालों से गलियों की नालियों को बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा;

(छ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) इस संदर्भ में कार्य सूची 'क' संलग्न है;

(ख) जी हाँ यह सत्य है आर.के. पुरम विधान सभा में सभी झुग्गी झोपड़ी कैंपों में विभाग द्वारा बनाये गये बस्ती विकास केंद्रों को एन.जी.ओ. (N.G.O.) को दे दिया गया है, वर्तमान स्थिति की सूची 'ख' संलग्न है;

(ग) यह सत्य नहीं है कि सभी बस्ती विकास केंद्रों में एन.जी.ओ. द्वारा उन बस्तियों को लेकर कोई भी विकास कार्य या सामाजिक कार्य नहीं किया जाता;

(घ) यदि कोई एन.जी.ओ. आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके आवंटन पर नियम अनुसार रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के उल्लंघन के सूचना में आने के बाद 8 बस्ती विकास केंद्रों का आबंटन रद्द कर दिया गया;

(ङ) सूची 'ग' संलग्न है;

(च) इस कैंप का डूसिब की प्राथमिक स्थानांतरण सूची कोई कार्य नहीं किया जा सका;

(छ) उपरोक्त; और

Sub:- Status of CC pavements in AC-44

List of JJ Clusters in AC-44, RK Puram

Sl. No.	Location	Nos of Jhuggies	Land Owning Agency	Remarks
1	2	3	4	5
Listed cluster				
1	Azad Basti Mohomed Pur	165	L&DO	Work awarded for CC and Drain
2	Kumhar Basti Mohomed Pur	241	L&DO	Work awarded for CC and Drain
3	Ambedkar Basti West Block-ll R.K.Puram	1200	L&DO	Work in progress
4	Leprosy Colony Infront of Mohan Singh Market R.K.Puram	64	L&DO	Work awarded for CC and Drain
5	Sonia Gandhi Camp Sector 7 R.K.Puram	150	L&DO	Work awarded for CC and Drain

1	2	3	4	5
6	Lai Bahadur Shastri Camp Sector-7, R.K.Puram	92	L&DO	Work awarded for CC and Drain
7	Nehru Ekta Camp Sector-VII R.K.Puram	335	L&DO	Work awarded for CC and Drain
8	S.P./J.P. Colony Sector 6 R.K.Puram	111	F & I DEPTT./DJB	at present not required
9	Malai Mandir Sector VII R.K.Puram.	143	L&DO	at present not required
10	Behind Sangam Cinema Sector IX/Sabzi Market R.K.Puram	96	L&DO	at present not required
11	Kanak Durga Camp R.K.Puram Sector XII	1047	L&DO	In the list of priority list of shifting
12	Shastri Market Moti Bagh (South)	943	DDA	at present not required
13	Shri Ram JJC near SPRINGDALE School Dhaula Kaun	550	DELHI UNIV	Work awarded for CC and Drain
14	Sector lll/JJ Mahiwal Saraswati Camp R.K. Puram	298	F&l DEPTT./	at present not required

			L&DO	
15	Ravi Dass Camp Sector-3 R.KPuram	150	L&DO/ASI	at present not required
16	Police Chowki Sector IV R.K.Puram Parvatiya Camp	228	F & IDEPTT	Work awarded for CC and Drain
17	Bhanwar Singh Camp Behind Janta Fiat Biock-D Vasant Vihar Phase-I	1088	DDA	at present not required
18	Nepali Camp Near Bhanwar Singh Camp Vasant Vihar	686	DDA	Work awarded for CC and Drain
19	Sector-I R.K.Puram Police Post (Hanuman Camp)	373	F&I DEPTT./ DJB	Work awarded for CC and Drain
20	Sewa Camp Behind Police Staff Quarter Vasant Vihar Depot Munirika	92	DDA	Work awarded for CC and Drain
21	Shiva Camp Vasant Vihar Near Petrol Pump	175	DDA	at present not required
22	Coolie Camp Vasant Vihar	281	DDA	Work awarded for CC and Drain
23	Adarsh Colony Mohammed Pur	530	DDA	Work awarded for CC and Drain

List of Allotted BVK's in the R K Puram constituency

Sl. No.	Location of BVK	Area sqft. (floor-wise, room-wise)	Allotted/ vacant	Allotted Name of NGO
1	Adarsh Basti, Mohammad pur	75.41 sqm	Allotted	Bhartiya Jan Sewa Sansthan
2	Nehru Ekta Camp SectVII R.K. Puram BVK No.1	108.00 sqm	Allotted	MS. Project Aid Welfare Society
3	Nehru Ekta Camp Sect.VII R.K. Puram BVK No.2	40.62 sqm	Allotted	MS. Maitree
4	Shri Ram JJC near Springdale School Dhaula Kuan	75.41 sqm	Allotted	Health Care Society
5	Sardar Patel Ekta Camp (Ekta Vihar) BVK No.2	185.00 sqm	Allotted	MS. ASH Aand TAMANNA
6	Sardar Patel Ekta Camp (Ekta Vihar) BVK No.5	240.00 sqm	Allotted	Community Education & development Foundation
7	South Moti Bagh Shastri Mkt.	128.79 sqm	Allotted	Delhi Admn. Health Deptt.
8	Ambedkar Basti BVK No.1	90.00 sqm	Allotted	ASHA and Prayas

9	Ambedkar Basti BVK No.2	60.00 sqm	Allotted	ASHA & Community Education
10	Leprosy Cly. In Front of Mohan singh Mkt. R.K. Puram	29.00 sqm	Allotted	M/S Indian Leprosy Association & M/S ASHA
11	Bhanwar Singh Camp behind Janta Flat Blk. D, Vasant Vihar Ph-I	124.65 sqm	Allotted	Nyay Prayas
12	Nepali Camp, Vasant Vihar	75.00 sqm	Allotted	Dawer Trust

List of cancelled BVK's in the R K Puram Constituency

Sl. No.	Location of BVK	Area sqft. (floor-wise, room-wise)	Allotted/ vacant	Allotted Name of NGO	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Kanak Durga Camp R.K. Puram Sec. XII	198.41 sqm	Allotted	MS. ASHA and SWATI	Cancelled
2	Sardar Patel Ekta Camp (Ekta Vihar) BVK No.1	412.00 sqm	Allotted	MS. LBBC	Cancelled

1	2	3	4	5	6
3	Sardar Patel Ekta Camp (Ekta Vihar) BVK No.3	55.00 sqm	Allotted	Mission Convergenee Samajik Suvidha Sangam	Cancelled
4	Sardar Patel Ekta Camp (Ekta Vihar) BVK No.4	75.41 sqm	Allotted	Eklakshya and Prayas	Cancelled
5	South Moti Bagh Shastri Mkt.	128.79 sqm	Allotted	DISHA and Indian Institute of Social Deptt.	Cancelled Cancelled
6	Kanak Durga Camp Sec.12 R.K. Puram BVK No.1	131.00 sqm	Allotted	Prem Chikitsa	Cancelled
7	Kanak Durga Camp Sec.12 R.K. Puram BVK No.2	132.97 sqm	Allotted	Can Support	Cancelled
8	Ravi Dass Camp Sec-3, R.K. Puram	22.14 sqm	Allotted	Project Aid Welfare Society	Cancelled

105. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चलाये जा रहे सभी रैन बसेरों की सूची, इन्हें चलाने वाली संस्थाओं के नाम व इनमें रहने वाले लोगों की संख्या का विवरण क्या है;

(ख) रैन बसेरे के पते पर कोई आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन बनवाने की नीति और उसका विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन रैन बसेरों के साथ नशा मुक्ति केंद्र चलाने की योजना सरकार के विचारधीन है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार इन्हें सब सुविधाएं मुफ्त देने की बजाये इनसे कोई श्रम करवाने की योजना पर विचार कर रही है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) दिल्ली में चलाये जा रहे सभी रैन बसेरों की सूची इन रैन बसेरो को चलाये जा रहे संस्थाओं के नाम के साथ संलग्न है;

(ख) डूसिब द्वारा आधार कार्ड और वोटर कार्ड के लिए समय–समय पर रैन बसेरो में इनके संबंधित विभागों द्वारा कैंप लगाए जाते हैं। यह प्रश्न यू.आई.डी.ए.आई. प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के खाद्य एवं वितरण विभाग से संबंधित है!

(ग) यह प्रश्न दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग से संबंधित

है! वर्तमान में द्वारा 04 रैन बसेरे नशा मुक्ति केंद्र के रूप में भी चलाए जा रहे हैं।

1. पर्दा बाग (कोड न. 178)
2. दक्षिण पूरी (कोड न. 55)
3. दिल्ली गेट (कोड न. 01)
4. कोटला मुबारक पुर (कोड न. 65)

(घ) उपरोक्तानुसार; और

(ङ) सरकार इन रैन बसेरो में सभी मूलभूत सुविधाएं दे रही है। वर्तमान में बेघर लोगों को, मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि आत्मनिर्भर बनकर अपनी आजीविका खुद कमा सके पूर्व में 250 लोगों को भी प्लम्बर/इलेक्ट्रीशियन इत्यादि के कार्य की ट्रेनिंग दी गयी थी।

Delhi Urban Shelter Improvement Board

Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi -110002

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
1	Delhi Gate (GF)-Handicapped, (FF & SF)-	150	SPYM
2	Katra Maula Bux, Roshanara Road.	310	Aashray Adhikar Abhiyan
3	Kabool NagarShahdra	60	Sadik Masih Medical Social Servant
4	Sarai Pipal Thala, 1st Floor, Adarsh Nagar	200	Safe Approach for Nascent Termination
5	Shahzada Bagh	220	Aashray Adhikar Abhiyan
6	S.P. Mukharjee Market	70	Aashray Adhikar Abhiyan
7	Lahori Gate	350	SPYM
8	Raja Garden-08	130	Sadik Masih Medical Social Servant
9	R - Block Mangolpuri.	190	Safe Approach for Nascent Termination
10	Nizamuddin Basti near Hazrat Nizamuddin	300	SPYM
11	Fatehpuri Old Delhi Railway Station	450	SPYM
12	Fountain Chandni Chowk	180	SPYM

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
13	Prop. NO. 10615, Jhandewalan Road	90	Safe Approach for Nascent Termination
14	Property No. 10788-89, Jhandewalan,	70	Safe Approach for Nascent Termination
15	Prop. No. 6108, Gali Ravi Dass	100	Safe Approach for Nascent Termination
16	GaliTel Mill, Nabi Karim	80	Safe Approach for Nascent Termination\
17	Community Hall, Regharpura, Karol Bagh	110	Aashray Adhikar Abhiyan
18	Nand Nagari	120	Sadik Masih Medical Social Servant
19	Kabir Basti Malka Ganj.	110	Rachna Women's Development
20	1st Floor community Hall Sarai Phoosh	60	Rachna Women's Development
21	Phool Mandi Building, Mori Gate	250	Rachna Women's Development
22	759/1 Chabi Ganj Community center	280	Rachna Women's Development
23	Kotla Mubarakpur, Ground Floor, De-	80	SPYM
24	At Property No.l546-51/VIII.(Gali Borian,	120	SPYM
25	Community Center Hanuman Mandir	210	Rachna Women's Development
26	Ganda Nallah (1st Floor) MCD Community	100	Rachna Women's Development

27	Commercial Building, Motia Khan	540	Safe Approach for Nascent Termination
28	Chamelian Road, 6562/XIV	60	Safe Approach for Nascent Termination
29	Property No. 9090/XV, Gali No.2, Multani	30	Safe Approach for Nascent Termination
30	9386-87/XV, PaharGanj	50	Safe Approach for Nascent Termination
31	L-Block, Pratap Nagar, Near Shastri Nagar	220	Aashray Adhikar Abhiyan
32	Kharian Mohalla, Roshanara Road.	210	Aashray Adhikar Abhiyan
33	Kilokari Village near circle office, Ring Road	90	Safe Approach for Nascent Termination
34	Tank Road, Bapa Nagar, Karol Bagh.	50	Aashray Adhikar Abhiyan
35	Padam Nagar	20	Aashray Adhikar Abhiyan
36	Sector-3, PH-I, Dwarka	70	Sadik Masih Medical Social Servant
37	Sector-3, PH-II, Dwarka	70	Sadik Masih Medical Social Servant
38	Sector -1,Dwarka	70	Sadik Masih Medical Social Servant
39	Bawana relocation scheme block-E	70	Safe Approach for Nascent Termination
40	Rohini Sector-26, Rohini	70	Safe Approach for Nascent Termination
41	Site & Services Plots at HMP Khayala	50	Sadik Masih Medical Social Servant

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
42	At open air theater Community Hall at	130	SPYM
43	Kasturba Nagar Shahdara Near Cremation	110	Sadik Masih Medical Social Servant
44	At property No.2819/VIII, Turkman Gate,	20	SPYM
45	At property No.797/VIII, Kundewalan.	40	SPYM
46	3329-30/XL, Delhi Gate	50	SPYM
47	Block-III Dakshinpuri, (F.F.) Near Thana	110	SPYM
48	At 1st floor property no.l675/VIII, Himmat	20	SPYM
49	811/1 Kashmere Gate	20	Prayas Juvenile Aid centre
50	Aruna colony Majnu ka tilla community	100	Safe Approach for Nascent Termination
51	Sunlight Colony-I, Community Hall	90	Safe Approach for Nascent Termination
52	Community Hall Kalkaji	80	SPYM
53	F-Block, New Seemapuri	50	Sadik Masih Medical Social Servant
54	Kotla Mubrakpur, First Floor (Drug addicts)	80	SPYM
55	Night Shelter Bldg. Extn at R Block	150	Safe Approach for Nascent Termination

56	Azad Pur BVK	70	Safe Approach for Nascent Termination
57	Trilokpuri BVK Block 31 mear Gas Godwn	40	Prayas Juvenile Aid centre
58	Seelampur BVK; Kabari Market.	80	Sadik Masih Medical Social Servant
59	Vishwas Nagar BVK SanjayAmar Colony	40	Sadik Masih Medical Social Servant
60	BVK D-4 Block Sultanpuri.	30	Safe Approach for Nascent Termination
61	BVK Goyala Diary, Near Dwarka	50	Sadik Masih Medical Social Servant
62	Khazan Basti Maya Puri	80	Sadik Masih Medical Social Servant
63	BVK (1st Floor) Water Tank No.2 Udyog	90	Prayas Juvenile Aid centre
64	Gokalpuri	50	Sadik Masih Medical Social Servant
65	Sarai Pipal Thala, 2nd Floor (Shifted from	200	Prayas Juvenile Aid centre
66	GTB chowk Near GTB Hospital	50	Sadik Masih Medical Social Servant
67	Majnu ka Tilla	50	Safe Approach for Nascent Termination
68	Yamuna Pushta near ISBT	50	Safe Approach for Nascent Termination
69	At Himmat Garh, Ram Leela Ground.	50	SPYM
70	Bangla Sahib for Male	50	SPYM

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
71	Bangla Sahib-1	50	SPYM
72	Lodhi Road near Indian Social Institute	50	SPYM
73	Nehru Place, Opposite MTNL exchange	50	Safe Approach for Nascent Termination
74	Mori Gate- BVK	50	Prayas Juvenile Aid centre
75	District Centre, Behind Hilton Hotel, Janak	50	Sadik Masih Medical Social Servant
76	Safdarjung Near Safdarjang Airport Flyover	50	SPYM
77	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS 1	50	Sadik Masih Medical Social Servant
78	Hari Nagar, Beri Wala Bagh	50	Sadik Masih Medical Social Servant
79	Munirka near Masjid Sec- 4, R. K. Puram	50	SPYM
80	Shakarpur (Laxmi Nagar) Near Railway	50	Prayas Juvenile Aid centre
81	Mansarover Park-1, Lai Bagh	50	Sadik Masih Medical Social Servant
82	Yamuna Bazar opp. Hanuman Mandir	50	Rachna Women's Development
83	Yamuna Bazar Old Bridge	50	Rachna Women's Development
84	Jama Masjid-1	50	SPYM

85	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat	50	Safe Approach for Nascent Termination
86	Jama Masjid (ii) Male	50	SPYM
87	Near Liberty Cinema, Dev Nagar, Karol	50	Aashray Adhikar Abhiyan
88	Gurudwara Bangla Sahib	50	SPYM
89	Yamuna Pushta, Code-105	50	Safe Approach for Nascent Termination
90	Hayaat Hotel, R.K. Puram opp. Fire Station	50	SPYM
91	Okhla Modi Mill behind TATA Indicom	50	SPYM
92	Kela Godown, Azadpur opp Fortis hospital	50	Rachna Women's Development
93	Cement godown side Shakur Basti-II	50	Sadik Masih Medical Social Servant
94	Nilothi Extension near fish market, Near	50	Sadik Masih Medical Social Servant
95	Chilla Goan dist Centre, Hilton Hotel	50	Prayas Juvenile Aid centre
96	Nasirpur, Near Dwarka	50	Sadik Masih Medical Social Servant
97	Jama Masjid (iii) Family	50	SPYM
98	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat	50	Safe Approach for Nascent Termination
99	Hanuman Mandir Yamuna Bazar	50	Rachna Women's Development

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
100	Raza Bazar, Bangla Sahib	50	SPYM
101	Nangli Khadar, Near Ramchirtr Manas	50	Prayas Juvenile Aid centre
102	Raja Garden-119	50	Sadik Masih Medical Social Servant
103	Taimur Nagar, Okhla near Dhobi Ghat	50	SPYM
104	Mansrover Park-2, Lai Bagh	50	Sadik Masih Medical Social Servant
105	Kalkaji Mandir	50	Safe Approach for Nascent Termination
106	Nehru Place 1, Metro Station	50	Safe Approach for Nascent Termination
107	Nehru Place 2, Metro Station	50	Safe Approach for Nascent Termination
108	Geeta Colony, Shamsan Ghat	50	Prayas Juvenile Aid centre
109	Akshardham Temple near Metro Station	50	Prayas Juvenile Aid centre
110	Shastri Park (Red Light)	50	Sadik Masih Medical Social Servant
111	Yamuna Bajar Ghat -1	50	Rachna Women's Development
112	Sarai Kale Khan-2 Near petrol pump, outer	50	SPYM
113	Kudesia Ghat near NDPL, Yamuna Pushta	50	Safe Approach for Nascent Termination

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
114	Mori Gate Gole Chakar	50	Rachna Women's Development
115	Raja Garden -II Near Raja Garden Chowk,	50	Sadik Masih Medical Social Servant
116	Kali Mandir, Sector - 3 Rohini for Men	50	Safe Approach for Nascent Termination
117	Ram Lila Ground Nand Nagri	50	Sadik Masih Medical Social Servant
118	Opp. Mayur Vihar metro station yamuna	50	Prayas Juvenile Aid centre
119	Sector-12, Dwarka	50	Sadik Masih Medical Social Servant
120	Madipur Sajjan Park	50	Sadik Masih Medical Social Servant
121	Ganesh Nagar Near Mother Dairy	50	Prayas Juvenile Aid centre
122	Panchsheel Garden Shahdra	50	Sadik Masih Medical Social Servant
123	Vasant Vihar Behind Pahari	50	SPYM
124	AIIMS Safdarjung Side near Raj Griha	325	SPYM
125	Yamuna Pushta, Code-149	50	Safe Approach for Nascent Termination
126	Nangli Chilla Khadar Village, Near Mayur	50	Prayas Juvenile Aid centre
127	Jama Masjid	50	SPYM

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
128	Mori Gate Terminal -1	70	Rachna Women's Development
129	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-2	70	Sadik Masih Medical Social Servant
130	At Plot No.1 & 2, Asif Ali Road, Near Police	290	SPYM
131	Priyadarshnay Colony Yamuna Bazar	60	Rachna Women's Development
132	Community center Parda Bagh (llnd Floor)	160	SPYM
133	Rohini Avantika, Sector 1	200	Safe Approach for Nascent Termination
134	BVK Raghubir Nagar F Block Ext. Khayala	70	Sadik Masih Medical Social Servant
135	A- Block JJR Colony Sultanpuri	120	Safe Approach for Nascent Termination
136	Community Hall at A, B & C Block	100	Safe Approach for Nascent Termination
137	Community Hall at P-l Block Sultanpuri	25	Safe Approach for Nascent Termination
138	Kabir Basti near Subzi Mandi Police Station	100	Centre for Equity Studies
139	IFC, Pocket C, Ghazipur	160	Prayas Juvenile Aid centre
140	Sector-22, Rohini	200	Safe Approach for Nascent Termination
141	Shastri Park (Theka) Near Wine Soap	50	Sadik Masih Medical Social Servant

142	Pushta Usmanpur opp. Jag Pravesh	50	Sadik Masih Medical Social Servant
143	Pusta Usman Pur near DDA Park.	50	Sadik Masih Medical Social Servant
144	Chand Cinema Kalyanvas	50	Prayas Juvenile Aid centre
145	Near DLF corner road no - 70 new	50	Sadik Masih Medical Social Servant
146	Kali Mandir, Sec-3, Rohini	50	Safe Approach for Nascent Termination
147	At New Delhi Railway Station near LNJP.	50	SPYM
148	Fountain chowck Chandni Chowk	50	SPYM
149	Jama Masjid-5	50	SPYM
150	Mori Gate Terminal - 2 .	50	Rachna Women's Development
151	Porta Cabin Idgah Telephone Exchange	50	Safe Approach for Nascent Termination
152	Near MAX Hospital Badli Mor	50	Safe Approach for Nascent Termination
153	Badarpur Border Near Toll Plaza	50	SPYM
154	Anand Vihar -1 (Male)	50	Sadik Masih Medical Social Servant
155	Yamuna Bajar Near Hanuman Mandir	50	Rachna Women's Development
156	Dandi Park -1	50	Rachna Women's Development

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
157	Dandi Park - II	50	Rachna Women's Development
158	Near Sai Baba Mandir Lodhi road	50	SPYM
159	Munirka near Masjid Sec- 4, R. K. Puram	50	SPYM
160	At Ram Lila Ground (Himmat Garh).	50	SPYM
161	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-3	50	Sadik Masih Medical Social Servant
162	Near Britainia Chowk	50	Sadik Masih Medical Social Servant
163	Uttam Nagar East	50	Sadik Masih Medical Social Servant
164	Pusta Ushmanpur opp. Jag Pravesh	50	Sadik Masih Medical Social Servant
165	Near Britainia Chowk	70	Sadik Masih Medical Social Servant
166	Kudsia Ghat No.1, Yamuna Pushta	50	Safe Approach for Nascent Termination
167	Behind Hanuman Mandir	50	Rachna Women's Development
168	Sector-10, Dwarka	50	Sadik Masih Medical Social Servant
169	Dhouli Piao, Vikaspuri	50	Sadik Masih Medical Social Servant
170	Ring Road, Bus Terminal Sarai Kale Khan,	50	SPYM

171	Ring Road, Bus Terminal Sarai Kale Khan	50	SPYM
172	Bangla Sahib Gurudwara Site-5	50	SPYM
173	Bangla Sahib Gurudwara Site-6	50	SPYM
174	Sarai Kale Khan Near Bus Terminal Pota	150	SPYM
175	Sarai Kale Khan Near Bus Terminal Pota	180	SPYM
176	Leprosy colony Siriniwaspuri (3 Nos Cabins)	50	Safe Approach for Nascent Termination
177	Opp. Chattarpur Mandir (4 Nos Cabins)	50	Safe Approach for Nascent Termination
178	Dandi Park - III Near Pusta	160	Rachna Women's Development
179	Dandi Park - IV Near Pusta	190	Rachna Women's Development
180	Anand Vihar -2 (Female)	50	Sadik Masih Medical Social Servant
181	Geeta Ghat-1 Yamuna Bank Near	210	Centre For Equity Studies
182	Geeta Ghat-2 Yamuna Bank Near	210	Centre For Equity Studies
183	Munirka	50	SPYM
184	Jasola Opposite Church	50	SPYM
185	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat	225	Safe Approach for Nascent Termination

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
186	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-4	70	Sadik Masih Medical Social Servant
187	Sarai Kale Khan in Parking, Double Storey	50	SPYM
188	Sarai Kale Khan in Parking	150	SPYM
189	Sarai Kale Khan in Parking, Double Storey	50	SPYM
190	AIIMS near Footover Bridge (Opposite	25	SPYM
191	Lado Sarai near Phool Mandi.	25	Safe Approach for Nascent Termination
192	Near Idgah Telephone Exchange	25	Safe Approach for Nascent Termination
193	Madhuban Chowk near DDA Office	25	Safe Approach for Nascent Termination
194	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat	50	Safe Approach for Nascent Termination
195	Yamuna Pushta River Bad Side-1	SO	Safe Approach for Nascent Termination
196	Meena Bazar, Jama Masjid	50	SPYM
197	Bangla Sahib Gurudwara (Bangla Sahib-1)	50	SPYM
198	AIIMS near Footover Bridge (Opposite	75	SPYM
199	Nizamuddin near Flyover, Tikona Park	50	SPYM

200	Subhash Nagar Mor	50	Sadik Masih Medical Social Servant
201	Sarai Kale Khan Near Red Light	25	SPYM
202	Faridabad Bus Stand, Ring Road ISBT,	195	Safe Approach for Nascent Termination
203	AIIMS near Metro Station Gate No.2	25	SPYM
204	AIIMS near Footover Bridge Gate	70	SPYM
205	Yamuna Pushta (LG Samadhi)	50	Safe Approach for Nascent Termination
206	AIIMS Metro Gate No. 2	50	SPYM
207	Dev Nagar near Porta Cabin NS Code-903	25	Aashray Adhikar Abhiyan
208	AIIMS near Footover Bridge	75	SPYM
209	AIIMS near Footover Bridge	50	SPYM
210	Pre-Feb Container under Flyover Ring Road	50	Safe Approach for Nascent Termination
211	Urdu Park, Jama Masjid	50	SPYM
212	AIIMS Safdarjung Road Side outside Raj	50	SPYM
213	Asif Ali Road, Plot No.l and 2	50	SPYM
214	Under Palam Flyover Manglapuri	50	Sadik Masih Medical Social Servant

Sl. No.	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
215	Sant Nagar near Red Light	25	Safe Approach for Nascent Termination
216	Laxmi Nagar near Metro Station	25	Prayas Juvenile Aid centre
217	Lalita Park near Flyover DM Office East	25	Prayas Juvenile Aid centre
218	Porta Cabin, Dev Nagar (Families) (Nos 4	25	Aashray Adhikar Abhiyan
	Total	1365	
	Grand Total Capacity	17795	

Note: Total Tent Unit 65, Location of Temporary Shelters 28, 190+65 = Total Night Shelter is 255

106. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुण्डका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 01.01.2015 से कितने शौचालय एवं मूत्रालय बनाए गए हैं;

(ख) इस समय कितने शौचालय एवं मूत्रालय कार्यक्षम स्थिति में है;

(ग) इस क्षेत्र में शौचालय एवं मूत्रालयों के निर्माण के लिए आंबटित भूमि का ब्यौरा दीजिए; और

(घ) इस क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड (डी.यू.एस.आई.वी.) के अंतर्गत कार्यरत माली/चौकीदारी के नाम और उनकी तैनाती के स्थान का विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) मुण्डका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 01/01/2015 से डूसिव द्वारा कोई भी शौचालय एवं मूत्रालय नहीं बनाये गये हैं। इस क्षेत्र में डूसिव की कोई भी जे.जे. बस्ती नहीं है;

(ख) उपरोक्त;

(ग) डूसिव की इस क्षेत्र में शौचालय एवं मूत्रालयों के निर्माण के लिए कोई भी आंबटित भूमि नहीं है; और

(घ) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डी.यू.एस.आई.वी.) के अंतर्गत माली। चौकीदारों के नाम व स्थान निम्नलिखित हैं :

(1) श्री धरम सिंह माली–सांवदा घेवरा ई.डब्ल्यू.एस. हाउसिंग।

(2) श्री श्यामवीर सिंह – टैंकर चालक

(3) श्री राजेन्द्र कुमार – चौकीदार सांवदा घेवरा कालोनी।

107. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास को लेकर क्या योजना तैयार की है;

(ख) सरकार की झुग्गी झोपड़ियों में विकास कार्य को लेकर क्या नीति है;

(ग) सरकार ने अब तक झुग्गीवासियों के लिए कितने पुनर्वास मकान तैयार किये है;

(घ) कितने झुग्गीवासियों के पुनर्वास मकान के लिए अब तक राशि वसूल की गई है;

(ङ) अब तक कितने झुग्गी झोपड़ी वासियों को उनके पुनर्वास के लिए मकान आवंटित किये गये हैं;

(च) पुनर्वास के लिए तैयार ऐसे मकानों का विवरण जिन्हें अब तक आवंटित नहीं किया गया है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ मकान जो झुग्गीवासियों को पुनर्वास के लिए आवंटित किये गये थे, वे खाली पड़े हैं; और

(ज) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है?

माननीय शहरी विकासमंत्री : (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली में सरकारी जमीन पर स्थित मुख्य मंत्री आवास योजना (दिल्ली स्लम

व जे.जे. पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति–2015) के तहत (झुग्गियों/जे.जे. बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिए) एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यदि सरकारी विभागों/भूस्वामी संस्थाओं को सरकारी योजनाओं हेतु उस जगह की जरूरत है, जहाँ जे.जे. बस्ती बसी है, उस भूस्वामी संस्था के आग्रह पर यह विभाग उन्हें पुनर्वासित करने की कार्रवाई शुरू करता है। इस नीति को माननीय उप–राज्यपाल, दिल्ली द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात दिनांक 11.12.2017 को उप सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(ख) डूसिब झुग्गी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि कन्क्रीट की गलियां, नालियां शौचालय, बस्ती विकास केंद्र, शिशु वाटिका इत्यादि की सुविधा देती है;

(ग) पुनर्वास के लिए तैयार किए गए कुल मकानों की संख्या 12145 है। इसके अतिरिक्त 7400 मकान भलस्वा में तैयार किये जा रहे हैं; (सूची संलग्न है)

(घ) विभाग द्वारा जिन झुग्गीवासियों की पात्रता 25.02.2013 की नीति के अनुसार निर्धारित की गई थी उनसे 68,000/– रुपये लाभार्थी अंश के मद में अग्रिम राशि के रूप में लिए थे तथा जिनकी पात्रता का निर्धारण दिल्ली स्लम व जे.जे. पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति–2015 के अनुसार निर्धारित की गई है उनसे लाभार्थी अंश के मद में 1,12,000/– रुपये अग्रिम राशि ली गई है। इसके अतिरिक्त सभी लाभार्थियों से 30,000/– रुपये 5 वर्ष के आबंटित फ्लैट के रख रखाव के मद में प्राप्त किए गए हैं। अभी तक इन दोनों मदों 5173 झुग्गी वासियों से कुल 39.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं;

(ङ) झुग्गी वासियों को अभी तक 1110 + 821 = 1931 फ्लैट आबंटित किये जा चुके हैं;

(च) अभी तक पुनर्वास के लिए तैयार 10214 मकानों को आवंटित नहीं किया गया है;

(छ) जी नहीं ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है; और

(ज) उपरोक्त।

Payment Received

Sl. No.	Name of Colony	Payment received
1	2	3
1	Cement Godown, Moti Bagh, Netaji Nagar	219
2	Karam Pura G & F Block	26
3	Bengali Camp, East Kidwai Nagar	49
4	Arjun Dass Camp, East Kidwai Nagar	97
5	Bharti Nagar Camp, Khan Market	18
6	Shiv Mandir Camp, Safdarjang Airport	26
7	G-Point, Gole Market	25
8	DDU Marg, Pkt-6	2
9	Sardar Patel Camp, Near Virat Co-operative, Jwalapuri	528

1	2	3
10	Jawahar Camp, Kirti Nagar	99
11	Jan Path Plot A New Delhi	30
12	Mahatma Gandhi Camp Road No 77, Punjabi Bagh	53
13	Palika Dham, Back side of Telegraph Place, (Jharkhand Bhawa)	4
14	Nehru Camp, Patparganj	464
15	Jal Bharti Camp, J Block, East Vinod Nagar	41
16	Rajiv Camp- back side of Fire Station Mandawali, Patparganj	11
17	Gyaspur, Nizamuddin East, Sarai Kale Khan	4
18	NBCC, East Kidwai Nagar	174
19	C-33, Havlock Square, Kali Bari Marg	57
20	JJ Basti Sanjay Camp	55
21	Infront of Ayurvedic Hospital Haiderpur	16
22	Press Road Old Sectt.	49
23	Khichripur B/W B Bridge	98
24	K&L Block Wazirpur	189
25	Park Side, Badli	327
26	STD Booth Shalimar Bagh	56

1	2	3
27	Nivedita Kunj	48
28	Pratap Camp	342
29	Kirbi Place	570
30	JJC 5855, NDMC water supply central room. Kali Bari Marg, New Delhi	6
31	JJC adjacent to Bunglow No-12, Suneheri Bagh	14
32	JJC Noor nagar, Jamia Milia	39
33	N.CJ.M. Hospital, Karol Bagh	393
34	I.G. Camp Taimoor Nagar If	
35	Dhobi Ghat No. 10	26
36	Dhobi Ghat No.7 & 9	33
37	Ramesh Nagar Kirti Nagar	185
38	P-l, Sultan Puri	57
39	A-2, Sultan Puri	02
40	Opp. F-7, Sultan Puri	71
41	HGI Labour Colony, Sultan Puri	23
	Total	5173

(AS on 08.02.2019)

Sl. No.	Name of JJ Basti (Relocated)	Date of Relocation	No. of Flats allotted			Total no of flats allotted
			Bawana	Baprola	Dwarka	
1	2	3	4	5	6	7
1	Cement Godowan, Moti Bagh, Netaji Nagar	17.09.2010	67	112	40	219
2	Karam Pura G & F Block	28.09.2012	10	16		26
3	Bengali Camp, East Kidwai Nagar	21.09.2012	44		5	49
4	Arjun Dass Camp, East Kidwai Nagar	30.10.2012	78		19	97
5	Bharti Nagar Camp, Khan Market	17.10.2012	18			18
6	Shiv Mandir camp, Safdarjang Airport	08.09.2012	26			26
7	G-Point, Gole Market	22.11.2010	21	2	2	25
8	DDU Marg, Pkt-6	01.12.2012	2			2
9	Sardar Patel Camp, Near Virat Co-operative, Jwalapuri	26.11.2015	-	528		528

1	2	3	4	5	6	7
10	Jawahar Camp, Kirti Nagar	13.07.2016	-	99		99
11	Jan Path Plot A New Delhi	15.07.2016	-	30		30
12	Mahatma Gandhi Camp Road No 77 Punjabi Bagh	21.07.2016	-	53	-	53
13	Palika Dham, Back side of Telegraph Place, (Jharkhand Bhawan)	22.09.2016	-	4		4
14	Nehru Camp, Patparganj	06.02.2017	-		464	464
15	Jai Bharti Camp, J Block, East Vinod Nagar	06.02.2017	-		41	41
16	Rajiv Camp back side of Fire station Mandawali, Patparganj	06.02.2017	-		11	11
17	Gyaspur, Nizamuddin East, Sarai Kale Khan	06.02.2017	-		4	4
18	NBCC, East Kidwai Nagar	14.07.2017	-		174	174
19	Havlock Square	15-02-19			61	61
	Total		266	844	821	1931

Annexure

Delhi Urban Shelter Improvement Board
Govt. of NCT of Delhi

Subject: Scheme-wise Progress of Projects approved under BSUP, IHSDP & RAY

State: - Delhi

Name of Scheme		No. of projects approved	No. of DUs appro-ved	No. of DUs comple-ted	No. of DUs occup-ied	No. of DUs under progress	Plinth/ found-ation level	Lintel Level	Roof Level	Finish-ing Stage	Super-structure (in case multi-storeyed building)	Yet to be started	drop-ped
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BSUP													
(i)	Site-I, Sector-16B, Dwarka	1	980	980	821	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	Site-II, Sector-16B, Dwarka	1	736	736	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	Site-III, Sector-16B, Dwarka	1	288	288	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(iv)	Sultan Puri	1	1180	1060	Nil	-	-	-	-	-	-	-	120
(v)	Savda Ghewra	1	7620	7620	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	Bhalaswa pocket-II, Jahangirpuri Delhi	1	7400	Nil	Nil	7400	7400						
	Total	6	18204	10684	821	7400	-	-	-	7400	-	-	120
	IHDSP	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAY	Nil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Details of Flats taken over from DSIIDC

Sl. No.	Present Status	Location	No of Units (Taken Over)	Allotted	Possession given
1.	Completed	Bawana	293	266	266
2.	Completed	Baprola Ph-II	1168	844	844
		Total	1461	1110	1110

108. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 1984 के दंगों से प्रभावित गरीब सिक्ख परिवारों को तिलक विहार, तिलक नगर में फ्लैट दिए गए थे;

(ख) सिक्ख परिवारों को आबंटित इन फ्लैट्स को फ्रीहोल्ड न किये जाने के कारण है; और

(ग) सरकार इन फ्लैट्स का मालिकाना हक कब तक उन परिवारों को दे देगी?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जी, हां यह सत्य है कि 1984 के दंगों से प्रभावित सिक्ख परिवारों को तिलक बिहार, तिलक नगर में लगभग 1029 फ्लैट्स दिये गये थे;

(ख) सिक्ख परिवारों को आबंटित इन फ्लैट्स को विभाग द्वारा नीति–अनुसार फ्री होल्ड किया जा रहा है। आवंटन शाखा में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 12 फ्लैट्स फ्रीहोल्ड किये जा चुके हैं फ्रीहोल्ड की स्कीम वैकल्पिक है; और

(ग) जो भी सिक्ख परिवार अपने फ्लैट को फ्रीहोल्ड करवाने के लिए आवेदन करता है उसका फ्लैट विभागीय नीति के अनुसार फ्रीहोल्ड कर दिया जाता है।

109. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलक विहार, तिलक नगर में 1984 के दंगों से प्रभावित परिवार

के फ्लैटों की देख–रेख एवं मरम्मत आदि का दायित्व किस विभाग का है;

(ख) इन फ्लैटों में मरम्मत आदि का कार्य कितने वर्ष पूर्व किया गया था;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन फ्लैटों में रहने वाले गरीब लोगों की असहाय स्थिति को देखते हुए सरकार इन फ्लैटों की मरम्मत रख–रखाव करने की योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) तिलक विहार, तिलक नगर में 1984 के दंगों से प्रभावित परिवार के फ्लैटों की देख–रेख एवं मरम्मत आदि का कार्य, डूसिब विभाग द्वारा केवल बाहर के कार्य कराया जाता है जैसे कि सीढ़ियों की और कामन एरिया की मरम्मत आदि। बाकी फ्लैटों के अंदर का कार्य फ्लैट मालिकों के द्वारा खुद किया जाना है;

(ख) इन फ्लैटों में संयुक्त जगह जैसे कि सीढ़ियों की स्पेशल रिपेयर का कार्य, कामन एरिया के रख–रखाव का कार्य वर्ष 2013–14 में रु. 90.00 लाख और 2017–18 में रु. 54 लाख का कार्य तिलक विहार के बी और सी ब्लॉक के 848 फ्लैटों के लिये कराया गया था;

(ग) 'क' के अनुसार इसके अतिरिक्त कोई योजना विचाराधीन नहीं है;

(घ) उपरोक्त।

110. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में डूसिब विभाग द्वारा संचालित रैन बसेरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि रैन बसेरा संचालकों के लिए विभाग द्वारा समिति गठित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) रैन बसेरा संचालन करने वाले एन.जी.ओ. की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया बनाई गई है; और

(ङ) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में D.U.S.I.B. द्वारा संचालित बस्ती विकास केन्द्रों और उनमें से कार्यरत केन्द्रों का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 02 रैन बसेरे विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं;

(ख) रैन बसेरा संचालकों की अनियमितताओं व परामर्श के लिए विभाग द्वारा स्वतंत्र संस्थाओं को जिम्मा दिया गया है। जिसने 16/02/19 से कार्य करना शुरू कर दिया है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली सरकार द्वारा Monitoring Committee का गठन किया गया। यह समिति सभी पक्षों पर परामर्श का कार्य करती है;

(ग)

1. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित मोनिटरिंग कमिटि।
2. इम्पैक्ट एवं पोलिसी रिसर्च इंस्टिटयूट।;

(घ) रैन बसेरा संचालन करने वाले की नियुक्ति के लिए टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ङ) आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में बस्ती विकास केन्द्रों की कुल संख्या चार है इनमें से दो बस्ती विकास केंद्र रिक्त है आवंटित बस्ती विकास केंद्रों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	स्थान	आवंटित आर्गेनाईजेशन/ एन.जी.ओ.	कार्य
1.	ब्लॉक–G, साइट–1 जहांगीर पूरी (नियर एम.सी.डी. स्कूल)	आर.एस. रोहिणी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट	सामाजिक कार्य
2.	सराय पीपल थला, आदर्श नगर	औषधालय दिल्ली सरकार	स्वास्थ्य सेवाएं
3.	ब्लॉक–G साइट–2 जहांगीर पुरी	रिक्त	–
4.	ब्लॉक–G साइट–2 जहांगीर पुरी (कम्युनिटी रूम अपोजिट जन सुविधा परिसर)	रिक्त	–

111. श्री गिरीश सोनी : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछली सरकार ने विशेष समाज के लिए कुछ स्नानघर बनाए थे;

(ख) यदि हाँ तो इन स्नानघरों की संख्या व पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि मादीपुर ए ब्लाक, जे.जे. कालोनी में बना स्नानघर बहुत ही जर्जर हालत में है;

(घ) यदि हां, तो इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि किसी संस्था को रख–रखाव के लिए देने पर सरकार विचार कर रही है; और

(च) यदि हां तो उसका विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकासमंत्री : (क) हां, यह सत्य है;

(ख) स्नानघरों की संख्या स्थान व पूर्ण विवरण निम्न है :

(i) मादीपुर ए ब्लाक – भूतल – 18 स्नानघर व 02 शौचालय प्रथम तल – 01 हॉल व 01 कमरा;

(ii) मदनगीर ई ब्लाक अम्बेडकर नगर – भूतल – 18 स्नानघर व 02 शौचालय प्रथम तल – 01 हॉल व 01 कमरा;

(iii) नांगलोई फेस – 2 – भूतल – 21 स्नानघर व 02 शौचालय प्रथम तल 01 हॉल व 01 कमरा।

(ग) यह जर्जर हालत में तो नहीं है। परंतु इसकी विस्तृत मरम्मत की आवश्यकता है;

(घ) इसकी रख–रखाव की जिम्मेदारी डूसिब की है;

(ङ) अभी विचाराधिन नहीं है; और

(च) उपरोक्त।

112. श्री पंकज पुष्कर : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सभी विधान सभा क्षेत्रों में क्षेत्रानुसार डूबिस के कटरों की संख्या, डूबिस द्वारा स्वीकृत कलस्टर्स की संख्या, डूबिस की शिशु वाटिकाओं की संख्या एवं डूबिस के कम्युनिटी हॉल या सेंटर्स की संख्या क्या है; और

(ख) दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्र वार डूसिव के सिविल, इलेक्ट्रकल और हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा किया गया विधानसभावार व्यय क्या है?

माननीय शहरी विकासमंत्री : (क) सूची संलग्न है; और

(ख) सूची संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

Delhi Urban Shelter Improvement Board

Summary of JJ Bastis

AC No	AC Name	No. of JJ Bastis
2	Burari	1
3	Timarpur	16
4	Adarsh Nagar	9
5	Badli	13

AC No	AC Name	No. of JJ Bastis
7	Bawana(SC)	2
9	Kirari	1
10	Sultanpur Majra(SC)	15
11	Nangloi Jat	8
12	Mangol Puri(SC)	9
13	Rohini	3
14	Shalimar Bagh	12
15	Shakur Basti	10
16	Tri Nagar	12
17	Wazirpur	26
18	Model Town	23
19	Sadar Bazar	18
20	Chandni Chowk	15
21	Matia Mahal	8
22	Ballimaran	1
23	Karol Bagh (SC)	6
24	Patel Nagar	10
25	Moti Nagar	34

AC No	AC Name	No. of JJ Bastis
26	Madipur	12
27	RajouriGarden	7
28	Hari Nagar	19
29	Tilak Nagar	6
30	Janakpuri	1
31	Vikaspuri	6
33	Dwarka	4
34	Matiala	2
36	Bijwasan	7
37	Palam	1
38	Delhi Cantt.	11
39	Rajinder Nagar	21
40	New Delhi	20
41	Jangpura	20
42	Kasturba Nagar	9
43	Malviya Nagar	4
44	R K Puram	24
45	Mehrauli	9

AC No	AC Name	No. of JJ Bastis
46	Clihattar pur	11
47	Deoli (SC)	6
48	Ambedakar Nagar	3
49	Sangam Vihar	2
50	Greater Kailash	6
51	Kalkaji	17
52	Tughlakabad	83
53	Badarpur	5
54	Okhla	9
55	Trilok Puri (Reserved)	10
56	Kondli (SC)	8
57	Patparganj	9
58	Laxmi Nagar	4
59	Vishwas Nagar	10
60	Krishna Nagar	4
61	Gandhi Nagar	8
62	Shahdara	16
63	Seema Puri	17

AC No	AC Name	No. of JJ Bastis
64	Rohtas Nagar	4 .
65	Seelam Pur	5
67	Babarpur	2
68	Gokalpur	1
		675

Delhi Urban Shelter Improvement BoardSummary of Community Halls

AC No	AC Name	No. of Community Hall
1	2	3
1	Narela	8
3	Timarpur	3
4	Adarsh Nagar	3
5	Badli	2
7	Bawana(SC)	9
8	Mundka	5
10	Sultanpur Majra(SC)	9
12	Mangol Puri(SC)	5
18	Model Town	8

1	2	3
19	Sadar Bazar	12
20	Chandni Chowk	8
21	Matia Mahal	35
22	Ballimaran	14
23	Karol Bagh (SC)	9
24	Patel Nagar	4
26	Madipur	3
27	RajouriGarden	6
29	Tilak Nagar	3
31	Vikaspuri	1
32	Uttam Nagar	2
34	Matiala	4
37	Palam	2
41	Jangpura	10
42	Kasturba Nagar	3
45	Mehrauli	2
46	Chhattar pur	1
47	Deoli (SC)	3

1	2	3
48	Ambedakar Nagar	3
51	Kalkaji	2
53	Badarpur	1
54	Okhla	1
55	Trilok Puri (Reserved)	2
56	Kondli (SC)	2
59	Vishwas Nagar	1
62	Shahdara	8
63	Seema Puri	5
64	Rohtas Nagar	1
65	Seelam Pur	1
		201

Delhi Urban Shelter Improvement Board

Summary of Shishu Vatika/ Park

AC No	AC Name	No. of Shishu Vatika
3	Timarpur	20
4	Adarsh Nagar	4
5	Badli	44

AC No	AC Name	No. of Shishu Vatika
7	Bawana(SC)	3
8	Mundka	40
10	Sultanpur Majra(SC)	18
11	Nangloi Jat	6
13	Rohini	3
14	Shalimar Bagh	3
15	Shakur Basti	8
16	Tri Nagar	5
17	Wazirpur	9
18	Model Town	4
19	Sadar Bazar	3
20	Chandni Chowk	3
21	Matia Mahal	2
22	Ballimaran	4
24	Patel Nagar	5
25	Moti Nagar	20
26	Madipur	2
27	RajouriGarden	3

AC No	AC Name	No. of Shishu Vatika
28	Hari Nagar	2
29	Tilak Nagar	5
31	Vikaspuri	13
33	Dwarka	3
34	Matiala	20
36	Bijwasan	8
37	Palam	1
39	Rajinder Nagar	1
41	Jangpura	2
43	Malviya Nagar	2
44	R K Puram	5
45	Mehrauli	9
46	Chhattar pur	6
47	Deoli (SC)	11
48	Ambedakar Nagar	2
49	Sangam Vihar	1
50	Greater Kailash	6
51	Kalkaji	7

AC No	AC Name	No. of Shishu Vatika
52	Tughlakabad	10
53	Badarpur	3
54	Okhla	1
55	Trilok Puri (Reserved)	7
56	Kondli (SC)	5
57	Patparganj	12
58	Laxmi Nagar	1
59	Vishwas Nagar	8
60	Krishna Nagar	7
61	Gandhi Nagar	4
62	Shahdara	13
63	Seema Puri	18
67	Babarpur	10
68	Gokalpur	2
	Grand Total	414

Delhi Urban Shelter Improvement Board Summary of Katras AC-wise

AC No	AC Name	No. of Katras
3	Timarpur	51
19	Sadar Bazar	246
20	Chandni Chowk	342
21	Matia Mahal	984
22	Ballimaran	735
23	Karol Bagh (SC)	142
	Total	2500

Delhi Urban Shelter Improvement BoardSummary of total Expenditure incurred in Lacs

Year 2018-19

Sl. No.	AC No.	AC Name	Expenditure incurred in Lacs
1	2	3	4
1	1	Narela	11.41
2	2	Burari	4.45
3	3	Timarpur	126.32
4	4	Adarsh Nagar	260.05

1	2	3	4
5	5	Badli	629.21
6	6	Rithala	1.03
7	7	Bawana(SC)	53.28
8	8	Mundka	501.85
9	9	Kirari	0.00
10	10	Sultanpur Majra(SC)	121.85
11	11	Nangloi Jat	95.23
12	12	Mangol Puri(SC)	69.31
13	13	Rohini	12.29
14	14	Shalimar Bagh	112.38
15	15	Shakur Basti	117.91
16	16	Tri Nagar	70.95
17	17	Wazirpur	92.51
18	18	Model Town	207.37
19	19	Sadar Bazar	20.62
20	20	Chandni Chowk	152.29
21	21	Matia Mahal	100.00
22	22	Ballimaran	147.07

1	2	3	4
23	23	Karol Bagh(SC)	18.84
24	24	Patel Nagar	114.13
25	25	Moti Nagar	114.01
26	26	Madipur	5.59
27	27	RajouriGarden	31.05
28	28	Hari Nagar	75.06
29	29	Tilak Nagar	41.50
30	30	Janakpuri	0.00
31	31	Vikaspuri	48.80
32	32	Uttam Nagar	0.59
33	33	Dwarka	2.09
34	34	Matiala	104.66
35	35	Najafgarh	0.00
36	36	Bijwasan	11.57
37	37	Palam	5.59
38	38	Delhi Cantt.	0.00
39	39	Rajinder Nagar	35.76
40	40	New Delhi	0.00

1	2	3	4
41	41	Jangpura	96.02
42	42	Kasturba Nagar	3.42
43	43	Malviya Nagar	21.28
44	44	R K Puram	8.69
45	45	Mehrauli	7.87
46	46	Chhattar pur	73.69
47	47	Deoli (SC)	185.14
48	48	Ambedakar Nagar	20.74
49	49	Sangam Vihar	0.00
50	50	Greater Kailash	16.70
51	51	Kalkaji	269.12
52	52	Tughlakabad	716.02
53	53	Badarpur	111.20
54	54	Okhla	35.73
55	55	Trilok Puri (Reserved)	24.00
56	56	Kondli (SC)	52.47
57	57	Patparganj	50.97
58	58	Laxmi Nagar	19.77

1	2	3	4
59	59	Vishwas Nagar	119.02
60	60	Krishna Nagar	45.81
61	61	Gandhi Nagar	68.23
62	62	Shahdara	186.51
63	63	Seema Puri	174.15
64	64	Rohtas Nagar	53.56
65	65	Seelam Pur	17.28
66	66	Ghonda	0.00
67	67	Babarpur	12.60
68	68	Gokalpur	141.72
69	69	Mustafa bad	0.00
70	70	Karawal Nagar	1.03

113. श्री मनोज कुमार : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंडली विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने बस्ती विकास केंद्र (B.V.K.) हैं;

(ख) जिन संस्थाओं को ये बी.वी.के. अलॉटमेंट किये गए हैं, नाम, पते सहित उनका विवरण;

(ग) कितने बस्ती विकास केंद्र अभी तक खाली हैं;

(घ) कितनी अप्लीकेशन लंबित हैं;

(ङ) क्या कोंडली विधान सभा में कोई शिशु वाटिका व मनोरंजन केंद्र है;

(च) यदि हां, तो किस संस्था को दिया हुआ है;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ज) कोंडली विधान सभा क्षेत्र में डी.यू.एस.ई.बी. लंबित योजनाओं का विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कोंडली विधान सभा क्षेत्र में 4 बस्ती विकास केंद्र है;

(ख)

क्र.सं.	स्थान	आवंटित का पता	कार्य
1.	ब्लॉक 14 बस स्टैण्ड खिचड़ीपुर ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल RZ	श्री आई.पी. आनंद, एन.जी.ओ. गोधूलि c/o भगत चंद्रा एवं अदर F-1, महावीर एन्क्लेव, पालम डाबरी रोड, दिल्ली–45	फ्री एजुकेशन एवं हेल्थ केयर to स्लम चिल्ड्रन फैसिलिटीज

क्र.सं.	स्थान	आवंटित का पता	कार्य
2.	ब्लॉक 19–20 कल्याणपुरी	1. श्री विंध्या भूषण, एन.जी.ओ. प्रज्ञा दीप, ई–86 शशि गार्डन मयूर विहार फेस–1 नई दिल्ली–91	कटिंग एवं टेलरिंग ब्यूटी कल्चर एवं क्रेच
		2. सुश्री कुमारी सरस्वती एन.जी.ओ. इंडियन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 16/151, कल्याणपुरी, दिल्ली–91	सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज
3.	ब्लॉक–17–21, साइट–2 कल्याणपुरी फर्स्ट फ्लोर	प्रियदर्शिनी त्रिपाठी एन.जी.ओ. अल्पना फ्लैट 329 ग्राउंड फ्लोर स्वयं सेवा, CGHS, झिलमिल कॉलोनी दिल्ली–95	सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज
4.	ब्लॉक–17–21, साइट–1 कल्याणपुरी	श्री विजेंद्र एन.जी.ओ. भारतीय लोक सुरक्षा संस्थान, 21/179, कल्याणपुरी दिल्ली–91	स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग to अनएम्प्लोय्मेंट युथ एजुकेशन

(ग) उपरोक्त बस्ती विकास केंद्रों में भिन्न रूप से कुछ स्थान खाली है।

1. ब्लॉक 14 बस स्टैण्ड खिचड़ीपुर (ग्राउंड फ्लोर)

2. ब्लॉक 14 बस स्टैण्ड खिचड़ीपुर (फर्स्ट फ्लोर)

3. ब्लॉक–17–21, कल्याणपुरी (साइट–2)

4. ब्लॉक–19, कल्याणपुरी (ग्राउंड फ्लोर)

(घ) 3 आवेदन पत्र लंबित है क्योंकि 17वीं बोर्ड की बैठक के मिनट्स के अनुसार बस्ती विकास केंद्र आवंटन को रोक दिया गया है;

(ङ) कोण्डली विधान सभा क्षेत्र के.जे. बस्ती में 5 शिशु वाटिकाएं व एक मनोरंजन केंद्र (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) ब्लॉक–3, खिचड़ीपुर में है;

(च) अभी यह केंद्र किसी संस्था को आंबटित नहीं हुआ है;

(छ) यह मनोरंजन केंद्र विधायक निधि से बनाया गया है। माननीय विधायक की तरफ से इस बाबत कोई भी अनुशंशा लंबित नहीं है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पत्र भेजा गया है और जब तक टेक ओवर नहीं होता पब्लिक के सोशल फंक्शन के लिए आवंटित किया जायेगा; और

(ज) कोण्डली विधान सभा क्षेत्र में डूसिब द्वारा किये गये और चल रहे कार्यों का विवरण संलग्न है।

List of works completed/In progress in AC-56

(Kondli - Assembly Constituency)

Sl. No.	Temp Code New	AC No.	Name of Work	Div	Scheme	Status of Work	Tendered Amt in Lacs	DOS/ Likely date of start	As on date progress (in %age) For ongoing works	Date of comple-tion/ Likely Date of Comple-tion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	908	56	Upgradation/special repair of BVK(single storey) in JJ Basti at block-17-21, Kaiyanpuri (site-II)	C09	BVK	Work in Progress	3.55	12-Sep-18	90%	28-Feb-19
2	910	56	Renovation/up-gradation work of Community Hall at block-13-14, Kaiyanpuri;.	C09	BVK	Work in Progress	4.53	17.02.19	2%	30-Mar-19
3.	895	56	Raising and improvement of deteriorated lanes by	C09	EIUS	Work in Progress	32.22	01-Feb-19	5%.	30-Apr-19

			pdg. CC pavement and drain in JJ Bastiat block-17-21, Kaiyanpuri.							
4.	901	56	Raising of lanes by P/L CC pavement and SW drain in JJ Basti at block-1, Khichripur.	C09	EIUS	Work in Progress	1.75	16.02.19	2%	15-Apr-19
5.	986	56	Construction of boundary wall of vacant land (adjoining JSC) at near block-11 and 18, Kaiyanpuri.	C09	GIA	Work in Progress	11.09	22-Oct-18	60%	30-Apr-19
6.	987	56	Construction of boundary wall with fencing, raising of floor and allied works in work shop at Gazipur..	C09	GIA	Work in Progress	23.75	10-Feb-19	5%	30-Mar-19
7.	988	56	Construction of boundary wall of vacant land of abandoned JSC at block-14, Kaiyanpuri.	C09	GIA	Work in Progress	8.45	28-Dec-18	15%	30-Apr-19
8.	982	56	Construction of boundary	C09	GIA	Work in	10.25	11.12.17	75%	30-Mar-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			wall of vacant land (near Gas Godown) at Block-1, Khichripur.			Progress				
9	984	56	Construction of boundary wall of vacant land (Adjoining JSC) at near Block-11 and 18, Kaiyanpuri.	C09	GIA	Work in Progress	11.09	17.02.19	60%	20-Mar-19
10.	972	56	A/R and M/O and providing APP Sheet at terrace with brick tiling, providing concertina coil fencing on parapet of JSC with some allied work in JSC 40 Seater in JJC at Block-11-12 Kaiyanpuri.	C09	JSC	Work in Progress	2.27	19.02.19	10%	30-Mar-19
11.	975	56	A/R and M/O and development of tubewell bore at Night Shelter IFC Pocket-C, Gazipur.	C09	Night Shelter	Work in Progress	1.98	29-Jan-19	20%	20-Mar-19

12.	920	56	Construction of boundary wall and walk way of Shishu Vatika at block-17-21, Kaiyanpuri.	C09	Shishu Vatika	Work in Progress	17.51	04-Feb-19	5%	15-Apr-19
13.	912	56	Construction of Basti Vikas Kendra (BVK) in JJ Basti (Adjoining NH-24) at Gazipur.	C09	BVK	Work Awarded	25.87	28-Feb-19	Nil	27-Jun-19
14.	914	56	Engaging of Residential Care Taker for watch and ward of Community Hall building at IFC Pocket-C, Gazipur, Delhi.	C09	BVK	Work Awarded	2.63	28-Feb-19	-	27-Jan-20
15.	915	56	Re-boring of tubewell bore in BVKinJJ Basti at block-17-21, Kalyanpuri.	C09	BVK	Work Awarded	1.85	28-Feb-19	-	20-Mar-19
16.	916	56	Re-boring of tubewell bore in BVK in JJ Basti at block-17-21, Kalyanpuri (Site-1).	C09	BVK	Work Awarded	1.85	28-Feb-19	-	20-Mar-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	903	56	Raising of deteriorated lanes and P/L CC pavement in extended lanes and construction of SW drain in JJ Cluster adjoining NH-24, Gazipur.	C09	EIUS	Under Award	17.83	28-Feb-19	-	30-Apr-19
18.	905	56	Providing and placing water storage tank, P/F wash basin and half stall urinal with some other items in Community Hall at blbck-11-12, Kalyanpuri.	C09	BVK	Work Completed	0.34	08-Jul-18	100%	07-Aug-18
19.	907	56	Upgradation of BVK (double storey) in JJ Basti at block-19-20, Kalyanpuri	C09	BVK	Work Completed	4.02	12-Sep-18	100%	30-Jan-19
20.	909	56	Upgradation of BVK (double storey) in J J Basti at block-13-14, Kalyanpuri (Bus stand Khichripur)	C09	BVK	Work Completed	4.53	12-Sep-18	100%	10-Nov-18

21.	911	56	Up-gradation of BVK (duble storey) at JJ Basti block-17-21-, Kalyanpuri.	C09	BVK	Work Completed	5.60	20-Oct-18	100%	18-Dec-18
22.	980	56	P/F sign boards on various vacant land pockets of DUSIB in AC-56 Kondli. (25 Nos.)	C09	GIA	Work Completed	1.49	01-Jun-18	100%	05-Ju!-18
23.	959	56	P/L sewer line of 40 seater JSC at Gazipur JJ Cluster near NH-24.	C09	JSC	Work Completed	0.59	09-Jun-18	100%	07-Jul-18
24.	964	56	Providing and fixing of wall tile, floor tile, APP sheet on terrace and other some allied work in two No. JSC at Block-17-21, Kalyanpuri.	C09	JSC	Work Completed	4.53	11-Oct-18	100%	19-Dec-18
25.	923	56	Cleaning septic tank of JSC at JJ Basti(s) Block-18 Indira Camp, Kalyanpuri.	C09	JSC	Work Completed	0.34	28-Nov-18	100%	12-Feb-18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	946	56	P/L sewer line of 40 seater JSC at Gazipur JJ Cluster near NH-24.	C09	JSC	Work Completed	0.04	01-Aug.-18	100%	30-Aug-18
27.	949	56	P/L sewer line of damaged portion of 88 seater at block-18, Kalyanpuri.	C09	JSC	Work Completed	0.80	20-Mar-18	100%	08-Sep-18
28.	954	56	P/F water storage tank at roof with some allied work at JSC block-18, Kalyanpuri (73 seater and 88 seater).	C09	JSC	Work Completed	0.40	07-Oct-18	100%	22-Oct-18
29.	955	56	P/F FRP doors and frames in JSC (88 seater) code No. 56CJ1238 in JJ Basti at Block-18, Kalyanpuri.	C09	JSC	Work Completed	0.40	17-Nov-18	100%	30-Nov-18

114. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से अभी तक प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिल्ली छावनी परिषद में कितनी और कौन–कौन सी शिकायतें दी गई हैं; और

(ख) ऐसी दर्ज शिकायतें में से कितनी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) और (ख) **दिल्ली छावनी परिषद इस** संबंध में शिकायतों एवं उन पर की गई कार्रवाई की सूची संलग्न है (अनुसंलग्क 'ए')।

Annexure - 'A'

Sl. No.	Letter No. & Date	Subject Matter	Office Report
1	2	3	4
1.	NDMC/ 2038/07/ 20 14 dated 23,07.2014	Regarding providing basic amenities like electricity, drinking water and sanitation facilities like toilet, sewerage system and garbage disposal in Brar Square and Kiby Place Jhuggi Cluster	Hon'ble MLA had made a representation to Hon'ble Defence Minister for providing basic amenities like electricity, drinking water and sanitation facilities like toilet, sewerage system and garbage disposal in Brar Square and Kiby Place Jhuggi Cluster. These clusters are encroachments on A-1, Defence land. The land is not under the management of the

1	2	3	4
			Board, but is under the management of Military Authorities Nevertheless Cantt Board has provided 25 mobile toilet sets in these clusters.
2.	NDMC/411/ 10/14 dated 10.10.2014	Representation made to Hon'ble Defence Minister regarding sealing/ demolition of houses in Delhi Cantonment	Delhi Cantonment Board is responsible to take action against unauthorized construction undertaken by the residents without proper sanction in the Cantonment area. The Cantonments Act, 2006 provides for sealing of unauthorized constructions where residents continue with unauthorized construction activities even after issuance of statutory notices as provided tinder the Act. The action initiated by the Board for sealing/ demolition of unauthorized constructions is in consonance with provisions of the Cantonments Act.
3.	NDMC/ 412/10/14 dated 10.10.2014	Representation made to Hon'ble LG, Govt. of NCT of Delhi regarding sealing demolition of houses in Delhi Cantonment	
4.	NDMC/131/ 08/14 dated 13.06.2014	NOC for installation of mobile tower in Jharera Village in Delhi Cantonment	A communication tower on wheel (CoW) has been erected in the area.
5.	NDMC/1809/ 04/16 dated 29.04.2016	Regarding repair of road near 505. Army Base Workshop and	The request of the Hon'ble MLA was forwarded to the Station HQ for needful action at their end since

1	2	3	4
		COD, Delhi Cantt	the road is vested with Local Military Authorities.
6.	NDMC/1545/ 02/16 dated 25.02.2016	Pruning of Bargad tree near 11. No.T-89, Village Old Nangal	Pruning of tree were undertaken as requested by Hon'ble MLA.
7.	NDMC/1876/ 05/20 16 dated 11.05.2016	To de-seal houses of Smt. Saroj Chabra, Sh. Manish Sarpal, Sh. Alexander John & Sh. Manish Hans in compliance to orders of Hon'ble High Court. Delhi	As per orders of Hon'ble High Court the unauthorized construction beyond permissible norms of building bye laws, 2002 were removed by the office and premises were de-sealed.
8.	NDMC/1112/ 09/15 dated 02.09.2015	Cutting of dangerous tree near CB-307, Village Naraina	Dangerous tree was removed as requested by the Hon'ble MLA.
9.	NDMC/1928/ 05/20 16 dated 27.05.2016	Misappropriation of public money in sanitation department of Delhi Cantonment Board	It was alleged that for cleaning of drains sanitation workers and JCB were engaged without following due process. The Principal Bench of Hon'ble NGT in its order dated 03.01.2015 had directed ail municipal bodies in Delhi to desilt drains in their areas of jurisdiction by 12.05.2015. In compliance to orders issued by Hon'ble NGT for

1	2	3	4
			cleaning of 23 main drains in Delhi Cantonment having total length of 39 km approximately, Board had engaged 350 contractual manpower through outsourcing agency on minimum wages notified by Govt, of NCT of Delhi as per decision of the Board contained in CBR No.97 dated 27.02.2015. Considering enormity of the task engagement of contractual manpower was discontinued w.e.f. 22.06.2015 and work of desilting of all the drains was completed after inviting tenders for the job.
10.	Letter No. Nil dated 26.08.2016	Drainage problem near Sabzi Mandi, Villaue Jharera	For resolving drainage problem in Sabzi Mandi. Village Jharera. the drainage lines were cleaned to ensure no water stagnation takes place in the area. Board is also undertaking work of Comprehensive improvement to sewerage and drainage system of the area on the directions of Hon'ble NGT.
11.	D/DL/2493/ 10/2016 dated 15.10.2016	Cleaning of area at Kirby Place Jhuggi Cluster	Kirby Place Jhuggi Cluster by and large is located on A-l, Defence land under the management of

1	2	3	4
			Military Authorities. Notwithstanding the same Board has provided 17 mobile toilets here to maintain cleanliness. Further, the area was cleaned as mentioned by the Hon'ble MLA.
12.	NDMC/ 1883/05/20 16 dated 13.05.2016	Regarding unauthorized selling of meat at Village Jharera	To control selling of meat and other eatables by street vendors without obtaining trade license as required this office conducts raids on regular basis. In future also Board will continue taking due actions.
13.	NDMC/ 1892/05/20 16 dated 16.05.2016	Complaint against a Sanitary Inspector for allowing selling of meat etc by unauthorized persons	
14.	D/DL/2515/ 11/16 dated 18.11.2016	Regarding Sale of dupiicate medicines and intoxicating substances by M/s Army Medical Store. Sadar Bazar, Delhi Cantt	Hon'ble MLA had mail a complaint in this regard to Ms. Chandrakar Bharti, Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt, of NCT of Delhi with copy to the Chief Executive Officer, Delhi Cantonment. Since the drug control department functions under Govt, of NCT of Delhi, this office is not aware of the action taken by the Health & Family Welfare Department.

1	2	3	4
15.	DL/4283/11/17 dated 02.11.2017	Checking quality of footpath work near APS Colony	Hon'ble MFA had stated that the quality of work of the footpath near K.V. No.2 be got checked from independent agency. All Cantonment Board works are being examined by an independent third party quality control agency of repute i.e. M/s Certification Engineers international Limited (CEIL), A Subsidiary of Engineers India Limited, Govt, of India Undertaking. The quality of the said work was tested by the CEIL as also material incorporated in the work were tested at the laboratories approved by the Cantonment Board and work was found satisfactory.
16.	D/DL/3017/05/2017 dated 02.06.2017	For stopping illegal activities in the park at West Mehram Nagar	Cantonment Board, Delhi has undertaken horticulture/arboriculture development including grassing in the park at Village West Mehram Nagar to prevent any misuse of the park.
17.	D/DL/2870/04/17 dated 12.04.2017	Complaint as regard to selling of adulterated eating materials on cycle or	

1	2	3	4
		other vehicle on footpath of Ring Road Naraina to Netaji Nagar, Dhaula Kuan. Dwarka Road, Village Praladpur in respect of DDA. PWD & Delhi Cantonment Board.	This office has been taking action for removal of hawkers, vendors/ carts etc. from time to time, in future also the drive will be undertaken for removal of unauthorized hawkers/ vendors from footpath.
18.	D/DL/2665/ 02/17 dated 16.02.20)7	Damage to sitting bench for theft of steel provided in the bench	Hon'ble MLA had reported an incidence of damage to bench/ shed provided at Village Jharera to the Secretary Urban Development, Govt, of NCT of Delhi and a copy of complaint was endorsed to DCP, South-west, District Magistrate. New Delhi, President and CEO Cantonment Board. On 16.02.2017, Hon'ble MLA had reported the matter to the police authorities by lodging complaint on Police Helpline No. 100. Action taken by the police in this regard is not known to this office.
19.	D/DL/2979/ 05/2017 dated 18.05.2017	Cleaning of drains at Kirby Place cluster	Kirby Place Jhuggi Cluster by and large is located on A-l. Defence land under the management of Military Authorities. However, as

1	2	3	4
			mentioned by Hon'ble MLA, the drain near House No.S-128/B-218, Dhobi Ghat, Kirby Place was cleaned by the Cantt Board.
20.	DL/4317/11/2017 dated 11.11.2017	Removal of garbage and malba laying on the road from Palam Bagh to 13 BRD gate near Panchwati	The area in question (alls under the management of local Airforce authorities where Cantonment Board, Delhi is not providing conservancy services. For conservancy services local Airforce authorities have made their own arrangements. However since the reference was received from Hon'ble MLA as a special case the complete area was cleaned and debris etc were removed. Also repairs to footpath have been carried out.
21.	23/(16)/R-280/6-4/2018/LAS-V1/Leg./308 dated 03.05.2018	Matter raised by Sh. Surender Singh. Hon'ble MLA on the rule 280 in the Legislative Assembly of DelhiHon'ble MLA had raised following issues: (a) Delay in lease/	(a) Delay in lease/ mutation of properties in Sadar Bazar & Shastri Bazar are of the following reasons: (i) Multiple Sub-division of sites due to: • Sale of lease hold rights in small parts in breach of lease conditions.

1	2	3	4
		mutation of properties in Sadar Bazar & Shastri Bazar	• Death of recorded lessees and dispute among legal heirs/sub-division of site.
		(b) Declaring six villages in Delhi Cantonment as Civil areas	(ii) Unauthorized constructions, most of them non-condonable as per building bye laws.
		(c) Sealing of properties at Naraina	(iii) Encroachments on Govt. land.
			(iv) Litigations and disagreements amongst the claimants of successor-in-interest.
			(v) Change of purpose.
			(vi) Infringement of various other terms of lease hold rights.
			(vii) These complications are further compounded by.
			(viii)Other Misc. issues as unden-
			• Non-availability of proper/acceptable documents to establish claim.
			• Non-payment of Govt, dues despite notices.

1	2	3	4
			• Indifference and non-cooperation of the successors-in-interest towards extension of lease. • Floor wise sale/sub-division of superstructure. (b) As regards declaring urban villages in Delhi Cantonment as Civil areas is concerned since most of the villages are encroachment on Defence land its not feasible under rules to declare these villages as Civil areas (c) As regards to sealing of illegal industries in Naraina, it is submitted that the sealing was carried out pursuant to the Hon'ble High Court order dated 18.09.2017 in the matter of Court on its Motion Vs GNCTD. WP(C) 4349/2017, where the Hon'ble Court directed the local bodies to undertake a survey of all industrial activities running illegally in residential areas and to ensure the same must be

1	2	3	4
			stopped forthwith. Thus. Cantt Board had sealed 31 industrial units and 22 godowns. All the 22 godowns were later de-sealed by the Board after the individual furnished undertaking in regards to installation of proper fire fighting equipments. One industrial unit was de-sealed in compliance with Hon'ble High Court in WP (C) 9305/2018 titled as Vivek Kumar Gupta Vs DCB. Further, two industrial units were de-sealed to permit removal of goods/ articles and were re-sealed after removal of articles. Applications have been received in the office requesting for de-sealing of other industrial units with the assurance that no further polluting units/ industrial activity will be carried out in the said premises. This office has requested opinion of Addl. Solicitor General of India in % this regard.
22.	4714 dated 03.05.2018	Civilian residents of Cantonments in India not to be governed under the	

1	2	3	4
		Cantonments Law and early notification of building bye laws etc.	It is pertinent to mention here that in Cantonment area there is a Board in which half of the Members are elected from popular vote democratically through secret ballot. The Board discusses issues of welfare of all civilian population thoroughly before decision is adopted, this ensures interest of civilian population is protected.
23.	SDMC/DC/ ND/Mi sc/ 201/7/148 dated 14.11.2017	Non functioning of Gyms	The Hon'ble MLA had requested the Board to consider repairs to indoor gyms purchased out of his MLA LAD funds. The proposal of the Hon'ble MLA was accepted by the Board vide CBR No. 13 dated 24.09.2018. Estimates for repairs of gym equipments from authorized agency were obtained and the finance Committee in its meeting held on 15.02.2019 has recommended the Board for approval of the estimates. Findeavour shall be made for earliest repairs to the gyms.
24.	5187 dated 21.07.2018	Aesthetic development and grassing of park at Village Mehram Nagar	Work has already been completed

1	2	3	4
25.	5276 dated 02.09.2018	Repair to roads in Village Naraina	Major portion of work of repairs of streets in Village Naraina has already been completed. The work of balance area is under progress and will be completed soon.
26.	5363 & 5462 dated 13.10.2018 and 02.11.2018	Regarding removal of illegal hoardings installed near Airport area	As regards to removal of illegal hoardings, the representatives of SDMC and DCB had carried out a joint inspection. Thereafter on 17.01.2018 two numbers of illegal hoardings were removed in a joint drive of SDMC & DCB.
27.	D/DL/2413/09/16 dated 16.09.2019	Pruning of Safeda Tree near V-121, Village Old Nangal	Pruning of tree was undertaken as stated by Hon'ble MLA.
28.	11236 dated 04.09.2018	Bad water quality of supply water in Naraina	Damaged water pipeline at Village Naraina has been repaired to ensure supply of good quality of water to the residents.

115. श्री सुरेंद्र सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एयरपोर्ट टर्मिनल पर सड़कों पर कितनी होर्डिंग साईटें स्थापित है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली छावनी परिषद इस क्षेत्र में स्थापित होर्डिंग साइटों का किराया लेती है;

(ग) यदि हाँ, तो पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि किराये के रूप में प्राप्त हुई;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ये होर्डिंग साईटें किस आधार पर किसकी अनुमति से स्थापित किये गए हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दिल्ली छावनी परिषद**

दिल्ली छावनी परिषद इन होर्डिंग का कोई राजस्व एकत्रित नहीं करता है।

South M.C.D.

The hoarding sites falling under the Delhi Cantonment Board area do not relate to South Delhi Municipal Corporation.

(ख) **दिल्ली छावनी परिषद**

जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

South M.C.D.

Since the hoardings are under the jurisdiction of Delhi Cantonment Board, no information is available with this Department.

(ग) **दिल्ली छावनी परिषद**

लागू नहीं है।

South M.C.D.

As replied above.

(घ) **दिल्ली छावनी परिषद**

दिल्ली छावनी परिषद आउटडोर विज्ञापन नीति, 2017 को अपनाने की प्रक्रिया में है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई है।

South M.C.D.

As replied above.

(ङ) **दिल्ली छावनी परिषद**

उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

South M.C.D.

Since the area falls under the jurisdiction of Delhi Cantonment Board, requisite information is not available with this Department.

116. श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी परिषद क्षेत्र और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत कितने मोबाइल टॉवर कहाँ–कहाँ पर स्थित हैं;

(ख) इन स्थापित मोबाइल टॉवरों के मालिकों से प्रति टॉवर कितना किराया वसूल किया जाता है;

(ग) इन मोबाइल टॉवर को स्थापित करने की अनुमति किस आधार पर प्रदान की जाती है;

(घ) इन टॉवरों में से कितने मोबाइल टॉवर 'सेल ऑन व्हील्स (सी. ओ.डब्ल्यू.) आधार पर है; और

(ङ) 'सेल ऑन व्हील्स' मोबाइल टॉवर्स को स्थापित करने के लिए क्षेत्र का मापदंड कितना निर्धारित है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दिल्ली छावनी परिषद**

1. डीप स्ट्राइक ईगल, 147 फील्ड वर्कशॉप
2. मुख्यालय एयर एफ.एम.एन. ऍडनाम कंपनी सर्वोदय स्क्वायर
3. दुर्ग अभियंता के द्वार के सामने
4. स्टेशन वर्कशॉप करियप्पा मार्ग
5. बस स्टॉप के समीप टौरस पेट क्लीनिक
6. राजपूत राइफल के समीप
7. फ्रेश जी.आर.पी., एल.पी.जी. कार्यालय
8. एस.एन.जी.ओ. गैस पालम, टर्न बस स्टॉप के समीप
9. द्वार संख्या 2 के समीप, आर्मी गोल्फ कोर्स रोड
10. कार्यालय दिल्ली छावनी परिषद

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

अपेक्षित सूचना अभी तक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पास उपलब्ध नहीं है, इसे एकत्र किया जा रहा है ओर जल्द ही प्रदान किया जाएगा;

(ख) **दिल्ली छावनी परिषद**

मोबाइल टावरों के संस्थापन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दर एवं शर्तें प्रस्ताव दिनांक 15.12.2015 सं. 28 (V-I) के द्वारा पुनः प्रस्ताव दिनांक 25.17.2016 सं. 27 (V-0I) के द्वारा संशोधित दोनों की प्रतिलिपि अनुलग्नक * 'I' एवं II पर है;

(ग) **दिल्ली छावनी परिषद**

1. सेल ऑन व्हील की स्थापना रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमंदित नीति संख्या 11026/1/2005/डी/भूमि/दिनांक 16.05.2016 के अंतर्गत की गई है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

उपरोक्त 'ख' के अनुसार;

(घ) **दिल्ली छावनी परिषद**

1. कॉलम 'क' के उत्तर में वर्णित है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

उपरोक्त 'क' के अनुसार; और

---

*www.delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

(ङ) **दिल्ली छावनी परिषद**

1. सेल ऑन व्हील की स्थापना के लिए भूमि का कुल क्षेत्रफल 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

स्थान की आवश्यकता हेतु मानदंड निर्धारित करने के लिए परिषद के कोई दिशानिर्देश नहीं है। यद्यपि परिषद के अनुमोदन के साथ विषय पर हाल ही में आमंत्रित निविदा में यह वर्णित किया गया था कि पहियों पर लगाए गए सेल हेतु स्थान की आवश्यकता गॉय वायरर्स/एकर वायरर्स के लिए अपेक्षित स्थान सहित 50 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

117. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डाबड़ी पालम रोड के समीप बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के नियंत्रण वाले बरसाती नाले पर भारी पैमाने पर अतिक्रमण है;

(ख) यदि हाँ, तो अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति/संस्था के नाम क्या हैं;

(ग) पिछले पाँच वर्ष में संबंधित विभागों द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु किए गए प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पाँच वर्ष में अतिक्रमण हटाने पर व्यय धनराशि का विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि निरंतर बढ़ रहे उक्त अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान हेतु सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है;

(च) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

डाबड़ी पालम रोड के समीप बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के नियंत्रण वाले बरसाती नाले पर होने वाले अतिक्रमण का मामला जैसे ही संज्ञान में आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई नजफगढ़ क्षेत्र के संबंधित विभाग द्वारा की जाती है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

जी हां यह सत्य है;

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'क' अनुसार।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

अतिक्रमण करने वाले चिंहित व्यक्ति/संस्था का नाम संलग्न * नक्शे में दर्शाया गया है;

(ग) **दक्षिण दिल्ली नगर निगम**

विगत चार वर्षों के अतिक्रमण हटाने के प्रयासों का लेखा जोखा तत्काल उपलब्ध नहीं है। हालांकि वर्ष 2018–19 में अब तक 197

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

अतिक्रमण किया गया है। जिसमें लगभग 2100 सामान और 66 गाड़ियां दुपहिया चारपहिया वाहन जब्त किये गए हैं।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

कार्यपालक अभियंता–1 एवं अधिक्षण अभियंता–4 के द्वारा पत्राचार के माध्यम से समय–समय पर अतिक्रमण हटाने हेतू जिला कृत्यक बल को आग्रह किया गया है;

प्रतिलिपियां संलग्न * है;

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अतिक्रमण हटाने पर व्यय धनराशि का विवरण का सही आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सम्मिलित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन तथा प्रयुक्त गाड़ियों जैसे ट्रक, इको वैन, सिविल डिफेंस और मजदूर आदि का भाड़ा और मजदूरी इत्यादि शामिल है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

विशेष कार्य बल के नेतृत्व में पिछले वर्षों में अतिक्रमण हटाने पर वर्ष 2017 में रुपये 51,480 व वर्ष 2018 में रुपये 1,28,100 का व्यय हुआ;

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

इस संबंध में अभी तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई भी शिकायत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नजफगढ़ क्षेत्र में प्राप्त

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

नहीं हुई है। यदि इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो उन कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

अतिक्रमण बहुत पुराना है यथा स्थिति बनी हुई है। अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व विभाग को कार्रवाई हेतु पत्र लिखे गए हैं;

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'ङ' अनुसार।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

उपरोक्त 'ङ' अनुसार; और

(छ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'ङ' अनुसार।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

उपरोक्त 'ङ' अनुसार।

118. श्री जितेंद्र सिंह तोमर : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 2015 से लेकर अब तक शहरी विकास विभाग एम.एल.ए. फंड के लिए आबंटित धनराशि का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) फरवरी 2015 से आज तक प्रत्येक विभाग को परियोजनावार आबंटित धनराशि का विवरण क्या है; और

(ग) सभी परियोजनाओं का नाम और उस परियोजना पर हस्तांतरित की गई राशि का पूरा ब्यौरा क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **एम.एल.ए. लैड (शहरी विकास)**

1. वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक विधायक निधि आवंटन धन राशि 4 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी।
2. वर्तमान वर्ष 2018–198 में विधायक निधि आवंटन धन राशि 4 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी।

एम.एल.ए. लैड (डूडा)

डूडा नार्थ वेस्ट को 10 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपये आबंटित हुए थे;

(ख) **एम.एल.ए. लैड (शहरी विकास)**

1. फरवरी 2015 से मार्च 2015 तक – शून्य
2. अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 तक – 02 स्वीकृतियां जारी की (प्रतिलिपि संलग्न)*
3. जुलाई 2015 से दिसंबर, 2017 तक यह कार्य डूडा, राजस्व विभाग, नोर्थ–वेस्ट, कंझावला, दिल्ली–110081 द्वारा देखा जाता था जिसके लिए पत्र उनको हस्तांतरित कर दिया गया है।
4. दिसंबर, 2017 से फरवरी, 2019 तक–07 स्वीकृतियां जारी की (प्रतिलिपि संलग्न)*

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

एम.एल.ए. लैड (डूडा)

क्र.सं.	विभाग	धन राशि (लाख में)
1.	M.C.D.	687.83
2.	P.W.D.	87.68
3.	T.P.D.D.L.	7.58
4.	D.U.S.I.B.	0.12

(ग) **एम.एल.ए. लैड (शहरी विकास)**

उपरोक्तानुसार

एम.एल.ए. लैड (डूडा);

सूची संलग्न है *।

119. श्री जनरैल सिंह : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के तीनों नगर निगमों के अंतर्गत लगने वाले साप्ताहिक बाजारों, उनमें लगने वाले स्टॉलों की संख्या व प्रत्येक स्टॉल से निगम द्वारा लिए जाने वाले शुल्क विस्तृत विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन बाजारों में गैस सिलेंडर का प्रयोग करने की अनुमति है;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है;

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों के नियमन से संबंधित दिशा निर्देश की प्रति;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है; और

(च) यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत चारों क्षेत्रों (मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी तथा नजफगढ़ क्षेत्र) में 76 साप्ताहिक बाजार लगते हैं। जिमें लगभग 16972 वैन्डर्स स्टॉल लगाते हैं। क्षेत्र की कॉलोनियों की श्रेणी अनुसार रुपये 15 प्रतिदिन तथा 10 प्रतिदिन की दर से शुल्क लिया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

पूर्वी दिल्ली नगर निमग में कुल 64 व 44 अवैध बाजार लगते हैं जिनमें सप्ताह में लगभग 60,000 स्टॉल लगते हैं जिनमें रुपये 10 एवं 15 प्रति स्टॉल वसूल किये जाते हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत 106 साप्ताहिक बाजार लगाये जाते हैं जिनमें लगभग 4.50 लाख वैंडर्स द्वारा प्रतिवर्ष स्टॉल लगायी जाती है। क्षेत्र की कॉलोनी की श्रेणी के अनुसार प्रत्येक स्टॉल द्वारा शुल्क के रूप में रुपये 10 एवं रुपये 15 लिये जाते हैं;

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

नहीं, इन बाजारों में गैस सिलेंडरों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

किसी भी साप्ताहिक बाजार में गैस सिलेण्डर के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम;

नहीं;

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

समय–समय पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है और साप्ताहिक बाजारों में से सिलेंडर जब्त किए जाते हैं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा रेड करके इन सभी का सिलेंडर व अन्य सामान जब्त किया जाता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम;

निर्देशों की उपेक्षा करने वालों के खिलाफ समय–समय पर सामान्य लाईसैंसिंग विभाग (क्षेत्रीय कार्यालयों) के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है;

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार स्ट्रीट वैंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइब्लिहूड एंड रैग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स) अधिनियम 2014 लागू

कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 09 टी.वी.सी. गठित कर दी गई है। स्ट्रीट वैन्डर्स योजना के तहत साप्ताहिक बाजारों के नियमन संबंधित दिशा निर्देश भी निर्धारित किए जायेंगे। जबकि अभी योजना की अधिसूचना का विषय दिल्ली सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिल्ली के सप्ताहिक बाजारों से संबंधित दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार टाउन वेंडिंग कमेटी गठित कर दी गई है तथा स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के अनुरूप स्ट्रीट वैन्डर्स स्कीम की अधिसूचना दिल्ली सरकार द्वारा जारी की जानी है। इस स्कीम के तहत ही साप्ताहिक बाजारों के नियमन संबंधित दिशा निर्देश भी निर्धारित किए जायेंगे। वर्तमान में इससे संबंधित स्कीम दिल्ली सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है;

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

नहीं।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है रेड करके सामान जब्त कर लिया जाता है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम;

उपरोक्त 'घ' के अनुसार;

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'ङ' के अनुसार

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

कोई नहीं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम;

उपरोक्त 'घ' के अनुसार;

120. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाधिकृत बस्तियों में पुलियों तथा नालियों की मरम्मत करने के लिए विधायक निधि का प्रयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) नियोजित एवं अनियोजित कार्यों के बीच क्या अंतर है;

(ग) अनियोजित कार्यों संबंधी जानकारी संबंधित विधायक को न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) दिनांक 01/01/2014 से मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में अनियोजित एवं नियोजित कार्यों के अंतर्गत शुरू कराये गये/संपन्न सभी कार्यों की सूची, कार्य को करने वाले ठेकेदारों के नाम और इस कार्य की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी क्या है;

(ङ) इस क्षेत्र में लंबित अनियोजित एवं नियोजित कार्यों की सूची व कार्यों के लंबित होने का कारण क्या है; और

(च) अनियोजित कार्य किस निधि से किए जाते हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **एम.एल.ए. लैड (शहरी विकास विभाग)**

अनाधिकृत बस्तियों में विकास के लिये विधायक कोष की दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यों की अनुमति है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अनाधिकृत बस्तियों में विकास कार्य दिल्ली सरकार के द्वारा किए जाते हैं।

लोक निर्माण विभाग

लोक निर्माण विभाग के अधीन किसी भी अनाधिकृत बस्तियों के पुलियों तथा नालियों का कार्य नहीं है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

नियोजित कार्य भारत सरकार व दिल्ली सरकार के द्वारा योजना मदों के अंतर्गत धन राशि मोहया कराने के उपरांत कार्य किए जाते हैं तथा अनियोजित कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगत की अपनी आय के अंतर्गत किए जाते हैं।

लोक निर्माण विभाग

नियोजित कार्य–

(a) Plan expenditure :

Any expenditure that is incurred on programs which are detailed under the current (five year) plan of the centre or centre's advances to state for their plan is called plan expenditure. Provision of such expenditure in the budget is called plan expenditure.

(b) Non-Plan Expenditure :

This refers to the estimated expenditure provided in the budget for spending during the years on rutine functioning of the government. non-plan expenditure is all expenditure other than plan expenditure of the govt.

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

अनियोजित कार्यों संबंधी जानकारी संबंधित विधायक द्वारा मांगे जाने पर जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है।

लोक निर्माण विभाग

अनियोजित कार्य छोटे छोटे कार्य होते हैं तथा संख्या में ज्यादा होते हैं। जो जानकारी विधायक महोदय द्वारा मांगी जाती है। उसे उन्हें प्रदान किया जाता है। भविष्य में भी जानकारी विधायक महोदय को प्रदान की जाती रहेगी;

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

दिनांक 01.01.2014 से मुण्डका विधानसभा क्षेत्र में अनियोजित एवं नियोजित कार्यों के अंतर्गत शुरू कराये गये/संपन्न सभी कार्यों की सूची, कार्य को करने वाले ठेकेदारों के नाम और इस कार्य की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी अनुलंग्नक * 'क' में दर्शाया गया है।

लोक निर्माण विभाग

कार्यों की सूची (Annexure 'A&B') संलग्न * है;

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

लंबित अनियोजित व नियोजित कार्यों की सूची व कार्यों के लंबित होने का विवरण अनुलंग्नक 'क' में दर्शाया गया है।

लोक निर्माण विभाग

1. रोहतक रोड (NH-10) का सुदृढ़ीकरण का कार्य–

वित्तीय स्वीकृति "MORTH" से प्राप्त होनी शेष है।

2. Providing & fixing M.S. Railing on NH-10, Rohtak road, अनुमान प्रेषित है, स्वीकृत प्राप्त नहीं हुई है।
3. Carpeting of Nangloi Najafgarh Road स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है।
4. Augmentation of SW Drain of Tikri Border अनुमान प्रेषित है। स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है; और

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

अनियोजित कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विभिन्न विभागीय मदों में कराए जाते हैं।

लोक निर्माण विभाग

अनियोजित कार्यों हेतु ARMO द्वारा निधि प्रदान की जाती है। जिससे कार्य कराए जाते हैं।

121. श्री राजेश ऋषि : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013–14 में विधायक निधि के कितने कामों की स्वीकृति दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त हुई;

(ख) इनमें से एस.डी.एम.सी. के कार्यों का वार्ड वाइज पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन से काम, किस अधिकारी द्वारा कब करवाए गए, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सभी काम हो गए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इन का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने वाले प्राधिकारी का नाम, इनके भुगतान की तिथि, भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम का विवरण क्या है;

(च) यदि नहीं, तो अपूर्ण कामों का विवरण क्या है;

(छ) क्या इन कार्यों के लिए स्थानीय विधायक से कम्पलीशन सर्टिफिकेट लिया गया था, पूर्ण विवरण क्या है;

(ज) स्थानीय विधायक के कंप्लीशन लेटर के बिना ठेकेदारों को पेमैंट कैसे और किसने की, पूर्ण जानकारी दें, और

(झ) एस.डी.एम.सी. के द्वारा जनकपुरी में किसी भी फंड से वर्ष 2014 से अभी तक जितने भी काम हुए हैं और जो काम भविष्य में किए जाने हैं; उनका संपूर्ण विवरण दें?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अभियांत्रिक विभाग के अंतर्गत कार्यरत योजना विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2013–14 में विधायक निधि में विधायक निधि के 890 कामों की स्वीकृति दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त हुई थी;

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

योजना विभाग में उपलब्ध संपूर्ण जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कार्यों का वार्ड अनुसार पूरा ब्यौरा अनुलंग्क 'क' पर संलग्न है।

वर्ष 2013–14 के दौरान वार्डों के नंबर एवं उनकी सीमाएं वर्तमान के वार्ड नंबरों एवं सीमाओं से भिन्न थी जोकि वर्ष 2016–17 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा कराई गई परिसीमन के बाद वर्तमान वार्ड और सीमाओं में तब्दील हो गई है। वर्तमान के वार्ड अनुसार कार्यों का वार्ड नंबर देने संबंधित कोई भी सूचना रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है;

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

इस प्रकार की एकीकृत जानकारी योजना विभाग के पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसका पूर्ण विस्तृत उत्तर देने के लिए दक्षिणी

दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रीय खंडों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। चूंकि सभी कार्य वर्ष 2013–14 से संबंधित है अतः जानकारी प्राप्त होने के पश्चात इस प्रश्न का विस्तृत जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा।;

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

योजना विभाग में उपलब्ध एकीकृत जानकारी के अनुसार 890 कार्यों में से 677 कार्य पूर्ण हो गए थे। 144 कार्य भौतिक रूप (Physically Completed) से पूर्ण हो गये थे। 23 कार्य बंद कर दिये गये थे। 46 कार्यों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस विषय में योजना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुलंग्क 'क' पर संलग्न है;

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

इस प्रकार की एकीकृत जानकारी योजना विभाग के पास फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसका पूर्ण विस्तृत जबाव देने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रीय खंडों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। चूंकि सभी कार्य वर्ष 2013–14 से संबंधित है अतः जानकारी इकट्ठा करने के समय लग रहा है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के पश्चात इस प्रश्न का विस्तृत जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा;

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

वर्तमान में कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं है। हालांकि 144 कार्य भौतिक रूप से संपूर्ण हो चुके है जिसका विवरण अनुलंग्क 'क' पर संलग्न है। इन सभी 144 कार्यों के भुगतान संबंधित जानकारी संबंधित खंडों से प्राप्त की जा रही है;

(छ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

इस प्रकार की एकीकृत जानकारी योजना विभाग के पास फिलहान उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसका पूर्ण विस्तृत जवाब देने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रीय खंडों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। चूंकि सभी कार्य वर्ष 2013–14 से संबंधित है अतः जानकारी इकट्ठा करने के समय लग रहा है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के पश्चात इस प्रश्न का विस्तृत जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ज) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार;

(झ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार–दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा जनकपुरी में किसी भी फंड से वर्ष 2014 से अभी तक जितने भी काम हुए हैं और जो काम भविष्य में किए जाने हैं उनका संपूर्ण विवरण अनुलंग्क * 'ख' पर संलग्न है।

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार–दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा जनकपुरी किसी भी फंड से वर्ष 2014 से अभी तक जितने भी काम हुए हैं और जो काम भविष्य में किए जाने हैं उनका संपूर्ण विवरण अनुलंग्क 'ग' पर संलग्न * है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

122. श्री सोमनाथ भारती : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं का नाम, स्थान, लागत, इन परियोजनाओं के निष्पादन की तिथि, वर्तमान स्थिति और निष्पादन में विलंब के कारणों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में विधायक निधि से साइनेज बोर्ड लगाने के स्थानों की पूरी सूची और इन पर लिखी विषय वस्तु का विवरण क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विधायक निधि से कितने बेंच एवं कूड़ेदान लगाये गए और कहाँ–कहाँ पर;

(घ) अधचिनी गांव में वर्ष 2015 से निर्मित/निर्मित की जा रही चौपालों व इनके बनकर तैयार होन की अवधि/बसाने में आ रही रुकावटों का विवरण क्या है;

(ङ) इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अनाधिकृत बस्तियों में पड़ने वाली सड़कों/गलियों का विवरण जिनका निर्माण किये जाने के लिये सूचीबद्ध किया गया है;

(च) सरकार को इस क्षेत्र में स्थित जिया सराय, हौजरानी, कालू सराय, मस्जिद मोठ, हुमांयूपुर विलेज, गौतम नगर, खिड़की गांव और किसी अन्य स्थान पर चौपाल या समुदाय केन्द्र के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों, इनमें आ रही रुकावटों का विवरण क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग सहित केंद्र सरकार की भूमि पर बनाई गई संपत्ति और इसके मानक संचालन की प्रक्रिया का विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**

मालवीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं का नाम, स्थान, लागत इत्यादि का पूर्ण विवरण सूची 'क' में दर्शाया गया है।

दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड

मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण मांगी गयी सूचना के अनुसार सूची 'क' संलग्न * है।

मंडलायुक्त (राजस्व)

वित्त वर्ष 2015–16, 2016–17, और 2017–18 में मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में डी.एम. (साउथ) द्वारा कराए गए कार्यों की पूर्ण विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न * है।

एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक विभाग

इस विभाग द्वारा संचालित अनु. जाति/जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना के अंतर्गत मालवीय नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा मालवीय नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रारंभ की गई परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है–

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

S.No.	Name of Work	Est. amount	Contractual amount	Date of start	Date of completion	Present status	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Construction of drain and providing & laying of cloured chamfered interlocking tiles from B-1/13 to B-1/24 Malviya Nagar in Ward No. 152/SZ	17.69 lacs	-	-	-	Case closed	एक कार्य जोकि विधायक निधि के अंतर्गत दिया गया था। जोकि विधायक के अनुरोध पर बंद कर दिया गया।
2.	Construction of drain and its road berms by providing glass molded tiles from C-5/44 to C-5/38 and C-6/1 to C-6/59 in SDA under Ward No. 164 South Zone Hauz Khas.	-	2280534	3.6.17	6.5.17	Work in progress	Work initially delayed due to public resistance.
3.	Construction of gate ramps over drain from C-5/44 to	-	447200	21.7.17	20.9.17	Work will be	Work initially delayed due

1	2	3	4	5	6	7	8
	C-5/38 and C-6/1 to C-6/ 59 in SDA under Ward No. 62-S South Zone					started after completion of drain work	to public resistance.
4.	Imp./raising of existing covered brick work drain up to Sant Nirankari Bhawan from round about and imp. of side berms by pdg. Interlocking CC pavers from H. No. 90.15 to round about on peripheral road Malviya Nagar in ward No. 63-S South Zone	-	7555204	22.6.18	21.11.18	Work Completed	

(ख) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**

इस क्षेत्र में विधायक निधि से साइनेज बोर्ड लगाने के स्थानों की पूरी सूची व इन पर लिखी विषय वस्तु का पूर्ण ब्यौरा सूची 'ख' – 1 व 2 में वर्णित है।

मंडलायुक्त (राजस्व)

इससे संबंधित साइन बोर्ड लगाने के स्थानों की पूरी सूची व कार्यों का विवरण संबंधित विभागों द्वारा लगाया गया है।

एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक विभाग

विधायक निधि योजना इस विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र में कोई साइनेज बोर्ड नहीं लगाया गया है;

(ग) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**

इस क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा विधायक निधि से जो बैंच एवं कूड़ेदान लगाए गए हैं, उनका ब्यौरा सूची 'ग' में वर्णित है।

मंडलायुक्त (राजस्व)

उपरोक्त वित्त वर्ष में कोई बैंच व कूड़ेदान नहीं लगाया गया।

एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक विभाग

उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र में कोई बैंच एवं कूड़ेदान नहीं लगाए गए हैं;

(घ) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**

अधचिनी गांव में वर्ष 2015 से निर्मित/निर्मित की जा रही चौपालों व इनके बनकर तैयार होन की अवधि/बसाने में आ रही रुकावटों का विवरण सूची 'घ' में वर्णित है;

मंडलायुक्त (राजस्व)

संबंधित सूचना संलग्न है।

एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक विभाग

इस विभाग द्वारा गांव अधचिनी में किसी भी चौपाल के निर्माण से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अधचिनी गांव में किसी भी चौपाल का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है;

(ङ) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**

इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वाली अनधिकृत बस्तियों में पड़ने वाली सड़कों/गलियों का विवरण जिनका निर्माण किया जाना है, सूची 'ङ' में वर्णित है।

मंडलायुक्त (राजस्व)

सूची संलग्न है।

एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक विभाग

इस विभाग द्वारा ऐसी कोई भी सूची तैयार नहीं की जाती है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

इस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी अनाधिकृत बस्ती में पड़ने वाली सड़कों/गलियों का निर्माण कार्य करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अधिकृत नहीं है;

(च) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**

सरकार को इस क्षेत्र में स्थित जिया सराय, हौजरानी, कालू सराय, मस्जिद मोठ, हुमांयूपुर विलेज, गौतम नगर, खिरकी गांव और किसी अन्य स्थान पर चौपाल या समुदाय केन्द्र के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों, इनमें आ रही रुकावटों का सूची 'च' में वर्णित है।

मंडलायुक्त (राजस्व)

जानकारी उपलब्ध नहीं है।

एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक विभाग

इस विभाग द्वारा गाँव हुमांयूपुर तथा गाँव खिड़की में अनु. जाति से संबंधित चौपाल/सामुदायिक भवन के निर्माण/मरम्मत हेतु प्राप्त आवेदनों को बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग को प्रेषित किया गया है जिसके संदर्भ में बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग से विस्तृत प्रस्ताव वांछित है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

वर्तमान में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को इस क्षेत्र में स्थित जिया सराय, हौजरानी, कालू सराय, मस्जिद मोठ, हुमांयूपुर विलेज, गौतम नगर, खिरकी गांव और किसी अन्य स्थान पर चौपाल या समुदाय केन्द्र के निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है; और

(छ) **महिला एवं बाल विकास विभाग**

मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की भूमि पर महिला एवं बाल विकास विभाग की कोई संपत्ति नहीं बनाई गई है।

123. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों के नियामक संस्था कौन है तथा इसके नियमन संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि विभाग ने इन साप्ताहिक बाजारों के संदर्भ में निवासियों की राय का अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है;

(ङ) द्वारका विधानसभा क्षेत्र के साप्ताहिक बाजारों का विवरण क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साप्ताहिक बाजारों के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित निवासियों/आर.डब्ल्यू.ए. ने शिकायत दर्ज कराई है;

(छ) यदि हाँ, तो उन शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(ज) द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साप्ताहिक बाजारों के नियंत्रण, देख–रेख तथा नियमन हेतु उत्तरदायी संबंधित अधिकारियों का नाम, पदनाम, जिम्मेदारी तथा मोबाइल नंबर क्या है; और

(झ) क्या यह सत्य है कि इन साप्ताहिक बाजारों के दुष्प्रभावों तथा कुप्रभावों से संबंधित इन बाजारों के आसपास निवासियों अथवा आर.डब्ल्यू. ए. की सहमति अथवा राय को प्राथमिकता प्रदान देने पर सरकार विचार कर रही है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

स्ट्रीट वैंडर्स अधिनियम 2014 के अनुसार साप्ताहिक बाजारों का संचालन टाउन वैंडिग कमेटी के द्वारा किया जाना है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में टाउन वैंडिग कमेटी का गठन किया जा चुका है। साप्ताहिक बाजार/स्ट्रीट वैंडर्स से संबंधित स्कीम वर्तमान दिल्ली सरकार के समक्ष विचारधीन है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों की नियामक संस्था टाउन वैंडिग कमेटी है। दक्षिणी नगर निगम में 09 टी.वी.सी. गठन हो चुका है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

पूर्वी दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों की नियामक संस्था पूर्वी दिल्ली नगर निगम है, एवं वर्तमान में टाउन वैंडिग कमेटी का गठन किया जा चुका

है, ताकि सभी पथकर विक्रेताओं का सर्वे करने के पश्चात सभी पथ विक्रेताओं के नियमन से संबंधित कार्य करेगी;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

नहीं

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

नहीं

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

पूर्वी दिल्ली नगर निगम में टाउन वैंडिग कमेटियों का गठन हो चुका है जिसमें सभी आर.डब्ल्यू.ए. के सदस्यों को मैंबर बनाया गया है उन सभी की राय लेकर बाजारों का संचालन किया जाएगा;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्तानुसार

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्त 'ख' अनुसार;

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

स्ट्रीट वैंडर्स अधिनियम 2014 के अनुसार साप्ताहिक बाजारों का संचालन टाउन वैंडिग कमेटी के द्वारा किया जाएगा।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

साप्ताहिक बाजार से ही लग रहे है लेकिन अब टाउन वैंडिग कमेटी में 02 सदस्य रेसीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से भी नामांकित किए गए है। इस प्रकार R.W.A. अपनी राय टी.वी.सी. के सामने रख सकेंगे।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्त 'ख' अनुसार;

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

द्वारका विधानसभा क्षेत्र में दो साप्ताहिक बाजार आते हैं–

1. मंगला पुरी–वार्ड न. 33(S)
2. नागर पार्क, सागर पुर–न. 31(S)

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

साप्ताहिक बाजार से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उनका शीघ्र निवारण किया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्त 'ख' अनुसार;

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

बिंदु 'च' के उत्तर के संदर्भ में लागू नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्त 'ख' अनुसार;

(ज) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साप्ताहिक बाजारों में देख–रेख हेतु लाइसेंस इंस्पेक्टर (L.I.) श्री चिरंजी लाल (9990275755) और रेंट कलेक्टर (R.C.) श्री संजीव (9250607492) क्षेत्र में कार्यरत है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्त 'ख' अनुसार; और

(झ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

इस विषय पर साप्ताहिक बाजारों से संबंधित स्ट्रीट वैंडर्स स्कीम दिल्ली सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

अब टाउन वैंडिग कमेटी में 02 सदस्य Resident Welfare Association से भी नामांकित किए गए हैं। इस प्रकार R.W.A. अपनी राय टी.वी.सी. के सामने रख सकेंगे।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

उपरोक्त 'ख' अनुसार।

124. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जिन अनाधिकृत कॉलोनियों में अगले एक वर्ष बाद सीवर लाइन का कार्य प्रस्तावित है, वहां विभाग इंटर लॉकिंग टाइल्स की सड़कें (कच्ची सड़क) बना सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान समय में या इससे पहले किसी कॉलोनी में पूर्ण किए गए ऐसे कार्य का विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो खस्ताहाल पड़ी सड़कों के लिए विभाग की क्या योजना है;

(घ) 2015 से अब तक विधायक निधि से रिठाला विधान सभा में किए गए कार्यों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) पिछले चार वर्षों में विधायक निधि से किए गए कार्यों की लागत और टैंडर किए गए कार्यों की प्रस्तावित राशि का विवरण क्या है; और

(च) विधायक निधि से किए गए कार्यों से विधायक के संतुष्ट न होने पर की जा सकने वाली कार्रवाई का विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

जी हाँ यह सत्य है।

एम.एल.ए. लैड

अनाधिकृत बस्तियों में विकास के लिए विधायक कोष की दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यों की अनुमति है।

अनाधिकृत कॉलोनी शहरी विकास

दिल्ली की 1639 (1797 भाग सहित) कॉलोनियों में अनाधिकृत कॉलोनी शाखा के वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार विकास कार्य होता है और अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'क' के अनुसार।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियां जिनमें एक वर्ष बाद सीवर लाईन का कार्य प्रस्तावित है, वर्तमान समय में या इससे पहले सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया है।

अनाधिकृत कॉलोनी शहरी विकास

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'क' के अनुसार;

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

इस ओर शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं नीतियों के अनुसार सड़कों तथा नालियां बनाने के लिए योजनाएं बनाई जाती है;

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

रिठाला विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण अनुलंग्नक 'क' * पर संलग्न है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

रिठाला विधानसभा में विधायक निधि से 2015 से अब तक कराए गए कार्यों का विवरण सूची 'क' में संलग्न है।

एम.एल.ए. लैड

विवरण संलग्न तथा कार्यकारी एजेंसियों से संबंधित होने के कारण निम्न को भी हस्तांतरित कर दिया गया है।

1. आयुक्त (उत्तरी दिल्ली नगर निगम), डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, दिल्ली–11002।
2. हैड ऑफ सरकारी मामले (टी.पी.डी.डी.एल.), टाटा पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लि., एन.डी.पी.एल. हाउस हडसन लाईनस, किंग्सवे कैंप, दिल्ली–110009।

3. विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, 5वां तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002।

4. सचिव (आई. एंड एफ.सी.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली–110054।

5. प्रबंध संचालक (डी.टी.आई.डी.सी.), दिल्ली ट्रॉसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपमेंट कारपोरेशन लि., दूसरा तल, आई.एस.बी.टी. काम्पलेक्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006।

6. उपायुक्त नार्थ–वेस्ट डूडा, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, कंझावला, दिल्ली–81 (जवाब संलग्न) *

लोक निर्माण विभाग

इस विभाग द्वारा 2015 से अब तक विधायक निधि से रिठाला विधान सभा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कराया गया है।

डूडा

सूची संलग्न है।

दिल्ली जल बोर्ड

रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जब बोर्ड द्वारा किए कार्यों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है;

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'घ' के अनुसार

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

उपरोक्त 'घ' के अनुसार

एम.एल.ए. लैड

उपरोक्त 'घ' के अनुसार।

डूडा

सूची संलग्न है।

दिल्ली जल बोर्ड

रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जब बोर्ड द्वारा किए कार्यों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न * है; और

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

विधायक निधि से किए गए कार्यों का भुगतान विधायक की संतुष्टि पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही की जाती है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

माननीय विधायक द्वारा संतुष्टि प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात ही विधायक निधि का भुगतान किया जाता है।

एम.एल.ए. लैड

उपरोक्त 'घ' के अनुसार

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

लोक निर्माण विभाग

विधायक निधि से किए गए कार्यों से विधायक के संतुष्ट न होने पर एजेंसी को भुगतान नहीं किया जाता है एवं एजेंसी के विरुद्ध करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली जल बोर्ड

विधायक निधि से किए गए कार्यों से विधायक के संतुष्ट न होने पर उच्च स्तर पर शिकायत करके किए गए कार्य की गुणवत्ता जांच कराई जा सकती है।

125. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डी.एम.सी. एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाइट लगाने और रख रखाव की जिम्मेदारी एम.सी.डी. की है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एम.सी.डी. स्ट्रीट लाइट लगाने और उसके रख रखाव के लिए खर्च की भरपाई के लिए एम.सी.डी. डिस्कॉम के माध्यम से विद्युत कर लेता है;

(ग) क्या यह सत्य है कि 19 जनवरी 2018 को माननीय मंत्री जी द्वारा बुलाई गई मीटिंग यह निर्णय हुआ था कि स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव का काम एम.सी.डी. द्वारा ही किया जाएगा;

(घ) वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाइट किसके माध्यम से व किस फंड से लगाई जा रही है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि डिस्कॉम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को एम.सी.डी. चालू करने के लिए बिल भरने की सहमति नहीं देता;

(च) पिछले वित्त वर्ष में पूरी दिल्ली में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों में लाईट लगाई गईं, पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट विधायक फंड से लगा रही है;

(ज) यदि हाँ, तो पूर्ण प्रक्रिया क्या है बताई जाए;

(झ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ञ) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या (WPC 3569/UC-1/UC/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट डी.एस.आई.आई.डी.सी. या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगाई जाएंगी;

(ट) यदि हाँ, तो इन विभागों को स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए चालू वित्त वर्ष में आबंटित फण्ड का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ठ) दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने की विभाग की योजना का पूर्ण विवरण दें?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

हां, अधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट लगाने व उनके रख रखाव की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) सत्य है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

जी नहीं।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) सत्य है।

ऊर्जा विभाग

बिजली वितरण कम्पनी (टी.पी.डी.डी.एल.) ने सूचित किया है कि डी.एम.सी. ऐक्ट के अनुसार ई–टैक्स कम्पनी द्वारा एम.सी.डी. को दिया जा रहा है;

(ग) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)**

अनाधिकृत कॉलोनी शाखा में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)

इस संदर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) सत्य है;

(घ) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)**

वर्तमान में दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट से संबंधित कार्य स्थानीय निकाय के माध्यम से किया जाता है। जहां तक

अनाधिकृत कॉलोनी शाखा की योजना का संबंध है आवश्यक सेवाओं से प्रावधान की योजना से किसी प्रकार की राशि स्ट्रीट लाईट के लिए नहीं दी गई है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)

दिल्ली सरकार के आदेश संख्या WPC 3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.06.2016 एवं F.No. 1-33/UC/UD/Policy/Part file/3030-3044 dated 27-10-2017 के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों की स्ट्रीट लाईट डी.एस.आई.आई.डी.सी. या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगाई जाएगी।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल अमन विहार में शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान फन्ड से टी.पी.डी.डी.एल. द्वारा लगाई जा रही है।;

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

2008 में दिल्ली सरकार द्वारा दिये गए फण्ड से डिस्कॉम द्वाराअनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के बिजली बिल का भुगतान उत्तरी दिल्ली नगर निगम जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर रहा है जिसकी राशि दिल्ली सरकार से मांगी गई है। हालांकि 2018 के उपरोक्त आदेश अनुसार यह जिम्मेवारी डी.एस.आई.आई.डी.सी. की है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकासा निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है

ऊर्जा विभाग

बिजली वितरण कम्पनी (टी.पी.डी.डी.एल.) ने सूचित किया है कि एम.सी.डी. द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों में सितम्बर, 2016 के बाद लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के ऊर्जा शुल्क तथा रख रखाव शुल्क नहीं दिए जा रहे हैं। यद्यपि सितम्बर, 2016 से पहले लगाई गई स्ट्रीट लाईटों के ऊर्जा शुल्क एम.सी.डी. द्वारा दिए जा रहे हैं। बिजली वितरण कम्पनी (बी.वाई.पी.एल.) ने सूचित किया है कि ई.डी.एम.सी. अनाधिकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के ऊर्जा शुल्क देने को तैयार है।

बिजली वितरण कम्पनी (बी.आर.पी.एल.) ने सूचित किया है कि अनाधिाकृत कॉलोनियों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को एम.सी.डी. चालू करने के लिए बिल भरने की सहमति नहीं देता है;

(च) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग**

आदेश के अनुसार सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)

पिछले वित्त वर्ष में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत कॉलोनियों में कोई भी स्ट्रीट लाईट नहीं लगाई है। 2016 के उपरोक्त आदेश अनुसार यह जिम्मेवारी डी.एस.आई.आई.डी.सी. की है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार केवल अमन विहार में शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान फन्ड से 460 नम्बर आज तक लाईट लगाई गई है।

ऊर्जा विभाग

बिजली वितरण कम्पनी (टी.पी.डी.डी.एल.) ने सूचित किया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में इस वित्त वर्ष में 410 स्ट्रीट लाईट लगाई गई है;

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

जी नहीं।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है।

(ज) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

उपरोक्तानुसार।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है;

(झ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

अनाधिकृत कॉलोनियों में स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्रों में नहीं आता है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है;

(ञ) **अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)**

यह सत्य है कि सरकार अपने आदेश संख्या 16.09.2016 के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि अनाधिकृत कॉलोनियों से स्ट्रीट लाईट

DSIIDC और I&FC द्वारा लगाई जाएगी। परंतु तदोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्ट्रीट लाईट का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जाएगा।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है;

(ट) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

उपरोक्त 'छ' के अनुसार।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है; और

(ठ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

उपरोक्त 'छ' के अनुसार।

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)

जानकारी नहीं है;

अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास विभाग)

यह सत्य है कि सरकार अपने आदेश संख्या 16.09.2016 के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि अनाधिकृत कॉलोनियों से स्ट्रीट लाईट DSIIDC और I & FC द्वारा लगाई जाएगी। परंतु पदोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्ट्रीट लाईट का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही किया जाएगा।

126. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस.डी.एम.सी. द्वारा जनवरी 2017 से लेकर अभी तक तहबाजारी समिति की कितनी बैठकें सम्पन्न करवाई गई;

(ख) इन बैठकों में पारित एजेंडा का विवरण क्या है;

(ग) पालम विधान सभा में ऑथोराईज्ड एवं अनऑथोराइज्ड तौर पर तहबाजारी के तहत कितने साप्ताहिक कहाँ–कहाँ बाजार चल रहे हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि निगम द्वारा पालम मेन रोड पर अनऑथोराईज तरीके से पीले खोखे लगाकर इनक्रोचमैंट किया गया है;

(ङ) इनके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं; और

(च) कैप्टन सुमितराय सर्वोदय विद्यालय के पास चल रही फूड वैन किस नियम के अनुसार चल रही है, पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जनवरी, 2017 से अब तक तहबाजारी समिति में कुल 7 बैठकें सम्पन्न करवाई गई जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

09.08.2017, 04.09.2017, 11.10.2017, 08.03.2018, 14.06.2018, 10.07.2018 एवं 23.10.2018

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

इन बैठकों में पारित एजेंडा का विवरण संलग्न* है;

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

पालम विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित ऑथराईज्ड साप्ताहिक बाजार लगते हैं :–

1. जे.जे. कॉलोनी, सेक्टर–1 पप्पन कला, वार्ड नं. 52 (एस) (बुधवार)
2. दादा देव मंदिर पालम, वार्ड नं. 46 (एस) एवं 54 (एस) (शुक्रवार)
3. जे.जे. कॉलोनी, सेक्टर–1 पप्पन कला, वार्ड नं. 52 (एस) (शनिवार)

पालम विधान सभा क्षेत्र में कोई भी अन–ऑथराईज्ड साप्ताहिक बाजार संज्ञान में नहीं है;

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

पालम मेन रोड पर निगम द्वारा कोई भी अन–ऑथराईज्ड तरीके से पीला खोखा नहीं लगवाया गया है;

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त बिन्दु (घ) के जवाब के सन्दर्भ में किसी की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर इस तरह की वारदात पाई जाती है तो उसके लिए उस वार्ड के लिए LI/RC जिम्मेदार होते हैं; और

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

कैप्टन सुमितराय सर्वोत्तम विद्यालय के आस–पास किसी भी फूड वैन को जन स्वास्थ्य विभाग, नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। तथा

दिनांक 15.02.2019 को अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोई भी फूड वैन नहीं पाई गई। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक को दिनांक 12.02.2019, 15.02.2019 एवं 19.02.2019 को निरीक्षण के दौरान कोई फूड वैन नहीं मिली।

127. सुश्री भावना गौड़ : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र की नियमित व अनाधिकृत कॉलोनियों तथा गांवों में बड़ी संख्या में बिल्डिंग बनाने का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बिल्डिंग के ये सभी निर्माण कार्य भवन नियमों/उप नियमों के अनुसार हो रहे हैं;

(ग) भवन निर्माण के लिए निर्धारित नियम व उप नियमों का क्या विवरण है; और

(घ) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले महावीर एन्कलेव, पालम, मधु विहार व साध नगर, नगर निगम वार्डों में वर्ष 2015 से लेकर अब तक निर्मित किए गए बहुमंजिला भवन/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदि का वार्ड अनुसार विवरण क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

पालम विधानसभा क्षेत्र में नियमित व अनाधिकृत कॉलोनियों में अवैध निर्माण का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर DMC एक्ट

के तहत कार्रवाई की जाती है;

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'क' अनुसार;

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दिल्ली एकीकृत भवन निर्माण उप विधि, 2016 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र के माध्यम से का.आ.1191(अ) दिनांक 22. 3.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था। जिसमें भवन नियम व उप नियमों का पूर्ण विवरण विस्तृत रूप से दिया गया है। उसकी प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा सभी संबंधित विभागों को पत्र संख्या F.No. 5(189)/ADLB/2016 5396-5403 dated-17/06/2016 के द्वारा सूचना तथा उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया था। उस पत्र की प्रति 'क' संलग्न है; और

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वाले महावीर एन्कलेव, पालम; मधु विहार व साथ नगर निगम वार्डों में अब तक 34 बहुमंजिला भवन/कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स सर्वे के दौरान संज्ञान में आए हैं जिनकी सूची 'ख' साथ संलग्न है।

Office of the Director of Local Bodies
Government of NCT of Delhi
9th Level, C-wing, Delhi Secretariat
I.P.Estate, New Delhi-110002

F.No.5(189)/ADLB/2016/5396-5403 Dated 17/06/2016

Sub: Notification of "Unified Building Bye Laws (UBBL) for Delhi 2016" vide Notification in the Gazette of India vide S.O. No. 1191 (E) Dated 23th March 2016

Sir,

Please find enclosed herewith Notification of "Unified Building Bye Laws (UBBL) for Delhi 2016" vide Notification in the Gazette of India vide S.O. No. 1191 (E) Dated- 23th March 2016, both in Hindi and English version for information and necessary action.

Yours faithfully,

(Onkar Marathe)
Deputy Director
(Local Bodies)
Mob. No. 8447876214

Enclosures: (As above)

1. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi
3. The Secretary to the Minister of Local Bodies, Government of NCT of Delhi

4. The Principal Secretaiy (L.J & L.A), Government of NCT of Delhi

5. Director, Local Bodies, Government of NCT of Delhi

6. Municipal Commissioners, North, Soutlv and East Delhi Municipal Corporations.

7. The Deputy Secretary (GAD), Co-ordination Branch in duplicate, for the publication in Delhi Gazette, Part-IV, extraordinary of today's date.

8. Guard file.

Sub.: List of Buildings having more than four floors (Commercial) situated in Palam Constituency comprising of 04 Municipal Wards i.e. Ward No. 51 (Madhu Vihar), 52 (Mahavir Enclave), 53 (Sadh Nagar) and 54 (Palam) under the jurisdiction of Najafgarh Zone (SDMC)

Sl. No.	Address/Property No.	Ward No.
1	RZ-A-1/11, Vijay Enclave, Palam Dabri Road (Near Shani Mandir)	52
2	Mulchand Tower, Palam Dabri Road	52
3	DsH Dish TV Videocon Building	52
4	Kidney Hospital, Stone Centre (Palam Dabri Road), Mahavir Enclave	52
5	Garg Tower, Palam Dabri Road, Mahavir Encl.	52
6	Dass Tower, Palam Dabri Road, Mahavir Encl.	52

Sl. No.	Address/Property No.	Ward No.
7	E-3, Vijay Enclave, Mahavir End., Owner Ajab Singh	52
8	D-421 & D-422, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
9	D-413, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
10	D-40G, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
11	B-171 & B-172, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
12	G-106, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
13	F-601-603, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
14	E-1079, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
15	E-551, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
16	D-412, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
17	C-703, Palam Extention, Sec-7, DWarka	54
18	A-79, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
19	B-190, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
20	B-179, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
21	B-181, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
22	B-889, Palam Extention, Sec 7, Dwarka	54
23	B-890, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
24	C-338, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54

Sl. No.	Address/Property No.	Ward No.
25	C-919, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
26	C-360 & C-361, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
27	C-398, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
28	E-618 & F-619, Paiam Extention, Sec-7, Dwarka	54
29	H-963, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
30	E-516, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
31	E-590, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
32	E-534 & F.-535, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
33	E-595 & E-596, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54
341	WZ-771/6, Palam Extention, Sec-7, Dwarka	54

Note: The Survey has been conducted on the primafacia property and on the basis of counting of number of floors and address as displayed/mentioned on property, not by exact measurement.

128. श्री विशेष रवि : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017–18 और 2018–19 में एम.सी.डी. द्वारा करोल बाग में विधायक निधि के स्वीकृत कार्यों का विवरण क्या है';

(ख) इनमें से कितने कार्यों का वर्क अवार्ड हो गया है;

(ग) वर्क अवार्ड हो चुके कार्यों में से आज तक शुरू नहीं हो पाये कार्यों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) ये कार्य कब तक शुरू कर दिए जाएंगे?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

वर्ष 2017—2018 और 2018—19 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोल बाग क्षेत्र में विधायक निधि के 28 कार्य स्वीकृत है विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

एम.एल.ए. लैड

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2017—18 और 2018—19 में करोल बाग क्षेत्र में विकास कार्य हेतु जारी धनराशि 197.05 लाख रुपये के स्वीकृति आदेश जारी किये गये (प्रतिलिपि संलग्न)।
2. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार को वर्ष 2017—18 और 2018—19 में करोल बाग विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्य हेतु जारी धनराशि 244.37 लाख रुपये के स्वीकृति आदेश जारी किये गये (प्रतिलिपि संलग्न*)

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

26 कार्यों के वर्क ऑर्डर हो गये हैं। विवरण अनुलग्नक 'क' में दर्शाया गया है।

एम.एल.ए. लैड

उपरोक्त कार्यकारी एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

02 कार्य शुरू नहीं हो पाये। विवरण अनुलग्नक 'क' के क्रमांक संख्या 25 व 26 में दर्शाया गया है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

एम.एल.ए. लैड

उपरोक्त कार्यकारी एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया गया है; और

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यह कार्य जल्द से जल्द शुरू कर दिये जाएंगे।

एम.एल.ए. लैड

उपरोक्त कार्यकारी एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

129. श्री संजीव झा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रीट–लाइट लगाने का कार्य पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि इसमें परिवर्तन करके अब यह कार्य किस अन्य एजेंसी/विभाग को दे दिया गया है; और

(ग) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रही सभी स्ट्रीट–लाइटों का पूरा ब्यौरा क्या है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अधिकृत क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य पहले तथा वर्तमान में भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विद्युत विभाग)**

अधिकृत क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा सिर्फ परंपरागत स्ट्रीट–लाइटों को बदलकर एल.ई.डी. लाईटों को लगानेका कार्य मैसर्स

हेवेल्स इंडिया लिमिटेड तथा टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टी.पी.डी.डी.एल.) को सौंपा गया है; और

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (विभाग)**

बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निगम अधिकृत क्षेत्र में परंपरागत स्ट्रीट लाइट को बदलकर एल.ई.डी. लाईटें लगवायी जा चुकी हैं जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही है जिनका विवरण निम्नलिखित है :–

बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र	निगम वार्ड सं.	W 40 लाइटें	W. 70 लाइटें	W. 70 लाइटें	कुल लाइटें
	6	274	1975	30	2279
	7	301	673	34	1008
	8	218	412	62	692
	9	0	266	30	296
	10	46	61	7	114
	11	410	323	78	811
कुल लगी एल.ई.डी. लाईटें					5200

ऊर्जा विभाग, दिल्ली सरकार

बिजली वितरण कम्पनी (टी.पी.डी.डी.एल.) ने सूचित किया है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14817 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और 99 प्रतिशत लाईट काम कर रही है।

130. श्री संजीव झा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किन–किन स्थानों पर कुल कितने खोखे/पटरी एवं तहबाजारी के लाईसेंस आबंटित किये हुए हैं तथा उनके आबंटियों के नाम एवं पते का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रोड पर भी कुछ खोखे आदि आबंटित किए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उन आबंटियों/आवेदनकर्ताओं के नाम एवं पते का विवरण क्या है; और

(घ) इन खोखा/पटरी/तहबाजारी के लाईसेंस आबंटित करने के मानदंड/आधार क्या हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में आवंटित तहबाजारी की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

जी हां;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

विवरण अनुलग्नक 'क' पर दर्शाया गया है; और

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

खोखा/पटरी/तहबाजारी के लाईसेंस आबंटित नहीं किये जाते हैं/जा रहे हैं। टाउन वेंडिग एक्ट के आने के पश्चात् ही इनका आबंटन निर्धारित नीति के अनुसार किया जाएगा। यह एक्ट अभी दिल्ली सरकार में विचाराधीन है।

Sl. No.		Ward No.	site ID	Location with complete address	Land Area in sqm.	Built Up Area (Size)
1	2	3	4	5	6	7
1	6N	Nil		Nil	Nil	Nil
2	7N	Nil		Nil	Nil	Nil
3	8N	15073	Ajay kumar	Main Road Jharoda	N/A	7’x5' PCO Boolh
4	8N	17454	sumit saxena	Jharoda Mazra	N/A	7’x5' PCO Booth
5	9N	Nil		Nil	Nil	Nil
6	10N	15075	A runkumarmishra	STA Burari	N/A	7’x5' PCO Booth
7	10N	15076	Mukesh kumar	STA Burari	N/A	7’x5' PCO Booth
8	10N	15077	kuldip singh	STA Burari	N/A	7’x5' PCO Booth
9	10N	13015	anil kumar	STA Burari	N/A	7’x5' PCO Booth
10	10N	15079	Sunil singh	STA Burari	N/A	7’x5' PCO Booth
11	10N	15080	om parkash	Nathu Pura Road Sant Nagar	N/A	7’x5' PCO Booth

1	2	3	4	5	6	7
12	10N	7048	Gopi chand	STA Burari	N/A	7’x5' PCO Booth
13	10N	18003	Ram Baksr	STA Burari	N/A	6’x4' (Open)
14	10N	7110	Jagjeet singh	STA Burari	N/A	7’x5' (Covered)
15	10N	7111	Gurudayal	STA Burari	N/A	7’x5' (Covered)
16	10N	7115	Raj kumar Pahwa	STA Burari	N/A	7’x5' (Covered)
17	10N	7117	Chander prakash	STA Burari	N/A	6’x4' (Open)
18	10N	7118	Raj kumar	STA Burari	N/A	6’x4' (Open)
19	10N	7119	Bhola nath mishra	STA Burari	N/A	6’x4' (Open)
20	10N	7120	Ved Prakash	STA Burari	N/A	6’x4' (Open)
21	10N	7122	Sohan Lal	STA Burari	N/A	6’x4' (Open)
22	10N	7123	Gulshan kumar	STA Burari	N/A	6’x4' (Open)
23	10N	7124	Mukesh Kumar	STA Burari	N/A	6’x4' (Open)
24	10N	15083	Tilak Raj	STA Burari	N/A	7’x5'

25	10N	15086	Om Prakash	STA Burari	N/A	6'x4' (Open)
26	10N	15084	Sunita	STA Burari	N/A	7'x5' PCO Booth
27	10N	15087	Puran Chand	STA Burari	N/A	6'x4' (Open)
28	10N	1637	Arun Kumar	STA Burari	N/A	7'x5' (Covered)
29	10N	20050	Soran Lal	STA Burari	N/A	6'x4' (Open)
30	10N	5890	Kishan la	STA Burari	N/A	7'x5' PCO Booth
31	10N	1512998	Balak Rai	STA Burari	N/A	7'x5' PCO Booth,
32	10N	7488	Shulka Chopra	STA Burari	N/A	7'x5' PCO Booth
33	10N	1512997	Vijay Kumar	STA Burari	N/A	7'x5' PCO Booth

131. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाँदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में एक जनवरी 2015 से 31 जनवरी 2019 तक विधायक निधि से कितना फण्ड यूडी द्वारा दिया गया है;

(ख) एन.एम.सी.डी. ने ए.सी.–20 में अब तक विधायक निधि से क्या–क्या, किन–किन इलाकों में और कितने–कितने फण्ड से काम किया है विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए;

(ग) ए.सी.–20 में एन.एम.सी.डी. ने जनवरी 2015 से जनवरी 2019 तक क्या–क्या और कितने फण्ड के कार्य करवाये हैं विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए;

(घ) ए.सी.–20 में एम.सी.डी. द्वारा चलाई जा रही पार्किंग की विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई जाए; और

(ङ) एन.डी.एम.सी. द्वारा ए.सी.–20 में अब तक कितने अवैध निर्माणों, अतिक्रमणों की शिकायत प्राप्त हुई है, पूरी जानकारी कार्रवाई के साथ उपलब्ध कराई जाए?;

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

चाँदनी चौक विधान सभा क्षेत्र का एक जानकारी 2015 से 31 जनवरी 2019 तक विधायक निधि से यूडी डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार द्वारा 997.66 लाख की राशि दी गयी है। जिसका विवरण निम्नलिखित है–

वर्ष	राशि
2014.15	370.23 लाख
2015—16	99.41 लाख
2016—17	129.46 लाख
2017—18	46.54 लाख
2018—19	352.02 लाख
कुल	997.66 लाख

एम.एल.ए. लैड

सूची संलग्न है;

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ए.सी.—20 में अब तक विधायक निधि से किए गए कार्यों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

एम.एल.ए. लैड

उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबंधित तथा हस्तांतरित किया जा चुका है;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

ए.सी.—20 में अभियांत्रिक विभाग में कराए गए कार्यों की सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

एम.एल.ए. लैड

उपरोक्त 'ख; के अनुसार;

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

ए.सी.–20 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाई जा रही पार्किंग की सूची अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न है।

एम.एल.ए. लैड

उपरोक्त 'ख' के अनुसार; और

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

वार्डस परिसीमन के उपरांत अक्टूबर 2017 से जनवरी 2019 तक भवन विभाग में कुल 11487 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन पर की गई कार्रवाई का विवरण सूची अनुलग्नक 'घ' * पर संलग्न है;

एम.एल.ए. लैड

उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

132. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने रैन बसेरे हैं;

(ख) क्या रैन बसेरे के पते पर आधार कार्ड/राशन कार्ड बनाए सकेंगे;

(ग) क्या सरकार के पास रैन बसेरे में रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कोई योजना है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) क्या सरकार के पास रैन बसेरे में नशा मुक्ति के लिए कुछ योजनाएं हैं; और

(ङ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने रैन बसेरे हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) दिल्ली में इस समय 190 रैन बसेरे स्थाई रूप से और 65 रैन बसेरे अस्थाई रूप से पगोडा टेन्ट में चलाए जा रहे हैं;

(ख) डूसिब द्वारा नियुक्त एन.जी.ओ./संस्थाओं द्वारा समय–समय पर आधार कार्ड और वोटर कार्ड के लिए रैन बसेरा में सम्बन्धित विभागों के सहयोग के कैम्प लगाये जाते हैं;

(ग) रोजगार देने का कार्य डूसिब का मुख्य कार्य नहीं है, परन्तु डूसिब द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता है कि रैन बसेरों में रहने वालों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाये। इसी संदर्भ में 250 बेघरों को प्लम्बर/इलेक्ट्रीशियन/सिलाई इत्यादि की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। डूसिब द्वारा चलाये जा रहे रैन बसेरों में रहने वाले बेघरों के लिये मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग का भी प्रयास किया जा रहा है;

(घ) नशा मुक्ति की मुख्य जिम्मेदारी सामाजिक कल्याण विभाग दिल्ली सरकार की है परन्तु वर्तमान में 4 रैन बसेरों में नशा मुक्ति से सम्बन्धित कार्य NGO द्वारा संचालित किया जा रहा है; और

(ङ) विधान सभा क्षेत्र 20 में कुल 38 रैन बसेरे स्थाई रूप से है।

Delhi Urban Shelter Improvement Board
Punarwas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi - 110002

NIGHT SHELTERS LIST

Report Last Updated on Wed., 20 Feb., 2019 at 03:33:06 pm

NS Code	Night Shelter Name	Capacity	Name of Agency
1	2	3	4
1	Delhi Gate (GF)-Handicapped, (FF & SF)-Children Drug Rehabilitation Centre	150	SPYM
2	Katra Maula Bux, Roshanara Road.	310	Aashray Adhikar Abhiyan
3	Kabool Nagar Shahdra	60	Sadik Masih Medical Social Servant Society
4	Sarai Pipal Thala, 1st Floor, Adarsh Nagar	200	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
5	Shahzada Bagh	220	Aashray Adhikar Abhiyan
6	S.P. Mukharjee Market	70	Aashray Adhikar Abhiyan
7	Lahori Gate	350	SPYM
8	Raja Garden-08	130	Sadik Masih Medical Social Servant Society Safe Approach for

1	2	3	4
9	R - Block Mangolpuri.	190	Nascent Termination of Social Hazard
10	Nizamuddin Basti near Hazrat Nizamuddin Dargah	300	SPYM
11	Fatehpuri Old Delhi Railway Station	450	SPYM
12	Fountain Chandni Chowk	180	SPYM'
13	Prop. NO. 10615, Jhandewalan Road	90	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
14	Property No. 10788-89, Jhandewalan, Road	70	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
15	Prop. No. 6108, Gali Ravi Dass	100	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
16	Gali Tel Mill, Nabi Karim	80	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
18	Community Hall, Regharpura, Karol Bagh (Ladies Shelter)	110	Aashray Adhikar Abhiyan
19	Nand Nagari	120	Sadik Masih Medical Social Servant Society
20	Kabir Basti Malka Ganj.	110	Rachna Women's Development Association

1	2	3	4
21	1st Floor community Hall Sarai Phoosh	60	Rachna Women's Development Association
22	Phool Mandi Building, Mori Gate	250	Rachna Women's Development Association
23	759/1 Chabi Ganj Community center	280	Rachna Women's Development Association
24	Kotla Mubarakpur, Ground Floor, De-addiction (Men)	80	SPYM
25	A.t Property No. 1546-51/VIII. (Gali Borian, Ajmere Gate)	120	SPYM
26	Community Center Hanuman Mandir Yamuna Bazar (First Floor)	210	Rachna Women's DevelopmentAssociation
27	Ganda Nallah (1st Floor) MCD Community Center, Kashmire Gate	100	Rachna Women's. Development Association
28	Commercial Building, Motia Khan	540	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
29	Chamelian Road, 6562/XIV	60	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
30	Property No. 9090/XV, Gali 0.2, Multani Dhanda, Pahar Ganj.	30	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard

1	2	3	4
32	5386-87/XV, Pahar Ganj	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
34	L-Block, Pratap Nagar, Near Shastri Nagar	220	Aashray Adhikar Abhiyan
35	Charian Mohalla, Roshanara Road.	210	Aashray Adhikar Abhiyan
36	Kilokari Village near circle affice, Ring Road	90	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
37	tank Road, Bapa Nagar, Karol Bagh.	50	Aashray Adhikar Abhiyan
39	Padam Nagar	20	Aashray Adhikar Abhiyan
41	Sector-3, PH-I, Dwarka	70	Sadik Masih Medical (Social Servant Society
42	Sector-3, PH-II, Dwarka	70	Sadik Masih Medical [Social Servant Society
43	Sector-1 ,Dwarka	70	Sadik Masih Medical Social Servant Society
45	Bawana relocation scheme block-E	70	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
46	Rohini Sector-26, Rohini	70	‘Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
48	Site & Services Plots at HMP Khayala	50	Sadik Masih MedicalSocial Servant Society

1	2	3	4
49	At open air theater Community Hall at2541-51/VHI.	130	SPYM
50	Kasturba Nagar Shahdara Near Cremation Ground	110	Sadik Masih Medical Social Servant Society
51	At property, No.2819/VIII, Turkman Gate, Gali S hanker	20	SPYM
53	At property No.797/VIIl,– Kundewalan.	40	SPYM
54	3329-30/XI., Delhi Gate	50	SPYM
55	Block-III Dakshinpuri, (F.F.) Near Thana Amedkar Road (Drug addicts)	110	SPYM
56	At 1st floor propertyno. 1675/ VIII, Himmat Garh.	20	SPYM
58	811/1 Kashmere Gate	20	Prayas Juvenile Aid centre
59	Aruna colony Majnu ka tilla community hall	100	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
62	Sunlight Colony-I, Community Hall	90	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
63	Community Hall Kalkaji	80	SPYM
64	F-Block, New Seemapuri	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society

1	2	3	4
65	Kotla Mubrakpur, First Floor (Drug addicts)	80	SPYM
67	Night Shelter Bldg. Extn at R Block Mangolpuri	150	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
68	Azad Pur BVK	7a	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
69	Trilokpuri BVK Block 31 near Gas Godwn	40	Prayas Juvenile Aid centre
70	Seelampur BVK, Kabari Market.	80	Sadik Masih Medica Social Servant Society
71	Vishwas Nagar BVK Sanjay Amar Colony	40	Sadik Masih Medical Social Servant Society
72	BVK D-4 Block Sultanpuri	30	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
74	BVK Goyala Diary, Near Dwarka	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
75	Khazan Basti Maya Puri	80	Sadik Masih Medical Social Servant Society
76	BVK (1st Floor) Water Tank No.2 Udyog Nagar, Peeragarhi	90	Prayas Juvenile Aid centre
77	Gokalpuri	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society

1	2	3	4
78	Sarai Pipal Thala, 2nd Floor (Shifted from Parcel House, Adarsh Nagar)	200	Prayas Juvenile Aid centre
80	GTB chowk Near GTB Hospital	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
81	Majnu ka Tilla	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
82	Yamuna Pushta near ISBT	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
83	At Himmat Garh, Ram Leela Ground.	50	SPYM
84	Bangla Sahib for Male	50	SPYM
85	Bangla Sahib-1	50	SPYM
86	Lodhi Road near Indian Social Institute	50	SPYM
88	Nehru Place, Opposite MTNL exchange	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
89	Mori Gate- BVK	50	Prayas Juvenile Aid centre
90	District Centre, Behind Hilton Hotel, Janak puri	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
91	Safdarjung Near Safdarjang Airport Flyover	50	SPYM

1	2	3	4
92	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS 1	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
93	Hari Nagar, Beri Wala Bagh	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
94	Munirka near Masjid Sec- 4, R. K. Puram (Ladies)	50	SPYM
95	Shakarpur (Laxmi Nagar) Near Railway flyover, Akshardham	50	Prayas Juvenile Aid centre
96	Mansarover Park-1, Lai Bagh	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
97	Yamuna Bazar opp. Hanuman Mandir	50	Rachna Women's Development Association
98	Yamuna Bazar Old Bridge	50	Rachna Women's Development Association
99	Jama Masjid-1	50	SPYM
100	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
101	Jama Masjid (ii) Male	50	SPYM
102	Near Liberty Cinema, Dev Nagar, Karol Bagh	50	Aashray Adhikar Abhiyan
104	Gurudwara Bangla Sahib	50	SPYM .

1	2	3	4
105	Yamuna Pushta, Code-105	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
106	Hayaat Hotel, R.K. Puram opp. Fire Station 1	50	SPYM
107	Okhla Modi Mill behind TATA Indicom	50	SPYM
108	Kela Godown, Azadpur opp Fortis hospital Shalimar Bagh	50	Rachna Women's Development Association
109	Cement godown.side Shakur Basti-II	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
110	Nilothi Extension near fish market, Near Dwarka	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
111	Chilla Goan dist Centre, Hilton Hotel (Mayur Vihar)	50	Prayas Juvenile Aid centre
112	Nasirpur, Near Dwarka	501	Sadik Masih Medical Social Servant Society
113	Jama Masjid (iii) Family	50	SPYM
115	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat	50	Sate Approach tor Nascent Termination of Social Hazard
116	Hanuman Mandir Yamuna Bazar	50	Rachna Women's Development Association
117	Raza Bazar, Bangla Sahib	50	ISPYM

1	2	3	4
118	Nangli Khadar, Near Ramchirtr Manas temple Near Mayur vihar	50	Prayas Juvenile Aid centre
119	Raja Garden-119	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
122	Raimur Nagar, Okhla near Dhobi Ghat	50	SPYM
125	Vlansrover Park-2, Lal Bagh	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
127	Kalkaji Mandir	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
128	Nehru Place 1, Metro Station	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
129	Nehru Place 2, Metro Station	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
130	Geeta Colony, Shamsan Ghat	50	Prayas Juvenile Aid centre
131	Akshardham Temple near Metro Station	50	Prayas Juvenile Aid centre
132	Shastri Park (Red Light)	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
133	Yamuna Bajar Ghat - 1	50	Rachna Women's Development Association

1	2	3	4
134	Sarai Kale Khan-2 Near petrol Dump, outer ring road	50	SPYM
135	Kudesia Ghat near NDPL, Yamuna Pushta	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
136	Mori Gate Gole Chakar	50	Rachna Women's Development Association
137	Raja Garden -II Near Raja Garden Chowk, Opposite City Square Mall.	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
138	Kali Mandir, Sector-3 Rohini for Men	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
141	Ram Lila Ground Nand Nagri	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
142	Opp. Mayur Vihar metro station yamuna khadar	50	Prayas Juvenile Aid centre
143	Sector-12, Dwarka	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
144	Madipur Sajjan Park	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
145	Ganesh Nagar Near Mother Dairy %	50	Prayas Juvenile Aid centre
146	Panchsheel Garden Shahdra	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society

1	2	3	4
147	Vasant Vihar Behind Pahari	50	SPYM
148	AIIMS Safdarjung Side near Raj Griha'Vishram Sadan	325	SPYM
149	Yamuna Pushta, Code-149	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
150	Nangli Chilla Khadar Village, Near Mayur Vihar	50	Prayas Juvenile Aid centre
160	Jama Masjid	50	SPYM
161	Mori Gate Terminal - 1	70	Rachna Women's Development Association
175	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-2	70	Sadik Masih Medical Social Servant Society
176	At Plot No.1 & 2, Asif Ali Road, Near Police Bhawan	290	SPYM
177	Priyadarshnay Colony Yamuna Bazar	60	Rachna Women's Development Association
178	(Community center Parda Bagh (IInd Floor)	160	SPYM
179	Rohini Avantika, Sector 1	200	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
180	BVK Raghubir Nagar (F Block Ext. Khayala near G.G.S. Hospital)	70	Sadik Masih Medical Social Servant Society

1	2	3	4
181	A- Block JJR Colony Sultanpuri	120	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
182	Community Hall at A, B & C Block Mangolpuri	100	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
183	Community Hall at P-l Block Sultanpuri	25	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
191	Kabir Basti near Subzi Mandi Police Station (Women)	100	Centre for Equity Studies.
192	IFC, Pocket C, Ghazipur	160	Prayas Juvenile Aid centre
193	Sector-22, Rohini	200	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
201	Shastri Park (Theka) Near Winei Soap	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
202	Pushta Usmanpur opp. Jag Pravesh Hospital	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
203	Pusta Usman Pur near DDA Park.	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
204	Chand Cinema Kalyanvas	50	Prayas Juvenile Aid centre
205	Near DLF corner road no-70 new seemapuri	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
206	Kali Mandir, Sec-3, Rohini	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard

1	2	3	4
207	At New Delhi Railway Station 7 near LNJP.	50	SPYM
208	Fountain chowck Chandni Chowk	50	SPYM
209	Jama Masjid-5	50	SPYMRachna Women's
210	Mori Gate Terminal - 2	50	Development Association
211	Porta Cabin Idgah Telephone Exchange	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
212	Near MAX Hospital Badli Mor	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
213	Badarpur Border Near Toll Plaza	50	SPYM
214	Anand Vihar-1 (Male)	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
215	Yamuna Bajar Near Hanuman Mandir	50	Rachna Women's Development Association
216	Dandi Park - I	50	Rachna Women'si Development Association
217	Dandi Park - II	50	Rachna Women's Development Association
218	Near Sai Baba Mandir Lodhiiroad	50	SPYM

1	2	3	4
220	Munirka near Masjid Sec.- 4, R. K. Puram (Men)	50	SPYM
221	At Ram Lila Ground (Himmatj Garh).	50	SPYM
222	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-3	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
223	Near Britainia Chowk	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
224	Uttam Nagar East	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
225	Pusta Ushmanpur opp. Jag Pravesh Hospital (Families)	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
226	Near Britainia Chowk	70	Sadik Masih Medical Social Servant Society
227	Kudsia Ghat No.l, Yamuna Pushta	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
228	Behind Hanuman Mandir	50	Rachna Women's Development Association
229	Sector-10, Dwarka	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
230	Dhouli Piao, Vikaspuri	50	Sadik Masih Medical . Social Servant Society

1	2	3	4
231	Ring Road, Bus Terminal Sarai Kale Khan, Site-2 (DSIIDC)	50	SPYM
232	Ring Road. Bus Terminal Sarai Kale Khan Site-3 (DSIIDC)	50	SPYM
233	Bangla Sahib Gurudwara Site-5	50	SPYM
234	Bangla Sahib Gurudwara Site-6	50	SPYM
235	Sarai Kale Khan Near Bus Terminal Pota Cabin No. 1 (Jamuna Side)	150	SPYM
236	Sarai Kale Khan Near Bus Terminal Pota Cabin No. 2 (Parking Side)	180	SPYM
237	Leprosy colony Siriniwaspuri (3 Nos Cabins)	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
238	Opp. Chattarpur Mandir (4 Nos Cabins)	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
240	Dandi Park - III Near Pusta	160	Rachna Women's Development Association
241	Dandi Park - IV Near Pusta	190	Rachna Women's Development Association
242	Anand Vihar -2 (Female)	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society

1	2	3	4
243	Geeta Ghat-1 Yamuna Bank Near Monestory Ring Road	210	Centre For Equity Studies
244	Geeta Ghat-2 Yamuna Bank Near Monestory Ring Road	210	Centre For Equity Studies
245	Munirka	50	SPYM
246	Jasola Opposite Church	50	SPYM
247	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat	225	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
248	Sabzi Mandi Tilak Nagar TNS-4	70	Sadik Masih Medical Social Servant Society
249	Sarai Kale Khan in Parking, Double Storey at Ground Floor (Recovery Shelter)	50	SPYM
250	Sarai Kale Khan in Parking	150	SPYM
251	Sarai Kale Khan in Parking Double Storey at 1st Floor	50	SPYM
501	AIIMS near Footover Bridge (Opposite Side)	25	SPYM
506	Lado Sarai near Phool Mandi.	25	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
518	Near Idgah Telephone Exchange	25	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard

1	2	3	4
520	Madhuban Chowk near DDA Office	25	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
527	Yamuna Pushta near Nigam Bodh Ghat	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
528	Yamuna Pushta River Bad Side-1	50	Safe Approach for Nascent Termination of\ Social Hazard
540	Meena Bazar, Jama Masjid	50	SPYM
546	Bangla Sahib Gurudwara (Bangla Sahib-1)	50	SPYM
550	AIIMS near Footover Bridge (Opposite Side)	50	SPYM
557	Nizamuddin near flpyover, Tikona Park	50	SPYM
559	iSubhash Nagar Mor	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
572	Sarai Kale Khan Near Red Light	125	JSPYM
573	Faridabad Bus Stand, Ring Road ISBT, Yamuna Pushta	I195	Safe Approachfor Nascent Termination of Social Hazard
574	AIIMS near Metro Station Gate No.2	25	SPYM

1	2	3	4
575	AIMS near Footover Bridge Gate (Opposite Side)	70	SPYM
578	Yamuna Pushta (LG Samadhi)	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
584	AIIMS Metro Gate No. 2	50	SPYM
594	Dev Nagar near Porta Cabin NS Code-903	25	Aashray Adhikar Abhiyan
600	AIIMS near Footover Bridge'	75	SPYM
601	AIIMS near Footover Bridge	50	SPYM
603	Pre-Feb Container under Flyover Ring Road near Faridabad Bus Stand, ISBT	50	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
607	Urdu Park, Jama Masjid	50	SPYM
608	AIIMS Safdarjung Road Side outside Raj Griha Vishram Sadan	50	SPYM
609	AsifAliRoad, Plot No. land 2	50	SPYM
610	Under Palam Flyover Manglapuri	50	Sadik Masih Medical Social Servant Society
614	Sant Nagar near Red Light	25	Safe Approach for Nascent Termination of Social Hazard
615	Laxmi Nagar near Metro Station	25	Prayas Juvenile Aid centre

1	2	3	4
616	Lalita Park near Flyover DM Office East, Pusta Road	25	Prayas Juvenile Aid centre
903	Porta Cabin, Dev Nagar (Families) (Nos 4 units)	25	Aashray Adhikar Abhiyan

* "RCC Building" and "PORTA CABIN" are of permanent type and "TENT" and "SUBWAY" are of Temporary type

133. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सभी पुनर्वास कालोनियों की संख्या व नाम का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को मकानों का मालिकाना हक देने का वायदा किया था;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना के क्रियान्वयन में क्या अड़चनें आ रही हैं, उसकी विस्तृत जानकारी दें; और

(घ) अभी तक सरकार ने ऐसी कितने कालोनीवासियों को मालिकाना हक दिया है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) जे.जे.आर. के अंतर्गत 45 कालोनी है। जिनके नाम की सूची संलग्न है;

(ख) जे.जे.आर. कालोनी के रिहायशी प्लाटों के लिए फ्रीहोल्ड (मालिकाना हक) देने के स्कीम सन् 2013 से ही लगातार चल रही है। विस्तृत

विवरणिका की एक कॉपी संलग्न है। इसके अतिरिक्त जे.जे. टैनामेन्टस को मालिकाना हक देने के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के पास दिनांक 12.07.2013 से मंजूरी हेतु लंबित है;

(ग) रिहायशी प्लाटों के मालिकाना हक देने में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन इस योजना के प्रति पुर्नवास कालोनियों के लोगों में उत्साह की कमी है। वर्तमान में अधिमूल्य के परिवर्तन (Modification of Premium/ conversion) हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार की मंजूरी हेतु भेजा गया था जो अभी भी लंबित है। इस बारे में एक अनुस्मारक दिनांक 08.02.2019 को भी प्रेषित किया गया है।

टैनामेंटस के मालिकाना हक के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के पास दिनांक 12.07.2013 से मंजूरी हेतु लंबित है; और

(घ) जे.जे.आर. के सभी जोन में कुल मिलाकर 97 रिहायशी प्लाटोंमें मालिकाना हक दिया गया है।

Government of NCT of Delhi
Department of Urban Development
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
I P Estate, New Delhi-110002

No F 28/Dir(JJR)/DUSIB/2015/4008-09 Dated: 08/02/2019

To

The Under Secretary to the Government of India,
Ministry of Housing & Urban Affairs,
Delhi Division, Govt. of India,
Nirman Bhawan, New Delhi

Subject: Regarding grant of freehold/ownership rights to the aliottees/occupants on sale/purchase of plots in 45 Jhuggi Jhopri Resettlement Colonies and modification of premium/conversion charges

Sir,

I am directed to refer to this office letter No.F.28/Dii(JJR)/DUSiB/2015/01 dated 02.01.2018 vide which a proposal regarding grant of freehold/ownership rights to the allottees/occupants on sale/purchase of plots in 45 Jhuggi Jhopri Resettlement Colonies and modification of premium/conversion charges was submitted to your Ministry Further, as desired vide your office letter No.K-19013/06/2018-DD-4 dated 23 03.2018, the point-wise replies/information were also submitted vide this office letter No F 28/Dir(JJR)/DUSIB/2015/20l5 dated 16.07.2018 for consideration of the proposal and to convey the decision of the Ministry of Housing & Urban Affairs, Govt. of India. The approval of the Ministry on the proposal of GNCTD is awaited

It is therefore requested to kindly look into the matter on priority and to convey the decision of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India, so that the appropriate action for grant of freehold/ ownership rights to the allottees/occupants on sale/purchase of plots in 45 Jhuggi Jhopri Resettlement Colonies may be done at the earliest.

Yours faithfully,
Deputy Secretary (BSUP)
Phone No.23392247

No. F.28/Dir(JJR)/DUSIB/2015/4008-09 Dated: 08/02/2019

Copy to:

1 The Chief Executive Officer Delhi Urban Shelter Improvement Board, Punarwas Bhawan I.P. Estate, New Delhi- with the request to depute a responsible officer to follow up the matter with the Ministry.

Deputy Secretary (BSUP)
Phone No.23392247

APPLICATION FORM AND GUIDELINES FOR

THE SCHEME FOR GRANT OF FREEHOLD/ OWNERSHIP RIGHTS TO THE RESIDENTS OF 45 JJ RESETTLEMENT COLONIES OF DELHI

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD

Government of National Capital Territory of Delhi
Punarwas Bhawan, LP. Estate, New Delhi -110 002

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

The Scheme for grant of Freehold / Ownership Rights to the allottees/ occupants of 45 JJ Resettlement Colonies

1. **INTRODUCTION:**

The Govt. of NCT of Delhi, with the prior approval of Ministry of Urban Development, Govt, of India, proposes to grant Freehold/ Ownership Rights to the allottees/ residents of 45 JJ Resettlement Colonies. The scheme of grant of freehold rights to allottees/ residents of JJ Resettlement colonies will" be implemented by Delhi Urban Shelter Improvement Board, a statutory body under Govt, of NCT of Delhi.

The applicants who want to avail this opportunity may apply in the prescribed Proforma as given alongwith these Guidelines.

2. **SALIENT FEATURES OF THE SCHEME:**

I This scheme is applicable to the 45 JJ Resettlement Colonies as listed in the Appendix-1.

II Scheme is-applicable to residential plots only.

III The cases of amalgamation of two or more plots shall not be considered in the policy and each unit shall be considered as a separate unit.

IV The freehold of the actual piece of land allotted shall be covered under the policy and it will not cover unauthorised construction and misuse, if any. Unauthorised construction

shall be dealt by the local body /appropriate agency or authority as per extant laws. In respect of commercial use of the JJ plots, the provisions of MPD-2021 shall apply and action will be taken accordingly.

V In case where the plots have been occupied by more than one person apart from allottee/ purchaser, free hold rights shall be conferred in the name of the allottee/purchase.

VI All the dues / fee / premium / cost of land as decided by the DUSIB shall be fully paid by the applicant before the execution of the conveyance deed.

VII In case, at any later stage, if it is found that the conveyance deed / freehold rights have been obtained by the applicant by using false/fake/bogus documents or by fraudulent means, the DUSIB shall have the right to take action as per law and terms and conditions of the conveyance deed. Allotment of plot shall be cancelled and DUSIB shall enter into the property and take possession of the same along with the superstructure and its fixtures.

VIII These freehold rights are intended to cover only the allotted plots and hence will not cover encroachment, which any allottee/occupier might have made.

IX The scheme will be implemented subject to compliance with various court orders/directions/ judgements.

X No one should be allowed to have more than one plot in her/ his name or in the name of dependents/family members.

3. **CONVERSION CHARGES & MODE OF PAYMENT:**

The ownership rights to the allottees / occupants / purchasers shall be decided on the payment of premium / cost of land/conversion fee as per the following basis:—

Sl. No.	Category	Premium / Cost of land to be charged for grant of freehold rights
1.	Allottee/Legal Heirs of Allottee	5% of the Circle Rate.
2.	Occupants through Sale/Purchase of the allotted plot up to 31st March, 2007.	30% of the Circle Rate
3.	Occupants through Sale/Purchase of the allotted plot and residing therein w.e.f. 1st April, 2007 onward.	100% of the Circle Rate.

(i) Conversion from licence to freehold would be allowed on payment of applicable premium charges as per the categories and rates mentioned above and given in Annexure-1.

(ii) The Premium Circle Rates may be revised by the Govt, of India/Govt. of Delhi from time to time. The revised rates as on dates or submission of application shall be applicable.

(iii) Applicant shall also pay one time lump-sum payment of Rs. 5000/- as outstanding dues of the licence fee in case the payment of licence fee is not up-to-date.

(iv) The conversion charges alongwith lump sum payment of licence fee shall be paid by the applicant by a Pay Order or by Demand Draft from any Nationalised Bank drawn in favour of Delhi Urban Shelter Improvement Board.

4. **VALIDITY OF SCHEME:**

1. Applications shall be available from 19 August, 2013 at all the JJ Zonal Offices as given in Appendix-2. The Scheme shall remain valid till further order.

5. **PROCEDURE TO SUBMIT APPLICATION FORM:**

1. All the eligible allottee/occupants shall apply for grant of ownership rights in a prescribed format attached with these guidelines.

2. The Application Form should be accompanied by all requisite documents, Conversion charges and lump-sum payment.

3. The completed forms should be submitted by the applicant in the concerned JJ Zonal Offices of DUSIB as given in Appendix-2.

4. The genuineness/authenticity of the documents submitted by the applicant for freehold shall lie on the applicant.

5. Application found in order will be disposed of within a maximum period of 60 days from the date on which the prescribed formalities are completed.

6. Conveyance Deed shall be sent to the applicant/person in whose name conversion is sought by Regd. Post. The recipient shall

then get it stamped from Collector of Stamps and submit it within 45 days from the date of despatch by DUSIB at the office of Dy. Director (JJR), DUSIB for signatures of the authorised person. At the time of receipt of the Conveyance Deed, a date will be given on which the signed Conveyance Deed can be collected from the office of Dy. Director(JJR), DUSIB. Thereafter, the recipient shall get the conveyance deed registered with the concerned Sub-Registrar. Stamp Duty under the Stamp Act and Registration Charges shall be payable by the person in whose favour the conversion is sought.

In case, the conveyance deed is not received by an applicant/ in whose favour the conversion has been sought within a period of 60 days, he/she may contact the Zonal Officer concerned.

6. **DOCUMENTS TO BE ATTACHED:**

1. Copy of Demolition Slip / Possession Slip.
2. Copy of G-8 Receipt(s) towards licence fee if paid.
3. Copy of Allotment Letter, if any.
4. ***Proof of Identity:-*** Such as Copy of Aadhar Card/UID, Voter ID, Ration Card/ PDS Photo card, Driving Licence, PAN Card, Govt. Photo l.Card, Arms Licence, CGHS Photo Card, Pensioner Photo Card, Freedom Fighter I.Card, Photo ID issued by recognised educational Institution, Certificate of Identity having photo issued by a Group (A) Gazetted Officer on his letter head alongwith stamp of his institutions/office.
5. ***Proof of residence:-*** Such as Copy of Aadhar Card/UID, Ration Card, Voter l.Card, Electric/ Water Bill, Landline Telephone

Bill, Property Tax receipt (if assessed to House Tax), Bank Statement/Pass Book, Passport, Driving Licence, Post Office Account Statement/Passbook, Government Photo l.Card, Insurance Policy, Pensioner Card, Vehicle Regn. Certificate, CGHS/ ECHS Card.

6. Notarised Undertaking (Refer Annex. 1).

7. Notarised Affidavit (Refer Annex. 2).

8. Notarised Indemnity Bond (Refer Annex.3).

9. Specimen Signature with Four photographs duly attested by Notary Public (Refer Annex. 4).

A. ADDITIONAL DOCUMENTS IN CASE OF LEGAL HEIR(S) (IN CASE OF DEATH OF ALLOTTEE)

i. Original Death Certificate of the deceased allottee.

ii. Registered Will, if exists.

iii. Un-Registered Will, if any, duly probated by Court.

iv. Document showing the relationship between the deceased allottee and the applicant.

v. Registered Relinquishment Deed (from other legal heirs) and Registered Indemnity Bond (executed by the applicant), in case freehold to be made in favour of only one legal heir.

vi. An Affidavit of legal heirs declaring that they/he, are/is the only and genuine legal heirs indicating the relationship with deceased allottee.

B. Additional Documents in case of Bonafide Purchaser:

i. Complete chain of Sale Purchase documents.

Appendix-1

Comparison of Land Rate for Residential plot, adopted by various Govt, agencies, in the area of JJR Colonies situated in the National Capital Territory of Delhi.

Sl. No.	Name of the JJR Colony	Category Number	Circle rate as notified on 04-12-2012 by the Govt, of NCT of Delhi, (in rupees)	Rate to be charged for a plot size of 25 Sq. Yds. i.e. 20.9 Sq.mtrs		
				5%	30%	100%
1	2	3	4	5	6	7
1	Khyala Ph-I	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
2	Chowkhandi	F	47200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00
J	Pandav Nagar	E	58,400=00	61,028=00	3,66,168=00	1220,560=00
4	ShakurPurPh-l	E	58,400=00	61,028=00	3,66,168=00	1220,560=00
5	ShakurPurPh-II	E	58,400=00	61,028=00	3,66,168=00	12,20,560=00
6	Khyala Ph-II	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00

7	Khyala Ph-I 11	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
8	Naraina	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
9	ManglaPuri	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
10	MadiPur	F	47200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00
11	Khan Pur	F	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
12	Jawala PuriPh-I	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
13	Jawala PuriPh-11	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
14	Nand Nagri Block-A to E	F	47200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00
15	Nand Nagri Block-F to L	F	47200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00
16	New Seema Puri	F	47200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00
17	Moti Bagh (Satya Niketan)	D	1,06,400=00	1,11,188=00	6,67,128=00	22,23,760=00
I8	WazirPur	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
19	Old SeemaPuri	F	47200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00

1	2	3	4	5	6	7
20	Seelam Pur Ph-I	G	38,500=00	40,233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
21	Seelam Pur Ph-I 11	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
22	TrilokPuri Ph-i&II	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
23	Seelam Pur Ph-II	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	804,650=00
24	Khichri Pur	G	38,500=00	40233=00	241,395=00	8,04,650=00
25	KalyanPuri	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	804,650=00
26	HimmatPuri	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8.04,650=00
27	Seelam Pur Ph-I V	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
28	Nangloi Ph-I	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
29	Nangloi Ph-II	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
30	Nangloi Ph-III	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
31	Mangol Puri.	G	38,500=00	40,233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
32	Sultan Puri	G	38,500=00	40,233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
33	Jahangir Puri	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
34	Pankha Road & Hastsal	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
35	RaghubirNager	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
36	Dakshin Puri	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00

37	Dakshin Puri Extin.	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
38	Tigri	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
39	Madangir Ph-II	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
40	MadangirPh-I	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
41	Sunlight Colony	E	58,400=00	61,028=00	3,66,168=00	12,20,560=00
42	Sri Niwas Puri	G	38,500=00	40233=00	2,41,395=00	8,04,650=00
43	Gokul Puri	F	47,200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00
44	Nehru Vihar	F	47200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00
45	Aruna Colony (Majnu-Ka-Tila)	F	47200=00	49,324=00	2,95,944=00	9,86,480=00

Total number of JJR Colonies of different categories.

Category - D = 01

Category - E = 04

Category- F = 09

Category - G = 31

Note: Rates, subject to latest notification of circle rate as on date of conversion. In case of difference in premium of land cost in contradiction of notification of circle rate, difference of amount of rate will be recovered along with interest.

APPENDIX-2

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
JJR BRANCH

List of Zonal/ JJ Resettlement Offices

Sl. No	Name of the Zonal Office	Address
1	East Zone 'A'	Community Center, Block No.l5, Near police Station, Kalyanpuri, Delhi
2	East Zone 'B'	Community Center, Seelampur, Welcome, Delhi-53
3	Jahangirpuri	Night Shelter, SaraiPipalThala, Azadpur
4	North Zone 'A'	Ground Floor,Community Hall, A-Block, Jawalapuri, JJ Colony, New Delhi-87
5	North Zone 'B'	Community Hall, E-Block, Shakurpur, Near Samrat Cinema, New Delhi
6	West Zone	1st floor, Community Hall, Block No. 12, Tilak Nagar
7	South Zone	Community Center, H-Block, Dakshinpuri, New Delhi

ANNEXURE-1

UNDERTAKING

(To be submitted by the person in whose favour conversion is sought on non-judicial stamp paper of Rs.107- duly attested by Notary Public/First Class Magistrate)

1 .... S/o, W/o, D/o Sh............................resident of (address)..do hereby undertake as under :

1. That 1 shall pay to CEO DUSIB, GNCT of Delhi, immediately on demand, such amount as may be demanded by it on account of lump-sum amount for freehold status, in respect of Plot No. ....at- ....

2. That I shall pay to CEO, DUSIB, GNCT of Delhi, immediately on demand, such amount as may be demanded by it on account of maintenance/service charges applicable, if any.

3. That on my failure to pay any sum referred above the conversion of License rights into free hold rights in respect of the above referred property shall be deemed to be null and void and the lessor/ Authority shall be entitled to recover the same as arrears of land revenue.

5. That if it is found by the CEO, DUSIB, GNCT of Delhi or any other local authority, at any point of time, that the above referred property or any part thereof is being used for the purposes other than specified in the license agreement, I shall, forthwith, stop such use, apart from any action liable under the relevant laws/rules/regulations.

.... day of....... .... 013................ Licensee/Allottee/Purchaser.
In the presence of:

1. ....

2. ....

ANNEXURE - 2

(on Non-Judicial Stamp Paper worth Rs. 50/-, duly attested by Notary)

AFFIDAVIT

I .... S/o, D/o, W/o .... r/o... do hereby solemnly affirm and declare as under:—

1. That I am the allottee/legal heirs of allottee/bonafide purchaser and occupant of plot No. ....;

2. That I am in actual physical possession of the plot No. ....

3. That there is no case/suit etc. pending in any court of law/ tribunal etc. in respect of above mentioned plot No... There is no stay against converting to free-hold.

4. That the above mentioned plot is free from all kind of encumbrances;

5. That the above mentioned plot is not mortgaged;

6. That all the documents submitted by me with the application form No. .... for grant of free hold rights in respect of above mentioned plot are genuine and the same are not forged/fake/bogus/ false;

7. That in case any document(s) is found forged/fake/bogus at any stage, it will be my responsibility and I shall be liable for

action including the criminal proceedings and the Delhi Urban Shelter Improve-ment Board shall have every right on the said plot along with its superstructure and fixtures of the building etc.;

8. That I shall abide by the terms and conditions of the Conveyance Deed;

9. That the above mentioned plot is used for residential purposes only;

10. That there is no other claimant/legal heir/ successor/survivor of the allottee etc. in respect of the above mentioned plot;

11. That I shall pay all the dues / fee/ premium/cost of land as may be decided by the Delhi Urban Shelter Improvement Board for grant of free hold rights of the above mentioned plot;

DEPONENT

Verification: Verified at Delhi/New Delhi on .... that the contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and belief and that nothing material has been concealed there from

DEPONENT

ANNEXURE - 3

To be Attested by Notary Public

(On Non-judicial stamp paper worth RslOO/- and duly witnessed by two persons with address)
Indemnity Bond

This indemnity bond is made at Delhi/New Delhi on this .... day of 2013 by .... Sh/smt. .... son of/wife of sh .... aged about .... years and resident of .... (hereinafter called the Executant) which expression shall unless the context requires otherwise includes his/her heirs, administra-tors, legal representatives and assigned in favour or the President of India/DUSIB GNCTD (hereinafter called the owner) which expression shall unless the context required include its successors and assignees.

Whereas Sh/Smt. .... son of / wife of Sh. .... (hereinafter called the Executant) is residing/ having valid and legal possession of the residential plot bearing no. .... block .... at ....

Whereas the Executant has applied to DUSIB for grant of Freehold Right in his/her favor by com-pleting all the coal formalities.

Whereas, on the request of the executants(s) the DUSIB GNCTD has agreed to grant Freehold Rights of the property no. .... in my name and I am executing this Indemnity Bond to indemnity the Delhi Urban Shelter Improvement Board, Govt, of National Capital Territory of Delhi, against all claims or damages which may be made against or incurred by the owner/DUSIB - GNCTD for granting the

Freehold Right of the above said property in the name of the executants(s).

And whereas, in consideration to the aforesaid indemnity bond, the DUSIB has agreed to grant free hold right to the Executant(s) and the Executant(s) has/have agreed to furnish this bond to indemnity the DUSIB that his/her heirs, successor, executors, administrators and legal representatives jointly and severely responsible, whatsoever in respect of the aforesaid property against all interests, losses, damages, penalties, legal action, claim, charges, demand and all kind of things whatsoever arising out of the conversion of the above mentioned property/plot from licensee into freehold.

In witness whereon I/we .... son of / wife of Sh. .... have executed and delivered this bond on the day month and year mentioned first herein above in the pres-ence of witnesses,

Executant(s)

Witness:

(1) ....

(Sh/Smt. ....)

S/o W/o Sh. ....

R/o ....

(2) ....

(Sh/Smt. ....)

S/o W/o Sh. ....

R/o ....

ANNEXURE - 4

Specimen signatures and passport size photographs of the person in whose favour conversion sought duly attested by Notary/First Class Magistrate

Name .... S/o, W/o .... Application No ....

/ Property No. .... Colony ....

1.	.... (Specimen signature)	Attestation	Affix Photograph.
2.	.... (Specimen signature)	Attestation	Affix Photograph
3.	.... (Specimen signature)	Attestation	Affix Photograph
4.	.... (Specimen signature)	Attestation	Affix Photograph

NOTE : If the applicant is allottee/Licensee, then his/her photograph and in case of applicant being an attorney the photograph of person named in Column 3 of the application form are required to be submitted as above.

Check List of the Documents Attached

1. Copy of Demolition Slip/Possession Slip
2 Copy of G-8 Receipt(S) towards licence fee if paid
3. Copy of Allotment Letter, if any
4. Proof of Identify
5. Proof of residence
6. Notarized Undertaking (Refer Annex..........)
7. Notarized Affidavit (Refer Annex..............)
8. Notarized Indemnity Bond (Refer Annex......................) ‘
9. Specimen Signature with Four photographs dully attested by Notary Public (Refer Annex ....)
10. Original Death Certificate of the deceased allottee
11. Registered will, if exists
12. Un-Registered will, if any, duly probated by Court
13. Documents showing the relationship between the decased allottee and the applicant
14. Registered Relinquishment Deed (from other legal heirs) and Registered indemnity Bond (executed by the applicant), in case freehold to be made in favour of only one legal heir.
15. An affidavit of legal heirs declaring that they/he, are/is the onlyand genuine legal heirs indicating the relationship with deceased allottee
16. Complete chain of Sale Purchase Documents

134. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौ शलाओं की क्षमता में वृद्धि करने तथा नई गौशालाएं खोलने की सरकार की क्या योजना है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में प्रत्येक गौशाला के लिए कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) गौ शालाओं में गऊओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है तथा सरकार द्वारा इसकी सप्लाई सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था है?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **सचिव–सह–विकास आयुक्त**

गौशालाओं की क्षमता में वृद्धि करने तथा नई गौशाला खोलने के लिए सरकार ने "पशु स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति–2018" के तहत दिल्ली के प्रत्येक जिले में 2–3 गौशाला खोलने का निर्णय लिया गया है, प्रत्येक गौशाला हेतु 15–20 ऐकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

दिल्ली छावनी परिषद

दिल्ली छावनी परिषद द्वारा ऐसी किसी भी नीति का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। किंतु नियमित आधार पर आवारा पशुओं को संबंधित गौशाला/गौसदन में भेज दिया जाता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

यह प्रश्न पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार से संबंधित है क्योंकि गौशलाओं का नियंत्रण पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार के अधीन है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

इस सन्दर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कोई योजना नहीं है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

यह प्रश्न विकास विभाग, दिल्ली सरकार से सम्बन्धित/अधिकार क्षेत्र में है;

(ख) **सचिव–सह–विकास आयुक्त**

पशुपालन ईकाई विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निहित गौशाला/गौ सदन को आवंटित राशि का वर्षानुसार वर्णन निम्नलिखित है :–

क्र. सं.	गौशाला/ गौसदन का नाम	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19 पहली किस्त जनवरी 2019 तक)
1	2	3	4	5	6
1	मानव गौसदन, गांव रेवला, खानपुर	2531318	8253798	3828440	1895060

1	2	3	4	5	6
2	श्री कृष्णा गौशाला सुल्तानपुर डबास	29453002	105601460	57018260	28526440
3	गौपाल गौशाला, गांव हरेवली	14630029	52075925	26562900	12892560
4	डॉबर हरे कृष्णा गौशाला, गांव सुरहेरा	7813967	19316411	11049100	5616080
5	आचार्य सुशील मुनी गौसदन, घुम्मनहेडा	5481684	14239787	—	—

दिल्ली छावनी परिषद

उपरोक्त 'क' के अनुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गायों केचारे के लिए (फीडिंग चार्ज) 20 रुपये प्रति पशु प्रति दिन दिल्ली नगर निगम तथा 20 रुपये प्रति पशु प्रति दिन पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाते हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई राशि निम्न प्रकार है—

वर्ष	आचार्य सुशील मुनी गौशाला	डाबर हरे कृष्णा गौशाला	मानव गौसदन
2015—16	78,15,840	4,84,380	31,31,320
2016—17	97,22,120		41,27,200
2017—18		62,40,460	60,99,300
2018—19		61,30,460	28,35,540

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

दिल्ली सरकार द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम गौशालाओं के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

राज्य सरकार द्वारा इस मध में अभी तक कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्न वित्तीय वर्षों में शीर्ष लेखा 38—1022 (नान—लान) में निम्न राशि आवंटित की गई है।

वर्ष	रुपये
2015—16	240 लाख
2016—17	240 लाख
2017—18	240 लाख
2018—19	240 लाख

(ग) **सचिव–सह–विकास आयुक्त**

गौशालाओं में गौउओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का दायित्व गौशाला प्रबन्धन का है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 14175/05 और Civil Misc.Petition No. 2623 और 2634/2006 के तहत दिनांक 01.03.2006 को एक आदेश पारित किया था जिसमें निर्देशित किया था की गौशलाओं में गउओं के स्वास्थ्य के रखरखाव के उद्देश्य से प्रति गाय प्रति दिन रुपये 25 का भुगतान किया जाये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को रुपये 5 प्रतिदिन प्रति गाय और रुपये 20 प्रति दिन प्रति गाय दिल्लीह नगर निगम द्वारा भुगतान किया जाना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने आदेश संख्या F. 12(226)AHD/FEEDING/2011/5090 दिनांक 13.01.2012 के तहत प्रति दिन प्रति गाय रुपये 5 से बढ़ाकर रुपये 20 प्रतिदिन प्रति गाय कर दिया इसलिए दिल्ली सरकार से उनका वित्तीय योगदान प्रतिदिन प्रति गाय रुपये 20 है व सम्बन्धित दिल्ली नगर निगम का वित्तीय योगदान रुपये 20 प्रति दिन प्रति गाय है।

सप्ताह में दो बार पशुपालन ईकाई के पशु चिकित्सा अधिकारी और सम्बन्धित नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी की एक टीम द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली सरकार के अधिकृत 5 गौशालाओं/गौसदन का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है। टीम इन गौसदनों और गौशालाओं का निरीक्षण करती है ताकि गाउओं की संख्या मृत्युदर, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, खानपान, रखरखाव व अन्य प्रासांगिक पैरामीटर की जांच की जा सके।

दिल्ली छावनी परिषद

उपरोक्त 'क' के अनुसार

दक्षिण दिल्ली नगर निगम

तीनों दिल्ली नगर निगम (दक्षिणी, उत्तरी व पूर्वी), आबारा गायों व गौ वंशों को पकड़कर निम्नलिखित 5 गौशालाओं में भेजते हैं–

S.No.	Name of Gaushalas
1.	Acharya Sushil Munni Gaushala, Ghummenhera
2.	Manav Gausadan, Rewla khanpur
3.	Shree Krishna Gaushala, Sultanpur Dabas,
4.	Gopal Gosadan, Hereveli
5.	Dabar Hare Krishna Gaushala, Surhera

उपरोक्त पांचों गौशालाएं पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार के अधीन कार्य करती हैं। जिनका चयन पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार के अध ीन कार्य करती हैं। जिनका चयन पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। गौशालाओं में गायों को चारा उपलब्ध कराने का दायित्व गौशाला प्रबंधन का है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

गौशालाओं पशु पालन विभाग दिल्ली सरकार के अधीन कार्य करती है। अतः गौशालाओं में गायों को चारा उपलब्ध कराने का दायित्व पशु पालन विभाग, दिल्ली सरकार के अधीन गौशाला प्रबन्ध का है जिसका समय–समय पर पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की टीम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाता है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम

गौशालाओं में गउओं के लिए चारा उपलब्ध कराने का दायित्व दिल्ली सरकार एवं निगमों का है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा रुपया 20 चारा राशि के रूप में प्रति गाय प्रति दिन आवंटित गौशाला को दिया जाता है।

135. श्री जगदीश प्रधान : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) केन्द्र सरकार इन कालोनियों के नियमितिकरण करने के लिए किस प्रकार का और क्या सहयोग सरकार को मिला है; और

(ग) दिल्ली सरकार कब तक इन कालोनियों को अंतिम रूप से नियमित करेगी?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा)**

दिल्ली सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए संशोधित नियमावाली भारत सरकार के शहरी एवं आवासन मंत्रालय के पास लम्बित है। नियमितिकरण की प्रक्रिया इस सम्बन्धित नियमावाली के अनुमोदन के बाद की जाएगी।;

(ख) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा)**

केन्द्र सरकार ने अपने पत्रों दिनांक 15.09.2016 एवं 19.09.2016 के माध्यम से दिल्लीइ सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। दिल्ली सरकार

द्वारा यह जानकारी इकट्ठी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार इसके लिए छः मिटिंग भी कर चुकी है, जिसमें दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया था; और

(ग) **शहरी विकास विभाग (अनाधिकृत कॉलोनी शाखा)**

प्रश्न 'क' के अनुसार।

136. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में रघुबीर नगर में घोड़े वाले मन्दिर के पास स्थित पुराने कपड़े की मार्किट की हालत बहुत ही दयनीय है;

(ख) इसकी मरम्मत का कार्य किस विभाग का उत्तरदायित्व है;

(ग) इस मार्किट की दीवार और छत टूटी हुई है; जिसकी वजह से कभी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसकी मरम्मत का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा अभी तक क्यों नहीं करवाया गया है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इस मार्किट की दीवार के साथ डूसिब विभाग का एक सुलभ शौचालय है, जो बहुत ही गंदा रहता है; और

(ङ) इसकी सफाई एवं मरम्मत का कार्य नियमित रूप से न किये जाने के क्या कारण हैं?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

हाँ यह सत्य है;

(ख) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

इस मरम्मत के कार्य का दायित्व डूसिब का है;

(ग) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

इस मार्किट के नवीकरण व मरम्मत करने की तकनीकी जाँच की जा रही है और इस को तोड़कर दूबारा बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसे अगले वित्त वर्ष 2019–20 में किया जाएगा;

(घ) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

यह सत्य है कि इस मार्किट की दीवार के साथ डूसिब विभाग का एक सुलभ शौचालय है जिसकी मरम्मत एवं नवीकरण का कार्य मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रहा है और यह कार्य 31–05–2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा; और

(ङ) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

इसकी दैनिक सफाई का कार्य गुजराती बांगडी समाज सोसाइटी द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जाता है एवं मरम्मत करने की योजना विचाराधीन है।

137. श्री मनोज कुमार : क्या **माननीय शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर लैंडफिल को यहां से हटाने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो वह क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि गाजीपुर लैंडफिल अपनी क्षमता पार कर चुकी है; और

(घ) यदि हाँ तो यहां कूड़ा–मलबा डालना कब तक बंद कराया जाएगा?

माननीय शहरी विकास मंत्री : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

जी नहीं;

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार;

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

गाजीपुर लैंडफिल अधिक संतृप्त है; और

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

इसकी कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है जब तक दूसरी लैंडफिल साईट नहीं दी जाती है।

138. श्री सोमनाथ भारती : क्या **माननीय पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण व अन्य संस्थाओं के अन्तर्गत सुरक्षित प्राचीन अवसंरचनाओं के विकास के लिए या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति वर्तमान में है या विचाराधीन है;

(ख) मालवीय नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित प्राचीन स्मारकों का पूरा विवरण क्या है;

(ग) क्या ये स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत या किसी अन्य अभिकरण के अन्तर्गत सुरक्षित है;

(घ) क्या पर्यटन को बढ़ावा देनेके लिए इन स्मारकों को विकसित करने के लिए या कम से कम इनकी देखभाल के लिए कोई योजना है;

(ङ) प्राचीन स्मारकों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए किसी विधायक या किसी नागरिक से इस संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हाँ, तो उनकी शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) क्या दिल्ली को पर्यटन अनुकूल बनाने के लिए सरकार की कोई योजना है?

माननीय पर्यटन मंत्री : (क) पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार स्थानीय महत्व के सुरक्षित किए जाने योग्य स्मारकों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का कार्य "दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004" के तहत करता है;

(ख) इस क्षेत्र में पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित एवंसर्वे किये गये 16 प्राचीन स्मारकों की सूचि संलग्न है;

(ग) उपरोक्त (ख) में से पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार ने 2 स्मारकों को "दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004" के अन्तर्गत सुरक्षित स्मारक घोषित किया है एवं 3 अन्य स्मारकों की भी प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है;

(घ) पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम के तहत सुरक्षित करने योग्य स्थानीय महत्व के प्राचीन स्मारकों को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा रहा है;

(ङ) पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार किसी विधायक या किसी नागरिक से इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं है;

(च) उपरोक्त (ङ) के सन्दर्भ में लागू नहीं; और

(छ) राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के अन्तर्गत डी.टी.टी.डी.सी. के द्वारा अनेक गतिविधियों एवं कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिन्हें समय–समय पर अपग्रेड किया जाता है। डी.टी.टी.डी.सी. के द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं–

(क) पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने क लिए पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना दिल्ली, कलकत्ता एवं चेन्नई में की गई है, जहां से आवश्यकता अनुसार उन्नत सूचना सामग्री का वितरण किया जाता है।

(ख) दिल्ली में आई.एन.ए., पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट तथा सैदुल्लाजाब में गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज की स्थापना की गयी है, जहां पर पर्यटकों की मनोरंजन के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और हैरिटेज कार्यक्रमों के आयोजन किये जाते हैं।

(ग) एडवेंचर गतिविधियों जैसे नौकायन का परिचालन किया जाता हैं।

(घ) पर्यटक संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होप–ऑन–होप–ऑफ बस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाती है।

(ङ) दिल्ली पर्यटन स्थानीय व अन्य राज्यों के लिए टूर पैकेज और एयर टिकटिंग सेवा भी प्रदान करता है।

(च) पर्यटकों और आगंतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए नेचर बाजार की स्थापना भी की गई है जहां पर स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।

(छ) प्रमुख वार्षिक आयोजनों में गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल, आम महोत्सव, पतंग महोत्सव, विश्व पर्यटन दिवस आदि शामिल है।

अन्य गतिविधियां :

दिल्ली सरकार की ओर से विषय आधारित कैलेंडर और डायरी का प्रकाशन।

पर्यटकों के बीच निःशुल्क वितरण हेतु प्रचार साहित्य सामग्री का प्रकाशन।

दिल्ली हाट आई.एन.ए. में कलाम स्मारक, टीकरी कला में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्मारकऔर सिंधु बोर्डर पर गुरु तेग बहादुर स्मारक।

विशेष कार्यक्रमों का आयोजन जैसे–राज्य शिक्षक पुरस्कार, दिल्ली में जी.एस.टी. परिषद सदस्यों के लिए रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम।

दिल्ली हाट जनकपुरी में 800 व्यक्तियों की क्षमता वाला वातानुकूलित ऑडिटोरियम।

दिल्ली हाट आई.एन.ए. में अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाएं।

दिल्ली पर्यटन की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से दिल्ली का ब्रांड के रूप में प्रचार।

दिल्ली को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में पुरस्कृत करने वालों में मुख्य प्रकाशन जैसे–Conde Nsat Indian Lonely Planet और मुख्य संस्थाएं :– विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, पब्लिक रिलेशंस कॉनसिल ऑफ इंडिया शामिल है।

पुरातत्व विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

मालवीय नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय महत्व के 16 चिन्हित प्राचीन स्मारकों की सूची।

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान
1.	दरवेश शाह की मस्जिद	नजदीक सिरि आडिटोरियम, खेल गांव
2.	मुंडा गुम्बद (बिना छत का गुम्बद)	हौज़ खास टैंक के नज़दीक
3.	मकबरा (अज्ञात)	गौतम नगर, यूसुफ़ सराय

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान
4.	मकबरा (अज्ञात)	गांव कटवारीया सराय के मध्य में
5.	मकबरा स्थानीय रूप से सैज झटीले का गुम्बद नाम से जाना जाता है	लाल मन्दिर के नज़दीक, मालवीया नगर मार्किट
6.	शेख उस्मान सैयाह का मक़बरा	नया ग्रीन फ़ील्ड स्कूल के पास, मालवीया नगर
7.	शेख ज़ियाद्दीन रूमी का मक़बरा	आज़ाद अपार्टमेन्ट के नज़दीक, कालू सराय
8.	मस्ज़िद (अज्ञात)	गांव कालू सराय
9.	मकबरा स्थानीय रूप से मलूक चन्द का गुम्बद नाम से जाना जाता है	गांव हुंमायूपुर के मध्य में
10.	मकबरा स्थानीय रूप से गुमटी के नाम से जाना जाता है	एन.सी.सी. कार्यालय के नज़दीक, हुंमायूंपुर
11.	गुल्लकवाला बाड़े के नाम से जाना जाता है	लाल गुम्बद के नज़दीक, मालवीया नगर
12.	गांव की दीवारों को घेरना	चर्च के सामने, ग्रीन पार्क
13.	मस्ज़िद (अज्ञात)	अन्दर की दीवारों के अन्दर, चर्च के सामने, ग्रीन पार्क

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान
14.	गुंबददार छतरी	गुलाब के बग़ीचे में, हौज़ खास
15.	मक़बरा (अज्ञात)	अरबिन्दों मार्ग, अधचानी के पूर्व दिशा में
16.	एक बाड़े का प्रवेश द्वार	अरबिन्दों मार्ग, अधचानी के पूर्व दिशा में

139. श्री अजय दत्त : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2018—19 में अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से व्यापार एवं कर विभाग में कितना कर प्राप्त हुआ; और

(ख) इसका पूर्ण विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) व्यापार एवं कर विभाग में विधानसभा की परिसीमाओं के अनुसार कर संग्रहित नहीं किया जाता है; और

(ख) उपरोक्तानुसार।

140. श्री ओम प्रकाश शर्मा : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की एक्सपैंडिचर फाइनैंस कमेटी ने इस सरकार के कार्यकाल में अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) और (घ) ये परियोजनाएं किन–किन विभागों से संबंधित हैं;

(ङ) इनमें से कितनी योजनाओं के लिए टेंडर आमंत्रित किये जा चुके हैं; और

(च) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र की स्वीकृति की आवश्यकता थी।

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) जी हां;

(ख) पिछले चार वर्षों में ई.एफ.सी. के द्वारा–83 परियोजनाएं सिफारिश एवं स्वीकृत किये गए हैं। जिनकी विस्तृत जानकारी संलग्न हैं;

(ग) इस संदर्भ में जानकारी 'ख' में ही निहित है;

(घ) संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त की जा रही है एवं जानकारी प्राप्त होते ही सदन को सूचित किया जाएगा; और

(ङ) जी नहीं।

141. श्री सोमनाथ भारती जी : क्या **माननीय उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम सभाओं में अवैध कब्जों का इनके आकार, वर्तमान स्थिति सहित विवरण क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में स्थित जोहड़ों (तालाबों) का विवरण क्या है;

(ग) इस समय उन पर अवैध कब्जों सहित इनकी वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है;

(घ) इन पर से अवैध कब्जे हटाने के लिए व्यक्तियों और सरकारी विभागों के लंबित अनुरोधों की सूची; और

(ङ) सरकार द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के कारणों का विवरण क्या है?

माननीय उपमुख्यमंत्री : (क) मालवीय नगर विधान सभा में कोई ग्रामीण गांव नहीं आता है; और

(ख) से (ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं।

Capital Projects sanctioned by Expenditure Finance Committee Chaired by Hon'ble Finance Minister for the year F.Y. 2015-16

Sl. No.	Project	Sanctioned Cost. (Rs. in crore)	Date of EFC meeting
Directorate of Education			
1.	Construction of Addl. class rooms under Zone 23 (District South)	27.71	1st meeting of EFC held on 19.10.2015
2.	Construction of Addl. class rooms under Zone - 5 District North East	25.76	
3.	Construction of Addl. class rooms under Zone -7 District (North)	33.33	
4.	Construction of Addl. class rooms under Zone -11 &13 of District (North West-B)	27.55	
5.	Construction of Addl. class rooms under Zone-14&16 of District (West-A)	24.39	

6.	Construction of Addl. class rooms under Zone-12 (District North West-B)	27.56	3rd meeting of EFC held' on 19.11.2015
7.	Construction of Addl. class rooms under Zone -20 & 22 (District South-West A & B)	37.05	
8.	Construction of Addl. class rooms under Zone -21 (District South West-B)	37.45	
9.	Construction of building for Sr. Secondary School at Sector-18, Dwarka	24.17	5th meeting of EFC held on 8.1.2016
10.	Construction of building for Sr. Secondary School at Sector-11, Dwarka.	24.17	
	Department of Delhi Archives		
11.	Digitization and Micro-filming of archival records	29.49	6th meeting of EFC held on 14.3.2016
	Total	318.63	

Capital Projects sanctioned by Expenditure Finance Committee Chaired by Hon'ble Chief Minister for the year F.Y. 2015-16

Sl. No.	Project	Sanctioned Cost. (Rs. in crore)	Date of EFC meeting
Directorate of Education			
1.	Construction of Addi. class rooms under Zone -18 District West	92.98	2nd meeting of EFC held on 19.10.2015
2.	Construction of Addl. rooms in District North West-A under zone- 9 & 10	73.42	
3.	Construction of Addl. SPS class rooms in District South under the Zone-24	62.02	
4.	Construction of Addl. class rooms under the Zone-4 of District (North East)	70.39	
5.	Construction of Addl. class rooms under the Zone-17 of District (West-B)	84.38	
6.	Construction of Addl. class rooms under Zone 1&2 (District East)	57.73	4m meeting of EFC held on 19.11.2015

7.	Construction of Addl, class rooms under Zone - 6 (District North-East)	86.10
	Total	527.02

(i) Capital Infrastructure Projects sanctioned by Expenditure Finance Committee during 2016-17

Sl. No.	Project	Sanctioned Cost. (Rs. in crore)	Date of EFC meeting
1	2	3	4
Transport Department			
1.	Construction of bus depot / terminal at Sector-22 Dwarka,	25.41	1st meeting of EFC held on 1.4.2016
Public Works Department			
2.	Strengthening of ring road from Mayapuri flyover to Punjabi Bagh flyover	25.16	5 meeting of EFC held on 3.3.2017

1	2	3	4
3.	Construction of Skywalk & FOB at the junction of Sikandra Road, Mathura Road, Tilak Marg and Bhahadur Shah Zafar Marg at W Point and near Hans Bhawan	54.84	-do-
Industries Department			
4.	Up-gradation of roads and drains and providing external lighting at Mangolpuri Industrial area, Phase-ll	31.12	-
	Total	136.53	

(ii) Capital Projects recommended by Expenditure Finance Committee to the Cabinet during 2016-17

Sl. No.	Project	Sanctioned Cost. (Rs. in crore)	Date of EFC meeting
1	2	3	4
Home Department			
1.	Addition/modification work in the Mandoli Jail for providing extra security to the inmates	35.75 (additional	2nd meeting of EFC held

		cost above Project cost of Rs. 340.51 crore)	on 23.5.2016
Department of Higher Education			
2.	Providing additional facilities in the Deen Dayal Upadyaya College at Sector-3, Dwarka	12.00 (additional cost above Project cost of Rs.150.98 crore)	-do-
3.	Providing additional facilities in at Shaheed Sukhdev College for Business Studies at Sector-16, Rohini	16.14 (additional cost above Project cost of Rs.132.47 crore)	3rd meeting of EFC held on 27.5.2016

1	2	3	4
Health & Family Welfare Department			
4.	Construction of Phase-ll of Teaching-cum-Super Specialty hospital 'Institute of Liver & Biliary Sciences' - increasing the capacity of beds from 343 to 540 (Revision)	497.72	4th meeting of EFC held on 26.7.2016
5.	Up-gradation of Ambedkar Nagar Hospital from 200 beds to 600 beds (Revision)	180.95	-do-
	Total	1302.63	

(i) Capital Infrastructure Projects sanctioned by Expenditure Finance Committeeduring 2017-18

Sl. No.	Project	Sanctioned Cost. (Rs. in crore)	Date of EFC meeting
1	2	3	4
Directorate of Education			
1.	Construction of new building in the existing premises of Government Girls Sr.Secondary School, Shahbad Dairy	32.44	1st meeting of EFC held on 22.9.2017

Public Works Department			
2.	Strengthening of ring road from AIIMS to Ashram	15.63	2na meeting of EFC held on 11.12.2017
3.	Construction of Bridge on Najafgarh drain at Tri Nagar/ lnderlok, Karampura and Rampura including road improvement, drainage, footpath etc.	85.90	4th meeting of EFC held on 15.3.2018
Environment and Forests Department			
4.	Extension of project period for rehabilitation of degraded forest land in the Southern Ridge area of Asola Bhatti, Dera mandi, Maidangarhi, Ghittorni and Rajokri through Eco Task Force from 1.4.2017 to 31.3.2022	90.25	2nd meeting of EFC held on 11.12.2017
Irrigalion & Flood Control Department			
5.	Remodeling of Najafgarh Pond drain by constructing RG.C. retaining wall from RD 600m to RD 1942m	17.02	3 meeting of EFC held on 6.2.2018

1	2	3	4
Transport Department			
6.	Construction of bus depot / terminal at Mundela Kalan	19.55	Extended 3rd meeting of EFC held on 7.2.2018
7.	Construction of bus depot / terminal Ghumanhera	46.36	
8.	Construction of bus depot / terminal at East Vinod Nagar	19.30	
9.	Construction of bus depot at Sector-5, Bawana	24.80	
10.	Construction of Cluster bus depot at VIU/IDTR,Burari	24.20	
Health & Family Welfare Department			
11.	Construction, expansion & remodelling of Acharya Shree Bhikshu Govt. Hospital at Moti Nagar	94.38	3rd meeting of EFC held on 6.2.2018
12.	Construction & Expansion of Rao Tula Ram Hospital at Jaffarpur	86.31	

13.	Remodeling of Deep Chand Bandhu Hospital at Kokiwala Bagh, Ashok Vihar	69.36	
14.	Expansion & remodelling of Aruna Asaf Ali Hospital	55.36	4th meeting of EFC held on 15.3.2018
	Total	680.86	

(ii) Capital Projects recommended by Expenditure Finance Committee to the Cabinetduring 2017-18

Sl. No.	Project	Sanctioned Cost. (Rs. in crore)	Date of EFC meeting
1	2	3	4
Directorate of Training & Technical Education			
1.	Construction of Academic Block, Hospitality Block, & Hostel Block for World Class Skill Centre and Delhi Skill University at Village Jonapur	254.04	1 meeting of EFC held on 22.9.2017

1	2	3	4
Health & Family Welfare Department			
2.	Addition & remodelling work at Bhagwan Mahavir Govt. Hospital at Pitampura	172.79	3 meeting of EFC held on 6.2.2018
3.	Construction of Trauma Centre and Utility Block at Sanjay Gandhi Memorial Hospital at Mangolpuri	117.78	
4.	Construction of a new Mother & Child Block, screening OPD at Dr. Baba Sahib Ambedkar Hospital at Rohini	194.91	
5.	Construction of Hospital Block at Guru Gobind Singh Govt. Hospital at Rahubir Nagar	172.03	
6.	Remodeling of 94 Delhi Government Dispensaries at different districts of Delhi into polyclinics (Phase-l& II)	168.58	Extended 3rd meeting of EFC held on 7.2.2018
7.	Construction of a new Hospital at Burari (Revision)	265.80	4th meeting of EFC held on 15.3.2018

Directorate of Education			
8.	Construction of 12748 number of additional Class rooms in the existing premises of various Government schoolsi	2892.65	4th meeting of EFC held on 15.3.2018
	Total	4238.58	

(i) Infrastructure Projects sanctioned by Expenditure Finance Committee during 2018-19

Sl. No.	Project	Sanctioned Cost. (Rs. in crore)	Date of EFC meeting
1	2	3	4
A. Directorate of Education			
1.	Construction of new school building at C-Block, Sangam Vihar	35.97	1st meeting of EFC held on April 5, 2018

1	2	3	4
2.	Construction of additional class rooms at various schools under Zone-23 of District South (Revision)	54.90	7th Meeting of EFC held on February 12, 2019
3.	Construction of additional class rooms at various schools under Zone-24 of District South (Revision)	77.96	
	Sub-total (A)	168.83	
B. Public Works Department			
4.	Construction of two vehicular half Underpass between Wazirabad & Jagatpur and one Pedestrian Subway near Gandhi Vihar on Outer Ring Road	38.17	2nd meeting of EFC held on May 15, 2018
5.	Construction of Bridge on Najafgarh drain at Basiadarapur along with road improvement on either side of bridge including drainage, footpath	48.60	4th Meeting of EFC held on November 29, 2018
6.	Construction of Underpass along Mathura Road at Ashram	77.92	

	Chowk		
7.	Streetscaping of Road No. 43 from Britannia Chowk to Outer Ring Road	38.81	
8.	Streetscaping of Shivdaspuri Marg and Patel	46.56	5th Meeting of EFC held on December, 12, 2018
	Streetscaping of Road No.41 & 41-A from Wazirpur Depot crossing (NSP) to Rithala Metro station	86.19	
9.	Streetscaping of Ring Road from Mayapuri to Moti Bagh junction	84.84	
10.	Streetscaping and Beautification of Vikas Marg, Road No. 75A & 75 B Laxmi Nagar, Chungi Karkari More	32.48	
11.	Streetscaping and Beautification of Narwana Road Mother Dairy to Puch Mahal Newas	19.35	
12.	Streetscaping of road from AIIMS to Ashram	50.25	7th Meeting of EFC held on February 12, 2019
	Sub- total (B)	523.17	

1	2	3	4
C. Transport Department			
13.	Construction of two bus depots at Sector-37, Rohini	43.76	2nd meeting of EFC held on May 15, 2018
	Sub- total (C)	43.76	
D. Office of Chief Electoral Officer			
14.	Construction of Integrated Election Complex at Bhakhtawarpur	48.38	4th Meeting of EFC held on November 29, 2018
	Sub- total(D)	48.38	
E. Irrigation & Flood Control Department			
15.	Construction of four lane R.C.C. Bridge at upstream of RD 20180m (existing Dhoolsiras Bridge) on Najafgarh Drain	17.94	5th Meeting of EFC held on December, 12, 2018

16.	Construction of four Lane R.C.C. Bridge at upstream of RD 14468m (existing Badusarai Bridge) on Najafgarh Drain	22.58	
17.	Construction of six lanes R.C.C. Bridge at downstream of existing bridge at Chhawla Najafgarh Road	36.70	6th Meeting of EFC held on January 11, 2019
	Sub- total (E)	77.22	
F. Health & Family Welfare Department			
16.	Construction and Remodelling of Dada Dev Government Hospital, Dabri, Dwarka	53.44	6th Meeting of EFC held on January 11, 2019
	Sub- total(F)	53.44	
G. Urban Development Department			
17.	Redevelopment of Chandni Chowk from Lai Jain Mandhirto Fatehpuri Mosque	65.63	6th Meeting of EFC held on January 11, 2019
	Sub- total(G)	65.63	

1	2	3	4
H. Home Department			
18.	Construction of Forensic Science Laboratory at Rohini	59.06	7th Meeting of EFC held on February 12, 2019
	Sub- total(H)	59.06	
	Grand Total (A to H)		Rs.1039.49 crore

(ii) Capital Projects recommended by Expenditure Finance Committee to the Cabinetduring the F.Y. 2018-19

Sl. No.	Project	Sanctioned Cost. (Rs. in crore)	Date of EFC meeting
1	2	3	4
A. Public Works Department			
1.	Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of CCTV System throughout Delhi	571.40	1st meeting of EFC held on April 5, 2018

2.	Corridor improvement of outer ring road from I IT to NH-8 and its influence areas (Revision)	364.87	2nd meeting of EFC held on May 15, 2018
3.	Construction of flyover at Shastri Park intersection and Seelampur including road improvement works	303.31	2nd meeting of EFC held on May 15, 2018
4.	Construction of Signature Bridge at Wazirabad (Revision)	1518.37	3rd meeting of EFC held on July 6, 2018
5.	Extension of flyover from Ashram to DND fly way	128.95	6th Meeting of EFC held on January 11, 2019
	Sub- total(A)	2886.90	
B. Directorate of Training & Technical Education			
6.	Construction of additional areas under Phase-ll of the IIITD Campus at Okhla (Revision)	70.00	2nd meeting of EFC held on May 15, 2018

1	2	3	4
7.	Construction of Stage-1 of Phase-II, Delhi Technological University at Bawana	291.88	3rd meeting of EFC held on July 6, 2018
8.	Construction of Integrated Campus of G.B.Pant Engineering College and Polytechnic at Okhla	526.66	6th Meeting of EFC held on January 11, 2019
	Sub- total(B)	888.54	
C. Directorate of Education			
9.	Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) including Comprehensive Maintenance of CCTV System in Delhi Government Schools	597.51	2nd meeting of EFC held on May 15, 2018
10.	Construction of Sports Complex at Village Kair, Najfgarh	139.16	4m Meeting of EFC held on November 29, 2018

11.	Construction of additional class rooms at various schools under Zone-25 & 29 of District South & South East (Priority -I/Revision)	326.36	6th Meeting of EFC held on January 11, 2019
	Sub- total(C)	1063.03	
D. Health & Family Welfare Department			
12.	Construction of new 460 beds Mother & Child hospital at Khichiripur	143.73	4th Meeting of EFC held on November 29, 2018
13.	Addition & Remodelling of Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital at Narela	244.35	6th Meeting of EFC held on January 11, 2019
14.	Remodeling & Expansion of Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park	189.77	
	Sub- total(D)	577.85	

1	2	3	4
E. Home Department			
15.	Supply, Installation, Testing and Commissioning (SITC) of CCTV Surveillance System including Comprehensive Maintenance at Tihar, Rohini and Mandoli Prison Complexes	119.69	5th Meeting of EFC held on December, 12, 2018
F. UD Department			
16.	Construction of 7400 number EWS houses at Bhalswa PK-II, Jahangir Puri (Revision)	459.18	7th Meeting of EFC held on February 12, 2019
	Sub- total(E)	119.69	
	Grand Total (A to F)	Rs.5995.19 crore	

विशेष उल्लेख (नियम–280)

माननीय अध्यक्षः 280 एस.के. बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पीडब्ल्यूडी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैंने दिनांक 20.10.2017 को सात पत्र पीडब्ल्यूडी को लिखे थे जिसमें कष्णा नगर विधान सभा के निम्नलिखित कार्य करने हेतु लिखे थे। कार्य निम्न प्रकार हैः

1. फलाई ओवर के नीचे ब्यूटीफिकेशन करने हेतु;
2. पटपड़गंज रोड पर बिजली के खम्भे व बिजली के ट्रांसफार्मर्स सड़क से पीछे करने हेतु,
3. पॉली क्लीनिक व स्टेक पार्किंग;
4. गीता कालोनी पुश्ते पर ओवरब्रिज नियर ताल इन्क्लेव रानी गार्डेन पर बनाने हेतु,
5. पटपड़गंज रोड पर दोनों तरफ फुटपाथ बनाने हेतु,
6. कृष्णा नगर विधान सभा के मुख्य एन्ट्रेन्स पर साइन बोर्ड लगाने हेतु,
7. सातवां पटपड़गंज रोड पर डिवाइडर लगाने के हेतु।

अध्यक्ष महोदय पीडब्ल्युडी के चीफ के यहाँ चक्कर काटने के बाद भी कार्य नहीं हुए। तंग आकर एक मीटिंग पीडब्ल्युडी मिनिस्टर जी के यहाँ

पर 29.8.2018 को 2:00 बजे की गयी। सभी वरिष्ठ अधिकारी भी साथ थे। मीटिंग में समय सीमा तय की गयी कि 30.9.2018 तक कि 31.10.2018 तक सभी काम खत्म करेंगे। आज फरवरी खत्म होने वाली है। कोई कार्य नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पीडब्ल्युडी के कार्य जल्दी से करवाएँ। आपकी बहुत कृपा होगी।

माननीय अध्यक्षः श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधानः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान दिल्ली सरकार के डीटीसी के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने में हुई असफलता की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज सरकार के कार्यकाल को चार वर्ष बीत चुके हैं। उसके बाद भी सरकार एक हजार कलस्टर बसें तथा एक हजार लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें खरीद नहीं पाई है। दिल्ली सरकार की सार्वजनिक यातायात नीति अब पूरी तरह खटाई में पड़ चुकी है। एक हजार विद्युत बसों को खरीदने को लेकर भी शंका पैदा हो गयी है। माननीय उच्च न्यायालय पहले से ही एक हजार स्टैन्डर्ड सीएनजी बसों का पर प्रश्नचिन्ह लगा चुका है। दिल्ली सरकार सार्वजनिक यातायात के मामले को लेकर बहुत पीछे चल रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के लिए दस हजार बसों की संख्या सिफारिश की थी। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कम से कम पाँच हजार नई बसें जोड़ने का वादा किया था परन्तु अब तक न ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और न ही आपका अपना चुनावी वादा पूरा होता नजर आ रहा है। इस समय डीटीसी के पास मात्र 3944 बसें हैं जब कि सरकार के पास सत्ता में आने के समय 4603 बसें थीं। यानी 700 बसें हर रोज सड़क खराब होने की वजह

से नहीं उतर पाती। डीटीसी हर रोज 500 ट्रिप मिस करता है जिसके कारण उसे प्रतिदिन ढ़ाई करोड़ रुपये प्रतिदिन की हानि होती है। डीटीसी में 2012–13 के मुकाबले प्रतिदिन 17 लाख यात्री सफर कम कर रहे हैं। डीटीसी के रूटों की संख्या 574 से गिरकर 474 हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि परिवहन मंत्री एवं विभाग को निर्देश दें कि सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को गम्भीरता से लें। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब डीटीसी की बसें सड़क से नदारद होती नजर आएँगी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी। अनुपस्थित। श्री ओमप्रकाश शर्मा जी।

श्री ओमप्रकाश शर्माः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मैंनुअल स्कैवेन्जर्स जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई जो सीवर की मैनुअली सफाई का काम करते हैं, उनको जानलेवा दुर्घटनाओं से बचाने, उनका पुनर्वास करने और उनकी स्थिति सुधारने की ओर दिलाना चाहता हूँ। सरकार मैनुअल स्कैवेन्जर्स, सीवर को हाथ से साफ करने वाले कर्मचारियों को जानलेवा दुर्घटनाओं से बचाने, उनका पुनर्वास करने और उनकी स्थिति सुधारने के प्रति कत्तई गम्भीर नहीं है। दोषी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के विरूद्ध बार–बार घोषणाओं के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। सीवर साफ करने वाले अधिकतम कर्मचारी दलित वर्ग से आते हैं। सरकार दो सौ सीवर सफाई मशीनें खरीदनें, सफाई कर्मचारियों को मशीनें खरीद के लिए लोन देने के वायदे को भूल चुकी है। मैनुअल स्कैवेन्जर्स अधिनियम के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों को जेल भेजने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार लापरवाही बरत रही है। इसी लापरवाही के चलते बीते वर्ष कई सीवर कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरणों के ठेकेदारों ने नाले

में उतार दिया जिसके कारण उनकी दुखद मौत हो गयी। सरकार सीवर की हाथ से सफाई करने के रोकथाम तथा कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए बनाए गए अधिनियम का पालन नहीं कर रही है। इसके अन्तर्गत गत वर्ष सितम्बर में सरकार ने निर्देश दिये थे कि सीवर लाइन में और सैप्टिक टेंक सफाई में यदि कोई मृत्यु हो जाती है तो सुपरवाइजर के विरूद्ध भारतीय आचार संहिता के अनुच्छेद 304 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके अन्तर्गत दस वर्ष तक का जेल का प्रावधान है परन्तु सरकार ने अभी तक इसके लिए किसी भी अधिनियम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। सरकार बजट में बहुत बड़ी–बड़ी बातें, अनेकों अनेक वर्ग के लिए करती है लेकिन जो सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए जो आपको डेडिकेशन दिखाया जाना चाहिए, उसका नितान्त अभाव देखने में आपके बजट में भी आ रहा है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2013 में हाथ से सफाई के कार्यों पर प्रतिबन्ध तथा कर्मियों के पुनर्वास के लिए अधिनियम लागू कर दिया था परन्तु दिल्ली सरकार चार वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद भी इस अधिनियम को लागू नहीं कर पायी। ये बड़े शर्म का विषय है। पिछले दो वर्षों में पचास से अधिक सीवर कर्मी दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए हैं परन्तु सरकार ने इस गम्भीर त्रासदी को रोकने के लिए कोई भी विशेष कदम नहीं उठाया।

मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि सरकार को निर्देश दें कि मैनुअल स्कैवेन्जर्स सीवर और सैप्टिक टेंक की हाथ से सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों को जानलेवा दुर्घटनाओं से बचाने और उनका पुनर्वास करने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाये जाएँ, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आपने इजाजत ली? आप बैठ जाइए प्लीज। माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अजय दत्तः XXX [4]

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं न। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं। आप बैठ जाइए।

श्री अजय दत्तः XXX

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए प्लीज। आप बिना पूछे खड़े हो जाते हैं।

श्री अजय दत्तः XXX

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अजय दत्त जी, आप बैठ जाइए प्लीज। समय खराब कर रहे हैं आप। ये अजय दत्त जी का जो बोल रहे हैं वो निकाल दिया जाए। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं। बेमतलब बहस कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अजय दत्त जी। सोमनाथ जी, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा भला सदन चल रहा है।

श्री अजय दत्तः XXX

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, आप बैठ जाइए प्लीज। क्या? ले लीजिए तमाशा। करिए, करिए। करिए, और करिए बोलिए जितना आप बोल सकते हैं। बोलिए।

---

*चिन्हित अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाए गये।

श्री अजय दत्तः XXX

माननीय अध्यक्षः हमेशा पंगा लेने का काम बन गया है। समझते नहीं है बात को।

श्री अजय दत्तः XXX

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी दस मिनट सदन के खराब हो गये हैं। माननीय मंत्री जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी जो माननीय ओमप्रकाश जी ने मुद्दा उठाया। निसन्देह यह बेहद गम्भीर मुद्दा है लेकिन उन्होंने आधी–अधूरी जानकारी के हिसाब से मुद्दा उठाया और दो साल में पचास लोग... संख्या भी इन्होंने दोगुनी बताई। मेरे पास पूरा डेटा है। इससे ज्यादा तत्परता से, इतनी गम्भीरता से आज तक देश की किसी सरकार ने इस मुद्दे को गम्भीरता से नहीं लिया। दिल्ली पहला राज्य बन गयी है जिसने मैनुअल स्कैवेन्जर एक्ट के तहत दिल्ली स्टेट लेवल मानिटरिंग कमिटी का गठन किया, जिसके चेयरमैन माननीय मुख्य मंत्री होते हैं। पहली बार दिल्ली पहला स्टेट है जिसने न केवल उसका गठन किया... जवाब तो सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सुन लीजिए।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): दिल्ली पहला स्टेट बन गया है जिसने पहली बार इस एक्ट का पूरा पालन करते हुए स्टेट लेवल मानिटरिंग कमिटी न केवल बनाई बल्कि उसकी पहली मीटिंग

भी हो चुकी है और उस मीटिंग के तहत सर्वे कराके ऐसे जो मैनुअल स्कैवेन्जर के काम से जुड़े हुए लोग थे, उनको बकायदा ट्रेनिंग भी दिलवाई गई और शायद देश का दिल्ली पहला राज्य जहाँ दो सौ मशीनें... अभी दो सौ मशीनें उन लोगों को खरीदवाई गई हैं जो इस काम से जुड़े रहे और उन मशीनों का सात साल का टेन्डर दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा उन लोगों को दे दिया गया है।

कल डाक्टर अंबेडकर स्टेडियम में उन मशीनों का इनऑगरेशन माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है और दिल्ली पहला राज्य भी है। मैं एक और जानकारी दे दूँ: दिल्ली संभवतः पहला राज्य है जिसने ऐसी निंदनीय घटनाओं को इतना गंभीरता से लिया कि पहली बार 304 में मुकदमे दर्ज हुए हैं इससे पहले कि...

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः एक एक मिनट, एक मिनट, आप अपनी बात कह लेना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई ओम प्रकाश जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः आप कल देख लीजियेगा। आप बैठिए तो सही, आप जवाब तो सुन लीजिये। जनाब मशीने मैं अपनी आँखों से देख के आया हूँ। सुन लीजिये।

माननीय अध्यक्षः कल उदघाटन कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी उदघाटन कर रहे हैं कल ही, अब ये तो कोई बात नहीं हुई!

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः मशीनें दिल्ली में...

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः सुन लो ना, सुन लो ना।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कल उदघाटन कर रहे हैं सीएम साहब।

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अब आप बोलत रहोगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं। एक मिनट, एक मिनट।

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः अरे भई अजय दत्त जी, जवाब...

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, आप टी ब्रेक तक बाहर चले जायें। अजय दत्त जी, अजय दत्त जी, अजय दत्त अजय दत्त टी ब्रेक के लिए बाहर चले जायें प्लीज। जाइए प्लीज, प्लीज जाइए। मैं आग्रह कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप बाहर जाइए। आप बाहर जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप बाहर जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः एक और जानकारी मैं दे दूँ। चूँकि मेरा पूरा डेटा सारा चैक किया, इससे पहले बड़ी अनफॉर्च्युनेट बात है कि

जितने भी सीवर में कभी भी डेथ हुई हैं, उनमें 304(ए) में मुकद्दमा दर्ज हुआ है यानी कि नैग्लीजेंट एक्ट जिसमें थाने से जमानत हो जाती है जब कि ये नैग्लीजेंट एक्ट नहीं है। ये अंदर भेजने वाले व्यक्ति को पता होता है कि इसमें गैस बनती है जो अंदर जा रहा है उसकी जान जा सकती है। ये पहली बार है, ऐतिहासिक है कि दिल्ली के अंदर पिछले दो सालों में जितनी ऐसी घटनाएँ घटी हैं, उनमें 304 में जो मुकद्दमा दर्ज हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट एमाउन्टिंग टु मर्डर मेंकृ और पहली बार ऐसा है... यहाँ रिकार्ड चैक करवा लीजियेगा, जिसमें सारी घटनाओं में दस–दस लाख रुपये का मुआवजा जो मैन्युअल स्केवैंजर्स ऐक्ट कहता है, जिसका इम्पलीमैंटेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से दिल्ली में हुआ है। दो साल में मैंने ढूँढ ढूँढ के सारे केसेज को निकाल के सबको मुआवजा वहाँ से भी दिलवाया और जो एससी एसटी डिपार्टमैंट के द्वारा जो दिया जा सकता था, वो भी मैंने दिलवाया और रिहेब्लिटेशन की उनकी प्रक्रिया के तहत उनको सात साल का ठेका दो सौ लोगों को दिलवाया है; दिल्ली जल बोर्ड से एससी एसटी डिपार्टमैंट के द्वारा स्कीम बनवाई और उसमें...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अरे भई, बता दिया, कल उदघाटन हो रहा है।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः कल इनऑगरेशन है।

माननीय अध्यक्षः बैठिए। ओमप्रकाश जी, ऐसे नहीं। कल सीएम साहब... मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। वो बोल तो रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कल उदघाटन कर रहे हैं सीएम साहब। आप सुन ही नहीं रहे, चलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः वो यही तो कह रहे हैं, कल उदघाटन कर रहे हैं।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः कल के बाद डिस्प्ले हो जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, कल के इनऑगरेशन के बाद ये मशीनें दिल्ली के अंदर डिस्प्ले हो जायेंगी। थैंक्यू।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हो गया बैठिए। महेन्द्र जी, मुझे क्वैश्चन लेना है प्लीज। श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, प्लीज बैठें। महेन्द्र जी, प्लीज बैठें।

श्री विजेन्द्र गर्गः अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे नियम 280 में...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई पवन शर्मा जी...

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गर्गः अपनी बात रखने का अवसर दिया।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गर्गः भई दो मिनट शांति कर लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने राजेन्द्र नगर

विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नारायणा विहार के कम्युनिटी सैन्टर में पॉलिक्लीनिक बनाये जाने की ओर दिलाना चाहता हूँ। वर्ष 2011–12 में नारायणा विहार के कम्युनिटी सैन्टर के लिए आबंटित भूखंड जिसका क्षेत्रफल लगभग तीन हजार वर्ग गज है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को आबंटित किया गया था।

अध्यक्ष जी, पहले यहाँ पर एक मिनी अस्पताल बनाया जाना था परंतु बाद में जब हमारी सरकार आई तो माननीय मंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पॉलिक्लीनिक बनवाया जाये। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक निर्णय था क्योंकि तीन हजार वर्ग गज में कोई अस्पताल नहीं बनाया जा सकता लेकिन आज चार साल बीत चुके हैं, चार साल बीतने के बावजूद इसको बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। संबंधित विभाग से इस बारे में जानकारी मिली है कि अभी इस जमीन का लैंड यूज भी नहीं बदला गया। बड़ी अजीब सी विडंबना है कि ये स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य हेल्थ सर्विसज के लिए जमीन अलाट हुई तो अब इसका अगर पॉलिक्लीनिक बन रहा है तो क्या लैंड यूज चेंज करने की जरूरत है? ये विभाग केवल फाइलों में केवल इसको इधर उधर घुमा रहा है। अध्यक्ष, जी ये कोई षडयंत्र है कि यहाँ पर ये पॉलिक्लीनिक ना बने और फाइल विभाग में ठप्प पड़ी हुई है। इस संबंध में मैंने इस सम्मानित सदन में कई बार प्रश्न उठाये, प्रश्न काल के दौरान कई बार ये सवाल पूछा, जवाब मिला, कोई तारीख तो नहीं बताई गई लेकिन यही कहा गया कि दो महीने में शुरू हो जायेगा, तीन महीने में कंस्ट्रकशन शुरू जो जायेगी लेकिन आज तक वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी है। माननीय अध्यक्ष जी, क्षेत्र की जनता बार–बार पॉलिक्लीनिक अस्पताल बनाने की माँग कर रही है क्योंकि मेरे क्षेत्र के आसपास भी और अन्य विधान सभा जो हैं, उनमें भी कोई इस प्रकार का न तो अस्पताल है, न पॉलिक्लीनिक है। मूलभूत स्वास्थ सेवाओं के अभाव

में क्षेत्रीय लोग अत्यंत परेशान हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो इस वक्त सदन में मौजूद हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अभी इस विषय पर अपने वक्तव्य के द्वारा कुछ प्रकाश डालें, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, कि आपने मुझे 280 में मेरा सवाल बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सारे भारत में 'आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री योजना' की अपार सफलता को देखते हुए दिल्ली सरकार को इसे दिल्ली में लागू कर देना चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के बीस लाख कमजोर वर्ग के निवासियों को इस योजना से वंचित रख दिया गया है। सभी को योजना के लाभ से वंचित रखना जायज नहीं है। इस योजना के अंतर्गत हस्पतालों में दाखिला लेकर अन्य सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं जिन–जिन राज्यों में इसे लागू किया गया, वहाँ लाखों गरीब इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने राजनीतिक कारणों से योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। यह दिल्लीवासियों के साथ अन्याय है। इस योजना के अंतर्गत दो महीनों में लगभग सवा लाख मरीज हस्पतालों में दाखिला सहित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा चुके हैं। दिल्ली में भी ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जिनके पास अभी तक चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करता हूँ कि संबंधित मंत्री को निर्देश दें कि 'आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री योजना' दिल्ली

में भी जल्द से जल्द लागू की जाये जिससे कि गरीबों को इलाज में राहत पहुँचाई जा सके, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय एससी एसटी वेल्फेयर डिपार्टमैंट की तरफ से दिल्ली के अंदर जो बीस सूत्रिय प्रोग्राम के तहत कुछ जमीनें मिलीं थी, उसमें 33 परसेंट से ज्यादा एससी एसटी समाज से लोग रहते हैं और दूसरा मंत्री जी, थोड़ा ध्यान दियो दूसरा जो...

माननीय अध्यक्षः गुलाब सिंह जी, एक सैकण्ड। अजय दत्त जी, मेरी आवाज सुन रहे हों, उनका अगला 280 में है। वो अंदर आ जायें हाऊस में। अजय दत्त जी हाऊस में आ जायें, अगला उनका 280 है। गुलाब जी।

श्री गुलाब सिंहः जी। अध्यक्ष महोदय, 20 प्वाइंट प्रोग्राम के तहत जो जमीनें मिली थी...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः करता हूँ। मैंने किया है, बुलाया है। मैं बुलाता हूँ, सिरसा जी, मैं बुलाता हूँ, प्लीज।

...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंहः तैतीस परसेंट से ज्यादा एससी एसटी समुदाय के रहते हैं। इसके अलावा एससी एसटी चौपाल के बारे में, मैं पहले भी इस मुददे पर बोल चुका हूँ सदन में, पिछले तीन–चार साल के अंदर हमारी सरकार बने हुए करीबन चार साल हो गये हैं, उसमें मात्र मेरे अभी 35

गाँव हैं और 35 में से दो गाँव में वो चौपाल मैं बनवा पाया हूँ। जब कि भारी संख्या एससी एसटी समाज के लोगों की वहाँ पर है और लगातार उनका प्रेशर हमारे ऊपर है। मंत्री जी से मैं इस संबंध में मिल भी चुका हूँ, कई बार मिल चुका हूँ और लेकिन मंत्री जी का जो कहना है कि जी, फाइनेंस मिनिस्टर से इसमें कुछ गुहार लगाई है। थोड़ा बजट मुझे दीजिये तब जाकर मैं आपकी जो स्कीम है, इनको क्लीयर करूँगा और बड़ा प्रेशर है चौपालों को रिपेयर करना और नई चौपाल के प्रपोजल को सारे पैन्डिंग पड़े हैं पिछले दो तीन साल से किसी के ऊपर काम नहीं हो रहा। मेरा आपके माध्यम से कहना था कि मंत्री जी, इसके ऊपर कुछ संज्ञान लो और गंभीरता से संज्ञान लो, बहुत–बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी। आठ प्रश्न संख्या आठ।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र अंबेडकर नगर, खानपुर देवली रोड जिसे एमबी रोड भी कहा जाता है। महरौली बदरपुर रोड इसपे एक बहुत... मैं कई बार इस सदन में बोल चुका हूँ। डीसीपी ट्रैफिक को बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ। इसपे बहुत भारी जाम लगा रहता है। अध्यक्ष जी बदरपुर से आने वाले हजारों लोग और दूसरी तरफ गुड़गाँव से आने वाले हजारों लोग इस ट्रैफिक में फंसते हैं और करीबन डेढ़–डेढ़, दो–दो घंटे यहाँ जाम लगता है। इसके अलावा खानपुर देवली रोड जो मेरी विधान सभा के अंदर जाता है, उस पर पूरे वार्ड में करीबन एक लाख लोग रहते हैं और एक ही रोड है जो इसको कनैक्ट करता है। वहाँ पर बच्चे स्कूल के बच्चे एक–एक, डेढ़–डेढ़ घंटे जाम में रहते हैं। और जो काम करने के लिए आते–जाते लोग हैं,

उन्हें भी बहुत बड़ा जाम का सामना करना पड़ता है। मैं कई बार पुलिस को लिख चुका हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लॉ ऐण्ड ऑर्डर ट्रैफिक पुलिस ये कर क्या रहे हैं! अगर दिल्ली के अंदर हर जगह जाम लगा रहेगा, लोग हमें आ के पकड़ लेते हैं कि आप को हमने चुना है। हम नहीं जानते, आप इसको हटाइये। पिछली बार भी तीन दिन पहले एक व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक हुआ था, उसको हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। और वो सिर्फ इस वजह से हुई कि वहाँ पे जाम लगा हुआ था। वो सारे लोग मेरे पास कल आये, उन्होंने कहा, ''भाई साहब, क्या आपको हमने सत्ता में इसलिए ला के खड़ा किया था कि आप हमारी बात भी नहीं कह सकते? क्या ट्रैफिक पुलिस वालों का यहाँ पे मैनेजमैंट नहीं करा सकते? क्या लोग इसी तरह जान देते रहेंगे?'' तो मुझे अंदर से बहुत दुःख है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पास पुलिस व्यवस्था नहीं है और जिनके पास पुलिस व्यवस्था है; एलजी साहब के पास, अब लोग क्या एलजी साहब को बतायेंगे मेरे क्षेत्र की समस्याओं को? क्या लोग एलजी साहब को बतायेंगे कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है, इसलिए मौते हुई हैं?

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी, इसमें आपने जो लिखा है, उससे बाहर जा रहे हैं।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, ये बहुत ही...

माननीय अध्यक्षः सब सदस्यों ने आज जो लिखा था, एक–एक अक्षर वही पढ़ा है। एक अकेले आप ऐसे हैं...

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, मैं एक–एक अक्षर पढ़के सुना देता हूँ आपको।

माननीय अध्यक्षः अब पढ़ना शुरू करेंगे?

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जो लास्ट का रह गया है, वो पढ़ देता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ज्वाइंट कमिश्नर (पुलिस) को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर समस्या है और आप अपने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दें कि ये जो अधिकारी आपने दिये हुए हैं, जो दिल्ली के टैक्स के पैसे से सैलरी ले रहे हैं, ये अपना काम पूरे तरीके से करें, वहाँ से जाम हटवायें और लोगों को निजात दें। बच्चे जाम में न खड़े हों, बुजुर्ग जाम में न खड़े हों और इस तरीके से मौत न हो। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जयहिंद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, सबसे जरूरी तो ये है कि मेरे द्वारा लगाये गये स्टार्ड क्वेश्चंस का जवाब नहीं आया और न ही उसका मेरे को कोई स्पष्टीकरण दिया गया है।

माननीय अध्यक्षः कौन सा प्रश्न संख्या है आपका?

श्री जरनैल सिंहः संख्या कहाँ से आयेगी अध्यक्ष जी, लगाया ही नहीं गया। ये चार रिसीविंग्स हैं। संख्या तब आयेगी जब जवाब आयेगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं प्रश्न संख्या कौन सा था, जिसका जवाब नहीं आया?

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी डायरी ही नहीं हुआ, डायरी करवा रखे हैं इसमें है ही नहीं। नहीं है, न स्टार्ड में है न अन–स्टार्ड में है। मैं शुरू से ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्षः किसी और डिपार्टमेंट का होगा।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी यूडी के हैं, एमसीडी के हैं। मेरे को वजह भी मालूम है। जवाब इनका है नहीं।

माननीय अध्यक्षः आप ऐसा करिये ब्रेक में मिल लीजिए, ब्रेक में मिल लीजिए एक बार।

श्री जरनैल सिंहः मैं बार–बार यही कहना चाह रहा हूँ और मैं रीजन बता देता हूँ। अभी मंत्री जी ने कबूल किया।

माननीय अध्यक्षः नहीं अब तो इसको, उसको मत लीजिए जो आपका 280 है, वो लीजिए, प्लीज।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष जी, ये तीन मामले में कोट कर दे रहा हूँ। आपका साथ में 280 कर दे रहा हूँ। ये मामला बिल्डिंग डिपार्टमैंट के करप्पशन से जुड़ा है जो जुलाई, 2017 से पछ रहा हूँ। इसके पहले भी तीन बार पूछ चुका हूँ तब भी जवाब नहीं आया। दूसरा, मॉल्स में चल रहे पार्किंग माफिया से संबंधित है। इसका अभी तक जवाब नहीं आया। तीसरा, मोबाइल टावर्स ओपरेटर्स का जो माफिया है, उससे संबंधित है। तीनों बार कोई जवाब नहीं आया। रिसीविंग मेरे साथ–साथ हाथ में है। चौथा, जो मेरा सवाल था कि मेरे क्षेत्र में अच्छे खासे पेड़ को एमसीडी के लोगों ने ही काट दिया। उसकी पुलिस में जाके शिकायत की तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर के बाद सिर्फ रिप्लाई आ जाता है कि जी, ये पेड़ डेंजर्स था जी। खानापूर्ति के लिए, तो माननीय पर्यावरण मंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये मामला मैं उनको दे रहा हूँ। इसके ऊपर बड़ी सख्ती से कार्रवाई करें। दिल्ली का एन्वाइरनमेंट पहले ही बहुत

संकटों से जूझ रहा है तो किसी भी तरह इसपे लापरवाही न बरती जाये और पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली सरकार के आयुष विभाग में आयुर्वेदिक दवाइयों की खरीद में हुए 114 करोड़ रुपये के दो बड़े–बड़े घोटालों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

एक घपले में आयुष निदेशालय व उसके तीन अस्पतालों ने 2012 से 2017 की अवधि में करीब 93 करोड़ रुपये की दवाई बिना टैंडर के खरीदी। दूसरे घोटाले में आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी में 28 करोड़ रुपये खर्च दिखाकर मात्र 14 करोड़ रुपये की दवाइयाँ खरीदी गई। आज हालत ये है कि डिस्पिंसरियों में एक साल से आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली सरकार के आयुष विभाग में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनियमितता बरती गई है। ये दावा सीएजी रिपोर्ट के आधार पर एक दायर जन–हित याचिका में किया गया है। याचिका में दिल्ली सरकार के आयुष विभाग में आने वाली डिस्पेंसरियों में हुई वित्तीय गड़बड़ी से आयुष के महानिदेशक तथा स्वास्थ्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। आयुर्वेद की 47 करोड़ की दवायें सरकार द्वारा तय आईएमपीसीएल से न खरीद कर अन्य निर्माताओं से खरीदी गई। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से तय नीति का पालन नहीं किया गया है। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने जैसे दावों का बखान करने से नहीं थकती परंतु जमीनी स्तर पर सरकार के दावे फेल साबित हो रहे हैं। इसका जीता–जागता उदाहरण ये है कि सरकार की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ तक नहीं हैं। दिल्ली के लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार की 35

डिस्पिंसरियाँ चलती हैं। इसके अतिरिक्त आयुष विभाग के अंतर्गत दिल्ली के यूनानी की 17 तथा होम्योपैथी की 106 डिस्पेंसरियाँ चलती हैं। ये सभी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियाँ दिल्ली के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में स्थित हैं। परंतु दवाइयों की खरीद में किये गये घोटाले के चलते डिस्पेंसरियों में दवाई ही नहीं है। इन दवाइयों के मरीज बराबर पहुँच रहे हैं। इन डिस्पेंसरियों में मरीज बराबर पहुँच रहे हैं परंतु उनको मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम कर रही है। परंतु दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों में दवाइयों के कमी से तो लगता है कि सरकार लोगों को बेहत्तर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। सरकार ने पाँच माह में दवाइयों की किल्लत से जूझ रही इन डिस्पेंसरियों का जायजा लेना भी जरूरी नहीं समझा। टैंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता के चलते ये डिस्पेंसरियाँ दवाइयों की कमी से जूझ रही हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि संबंधित विभाग एवं मंत्री को निर्देश दें कि इन डिस्पेंसरियों व अस्पतालों से में जल्द से जल्द दवाइयाँ उपलब्ध करायी जायें। इस घोटाले की विजिलेंस जाँच के आधार पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करवायी जाये तथा भविष्य में इस प्रकार के घोटाले तथा गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाये जाएँ।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। अब हो गया। ये स्टार्ड क्वेश्चन अब नहीं। नहीं, अभी एक सेकण्ड रुक जाइये। नहीं, मेरे पास समय बचेगा, मैं लूँगा। राजेश जी, परसों भी यही हुआ था, आज भी। नहीं पूरे नहीं, दस नहीं ग्यारहवाँ ले रहा हूँ मैं। ले चुका हूँ। अनिल कुमार बाजपेयी जी। चार बजे तक समय बचेगा, मैं लूँगा। नहीं, उनको देना होता है, वो मुझे बता देते हैं। नम्बर 11, 11 नम्बर बाजपेयी जी, क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं आप?

नहीं खड़े हो रहे? 12 नम्बर नरेश यादव जी। नरेश यादव जी, करिये, जल्दी करिये। नहीं, बाजपेयी जी, अभी बैठिए आप। इतना समय नहीं होता। करिये, करिये। राजेश जी, मैं ले रहा हूँ अगर चार बजे तक समय मिला, मैं लूँगा।

श्री अनिल कुमार बाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इडीएमसी द्वारा पारित प्रस्तावों की एमएलए फंड से बनने वाली जो सड़कें और जो नालियाँ बनाई जाती थी, इसमें निगम पार्षद की सहमति और निगम पार्षद के वोट विधायक के साथ–साथ लगाये जायें। ये बहुत गंभीर मामला है। महोदय, जब किसी विधान सभा में, पूर्वी दिल्ली नगर निगम जब कोई सरकारी कार्यक्रम करता है, उसमें कोई भी विधायक का नाम न तो कार्ड पे डाला जाता है और न उसके बोर्ड पर लगाया जाता है। और हम लोग, हम लोगों ने वहाँ पर इडीएएमसी के अंदर इस प्रस्ताव का मैंने खुद खड़े होकर विरोध किया था और मैं समझता हूँ, हमारी इडीएमसी के काफी एमएलए... ओमप्रकाश शर्मा जी भी चले गये। कल ओम प्रकाश शर्मा जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी हमसे कहा कि अनिल जी, ये इडीएमसी ने गलत किया है। नितिन त्यागी जी भी बैठे हैं, बग्गा जी भी बैठे हैं। सर, ये और गंभीर मामला है सर। और ये हमारे अधिकारों का माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हनन है कि काम हम लोग करायें तो वहाँ के कांउलर्स को क्यों इसका श्रेय दिया जायेगा। तो इसके लिए अब इडीएएमसी के कमिश्नर को सर, तलब किया जाये और उनको आदेश दिये जायें कि ऐसा ठीक नहीं है। सर, ये मेरा कहना है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद जी। नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद, अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री साहब और उप मुख्य मंत्री साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रजोकरी गाँव में जो मेरा क्षेत्र है महरौली विधान सभा का, उसमें एक रजोकरी इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलॉजी और दूसरा वर्ल्ड क्लास स्किल सैंटर खोला है। उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी रजोकरी गाँव की तरफ से और पूरे महरौली विधान सभा के लोगों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रजोकरी गाँव के लोगों की भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। रजोकरी गाँव में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, जिसमें मुझे बुलाया गया। लोगों ने एक डिमाण्ड रखी है अपनी। उन्होंने कहा है कि गाँव की जमीन थी, ये ग्राम सभा की, इसमें वर्ल्ड स्किल सेंटर खोला जा रहा है और एक पॉलिटेक्निक जो रजोकरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला गया है, हम इसके लिए बहुत आपके आभारी हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री साहब या शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया जी साहब से ये निवेदन आप करें हमारी तरफ से कि गाँव के लोगों के लिए 10 से 15 परसेंट का एडमिशन में कोटा रखा जाए क्योंकि गाँव सभा की जमीन है और साथ में जो वहाँ की जॉब्स लगें इनके अंदर तो उसमें भी प्रेफरेंस दी जाए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री साहब और हमारे शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि रजोकरी गाँव के लोगों को वहाँ के जो भी एडमिशन हों, उसमें प्राथमिकता दी जाए, जॉब में प्राथमिकता जाए। धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद नरेश जी। राजेश गुप्ता जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब कुछ नहीं।

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, हम बार–बार यहाँ पर अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अगर थोड़ी सी कर्त्तव्य की बात हो, मैं पहले भी एक बार एक सवाल उठा चुका हूँ कि पिछले चार महीने में चार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, मेरे एमएलए लैड का पैसा दूसरी विधान सभा में दे दिया गया। ये मेरे अलावा भी कुछ और साथियों के साथ में हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ताः जैसे बता रहे हैं कि इनके साथ हुआ है, सौभाग्य ये है कि मेरा सेम एमसीडी में रहा, नॉर्थ एमसीडी से नॉर्थ एमसीडी में और बार–बार प्रयास करने के बाद और बहुत ज्यादा धक्के खाने के बाद में उसको बाद में शिफ्ट कराया गया मेरी अपनी विधान सभा के अंदर। चार बार ये लगातार हो चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले चार सालों में, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव पास आ रहे हैं तो इस तरीके की चीजें करी जा रही हैं कि हमारा फण्ड लग ही नहीं पाए। इस तरीके की परेशानी हो, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ।

दूसरी चीज, मेरा ये भी कहना है कि इसी के साथ में एक बात और बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है। मैंने अपनी विधान सभा में चार करोड़ के झूले और जिम लगाने दिए, पिछले साल का सारा फण्ड मैंने उसमें दिया। चारों की चारों फाइलों को गायब कर दिया गया। मालूम ही नहीं है, कहाँ पर है जब कि वहाँ के जो एस.ओ हैं वो कहते हैं, जी, हमने जमा करा दी। सौभाग्यवश दो काउंसलर्स, दो पार्षद हमारी पार्टी के हैं वहाँ पर, जब मैं उनके साथ में वहाँ पर गया और मैंने एमसीडी में ज्यादा जोर दिया तो

वो दो वॉर्ड की फाइलें पास कर दी गई, बाकी दो रोक दी गई। उसके बाद में एक फाइल मेरे हाथ लग गई जो सातवें महीने में इन्होंने पास करी है, जिसमें ए.डी के, डायरेक्टर के, एस.ओ के, सबके साइन हैं, उसके बाद भी वो फाइल गायब हो गई। बाद में माफी माँग ली गई। मेरा ये कहना है किकृ मैं ये कहता हूँ कि चलो हमारे इस विपक्ष के साथी अगर उसमें राजनीति करना चाहते है, करें, ये उनका काम है। मैं उनसे उम्मीद नहीं करता कि वो मेरे साथ उस तरीके से खड़े हों। लेकिन अधिकारी क्यों इन चक्करों में पड़ना चाहते है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई! जबकि हमने वहाँ इतनी पॉजिटिव पॉलिटिक्स रखी कि ये कॉम्पैक्टर लगाना चाहते थे, हमारे जो पार्षद थे, जो बीजेपी के थे, लेकिन वो जगह पीडब्ल्युडी की थी, हमने तब भी लगने दी। और इस पॉजिटिव पॉलिटिक्स का फायदा ये हुआ कि लोगों ने, बल्कि बीजेपी के पदाधिकारियों ने मुझे फोन करके धन्यवाद दिया कि आपने एक अच्छी राजनीति करी, यहाँ कूड़े से हमें निजात दिलाई। तो क्या इन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि अगर ये उन झूलें और जिम को लग जाने देंगे तो वो बच्चे जो उस पर झूलेंगे, जो कुछ लोग उस जिम के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, वो उन्हें दुआएँ देंगे, वो इनकी बात को मानेंगे। लेकिन इस तरीके की राजनीति कि अब चुनाव आ रहे, क्या एक लाइट लग जाने से, एक झूला लग जाने से, केंद्र सरकार चुनाव हार जाएगी। मेरा आपके माध्यम से एक अनुरोध है और ये सामने बैठे हैं, दो यहाँ बैठे हैं, दो बाहर होंगे, इस बात को समझें कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह पर है, आप करते रहें, हम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी कर रहे हैं दो–तीन दिन से तो। लेकिन इन छोटी चीजों के अंदर आप इन चीजों को न ले जाएँ, जनता का पहले ध्यान रखें, बाकी चीजें बाद में, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। आधा घण्टा, ठीक 4:30 बजे तक के लिए टी ब्रेक।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 4:39 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्षः अब श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी, माननीय समाज कल्याण मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्यसूची में दर्शाये गए दस्तावेजों की प्रतियॉ सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विकलांगजन अधिकार नियम, 2018 के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 82/1153/आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016/एडी–।।।/ डीएसडब्ल्यू/2017/33121 दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 की (हिंदी एवं अंग्रेजी) प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।[5]

प्रतिवेदनों पर सहमति

माननीय अध्यक्षः श्री अजय दत्त जी, सुखवीर सिंह दलाल अनुपस्थित। श्री सोमनाथ भारती, अमानतुल्लाह अनुपस्थित। सुश्री भावना गौड़ जी, अजेश यादव जी प्रस्ताव करेंगे कि ये सदन दिल्ली के नगर निगम समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन दिनांक 25 फरवरी, 2019 को सदन में प्रस्तुत दिल्ली नगर निगम समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

---

[5] पुस्तकालय में संदर्भ संख्या– आर–20453 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ, कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री जगदीप सिंह जी, सोमदत्त जी।

श्री जगदीप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ कि यह सदन दिनांक 25 फरवरी, 2019 को सदन में प्रस्तुत सामान्य प्रयोजन समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ, कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

प्रतिवेदनों का समय बढ़ाने पर सहमति

सुश्री भावना गौड़, अजेश यादव जी प्रस्ताव करेंगे कि ये सदन दिल्ली के नगर निगमों के लिए सदन की समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है।

सुश्री भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन दिल्ली के नगर निगमों के लिए सदन की समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के नौवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के समक्ष है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ, कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री मदन लाल जी़, सौरभ भारद्वाज जी समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री मदन लाल़ः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हॉकी और क्रिकेट खेलों की प्राशासनिक व्यवस्था करने वाले निकायों में कथित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए विषेश जाँच समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के नौवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ, कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री सौरभ भारद्वाज जी, विशेष रवि जी़, समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री विशेष रवि़: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा सदन के अंदर सदन के नाम भेजे गए दिनांक 13 सितंबर, 2017 के संदेश में जाहिर की गई चिंताओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के नौवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ, कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री राजेश गुप्ता जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी़, समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री राजेश गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा मैसर्स ईएसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को संविदा जारी करने में कथित अनियमितताओं की जाँच करने के लिए गठित विषेश जाँच समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के नौवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ, कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री सौरभ भारद्वाज जी, नितिन त्यागी जी़, समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के संबंधित प्रस्ताव रखेंगे।

श्री नितिन त्यागी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन दिल्ली मैट्रो रेल निगम से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए गठित विषेश जाँच समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की समयावधि बढ़ाने के लिए सहमत है। समिति अध्यक्ष महोदय को अपना प्रतिवेदन छठी विधान सभा के नौवें सत्र के प्रारम्भ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ, कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि इस संबंध में जो समय माँगा गया है, उस समयावधि में अपने प्रतिवेदनों का निश्चित रूप से प्रस्तुतीकरण करें।

अब श्री अजय दत्त जी, सुखवीर सिंह दलाल जी़, प्रस्ताव करेंगे कि ये सदन दिनांक 25 फरवरी, 2019 को सदन में प्रस्तुत सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री अजयदत्तः अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ कि यह सदन दिनांक 25 फरवरी, 2019 को सदन में प्रस्तुत सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ, कहे;

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

वार्षिक बजट (2019–20) पर चर्चा

श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ह्दय से आभारी हूँ कि लगातार पाचवें वर्ष जो एक क्रांतिकारी बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस पर बहस षुरू करने का अवसर आपने मुझको दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक ऐसे समय में जब पूरे देश में आम आदमी को... एक सामान्य व्यक्ति को व्यवस्था से दूर करने की कोशिश चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश के संसाधन हैं, उनको कुछ चुने हुए हाथों में सौंपने का एक इस तरह का एक कुचक्र चल रहा है। जहाँ कि पूरे देश में संवैधानिक दायित्व एक कल्याणकारी राज्य का है, उससे पीछे हटने की केन्द्र की सरकार की और बहुत सारी राज्य सरकारों की एक नियमित प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में इस सदन के अंदर माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा एक ऐसा बजट पेश किया गया जो भारत के संविधान की मूल भावना को मजबूत करने वाला है। जो संवैधानिक दायित्व है, उसको निभाने वाला है और वो संवैधानिक दायित्व भारत के मूल अधिकारों और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें निहित है। जिसमें कहा गया है कि देश के संसाधन इस तरीके से उपयोग किए जायेंगे कि उनका कहीं सेंट्रलाइजेशन न हो। वो किसी चुने हुए लोगों के हाथों में इस्तेमाल न हो बल्कि जनकल्याण के लिए जो मूल्य भारत के संविधान में कहे गए हैं – समता के साथ, बंधुत्व के साथ सबके कल्याण के लिए इस्तेमाल हो और भारत के राज्य के अंदर अर्थनीति *राइट टु लाइफ विद डिग्निटी ऐण्ड शो ऑफ* करने की तरफ बढ़ेगी कि गरिमा के साथ इज्जत के साथ जीने का अधिकार समाज के हर वर्ग को मिले, ये सुनिश्चित करेगी। एक जो पूरे बजट भाषण पर जो पहली टिप्पणी है, वो ये कि जब भारत के संविधान पर चारों तरफ

से हमले हो रहे हैं। उस समय दिल्ली की विधान सभा में ये बजट भारत के संविधान की मूल भावना को बचाने वाला है।

दूसरा, एक आर्थिक दृष्टिकोण से, एक जो फिस्कल मैनेजमैंट का दृष्टिकोण है, वित्तीय प्रबंधन का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से इस बजट की समीक्षा होनी आवष्यक है कि किस तरीके से लगातार पाँचवें वर्ष हमारा जो ग्रॉस रेवेन्यू कलैक्शन है, वो किस तरह से हम बढ़ता हुआ देखते हैं। मुझको याद है जब पहला बजट इस सदन में पेश हुआ था तो उसका लगभग आकार 30900 हजार करोड़ का बजट प्रावधान था। हालाँकि वो भी उससे पहले के बजट से उसमें काफी वृद्धि थी लगभग 5000 करोड़ की वषद्धि उस पहले बजट में भी थी। लेकिन अब ये पाँचवें वर्ष का जो बजट है, वो 60 हजार करोड़ का प्रावधान करता है। ये पूरे देश के अंदर जो एक आर्थिक वृद्धि का माहौल है, उससे कहीं आगे बढ़कर है। प्रति व्यक्ति आय जो दिल्ली में बढ़ी है। वो पूरे देश के जो वार्षिक औसत से उससे कहीं ज्यादा है। तो एक जब ईमानदार सरकार और एक कुशल वित्तीय प्रबंधक सरकार के मुखिया के तौर पर, वित्त मंत्रालय के मुखिया के तौर पर होता है तो कैसे जनता के अन्दर समृद्धि आती है, सम्पन्नता आती है; उसका रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह आगे बढ़ता है, इसका बहुत ठोस उदाहरण ये बजट पेश करता है। लेकिन इमसें बहुत सारे सम्मानित सदस्य बहुत सी बातें कहेंगे। मैं कुछ चुने हुए सेक्टर्स पर ध्यान देते हुए कि किस तरह से ये बजट एक पूरे देश के अन्दर एक नया मॉडल प्रस्तुत करने वाला बजट है, कैसे उम्मीद पैदा करने वाला बजट है। मैं सबसे पहले जो सरकार की तरफ से बहुत अधिक चर्चा में नहीं आया है, उस पहलू को इस विधान सभा में रेखाँकित करना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट और इस बजट में दी गई जो आर्थिक प्राथमिकताएँ हैं, वो उल्लेख करती हैं कि न्यूनतम वेतनमान 14 हजार सुनिश्चित ये बजट करता है और ये बजट उसके लिए वित्तीय प्रावधान करता है उसके प्रयासों का ब्यौरा देता है। ये बहुत दिलचस्प है कि जब पूरे देश के अन्दर श्रम कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को बंद किया जा रहा है, गरीब मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ा जा रहा है तो हवा बिल्कुल दूसरी तरह बह रही है। लेकिन ये बजट एक बार फिर से जो मेहनतकश है, जो आम आदमी और औरत घर से निकलते हैं काम करने के लिए और असंगठित क्षेत्र में एक छोटी सी नौकरी में जाते हैं, उनके अन्दर उम्मीद पैदा करता है। ये पूरे देश की राजनीति में, पूरे देश की आर्थिकी में एकदम एक नई शुरूआत करने वाला एक नया अध्याय खोलने वाला विषय है क्योंकि 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तब से पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन की बहार है। निजी क्षेत्र न तो आरक्षण के प्रावधानों के संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करता है, न ही श्रम कानूनों का प्रावधान करता है और पब्लिक सेक्टर का आकार सुकड़ता जा रहा है। लेकिन दिल्ली का ये बजट माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय की जो एक क्रांतिकारी विजन है, जन केन्द्र के दृष्टिकोण है, उसका एक साक्ष्य प्रस्तुत करता है और वो बिल्कुल इस विधान सभा की जो मूल भावना है, ये विधान सभा आम लोगों की बनी हुई विधान सभा है। उसकी मूल भावना को प्रतिनिधित्व करते हुए उप मुख्य मंत्री महोदय का एक प्रावधान है कि आज हम जहाँ हमारी विधान सभा है, उससे 20 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले जाएँ तो वहाँ पर न्यूनतम वेतनमान्स 8 हजार रुपये हो जाता है। एक मजदूर नोएडा में रहता है तो उसको भी उतने ही दाने–खाने के लिए चाहिए, उसके भी उतने ही बीमारी में पैसे खर्च होते हैं। उसको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है और वेतन भी कम मिलता है।

तो ये जो क्रॉंतिकारी प्रावधान है और ये प्रतिकूल स्थितियों में हुआ है, इसका भी ब्यौरा हमारे सामने आया है कि किस तरह से इस त्रिपक्षीय वार्ता में जिसमें कि श्रमिक वर्ग के लोग, उद्योगपति वर्ग के लोग और सरकार तीन पक्ष के तौर पर शामिल होते हैं, वहाँ एक चौथे पक्ष के तौर पर माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और उन्होंने उस सरकार जिस सरकार, जिस विधान सभा के मंतव्य को उपराज्यपाल महोदय को व्यक्त करना था, उसकी जगह उन्होंने उद्योगपतियों की तरफ से इस श्रम सुधार के काम को न्यूनतम वेतनमान के कानून को दबा के रखा। लेकिन उसके बाद इस विधान सभा का संकल्प सशक्त हुआ। बजट में जो कही गई, वो विधान सभा की बात कही गई। भारतीय संविधान की मूल प्रावध ाान की बात कही गई और ये क्रॉंतिकारी शुरूआत हुई। दो–दो, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये बजट हमारे सामने रखता है। माननीय महोदय वो एक बिल्कुल अर्थव्यवस्था में एक नया दषष्टिकोण है कि हम अपने साधनों का एक ऑप्टिमम यूज कैसे करें। एक तरफ हम अपने राजस्व कैसे बढ़ाएँ। दूसरी तरफ जो हमारा राजस्व है और जो हमारे संसाधन हैं उनका सर्वोत्तम सदुपयोग कैसे करें? जब आपके अन्दर एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, आप सरकार भी उतनी ही जुगत से चलाते हैं जैसे कि कोई निजी काम के पीछे लगन होती है, तब ये निश्चित होता है कि आपका राजस्व भी बढ़ता है और जो आपके उपलब्ध संसाधन हैं, उनका बेहत्तर सदुपयोग होता है। इसकी एक छोटी शुरूआत जो खेल जगत में और शिक्षा के जगत में हुआ है, वही स्कूल हैं, वही भवन हैं, वही खेल के मैदान हैं। लेकिन माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय जो वित्तमंत्री होने के साथ–साथ खेल मंत्री भी हैं, एक प्ले एण्ड प्रोग्रेस नाम की जो चीज की, हमारे वही संसाध ान, वही खेल के मैदान, वही स्कूल की दीवारें जिसमें कि दो बजे के बाद ताला लगा होता था। अब वो इस दिल्ली भर के बच्चों के लिए, खिलाड़ियों

के लिए जो कोचेज हैं, उनके लिए खुले हुए हैं और वो एक लगातार बढ़ती हुई नीति है और इसी का परिणाम है अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के जो नेशनल स्कूल गेम्स हुए, उसमें दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक इस संकेत से मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि बजट किस तरह से हमारे संसाधनों का बेहत्तर सदुपयोग सिखाता है, कैसे उसमें उम्मीद पैदा करता है, ये एक छोटी सी लेकिन बड़ी क्रॉंतिकारी पहल है।

माननीय महोदय, बजट एक और दूसरे तरीके से काम करता है कि वो एक तो अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहत्तर सदुपयोग करता है लेकिन साथ ही वो ईमानदार तरीके से नियमन करके जो भारत का संविधान कहता है कि शिक्षा नॉट फॉर प्रोफिट चीज है। शिक्षा मुनाफाखोरी की चीज नहीं है, अस्पताल चलाना मुनाफाखोरी की चीज नहीं है। ये बजट हमको उम्मीद पैदा करता है और प्रावधान करता है और इस विधान सभा के संकल्प को मजबूद करता है कि देश की अकेली विधान सभा, देश की अकेली सरकार ये है जिसमें कि बजट फिक्र करता है कि हमारे सरकारी दायरे के अन्दर आने वाले विद्यालय बेहत्तर होंगे और जो निजी दायरे में आने वाले विद्यालय जो हैं, उन पर... मुनाफाखोरी पर अंकुश लगेगा।

माननीय अध्यक्षः पुष्कर जी कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्री पंकज पुष्करः मैं दो बाते और आपके सामने रख के बात को पूरा करूँगा।

माननीय अध्यक्षः प्लीज कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड करिए।

श्री पंकज पुष्करः ये प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये दिल्ली का बजट सुनिश्चित करता है कि वहाँ जो प्रावधान निर्बल आय वर्ग के लिए करने हैं, वो सुनिश्चित हों। ये बजट ये भी प्रावधान करता है कि शिक्षा

में अभूतपूर्व कीर्तिमान जो बनाए गए हैं, उसकी कड़ी में हैप्पीनेस करीकुलम और एँन्टरप्रेन्योर करीकुलम की बात हो। ये फिर आज के समय में धीमी दिखने वाली चीज है। चारों तरफ शोर है और कई जगह युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जब मनुष्य मजबूत होगा, एक–एक व्यक्ति को अन्दर से प्रसन्नता होगी, उसके अन्दर उद्यम विकसित होगा तो ये देश मजबूत होगा। ये बजट हमको आश्वस्ती देता है इस तरफ बढ़ने की और सबसे बड़ी बात एक और बिंदु मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद में बाकी मेरे साथी वक्ता इसपे बोलेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में कि हमको चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान देना है या हर नागरिक के स्वास्थ्य के अधिकार की बात करनी है। तो एक तरफ मोहल्ला क्लीनिक, पॉलीक्लीनिक अपने सारे हॉस्पिटल्स की ऑप्टिमम सर्विसेज को बेहत्तर करना। दूसरी तरफ...

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब कन्क्लूड करिए, पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः दूसरी तरफ अपनी उपलब्ध क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करना, ये बजट सुनिश्चित करता है। मेरे एक साथी विधायक ने आयुष्मान भारत की बात की। निश्चित रूप से प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए आयुष्मान भारत आया। ये चिंता नहीं की कि अपने प्राइवेट के वरक्स हम किस तरह से पब्लिक सेक्टर खड़ा करें। तो दिल्ली का जो स्वास्थ्य का मॉडल है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, दिल्ली का पूरा बजट एक जनकेन्द्रित संवैधानिक प्रावधानों को मजबूत करता है। मैं कुछ चीजों का जिक्र करते हुए इस बजट में दिए गए आम आदमी का जो अर्थशास्त्र है, एक उम्मीद पैदा करने वाले जो अर्थशास्त्र हैं जो एक ऐसी आर्थिकी है जो कि इस मुश्किल समय में एक–एक पैसे का सदुपयोग करना

जानती है, एक–एक पैसे को आम आदमी के हित में इस्तेमाल करना चाहती है, उसकी तस्दीक करते हुए, उसका समर्थन करते हुए इस बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने वित्त मंत्री, अपने उप मुख्य मंत्री को देता हूँ और मैं आखिर में केवल ये कहना चाहूँगा कि ये काम जो जितनी विकट स्थितियों में कहा गया है; दोनों हाथ बांध दिए गए, दोनों पैर बांध दिए गए लेकिन केवल अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के बूते जब पूरी अन्य सारी एजेंसियाँ एक असहयोग पे उतरी हुई हैं, जब उप राज्यपाल महोदय ने नाकारात्मक भूमिका निभायी है, एक राजनीति दल के इशारे पे, उसके बाद भी वो कर पाए, इसके लिए उनको क्रॉंतिकारी अभिवादन है। दिल्ली की जनता उनको याद रखेगी। दिल्ली की जनता जो एक पौधा रोपा गया है, इसको वृक्ष बनते हुए देखेगी। आपको क्रॉंतिकारी सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः देखिए, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, मेरे पास 65 मिनट हैं और आठ वक्ता हैं। आठ मिनट से ज्यादा माननीय सदस्य न बोलें। घड़ी नोट करके। अच्छा वक्ता वो, आठ मिनट में अपनी बात पूरी करेगा। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्रॉंतिकारी बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया और मैं आपकी भावना का ख्याल रखते हुए, इसे सात मिनट में ही कवर करने की कोशिश करूँगा।

अध्यक्ष जी, मेरे तो ये मानना है कि इस बजट को जो उसके अन्दर चीजें लिखी हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या? हम बहुत सारे आँकड़ों को बताते हैं और इससे पहले भी हम में से बहुत सारे साथियों ने केन्द्र सरकारी के या और राज्यों के बजट सुने भी हैं, टीवी पे देखें भी हैं। बड़े नीरस से होते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो

ये ही इंतजार करते रहते हैं कि बस जो हमारी इनकम टैक्स की जो सीमा है, वो कब बढ़ेगी, घटेगी। इसके अलावा तो कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं और फिर वो टीवी के ऊपर आने लगता है कि टीवी बढ़े, फलानी चीज घट गई, टीवी बढ़े इसलिए ये चीज घट गई। लेकिन ये मनीष सिसोदिया जी की जो खासियत रही है, पिछले चार पाँच सालों में कि बड़े मुस्कराते हुए न सिर्फ पेश इसे करते हैं, एक संवाद होता है हालाँकि वो उस वक्त उसको पढ़ रहे होते हैं, आपकी तरफ देख रहे होते हैं, आपको एड्रेस कर रहे होते हैं। बाकी हमारे साथियों की तरफ वो देखते हैं, मुस्कराते हैं लेकिन एक संवाद होता है, बात करते हुए ऐसा कुछ लगता है जैसे जनता ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे पिछले साल या जब वो चुनाव में जा रहे थे और वो उनके जवाब दे रहे हैं। ये बजट नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ दिया उठा के लेकिन एक संवाद होता है जो सवाल दिल्ली की जनता ने हमसे करे थे जब हम चुनाव में गये थे, मनीष जी एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, वो बजट होता है। बहुत कन्फ्यूजन रहती है विकास क्या... हमसे पहले शायद विकास सिर्फ पुल को ही कहा जाता था लेकिन आज समझ में आ रहा है कि विकास वो होता है कि हैप्पीनेस करिकुलम क्या होता है। बहुत सारे लोग हममें से पढ़े हुए हैं लेकिन हमें भी नहीं पता था ऐसी भी कोई चीज होती है कि बच्चे को खुश भी रहना होता है। बच्चों को खुश रखने के लिए पहले तो सरकारी स्कूलों में एक दूसरे के जो बाल होते थे, वो चूटा करते थे, तख्तियाँ एक दूसरे के सिर पर मार दिया करते थे, छोड़कर भाग जाया करते थे स्कूलों की दीवार तोड़ के और आज माहौल जो है स्कूल का, वो ये है कि आज माँ अगर कह देती है कि आज तुझे स्कूल नहीं भेजूँगी तो बच्चा रोने लगता है बिलकुल माहौल बदल गया है। मैं आँकड़ों की बाजीगरी में ज्यादा जाना ही नहीं चाहता क्योंकि बड़े सिंपल से आँकड़े हैं इसमें कुछ है नहीं। आपने भी पढ़ा होगा,

सबने पढ़ा है। बड़ा सिंपल सा है जनता की जेब से कैसे पैसे निकालना है, इसको शायद बजट कहते थे पहले और आज शायद बजट ये हो गया है कि जनता को फायदा कैसे पहुँचाना है। दिल्ली का बजट तो यही कहता है कि किस तरीके से तीन हजार रुपये, चार हजार रुपये, पाँच हजार रुपये इनकी जेबों में डाले जाएँ। कैसे इससे बच्चे की प्राइवेट स्कूल की जो फीस है, इसको बढ़ने न दिया जाए। कैसे बिजली में पैसे कम कर दिये जाएँ, कैसे पानी फ्री कर दिया जाए। एक अलग सा माहौल है। कैसे उसकी मिनिमम वेजेज बढ़ा दी जाएँ। मतलब ये तो एक सपने जैसा है जो राम राज्य की हम बातें करते हैं, वो यही तो है और क्या है? लोग अगर उनको पता लगता है कि टैक्स हम अच्छी चीज के लिए दे रहे हैं, अच्छी जगह उपयोग होगा तो लोग टैक्स देना चाहते हैं और ये आपके सामने उदाहरण है कि लगभग दोगुना हो गया। 32–33 हजार का टैक्स आया करता था, आज से तो हमने शुरूआत करी थी आज 60 हजार करोड़ का बजट है कैसे है, हमने तो किसी को तंग भी नहीं करा सबके टैक्स घटाये हैं; चाहे वो मिठाई वाले हों, चाहे लकड़ी वाले हों, चाहे मार्बल वाले हों, किसका बढ़ाया? गलती से जूते और कपड़े में थोड़ी सी हमने बराबरी करने की कोशिश करी थी बाकी की स्टेट से, उसमें भी 24 घंटे के अंदर घटा दिया। क्योंकि हमारी वो जिद्द तो है नहीं कि नहीं, जैसे सुनारों पर लगा दिया एक परसेंट तो माननीय जेटली जी मिले भी नहीं थे, ये हमने तो 24 घंटे के अंदर उसको बदल दिया। ये जिस किस्म की चीजें हो रहीं हैं दिल्ली की, इसीलिए जो बेसिक आय है जो एक एक आदमी की है, वो भी बढ़ रही है।

अभी मैं अगर स्कूल्स की बात करूँ तो हम सबको पता ही है कि उसके अंदर कितनी– कितनी चीजें हो रही हैं, कैसे कमरे बढ़ रहे हैं, कैसे

स्पोर्ट्स के अंदर काम हो रहा है, कैसे बच्चे मुस्करा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और इसका असली रिजल्ट तो अब आना शुरू होगा। जो बच्चे 11–12वीं पास कर रहे हैं, जरा आप उनको देखें वो कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो घूमना चाह रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं, वो देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम देश के लिए वो चीज पैदा कर रहे हैं जो देश का विकास है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना, टाइम पास करना नहीं है। सिर्फ किताबें और स्कूल की बिल्डिंग बनाना नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन उनके अंदर ये भरना है कि ये देश उनके लिए खड़ा है और बाकी वो बाद में वो देश के लिए खड़े हों।

हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी यही हालात हैं कि आज इतनी सुंदर–सुंदर बिल्डिंग्स बन गई हैं और उस बिल्डिंग्स के अंदर हम तो लोगों से दुआ करते हैं, कोई अंदर आए ही नहीं, खाली पड़ा रहे। हमारा हास्पिटल थ्री टियर सिस्टम भी बना दिया। मोहल्ला क्लीनिक हैं, पॉलीक्लिनिक हैं, हास्पिटल्स अच्छे अच्छे बन रहे हैं और हमारे साथी विधायक ने जैसे अभी पुष्कर जी ने भी कहा कि आरोग्य कोई बात करी थी, प्रधान मंत्री जी का कुछ बता रहे थे। मेरे को तो आज तक वो समझ आया नहीं, वो है क्या! लेकिन दिल्ली आरोग्य कोष हमारे पास में बहुत पहले से है जिसमें पहले दो लाख होते थे, एक लाख होते थे, दो चीजों में उसको डिवाइड रखा जाता था लेकिन हमने उसको पाँच लाख सीधे ही कर दिया। अगर दिल्ली के नागरिक हैं, उसके पास में दिल्ली का आधार कार्ड है, हम उसको इसमें भी करा देते हैं और पहले इसकी बहुत रिश्वतें लगा करती थी, वो हमने बिलकुल क्लीयरकट कर दिया। आइए, बताइए, वहाँ से सीधा सा बनाइए और अगर वो भारत सरकार के अस्पताल में भी है तब भी देते हैं। अगर आरएमएल और एम्स में है, तब भी देते हैं। पाँच लाख

उसको देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और चीज देखिये इसमें भी वो चीज आपको अलग सी चीज दिखाना चाहता हूँ; कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और कोई आदमी उसकी मदद करके वहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाता है तो उसको भी दो हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देते हैं और एक सार्टीफिकेट देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम करा है। क्या बजट में कभी ऐसी चीजें सुनी थी? पहले उल्टा था कि बता दो, चोरी कोई कर रहा है तो तुम्हें हम ईनाम देंगे। हम सिर्फ वो नहीं कर रहे, हम लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप अच्छा काम करिये। दिल्ली एक खूबसूरत जगह है। दिल्ली में अच्छे–अच्छे लोग रहते हैं और हम उसको और अच्छी–अच्छी तरीके से उन कामों का कर पायें। छोटी छोटी गलियाँ हैं दिल्ली में, आपके यहाँ पर भी बहुत सारी होंगी। उसके लिए पहली बार ये सुनने में आया की फस्ट रिस्पांस व्हीकल ऑन मोटर साइकिल तो आज तैयार करनी है कि फटाफट वहाँ पर पहुँच जाए। कौन सी एम्बुलेंस अंदर पहुँच सकती है। आप भी जानते हैं एम्बुलेंस फॉयरब्रिगेड बाहर ही खड़ी रह जाती हैं लेकिन पहली बार दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, जो कभी किसी ने सुनी नहीं हैं। दिल्ली की जरूरतों को देखकर बन रही हैं। ये नहीं कि कोरिया घूम आए, अमेरिका घूम आए, जापान घूम आए। उनकी चीजों को आँख मीचकर यहाँ पर इम्पलीमैंट कर दिया, ऐसा नहीं है। हम दिल्ली घूमते हैं, हमारे मंत्री दिल्ली की गलियों में घूमते हैं। हम घरों में जाते हैं, हम लोगों की जो प्रेक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर काम करते हैं।

मैं एक दो चीज बस और कहना चाहूँगा। जैसे पेंशन के लिए एक आँकड़ा है कि 4 लाख 83 हजार लोग हुआ करते थे जिनको फायदा मिला करता था। आज सीधे दोगुना 7 लाख, 60 हजार लोगों को सीधे सीधे पेंशन का सीधा फायदा मिल रहा है। एक बुजुर्ग आदमी इतने परेशान हुआ करते

थे, विधवाएँ थीं। सीधे सीधे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा, ये जो किताब है, इसके अंदर शायद ही मेरे को लगता है कि कोई एक चीज रह गई हो जो नहीं करी हो। मैं इस बजट के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इस बजट में कोई भी चीज हमारे माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने छोड़ी नहीं है। इसी तरीके से गलियों में घूमते रहे हैं। इसी तरीके से लोगों की भावनाओं को आगे बढ़ाते रहे हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है, दरसल ये दुआओं की राजनीति है और मनीष जी को मैं ये पूरी श्योरिटी देता हूँ और जितने हमारे मंत्री हैं, उनको श्योरिटी देता हूँ कि जो दुआएँ आप दिल्ली की जनता से ले रहे हैं, ये ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेंगी और इसी तरीके से आप मुस्कराते रहेंगे। भगवान ने आपको वैसे ही बड़ा मुस्कराता हुआ चेहरा दिया है, ये ऐसे ही खिलखिलाता रहेगा, मुस्कराता रहेगा। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद, संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय की आपने मुझे इस क्रांतिकारी बजट पर बोलने का मौका दिया। ?

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब हम सब लोग इस छठी विधान सभा में पहली बार बजट पेश हो रहा था और जब पहली बार बजट का एक चौथाई हिस्सा शिक्षा पर खर्चा हो रहा था। स्वास्थ्य पर 17–18 परसेंट खर्चा हो रहा था तो पूरे देश में चर्चा का विषय बना के कभी शिक्षा में ऐसा खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य भी इतनी बड़ी प्रायोरिटी हो सकती है। अब इस छठी विधान सभा का अंतिम बजट सत्र था ये। मुझे लगता है कि हर साल जितने भी बजट पेश किये गये, वो विकास के एक नये आयाम को छूआ। हमारे कई सारे साथियों ने बहुत सारी बातें बताईं राजेश भाई ने बताया, पंकज भाई ने बताया, मुझे लगता है मैं मनीष जी चूंकि शिक्षा

मंत्री भी हैं और जिस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा में लाया है इस क्रांतिकारी परिवर्तन से पूरे देश में सरकारी शिक्षा में एक नया आशा जगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब मैं पहली बार विधायक बना हमारे यहाँ स्कूल था उसको खंडहर वाला स्कूल कहते थे, स्कूलों के अपने उप–नाम थे टेंट वाले स्कूल, खंडहर वाले स्कूल, टिन वाले स्कूल, टाट वाले स्कूल और ये जितने भी नाम हैं वो स्कूल की दशा को बताता है कि स्कूल टेंट में चलता था, खंडहर की बिल्डिंग में चलता था, टाट में चलता था, तो मेरा ये कहना है कि आज जो खंडहर वाला हमारा स्कूल था आज से 6 महीने पहले उसी स्कूल का मैंने एक पिक्चर सोशल मीडिया पर डाला। जब मैंने डाला तो कई सारे कमैंट आये। कोई कह रहा था नहीं जी, ये तो कोई बहुत बड़ा होटल दिख रहा है, कोई बिजनस कॉम्पलेक्स दिख रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है के वही खंडहर वाला स्कूल है वो। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से इस स्कूल की बिल्डिंग्स, जिस तरह एक संसाधन उसमें डाले गये और उसके बाद जो क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया गया चाहे वो हैप्पीनेस कुरिकलम रहा हो, चाहे कोई और प्रोग्राम रहा हो या अब एक बहुत नया क्रांतिकारी कोर्सेज ला रहे हैं जिसमें फैमिली बिजनेस प्लानिंग मुझे लगता है कि वही व्यक्ति सोच सकता है जिसके कोई सपने होंगे और उसके वो सपने गरीबों के सपनों से मेल खाते होंगे। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, जो स्कूल आज बनाया गया काश आजादी के बाद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ये सपने देखता तो आज इस देश में बेरोजगारी नहीं होती। शिक्षा में समानता होती और ये हुआ भी इसलिए मैं एक वाकया बताता हूँ आज से 15–20 दिन पहले मुझे किसी प्राइवेट स्कूल के किसी प्रोग्राम में मुझे बुलाया, जब उसने बुलाया और मनीष जी, बड़ी रोचक बातें उसने बताई, मैंने देखा उसके स्कूल में काम चल रहा था। हमने कहा लगता है आप रेनोवेशन करा रहे हैं, बोला साहब करा नहीं रहे, करवाना पड़ रहा है। मैंने कहा मतलब वो बोला, भाई साहब इतने बढ़िया

सरकारी स्कूल आपने बना दिये आप वहाँ मुफ्त पढ़ा रहे हो हमारे यहाँ कैसे आएँगे लोग? तो हम भी अपने स्कूल को ठीक कर रहे हैं और ठीक करने के बावजूद हर साल हमारे बच्चे घटके सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि दो चार साल बाद मेरे पास केवल ईडब्लूएस के बच्चे बचें, बाकी सारे बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाएँ। मैंने कहा, भाई साहब, मुझे नहीं पता कि आपके इस दुख में संवेदना व्यक्त करूं या मैं खुश हो जाउं और कारण भी यही था और जो व्यक्ति कह रहा था वो भाजपा का कोई एक नेता था। मेरा ये कहना यहाँ है कि भी कई सारे साथी बैठे हुए हैं, कि इनके बड़े बड़े स्कूल हैं मतलब वो क्यों देखेंगे गरीबों का स्कूल ठीक है के नहीं क्यों देखें सरकारी स्कूल ठीक है के नही? तो मेरा ये कहना है कि आज सरकारी स्कूल इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि उन बच्चों के लिए जो दर्द पिछले 77 सालों से जनता का था, गरीब बच्चों के माता पिता का था, अब वो दर्द प्राइवेट स्कूल के मालिक को हो रहा है तो मेरा ये कहना है कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि ये क्रांतिकारी सोच थी और मैं इस क्रांतिकारी सोच के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ न केवल शिक्षा जो स्वास्थ्य में परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने किया है माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में किया है मुझे लगता है काबिले तारीफ है चाहे वो मोहल्ला क्लीनिक हो, चाहे हम जितने भी हास्पिटल्स में दवा, ईलाज, जाँच मुफ्त करा रहे हैं मैं तो धन्यवाद करता हूं कि हमारी बुराड़ी विधान सभा में कोई हास्पिटल नहीं था, इन्होंने न केवल 800 बैड का हास्पिटल बनाया बल्कि जल्दी सुचारू रूप से शुरू करने जा रहे हैं और जैसा मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कुछ नये आईडियाज उसमें लगाये जा रहे हैं। आशा है उन नये आईडियाज के साथ... चूंकि जैन साहब हमेशा कुछ क्रिएटिव आईडियाज लेकर आते हैं। कुछ नए आईडियाज के साथ हमारा स्वर्ण युग शुरू हो जाएगा ताकि उस आईडियाज के साथ हमारी जनता

का भी भला हो पाएगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया है मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है और तब मुझे लगता है कि मैं जब इस सरकार का हिस्सा हूँ तो मुझे गर्व इस लिए हो रहा है कि बाबा साहेब ने संविधान में एक सपना बोया था। उन्होंने ये कहा था आर्टिकल 36 (51) पढिए उन्होंने कहा था कि स्टेट की कुछ जिम्मेदारी होनी उन्होंने निर्देश दिया था और कहा गया था कि स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई आप गरीब हैं तो उनके बच्चों को उस गरीबी का दंस समझकर ना झेलना पडे और वो दंस कैसे नहीं झेलना पड़ेगा अगर आप उनको क्वालिटी शिक्षा मुफ्त देंगे। अगर उनके घर के लोगों को क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आजादी के 70 साल बाद बाबा साहेब उन सपनों को आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है। तब मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी को अपने मुख्य मंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी को कि हमने 70 साल से किसी भी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये जो गरीबी अमीरी का फर्क कैसे खत्म होगा। आपने शिक्षा में सुधार के जरिए ये सारी बाते कर रहे हैं। मेरा ये कहना अध्यक्ष महोदय ना केवल जैसा मैने बताया अभी एप्लाईड साईंस की बातें कर रहे थे मनीष जी। मुझे लगता है कि आपने रिसर्च का एक नया आयाम चुना है। जैसा उन्होंने कल भाषण में बोल भी रहे थे कि चूंकि रिसर्च के बहुत सारे स्पेस न होने कारण एक बोरिंग सा विषय बन गया है। मुझे लगता है ऐसे में एप्लाईड साईंस एक बहुत बड़ी कारगर साबित होगा उन तमाम बच्चों के लिए जो रिसर्च में इन्टरेस्ट अपना रखते हैं। तो मेरा अन्तिम बस इतना ही कहना है अध्यक्ष महोदय, कि इस पांच साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित किया है कि अगर आपका इन्टेंट हो तो मुश्किल कोई भी नहीं है। सत्तर साल से होता ये ही रहा था कि वोट तो गरीबों से

लिए जाते थे, काम अमीरों का होता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़ाई तो हम अमीरों से लड़ रहे है काम गरीबों का कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जो वादा 70 वादे दिल्ली की जनता से आम आदमी की पार्टी की सरकार ने किया था इस पांच साल में उसकी पूरी तरह से हमने एकमोडेट किया और 70 और 70 वादे हमने दिल्ली की जनता का पूरा किया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मनीष जी आदरणीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पूरी सरकार जिस तरह से काम कर रही है ना केवल दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल है एक उदाहरण है और इससे बाकी लोगों को भी इससे सीखना और समझना चाहिए एक और बहुत अच्छी बात जो मैं बजट पर पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि इन तमाम चीजों..

माननीय अध्यक्षः संजीव जी, आठ मिनट पूरे हो गए है। बस कन्कलूड करिए।

श्री संजीव झाः एक बात मैं कह देता हूँ। बस मैं अन्तिम बात मैं देख रहा था वित्तिय कुशल प्रन्बन्धन का एक बहुत बड़ा नमूना पेश किया कि अभी हम देख रहे थे कि हमारा जो ऋण था वो 6.54 था उसको घटाकरके चार परसेंट आपने किया। तो मेरा ये कहना है कि इतने सारे खर्चा करने के बावजूद आपने जिस तरह से वित्तिय प्रंबन्धन किया है और जैसा बार–बार मुख्य मंत्री जी भी और माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदय कहते रहे हैं कि ये स्व–पौषित बजट है। ऐसा बजट जिसका खर्चे का इन्तजाम भी खुद कर रहे हैं और उसके आय का इन्तजाम भी खुद कर रहे हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं फिर से माननीय उप–मुख्य मंत्री जी को ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना सुन्दर बजट दिल्ली वालों को दिया। मैं अपने ओपोजिशन के साथियों को कमैंट पढ़ रहा था। यहाँ

के हमारे सांसद भी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है उन्होंने कहा बजट में कुछ है ही नहीं। गलती उनकी भी नहीं है। जरा पढ़कर समझते ही नहीं होंगे। हमारे विपक्ष के नेता वो कह रहे थे कि भई घिसी पिटी बाते हैं। भाई साहब घिटी पिटी बातें आपके लिए होगी लेकिन जिसको अच्छी शिक्षा मिल रही है। मुफ्त स्वास्थ्य मिल रहा है। कैमरे की व्यवस्था हो रही है। हम अन–ओथोराईज्ड कालोनी में रहने वाले लोग हैं। अन–ओथोराइज्ड कालोनी में खूब राजनीति होती रही। आज तक गलियां सड़कें नहीं बनी। आज जाकर पूछिए उन तमाम कालोनी के लोगों के जिनको बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सड़क की व्यवस्था हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपके पास कहने को कुछ था नहीं जो बातें की गई है मुझे लगता है इससे दिल्ली की जनता का भला होने वाल है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली अपने आप में एक प्रतिभा सम्पन्न राज्य। कल माननीय मनीष जी ने राज्य की संवैधानिक परम्पराओं को निभाते हुए दिल्ली का बजट पेश किया। अध्यक्ष महोदय, कौन नहीं जानता एक पलड़े में हमारे पास नपे तुले संसाधन हैं और दूसरे पलड़े में हमारी आवश्यकताएँ हैं। मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ष जब दिल्ली में बजट पेश होना होता है तो दिल्ली के लोग अनचाही चिंता के भंवर में फंस जाते हैं और उनका आने वाला बजट कैसा होगा, उस पर चिंता करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज से चार साल पहले जो बजट हुआ करते थे, वो बजट केवल आशाओं को दर्शाते थे, आंकाक्षाओं के स्वप्न दिखाते थे जो कभी भी पूरे नहीं हुए। उन्होंने ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए जो सदा अधूरे रहे। अध्यक्ष महोदय, केवल एक सपना उनका पूरा हुआ, राजस्व उगाही का। अगर कोई सपना था तो आज से

चार साल पहले जो सरकारें अपने बजट को पेश करती थी उसमें केवल उनका एक ही सपना पूरा होता था। वो राजस्व उगाही का सपना होता था। अध्यक्ष महोदय, बजट बड़े सधे हुए अंदाज से हर साल हमारे बीच में पधारता है। हर बजट का विधि परख अगर हम प्रभाव जाने तो वो केवल एक वर्ष के लिए रहता है पर उसका आर्थिक प्रभाव अगर उसकी हम चर्चा करें तो वो बहुत वर्षों तक रहता है। आर्थिक उन्नति के बिना समाज कल्याण का लक्ष्य भी कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरा रहता है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की अर्थव्यवस्था पर बजट का प्रभाव केवल आवटंन के ऊपर निर्भर नहीं करता बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी कुशलता से उसे बनाया गया है। कितनी कुशलता से उस पर व्यय किया गया है और उस व्यय को सार्थक एवं सफल बनाने के लिए उस पर कितना यत्न किया गया है। मुझे लगता है ये कुल मिलाजुला करके के बजट की परिभाषा होती है। बहुत साधारण से शब्दों में मैने सदन पटल पर रखा। अध्यक्ष महोदय, मेरी अपनी सोच है कि बजट दो प्रकार के होते हैं– पहला बजट उपजाऊ बजट होता है। जो बंजर धरती पर भी सोने को उपजाता है। रेगिस्थान में भी हरियाली लाने का काम करता है और दूसरा बजट ऐसा बजट होता है जो जोंक की भांति राज्य की शक्तियों को चूसता है। विश्वास को खत्म करता है और हमारे उद्यम का हमारे व्यापार का हमारे वो सब चीजें जिनसे रेवेन्यू हम लोग प्राप्त करते हैं ऐसे विभागों को कहीं न कहीं उनका गला घोंटने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अर्थ शास्त्र में कोई चमत्कार नहीं होते अपने आप में, केवल कर्म के मीठे फल हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, कैसे योजनाएँ बना रहे हैं तो कुल मिलजुला करके अर्थशास्त्र का कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार होता है तो केवल हमारे कर्म के मीठे फलों का। जर्मनी की अगर मैं चर्चा करूं, जापान की अगर मैं चर्चा करूं तो वहाँ आर्थिक तौर के ऊपर

कोई चमत्कार नहीं हुए लेकिन अगर कुछ वहाँ हुआ तो उनके सरकारों की दूरदर्शिता और वहाँ के रहने वाले लोगों का अनुशासन उन चीजों का आंकलन जो है, उसने जर्मनी और जापान को बहुत आगे तक पहुंचाया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का बजट जो माननीय मनीष जी ने पेश किया वार्षिक विपदा वाला बजट नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ सरकार और जनता के उद्यम की साझेदारी का वार्षिक लेखाजोखा प्रस्तुत किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ–साथ ही वो सारे लोग चाहे वो पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, वो बड़े संगत आधार से बजट को नाप सकते हैं तौल सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि ठोस नीति और सशक्त नेतृत्व के बल के ऊपर किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये सरकार जब चुन करके आई तो बहुत से विपक्षियों ने कहा कि ये सरकार तो लोगों ने चुन करके भेज दी है लेकिन ये साल और छः महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी अरविंद जी और मनीष जी की जो ठोस नीतियां रही और उनका सशक्त नेतृत्व रहा, उन सब के बल पर आज आर्थिक समस्याओं का हल हम लोगों ने ढूंढ लिया है। हमारे वित्त मंत्री मनीष जी को मैं बधाई दूंगी जिन्होंने बड़े सधे हुए अंदाज से इस बजट को पेश किया। ये बजट ऐसा बजट है जिसमें ना तो घाटे की अर्थव्यवस्था है और न ही किसी पर भारी भरकम तरीके से टैक्स लगाया गया है। सही मायने में मैं अध्यक्ष महोदय कहूं तो माननीय मनीष जी के इस बजट को मानवीय निवेश पर खर्च होने वाला बजट कहूंगी। अध्यक्ष महोदय, विरोधी शक्तियों से ऊपर उठकर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री ने, हमारे उप–मुख्य मंत्री ने अचल उच्च अविकारी और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम इस बजट के तौर पर देखने को मिलता है।मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदय, कि यह बजट नारों, विचारधाराओं और महत्वकांक्षाओं को विश्राम देने वाला

बजट है। हमारा बजट उन व्यवहारिक उदेश्यों को लेकर आगे बढ़ेगा जो दिल्ली को अल्पवृद्धि के दलदल से निकालेगा, समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर के चलेगा, नैतिक मूल्यों और उच्च सिद्धान्तों में भी अपनी आस्था को दृढ़ करेगा। माननीय मनीष जी ने हमारे बजट को शहीदों के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया। हमारी सरकार का 5वां बजट राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है, यह देश को जोड़ने वाला बजट है, तोड़ने वाला नहीं। इस बजट की योजनाओं का फायदा दिल्ली के हर वर्ग के लोगों को मिलेगा और यह भी सच है कि हमारा चुनावी घोषणापत्र जुमलों का पिटारा नहीं है जैसा कि माननीय मनीष जी ने कल कहा, यह हमारे लिए एक पवित्र पुस्तक है। मैं मनीष जी की इन भावनाओं को इस सदन में उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करती हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो राजनैतिक मंच के पटल पर जिन घोषणापत्रों में वायदे करता है, जिन घोषणापत्रों के अंदर ये बताता है कि अगर हम जीत कर के आएँगे तो क्या करेंगे लेकिन अगर उसी घोषणापत्र को हम गीता और कुरान की तरह से मानें और उनका सम्मान करें तो परमात्मा हमारे अंदर इतनी ताकत देता है, इतनी हिम्मत देता है कि वो घोषणापत्र को हम जनता के बीच में केवल जुमले हम लोगों ने उपस्थित किए, ऐसा न कह कर के उसे अपने जीवन की किताब बना कर के जो हम कार्य करते हैं ये मैं मनीष जी की इन भावनाओं की भूरि भूरि प्रशंसा इस सदन में करती हूँ। अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्षः भावना जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

श्रीमती भावना गौड़ः जी, बहुत सारे काम इस सरकार ने किए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवता पर जोर दिया। कालोनी में पानी की व्यवस्था की, टेंकर माफिया को खत्म किए, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएँ दीं, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया, अनआथोराईज कालोनियों में विकास के काम किए,

बेहत्तर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ दी, दिल्ली का टैक्स कम किया, रेड पड़ने वाली जो व्यापारी के यहाँ बार बार रेड पड़ती थी, उन सब चीजों को कहीं न कहीं कम किया, पूरी दिल्ली को शौचालय मुक्त किया, किसानों की आय को बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, ये पक्की बात है सरकार की उम्र वर्षों से नहीं नापी जाती, सरकार की उम्र उनके कामों से नापी जाती है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जगत को लेकर के जो मनीष जी ने काम किए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार से पूर्व की जो सरकारें रहीं, वो शिक्षा के ऐसे भोजनालय बन गए थे जहाँ पर सड़ा गला और बासी भोजन परोसा जाता था, विकृत रूप था विद्यालयों का, विकृत रूप था विश्वविद्यालयों का, अनुशासनहीनता, बेईमानी और गैरजिम्मेदार तरीके से वहाँ पर उत्पादन करने वाले कारखाने, वो हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालय बन गए थे।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए भावना जी, प्लीज कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्रीमती भावना गौड़ः अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय और लूंगी। स्मार्ट कृषि योजना सरकार की एक नयी योजना रही। दिल्ली के गाँव के विकास के लिए 2019 और 2020 में 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आने वाले बजट में माननीय मनीष जी की तरफ से रखा गया। पर्यटक हो चाहे वो पर्यावरण का विषय हो, परिवहन विभाग का विषय हो, चाहे वो मैट्रो परियोजना को लेकर के कार्य किया हो, सभी कार्यों के लिए मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली की जनता हमेशा नतमस्तक रहेगी और हमारी सरकार के कार्यों की सराहना करेगी। पानी को लेकर के, सीवर को लेकर के और उसके साथ साथ में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का 215 करोड़ रुपये का बजट मनीष जी के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है। और विशेष तौर पे कुछ अलग विषय दो अलग विषय हैं अध्यक्ष जी, मैं उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी

माननीय अध्यक्षः नहीं अब कन्क्लूड करिए भावना जी नहीं, प्लीज।

श्रीमती भावना गौड़ः जी।

माननीय अध्यक्षः 9 मिनट हो गए हैं

श्रीमती भावना गौड़ः अध्यक्ष जी,

माननीय अध्यक्षः नहीं अब नहीं, प्लीज कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्रीमती भावना गौड़ः बस एक दसवां मिनट सर। एक दसवां मिनट। राशन की दुकानों को सरकार डोर स्टेप डिलीवरी आफ सर्विसिस के तहत राशन को होम डिलीवरी करेगी जिसके कारण से भ्रष्टाचार खत्म होगा और विशेष तौर पे वकीलों के संघर्ष और पीड़ा को समझते हुए 2019 और 2020 के बजट में एडवोकेट वेलफेयर फंड के माध्यम से 50 करोड़ रुपये की राशि जो निर्धारित की गयी है वो अपने आप में प्रशंसा का विषय है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को मिनी भारत का दर्जा दिया जाता है। यहाँ कई बिरादरियों की और कई राज्यों के लोग रहते हैं। 15 नई अकादमियों का जो गठन किया है उस पर ये पूरा हाउस बहुत प्रसन्न है। सरकार के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अलावा जनता को वो दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएँ, डोर स्टेप योजना बनाई जाए, ये सब अपने आप में बहुत प्रशंसनीय कार्य हैं जिसका सीधा सीधा लाभ दिल्ली राज्य में रहने वाले प्रत्येक तबके के लोगों को पहुंचेगा और मनीष जी के लिए मैं जरूर दो पंक्तियां इस हाउस में कहूंगी किः

खुदा ने ऐसी शख्सियत से नवाजा है आपको

खुदा ने ऐसी शख्सियत से नवाजा है आपको

आप गल्तियां कर सकते हैं क्योंकि आदमी गलती का पुतला है

आप गल्तियां कर सकते हैं पर किसी का गलत नहीं कर सकते।

ऐसा बजट आपने यहाँ इस सदन में पेश किया, मैं धन्यवाद दूंगी अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः श्री सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः देखो हलचल शुरू हो जाती है मेरे बोलने से पहले ही। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः भई, आप देखिए ट्रैप में आएँगे समय खराब होगा।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः भई हमारी बुरी शक्ल सही, हमारी जैसी शक्ल हमारे मां बाप की दी, हम तो देहात के गरीब आदमी हैं

माननीय अध्यक्षः चलो सिरसा जी, चलिए आप इधर करिए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपको अच्छी शक्लें पसंद हैं, उनको ले आओ।

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मेरे को बजट पर बोलने का मौका दिया। उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया वो दिखने में और असलियत में दोनों में बहुत अंतर है। अध्यक्ष जी, मैं जो कुछ भी बोलूंगा मैं केवल और केवल जो आंकड़ें आपने खुद प्रस्तुत किए, मैं उनके बिहाफ पे बोलूंगा, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलने वाला जिसके बाद में इनको चिल्लाना पड़े, बोलना पड़े। मैं जो किताब इन्होंने अपनी दी और इन्होंने खुद कहा मैं उसी पे बोलूंगा। अध्यक्ष जी, वैसे तो 2015–16 का 16–17 और 17–18 के बजट का भी यही हाल था। पर ये उससे भी गया हुआ

है। आंकड़ें क्या हैं, बोलते क्या हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुश्बू आ नहीं सकती कागज के फूलों से ये। सही मायनों में कागज के फूलों से खुश्बू लाने की कोशिश की जा रही है और मुझे इस बात का बड़ी हैरानी होती है। बजट जो है ये दिल्ली के लोगों के लिए खाली चुनावी लुभाने, बातें करने के लिए नहीं होता। एक मन के अंदर भावना होती है कि लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, दिल्ली के अंदर इतने उच्च स्थान पर बिठाया, मुझे इनके लिए कुछ करना है। लेकिन हर बार उनको झूठे वादे दिलाए जाएँ, हर बार झूठ बोला जाए और नए नए झूठ चलाए जाएँ। पिछली बार के झूठ भूल जाएँ, अगले नए झूठ लाए जाएँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कुछ सरकार ने कहा, और पहली बात से मैं शुरू करता हूँ। अगर मैं पिछले बजट में था, उससे पहले में मैं था नहीं, मनीष सिसोदिया जी ने बहुत बढ़–चढ़ कर एक बात कही – हम एक नया सिस्टम लेके आए हैं। क्या लाएँ हैं? हम टाइम लाइंस लेके आए हैं।

अध्यक्ष जी, लोग टाईम देते हैं 20–20 साल तक काम नहीं होते, 15–15 साल हम टाईम लाईन सिस्टम ले के आए हैं। हम खाली बजट ही नहीं लाए, हम दिल्ली को टाईम लाईन बजट देंगे, कितना टाईम किस काम में होना चाहिए, हम वो तय करेंगे। देख हवा निकल गयी वो टाइम लाइन भाग गया। इस बार वो टाईम लाईन की चर्चा ही नहीं, न पिछली टाइम लाइन की न अगली टाइम लाइन की। क्यूं? क्यूंकि उसकी ऐसी हवा निकली, उससे पिछली बार मुझे याद है जो उसको चलाया था जी जेई जाएँगे, सारी लाईनें ढूंढेगे वो बात गुम हो गयी। अब मैं आंकड़ों पे आता हूँ अध्यक्ष जी। इन्होंने ये 70 प्वाईंटों की बात करी, बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी इन्होंने अपनी बताई। मैं केवल इसी पे रहूंगा इस डेढ़ पेज के आगे नहीं जाउंगा। इस डेढ़ पेज का सारांश है इनकी बातें कहने में और करने में कितना अंतर

हो सकता है जमीन और आसमान में भी उतना अंतर नहीं है जितना इनकी बातें करने में और बोलने में और करा के दिखाने में अंतर है। out of these 70 points the prime emphasis was given to the following areas... now I will talk a bout the areas. Improving the quality of education in Govt. Schools क्या जबर्दस्त इन्होंने इंप्रूवमैंट ला के दिखाई, 10वीं के 136663 बच्चे 10वीं के एग्जाम में गए अध्यक्ष जी, 94 पास हुए, 42 हजार फेल हो गए? क्या इंप्रूवमैंट हो गयी? देखिए क्या ऐसी इंप्रूवमैंट हो सकती है 94 हजार पास 42 हजार फेल और फेल पे भी नहीं रूके। देखो इनका भविष्य कैसे तबाह करने पे ये आम आदमी पार्टी की सरकार जुटी हुई है। क्या किया उन बच्चों में से 12वीं में बच्चे फेल हुए 10566, उनमें से एडमिशन केवल 943 बच्चों को दी। देखिए 10 हजार बच्चे फेल हो रहे हैं और उनको स्कूलों में एडमिशन भी नहीं दे रहे। केवल 900 बच्चों को एडमिशन देते हैं और फिर कहते हैं हम नयी क्रांति ले के आएँगे! ये कैसी क्रांति है? अगली बात to provide the better infrastructure to school, college and construct new schools नये 500 स्कूल बनाने थे अध्यक्ष जी, 5 गिना दो मेरे को। 36 प्लाट इनके पास खाली हैं, 36 प्लाट। 4 सालों में 5 स्कूलों का नाम नहीं गिना सकते? बोलते हैं हम 20 हजार, 21 हजार नए कमरे बनाएँगे। अरे 21 हजार नए कमरों में पढ़ाओगे किसको? टीचरों की तो 20 हजार वैकेंसियां पिछले 4 साल से खाली पड़ी हैं। कौन जाएगा? अध्यक्ष जी, किसको पढ़ावोगे? हाँ, जी। अब अगली पर आते हैं। फिर आपने कहा – increasing the opportunity for higher education and providing loans to students किसको लोन दिया? दस बच्चों को। विदेश पढ़ने जाएंगे। दस बच्चे भी नहीं गये। किसको लोन दिया आपने अच्छा। providing special facility and funds for sports persons बताईए स्पोर्टस पर्सन। कौन से फण्डस आपने देने शुरू किए? कौन से सरकारी स्कूलों के अन्दर आपके पास हजारों सरकारी स्कूल हैं जो आपने कभी नहीं बनाए बाकी सरकारों

ने बनाए हैं। आप तो कमरे बनाने में भी फेल हो गये। स्कूल बनाना तो आपके बस की बात नहीं थी। फिर कहा– to provide drinking water to as many colonies in Delhi as possible बताईए जी। कालोनियों में पानी देना छोड़िए जो दिल्ली जल बोर्ड अरविंद केजरीवाल जी यहाँ बैठके भाषण दिया था कि 178 करोड़ में हमारा प्राफिट में है क्योंकि नेताओं की जेब में पैसा नहीं जाता। आज वो दिल्ली जल बोर्ड 800 करोड़ के घाटे में है। ये हमारा बजट है। क्रान्तिकारी बजट! उसके ऊपर सारे लेप पर लेप लगाते हैं।

अगला कहा गया– to eliminate tanker mafia जो टेंकर माफिया के नाम पर वोटे लेकर आये थे। अध्यक्ष जी, एक भी उस माफिया में से एक भी नया टेन्डर नहीं हुआ। उन्हीं लोगों के पास आज भी टेन्डर है और बिना किसी टेन्डर के रेट बढ़ाके काम दिया जाता है। वो टेन्डर माफिया आज भी सीमित है।

फिर कहा गया कि to provide good health care facilities कहाँ तीस हजार बेड एड करेंगे। तीस हजार छोड़िए दो हास्पिटल बनाने शुरू किए और आज इन्होंने खुद बजट में लिखा है माननीय मनीष सिसौदिया जी ने कि ये हास्पिटल बनने के बाद और नये एडिशनल बेड उसके बाद 2601 बेड, अध्यक्ष जी अभी आये नहीं। 2601 बेड एड होंगे। जबकि आज तो बेड कम हो चुके हैं और आज तक कोई नये हास्पिटल का नाम मुहूर्त करने अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसौदिया जी का अखबार में एड लगती है न स्वीमिंग पुल पर, एक सड़क बिछाने पर, एक फ्लाईओवर का वो क्या बोलते हैं स्पीड ब्रेकर बनाने पर वो एड भी नहीं इसकी तो अभी तक। आगे। अब कहा–to increase the income of farmers and ensure that they get fair price for their land अब इनकी लैण्ड तो क्यों बिकवाने लगे। चलो

फिर इसकी सुनो। मैं अभी पढ़ रहा था। बोले स्वामीनाथन कमीशन को लागू करेंगे। कब करोगे। मेरे भाई। चार साल हो गये। आखिरी बजट देके जा रहे हो। इसके बाद तुम्हें लोग घर बिठा देंगे तो करोगे कब भाई। ये कैसा बजट है। जिसमें तुम कह रहे हो। हम करेंगे। ये बजट भी पहली बार सुनते हैं। करने वाली बातें तो लिखी जाती थीं। लेकिन जो करेंगे जिनके बारे में कोई टाईम लाईन ईयर कहा था हम टाईम लाईन देते हैं। हाँ, ये बात मेरे भाई ने सही कहीं कि पार्लियामेन्ट में ऐसी बातें बनाके बोलते हैं। मतलब वहाँ से सीख के आये हैं।

माननीय अध्यक्षः बाजपेयी जी, ...(व्यवधान)... आप ये तो छोड़िए फिर तो ये समय ऐसे निकल जाएगे। उनको बोलना है। थोड़ा समय हैं उनको बोलने दीजिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः to bring the development of village into the focus of the Govt. ये कहा to bring the development of village in the focus of the Govt. इसके फोकस में लाना है अभी। गाँव के डवलपमेन्ट अभी इनका फोकस था नहीं। अब इनके फोकस में लाना है। मैं इनकी लाईनें पढ़ रहा हूँ। मेरी नहीं है ये। villages into the focus of the Government अभी लाएँगे फोकस।

माननीय अध्यक्षः अब एक मिनट बाकी है सिरसा जी। कन्क्लूड करिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः नहीं मैंने सबका टाइम भी लिखा है। मैं यही कर रहा था। मैं साथ–साथ में सबका टाइम भी लिख रहा था। मुझे पता था मेरे बारे में ये करोगे। मैंने एक–एक का टाइम लिखा है। 4.30 मिनट से लेकरके 4.55 मिनट तक बोले पंकज पुष्कर जी। 4.55 पर बोले दूसरे। 5.00 से 5.10 तक। मैं तो सबका टाइम भी लिखता रहा।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी ये ठीक नहीं है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः मैं यही करता रहा। अध्यक्ष जी, आगे। मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, फिर कहा गया –relief to the people इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए अध्यक्ष जी, मैंने पहली बार देखा। रेट बढ़े ना बढ़े। वो तो चलो आपने बढ़ाए, बढ़ाएँ लेकिन फिक्स चार्जेज, फिक्स चार्जेज क्या हैं जिसके लिए उस कम्पनी ने कोई काम करना ही नहीं। घर बैठे पैसे लेने हैं। वो बजट के अन्दर कहा गया। हम रेट कम नहीं किए आपने फिक्स चार्जेज के नाम पर दिल्ली को लोगों को लूटने का काम किया है। ये ऐसा नकली बजट आपने दिया है।

माननीय अध्यक्षः अब कन्क्लूड करिए सिरसा जी।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः कन्क्लूड कर रहे हैं अध्यक्ष जी। दो लाइने और रह गयी है। कन्क्लूड कर रहे हैं। क्योंकि मेरे तो देखो अध्यक्ष जी, इन्होंने सबने इकट्ठे मिलके झूठ बोलना है। मैं तो अकेले इनके पोचड़े खोलने हैं न। तो पोचड़े खोलने का टाइम आपको उलटा देना चाहिए सिरसा बोलने लगा, इसलिए इसको पच्चीस मिनट देंगे। चलो कोई न मत दो। अब कहा गया to arrange CCTV from slums to large colonies specially the protection of women अरे भाई कहाँ है टू, सबके आगे टू, टू, टू। अरे भाई किसी का टू हटा भी लो। बिना टू के भी कुछ बोल दो। कब लगेंगे पता नहीं। to construct the large scale to make entire Delhi deification free ये स्वच्छ भारत में तो लग रहे हैं टॉयलेट। हम सबके पास पैसे आये। केन्द्र सरकार ने पैसे भेजे। आपने क्या किया। आप अपना काम बताएँ अन्त में अध्यक्ष जी, arranging house for poor slum dwellers पच्चीस हजार कमरा घर बना पड़ा हैं 25000। आपने उनको चार साल में वो घर भी नहीं दिए और एक भी नया घर आप नहीं बना पाये। एक भी। मैं फिर कह रहा हूँ पटल पर। एक भी नई कालोनी, एक भी नया घर आप झुग्गी–झोपड़ी

वालों के लिए बना नहीं पाये। पर झुग्गी–झोपड़ी के गरीब लोगों के जो घर बने थे आपने उनको उनमें भी बसाने से रोका रखा है क्यों ये आपका बजट है। अन्त में आपने कहा–सबके लिए पैसे रखे। अध्यक्ष जी, पर मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से, सॉरी अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसौदिया जी हमारे, मैं इनसे ये उम्मीद नहीं करता था। दो विषय हम सब देशवासियों के।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, अब देखिए, दस मिनट हो गये। दस मिनट हो गये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः गुरूनानक देव जी का पांच सौ साला गुरू पर्व आ रहा है और यार केन्द्र सरकार भी सब कुछ कर रही है। दुनिया के अन्दर। गुरूनानक देव जी हम सिक्खों के गुरू नहीं थे। वो दुनिया की मानवता को रास्ते पर चलाने वाले गुरू थे। साढ़े पांच सौ साल उनका आ रहे हैं और उनके लिए आपके पास सौ रुपया नहीं है सरकार के लिए आप कहते हैं हम सभी धर्मों की बात करते हैं। आप कहते हैं हम सभी कुनबों की बात करते हैं। कहा गया गुरूनानक देव जी के नाम पर देने वाले पैसे मैं आपको ये कहके जा रहा हूँ आपको ये करना पड़ेगा। गुरूनानक देव जी मानवता को सन्देश देने वाले और उनके नाम के लिए सौ रुपया बजट में न आये। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है।

अन्त में अध्यक्ष जी, 1984 के पीड़ितों के मकानों के लिए, 1984 के पीड़ितों के मकान फ्री–होल्ड कराने के लिए, 1984 के पीड़ितों के घर की नौकरी के लिए जो कि 2006 की नोटिफिकेशन है। अध्यक्ष जी आपने वोटें ली। इन्होंने वोटे ली। लेकिन आज वोटों का कोई सहारा नहीं।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, कन्क्लूड करिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं कन्क्लूड करके एक बात कहना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं अब कन्क्लूड करिए नहीं सिरसा जी, अब कन्क्लूड करिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः देश के अन्दर बहुत सी सरकारें अपने–अपने तरीके से।

माननीय अध्यक्षः प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः कन्क्लूड करने के लिए ही बोलना पड़ता है।

माननीय अध्यक्षः बोलिए–बोलिए।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः कन्क्लूड करने के लिए कुछ खड़े होके। बोल ही तो रहा हूँ। आज तक की सबसे निकम्मा बजट जिसके अन्दर केवल और केवल लूट के नाम पर और केवल और केवल ऑकड़ों को फर्जीकरण करने के नाम पर ये बजट इन्होंने पेश किया। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करने लगा हूँ।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं, अब नहीं। सिरसा जी, अब नहीं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः कुल आपका बजट था।

माननीय अध्यक्षः नहीं सिरसा जी, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूँ।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः तीस हजार करोड़। आपने उसको कम

करके खर्चने में। अध्यक्ष जी। बता दो इनको। क्या खर्चने है पूछ तो लो।

माननीय अध्यक्षः नहीं सारा समय आप लेंगे। देखिए समय के हिसाब से तीन मिनट में।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः इन्होंने जनरल एजूकेशन के लिए 54000 करोड़ रखा था। फिर कम करके किया 35000 करोड़ और खर्च कितना किया। केवल 14000 करोड़। कुल बजट में जो इन्होंने खुद ने 22000 करोड़ रखा था फिर उसको 20000 करोड़ किया और खर्च कितना किया। 8000 करोड़। 22000 में से जो यहाँ चिल्ला–चिल्लाके ऑकड़े बोले थे उस 22000 करोड़ में से कुल 8000 करोड़ खर्च हुआ। मतलब 62 प्रतिशत बजट लैप्स कर गया।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, प्लीज। प्लीज अब नहीं

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसाः आपने 31 प्रतिशत बजट खर्चा और वाह–वाह करो। वाह–वाह लूटो। ऐसा कमजोर बजट मैं मानता हूँ सरकार को क्षमायाचना करनी चाहिए ऐसे कमजोर, नकली और आंकड़ों से भ्रमित सरकार को क्षमायाचना करनी चाहिए अन्त में फिर से कहूंगा गुरूनानक देव जी को आप भूलने की कोशिश करोंगे। ये जगह नहीं मिलेगी दुनिया के अन्दर। साढ़े पांच सौ साला गुरूनानक देव जी का हम दुनिया के अन्दर मना रहे हैं। इस सरकार को भी उसके लिए बजट लाना पड़ेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सिरसा जी, दिल्ली विधान सभा ने केन्द्र सरकार से पहले गुरूनानक देव जी को सम्मान दिया। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। श्री सोमनाथ भारती जी। अनुपस्थित। श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे दिल्ली के ऐतिहासिक बजट पर बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले तो मैं दिल्ली के माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी को बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट देकर दिल्ली को ही नहीं, पूरे देश को दिखा दिया कि अगर आपमें काम करने की चाह है तो आप सब कुछ बदल सकते हो और जब हमारी सरकार आयी 2015–16 में, हमारा बजट दिल्ली का करीबन–करीबन तीस हजार करोड़ था और आज सिर्फ पाँच साल में इसको डबल कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष जी को इसकी बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक काम किया और दिल्ली को एक जो हमारा, अरविंद जी का और दिल्लीवासियों का सपना है कि देश का सबसे अच्छा और पूरे विश्व का सबसे अच्छा राज्य बनाना है, उसकी तरफ एक बहुत महत्वूपर्ण कदम है।

अध्यक्ष जी, दिल्ली का बजट आज साठ हजार करोड़ रुपया है और उसमें से 26 परसेंट टोटल बजट का सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा एमाउन्ट हैं। बहुत बड़ी रकम है और अगर हम देखें कि दिल्ली में शिक्षा में, स्कूलों में जाए तो पता चलता है कि वो स्कूल आज प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं। वहाँ खेलने की सुविधा है। वहाँ लाइब्रेरी है। वहाँ पर पाँच से सात कर्मचारी सफाई व्यवस्था के लिए हैं। वहाँ टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस बजट का टोटल 15 हजार 601 करोड़ रुपये इस बजट में रखा गया है। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ इस सदन को कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय दो 2015–16 में 19218 रुपये थी और जो आज बढ़कर तीन लाख पैंसठ हजार पाँच सौ उन्नतीस

रुपये अनुमानित है। एक बहुत बड़ा ये बदलाव दिल्ली देख रही है और ये ऐतिहासिक है। शिक्षा के साथ साथ दिल्ली के सात लाख विद्यार्थियों को और एक लाख विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जो पॉलिटेकनिक से आते हैं स्किल सैन्टर से आते हैं, उनको शिक्षा में तो बदलाव मिला ही, उसके अलावा उनको एन्टरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलेप करने की भी एक तकनीक दी जा रही है और मुझे लगता है कि दिल्ली के युवा अब सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम अपनी नई नई कंपनियाँ डेवलेप करके करेंगे, अपने–अपने नये उद्योग बढा के करेंगे और ये दिल्ली के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हमारी सरकार ने 42 करोड़ रुपये का बजट रखा है और एक और बहुत महत्वपूर्ण इसमें अविष्कार किया गया है कि जब आप ट्रेनिंग लेकर आते हो तो उसकी टैस्टिंग कहाँ हो? हमने बच्चों को ट्रेंड कर दिया लेकिन उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई संस्थान नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर बच्चे जाकर उसको इम्पलीमेंटेशन के लिए कुछ कर पाएँ। तो पहले एन्टरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा दिया गया, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दिल्ली में ओलरेडी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जिसमें आप इन्नोवेशन कर सकते हैं। जहाँ पर जाकर आप अपनी जो तकनीक आपने सीखी है, उसको इंम्पलीमेंट करने के लिए सीख सकते हैं जिसे हम इन्क्यूबेशन सैन्टर कहते हैं। जहाँ पर छोटे–छोटे उद्योगों को छोटी–छोटी कंपनीज को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट अप रूप में काम करते हैं और अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं आई टी कंपनी के साथ काम करके आ चुका हूँ तो मुझे पता है कि एक छोटी कंपनी जिसे हम बड़ी कंपनी के रूप में देखते हैं, कहीं न कहीं स्टार्ट होती है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेप किया जा रहा है और ये भारत में पहली कोई सरकार हे जिसने इस तरीके का इन्नोवेशन क्रिएट करके और ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंस को दिया है।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंटस हैं, जिनको डिप्लोमा करने के बाद उनको प्रैक्टिस करने के लिए हम दस हजार रुपये की और कुछ बच्चों को पाँच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं कि आप अपना काम कुछ खोलो और देखो कि आप अपने काम से क्या निकाल के लेकर आ सकते हो। तो अध्यक्ष जी, देखिये, शिक्षा देना एक अलग बात है लेकिन उसको रोजगार में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी को बहुत सराहना देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना दिल्ली के बजट में रखी।

इसके अलावा दिल्ली में आज आप देखें जो स्कूलों का विकास हो रहा था, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एसएमसी की कमिटी निभाती है तो उस कमिटी को भी सशक्त करने के लिए एक से डेढ़ लाख रुपये तक का फण्ड उनको दिया जा रहा है कि वो स्कूल में कुछ ऐसी चीजें कराएँ टीचर्स के साथ मिल के जिससे स्कूलों का और विकास हो, बच्चों को और सुविधा मिल पाये और हमारे स्कूल के बच्चे आज डिजिटलाइजेशन की तरफ हैं, वो देख रहे हैं कि पूरा विश्व आज डिजिटलाइजेशन पर है, मोबाइल ऐप पर काम हो रहा है तो उनको और सशक्त करने के लिए 11वीं, 12वीं के बच्चों को, विद्यार्थियों को कम्प्यूटर टेबलेट भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसका प्रावधान भी इस बजट में नौ करोड़ रुपये का रखा गया है, जो बहुत ही सराहनीय है क्योंकि अगर हमें तकनीकी टैक्नोलॉजी और आईटी की सुविधा दी जाये तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों से तो बहुत अच्छा निकलेंगे ही, मुझे लगता है, विश्व में अपना कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए अब, अजय दत्त जी, कन्क्लूड करिए।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके माध्यम से एक छात्रवृत्ति योजना को भी इसमें रखा गया, जिसमें जो बच्चे मेहनत करके 80 परसेंट से ज्यादा लेकर आते हैं, उन्हें ढ़ाई हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जायेगी जिससे कि उन बच्चों का मोटिवेशन भी बहुत बढ़ेगा और वो आगे 80, 90 और 100 परसेंट भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सराहनीय कदम है। अध्यक्ष जी, मैं एक आँकड़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ...

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब कन्क्लूड करिए अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, आठ मिनट तो हुए नहीं अभी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री अजय दत्तः आठ ही मिनट नहीं हुए।

माननीय अध्यक्षः हो गये न, मैं तभी कह रहा हूँ।

श्री अजय दत्तः मैंने भी तो मोबाइल सामने रखा हुआ है।

माननीय अध्यक्षः हो गये भइया।

श्री अजय दत्तः अच्छा, दो मिनट और लेता हूँ अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः नहीं, और समय नहीं। दो वक्ता अभी बाकी हैं।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, लास्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। शिक्षा में पूरे देश में सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसने 26 परसेंट का बजट पहली बार दिया है, बाकी सारे 27 के 27 स्टेटों ने सिर्फ 15.9 परसेंट मैक्सिमम बजट दिया है। तो दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है और स्वास्थ्य में दिल्ली ने 13.8 परसेंट का सबसे ज्यादा

बजट दिया है और पूरे देश में बड़ी शर्मनाक बात है। जितने भी 27 राज्य हैं, उन्होंने सिर्फ 5.2 का बजट दिया। आज तक किसी ने नहीं दिया। वाटर सप्लाई में भी अगर आप देखें तो पूरे देश में दिल्ली ने 2.5 परसेंट का बजट ऐलोकेट किया है, बाकी राज्यों ने कम किया है और अगर आप अर्बन डेवलेपमैंट में देखें तो 6.9 का बजट दिल्ली ने दिया और बाकी के अंदर स्टेट ने 27 स्टेट ने...

माननीय अध्यक्षः बस, अब अजय दत्त जी, प्लीज।

श्री अजय दत्तः 27 स्टेट ने 3.4 का दिया है। लास्ट अपनी बात कह के... और अगर आप देखें रोड़ ऐंड ब्रिजेज में भी उसमें भी 4.6 परसेंट का सबसे ज्यादा पूरे भारत में दिल्ली ने बजट दिया है। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो बजट दिया है, ये पूरे दिल्ली को ही नहीं, पूरे देश को दिशा भी देता है और ये उनको प्रेरित भी करता है कि आप सबसे पहले अपने बजट को शिक्षा स्वास्थ्य में लगायें कि जब हमारे देश का जब इस गरीब का दलित का बच्चा पढ़ेगा और स्वस्थ रहेगा, इस देश का गौरव भी बढ़ेगा और पूरे विश्व में हमारा नाम भी हो गया। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी को बहुत– बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इसी तरीके से उर्जावान होते।

माननीय अध्यक्षः श्री महेन्द्र गोयल जी।

श्री अजय दत्तः इस दिल्ली को बढायेंगे और इस देश को भी बढायेंगे, धन्यवाद, जयहिंद।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस महत्वपूर्ण बजट पर। सबसे पहले तो मैं देश के उन वायु सेना

के जवानों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने कल पाकिस्तान के अंदर गोले बरसाये और दूसरा सैल्यूट करता हूँ मैं मनीष सिसोदिया जी को जो इन्होंने कल इस विधान सभा के अंदर इतना खूबसूरत बजट पेश किया। कल शाम को जब हाऊस के बाद मैं कल घर पर गया तो जो लोग मेरे चुनाव के अंदर धुर विरोधी थे, हमारे अच्छे वैसे दोस्त भी हैं लेकिन चुनाव में धुर विरोधी थे, वो मिठाई का डिब्बा लेकर आये वो और बहुत अच्छे लडडू थे, मैंने एक ही चीज समझी, भाजपाई थे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है। मेरे दिमाग में एक ही था कि वो उन जांबाज जवानों के लिए जो उन्होंने गोले बरसाये हैं, इस खुशी में वो लडडू खवाने के लिए लेकर आये हैं। मैंने भी बधाई दी कि भारत सरकार को भी मैं बधाई देता हूँ और वायु सेना के वीर जवानों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, 'ये तो बधाई आपकी स्वीकार है लेकिन बधाई देता हूँ मैं आपकी विधान सभा को, आपके वित्त मंत्री को जिन्होंने इतना खूबसूरत बजट पेश किया। मेरे ख्याल से कोई दिमाग से आदमी पैदल ही होगा जो इस बजट के अंदर कमी निकाल दे।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा।

माननीय अध्यक्षः चलिये।

...(व्यवधान)

श्री महेन्द्र गोयलः नाम लेने में तो पता नहीं क्या हो जाये क्योंकि जितने भी लोग थे, जाने के बाद बहुत खुश थे, बहुतों से मिला। आज सुबह मैं पार्क में भी गया, बहुतों ने बधाई दी। भई 26–26 परसेंट बजट आप शिक्षा पे इस हिसाब से खर्चा कर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आता है? अभी सिरसा जी कह रहे थे 22 करोड़ इसके लिए दिये। 22 हजार करोड़

इसमें से इतने पैसे खर्च नहीं हुए, इसके लिए ये दिया। मैं बता देता हूँ, कमीशन नहीं खाते। नहीं तो क्या है? मंत्री की जेब में जाते थे पहले पैसे। एमएलए की जेब में पैसे जाते थे। ये पैसे वो बचाते हैं, इसलिए ये बजट की संख्या बढ़ जाते हैं हमारे। और अब उनको आपके माध्यम से कह रहा हूँ, 'पक्षियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, पंक्षियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। और रखते हैं हौसला जो दिल में आसमान को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती बेइमान जमाने वालों की। ये दिल्ली है, बार–बार उजड़ी है। कभी पांडवों ने बसाया था, कौरवों ने इसको लूटा। उसके बाद राजे–महाराजाओं का टाइम आया। मुगलों ने इसको लूटा। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने इसका लूटा। फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। कहीं पर कॉंग्रेस वालों ने लूटा, कहीं पर बीजेपी वालों ने लूटा। लेकिन 2015 के अंदर आम आदमी की सरकार आने के बाद इस दिल्ली का बसाने का काम किया है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं मनीष जी के लिए दो लाइनें कहता हूँ। 'कुछ चलते हैं पग चिह्नों पर कुछ चलते हैं पगचिह्नों पर और कुछ पगचिह्न बनाते हैं और पगचिह्न बनाने वाले ही वन्दनीय हो जाते हैं, पग चिह्न बनाने वाले ही वन्दनीय हो जाते हैं।' मुझे नाज़ है हमारे मुख्य मंत्री पर, मुझे नाज़ है मनीष सिसोदिया जी पर कि मैं इस महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा हूँ और जितने भी हमारे विधायक हैं यहाँ पर, वो सभी अपने–आप पर नाज़ करते हैं और उनके परिवार नाज़ करते हैं और दिल्लीवासी नाज़ करते हैं कि हमने एक ऐसी सरकार को चुनकर भेजा है जो आम लोगों के लिए सोचती है। दिल्ली का कोई भी नागरिक ये नहीं कह सकता कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किये। दिल्ली सरकार ने वो भी काम किए जिनको केन्द्र सरकार ने अटकाने का काम किया। 2015 के अंदर दिल्ली की सरकार आई है। जिस हिसाब से पांडवों से कौरवों ने इस दिल्ली को लूटने का काम किया था,

राजे–महाराजाओं से मुगलों ने, मुगलों से अंग्रेजों ने, इसी प्रकार से केन्द्र सरकार भी काम कर रही है दिल्ली को लूटने का, उसके हकों को हथियाने का। लेकिन ये सरकार उनके डराने से नहीं डरती। अपने कामों को बखूबी करती हुई चली जाती है क्योंकि इसके मुख्य मंत्री भी ईमानदार हैं, इसके वित्त मंत्री भी ईमानदार हैं और इसके जितने भी मंत्री हैं, वो सभी के सभी ईमानदार हैं। अभी सदन के हमारे साथी कह रहे थे, ये बजट ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। इससे खूबसूरत बजट आप ही को दे देते हैं दिल्ली का बजट खाली एक बार आंकड़े पेश करके लेके आओ कि इसको ऐसे बनाते थे। ये तो लिख भी नहीं सकते, कम से कम इन्होंने बजट पेश करके और उसका प्रारूप लेकर उसको तैयार करने का और उसको इंपलीमैंट करने का काम करते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। मैं बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, 'ये बहुत खूबसूरत बजट है केन्द्र सरकार रोड़े कितने भी अटकाले और 2019 आ रहा है, कन्क्लूड कर देंगे। आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अध्यक्ष जी, कन्क्लूड कर दो। हैं?

माननीय अध्यक्षः नहीं, मैं कह नहीं रहा।

श्री महेन्द्र गोयलः इसी साल में कर देंगे।

माननीय अध्यक्षः मैं कह नहीं रहा, कन्क्लूड कर दो।

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी, मेरा मन कर रहा था, कल मेरे यहाँ मुशायरा था। आपकी शेरो–शायरी सारी सुनके कि वहाँ बुला लेता तो अच्छा था, बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः सर, कोशिश करूँगा कि शब्द सीमित हों पर अर्थ असीमित हो। समय कम है और बजट के लिए यही बात एक बार दिमाग में आई कि काफी कंफयूज हो गया कि कहाँ से शुरूआत करें। क्योंकि ऐसा कोई भी हमारे पूरे समाज का हिस्सा नहीं है जिसको इस बजट ने न छुआ हो। तो सोचा कि सबसे पहले जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र से शुरू करूँ।

मैं जमुना पार से आता हूँ और इस बार जमुना–पार को ट्रांस–जमुना विकास बोर्ड में पहले ही सौ करोड़ रुपये दिये गये हैं। तो कम से कम हम जमुना–पारी जितने भी हैं, वो तो एक बार ताली बजा दें। हाँ, ये तो फायदा हम उठायेंगे। सब लोग हमारी सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत क्राँतिकारी कार्य करने की वजह से हर जगह पे इसकी चर्चा होती है। हम लोग, कुछ साथी नेपाल गये थे। वहाँ पे और लोग भी जो थे, वो पूछ रहे थे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। शिक्षा की क्राँति के बारे में, पूरी दुनिया ये शायद जानती है। तो बहुत ज्यादा चर्चा उसपे न करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा जहाँ बच्चों से शुरू होके और बुजुर्गों में जहाँ पे सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट में इतना एमांउट बढ़ा दिया गया है आज की तारीख में, सर ये दिखाता है कि अपने समाज के, अपनी जनता के हर एक इंसान को ये बजट छूता है। किस तरीके से ऑल्मोस्ट सर, डबल इसको टू ऐण्ड हाफ टाइम ये जो एमांउट था, उसको कर दिया गया है। पहले 837 करोड़ था, अब 2,214 करोड़ रुपये किया गया है वो। ये ओल्ड एज पैन्शन जो बुजुर्गों के लिए है, उसी में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना एक चालू की है बजट में। जब कल वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने काफी सारी चीजें जो आज तक हम लोगों ने की हैं, उसके बारे में बताया। जो उपलब्धियाँ रही हैं, ये बताया। वो उपलब्धियाँ सबके सामने हैं। वो जो बदलाव आया है, वो सबके सामने है।

तो एक बात तो तय है कि कम से कम ये बजट तो जुमला नहीं है। ये बजट वो बजट है जो हम कह रहे हैं और करके भी दिखायेंगे। एक साथी ने, साथी क्या कहूँ, काफी विदूषक किस्म के विपक्षी हैं। उन्होंने, विदूषक किस्म के पक्षी हैं। विदूषक जोकर को कहते हैं। विदूषक किस्म के विपक्षी हैं उन्होंने इसको लॉलीपॉप बजट कहा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि लॉलीपॉप का भी वो अर्थ नहीं समझते क्योंकि उनके वो रामचरित्र मानस में लिखा है, 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा मन में उनके आता है, उनके बजट्स होते हैं, जिस तरीके की बातें वो लोग करते हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छी कोई भी बात कर दी गई है। किसी के भी भले के लिए अच्छी कोई बात कर दी गई है तो वो लॉलीपॉप है। क्योंकि उनको करना नहीं है। और हम जब ये एक बार छाप देते हैं तो हमें फिर ये करना है। ये हमारे लिए हमारा धर्म बन जाता है। सर, हर चीज की जब बात करते हैं तो बिजली पानी की हम लोग बार–बार बात करते हैं कि हमने बहुत सुधार किया। और बिजली पानी के साथ–साथ सर हमने इसमें भी सुधार किया कि जिन लोगों के यहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा था, जिन लोगों के यहाँ पे सीवरेज नहीं था। बहुत सारी कॉलोनीज थी पास्ट में कई सौ कालोनिज में पानी पहुंचाया। आगे उसको और कैसे पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी इस जिम्मेदारी के लिए ऊपर बात करी इस बजट के अंदर कि किस तरीके से पानी का ऑगमेंटेशन होगा। मैं वो सब बातें छूना चाहता हूँ जो हमारे रोज़–मर्रा जिंदगी को छूती हैं। क्योंकि हमारे बजट में सर, बुलैट–ट्रेन का प्रावधान नहीं है। वो हमारी जिंदगी को छुएगी भी नहीं। हमारी जिंदगी को पानी छूता है। हमारी जिंदगी को शिक्षा छूती है। हमारी जिंदगी को स्वास्थ्य छूता है। बिजली छूती है। हमारे बुजुर्गों की पैन्शन छूती है। विकलांगों के लिए सर, इसमें लिखा है। मतलब आप सोचिये कि कितना अच्छी नीयत के साथ में कितनी बड़ी सोच के, असीमित सोच के

साथ में ये बजट बनाया है। ये है कि 2019–20 से लाडली योजना की तर्ज पे विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी उनकी स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर मदद के लिए सावधी जमा योजना का प्रस्ताव किया गया है। ये बहुत बड़ी चीज है सर। दिव्यांगों के लिए हमेशा एक सिम्पेथी की बात की जाती है पर उन्हें समर्थ बनाने के लिए अगर कोई दृढ़ निश्चय के साथ में कोई स्टेप लिया गया है, वो ये स्टेप्स हैं। वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों की गतिशीलता यानी कि उनकी सुविधा के लिए एक नया कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है सर। उनके लिए चलने–फिरने में असमर्थ विद्यार्थियों को स्कूटर देने का।

मैं बहुत छोटी–छोटी सी चीजें बता रहा हूँ, पर इनका अर्थ बहुत बड़ा है। बहुत छोटी–छोटी सी चीजें पर अर्थ बहुत बड़ा है सर इनका। किस तरीक से उनके बारे में सोचा गया है सर।

सर, इसमें जब बेड्स की बात करी, मजाक कोई भी उड़ा सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, इन चीजों पर बात कर सकता है कि अभी तक कोई अस्पताल बता दें या कोई स्कूल बता दें। उस सब का जवाब तो मनीष जी देंगे, मेरे को उनका जवाब नहीं देना, पर ये बताना चाहूँगा सर, किस तरीके से जिस एरिया में जहाँ पर सड़कें तक नहीं थी, आज सड़कें तो बन गई। उसके बाद में और डेवलपमैंट में सर, वहाँ पर अस्पताल बन रहे हैं। ये पहली बार, सिर्फ चार साल के अंदर... ये चार साल हैं, चार साल के अंदर बजट 30,000 से उठकर 60,000 करोड़ गया है। ये पूर्ण राज्य होता तो मैं मानता हूँ कि 1,20,000 करोड़ भी पहुँच जाता। बहुत सारा क्षेत्र है जो हमारे कंट्रोल में नहीं आता, उसके बावजूद अगर ये प्रगति हो रही है, अगर दिल्ली की जो आय है, पर–कैपिटा इन्कम है, देश के ऐवरेज से तीन गुनी हो गई है, विदिन... डेली 11 परसेंट से ज्यादा बढ़

गई है सर। कुछ न कुछ तो बजट में हमारे में हर साल बेटर होता होगा, जो कि पूरे देश में नहीं होता है।

सर, अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाना, 10,000 बिस्तर बढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, जो आशा करता हूँ कि हम लोग इस साल में, आने वाले साल में पूरा कर लेंगे।

हम लोग बार–बार प्रदूषण की बात करते है, दिल्ली में कंजेशन की बात करते है, इस बार शुरूआत हो गई है, 4000 नई बसें जो हैं, इस दिल्ली की सड़कों पर आएँगी। मुझे लगता है कि प्राइवेट व्हीकल्स पर काफी रोकथाम होगी उससे। बहुत लोग यूज कर पाएँगे उन बसेज को और बेटर, हमारा जो एन्वायरन्मैंट है, वो भी बेटर हो पाएगा, ऑर्गनाइज्ड हो पाएगा।

इसके अलावा सर, एक और बहुत छोटी सी चीज मैं बोलता हूँ, जो प्रोत्साहन राशि स्टूडेंट्स को दी, जो अजय भाई ने भी कही थी, बहुत छोटी सी चीज, पर कितनी मोटिवेटिंग है, वो कितने बड़े–बड़े एँटरप्राइजेज को आगे बढ़ावा देगी। क्योंकि हमेशा बात नौकरियों की होती है, नौकरी माँगने वाले हमेशा बहुत होते हैं, नौकरी देने वाले बहुत कम होते हैं। जिस दिन ये एटिट्यूड लोगों के अंदर आ जाएगा कि मैं एंटरप्राइज अपना खोलूँगा, अपना एंटरप्रेन्योर बनूँगा और दूसरे को नौकरी प्रोवाइड करूँगा। मुझे लगता है कई गुणाकृ कि हमेशा सरकार और जनता साथ में मिलकर जब कदम बढ़ाएगी सर, कई तरफा एकदम से विकास होता है। इसमें भागीदारी ली जा रही है लोगों से कि आप भी जिम्मेदारी समझिए और उस जिम्मेदारी को समझते हुए आप आगे बढ़िए। आप अपना सपना देखिए, उस सपने को पूरा करने की मदद हम करेंगे। सर ये सोच है सरकार को जनता से जुड़ने की।

ऐसा बजट कभी भी ए.सी कमरे में बैठकर नहीं बन सकता है। ऐसा बजट तभी बन सकता है जब वित्त मंत्री एक–एक स्कूल में जाकर बच्चों से बात करें। वित्त मंत्री एक–एक गली में जाकर बुजुर्गों से बात करें। वित्त मंत्री जाकर विकलांगों की समस्याओं को समझे। ऐसा बजट तभी बन सकता है जब जनता के हर तबके में जाकर वित्त मंत्री बैठता हो, बात करता हो, उनकी परेशानी को समझता हो और उनके सॅाल्यूशंस को उन्हीं से निकालने की कोशिश करता हो सर, ऐसा बजट सिर्फ तभी आ सकता है। इसीलिए एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि *आईएम प्राउड टु बी द पार्ट ऑफ दिस सिक्स्थ लेजिस्लेटिव एसेम्बली ऑफ दिल्ली।* गर्व है मुझे कि मैं इस लेजिस्लेटिव असेम्बली का हिस्सा हूँ।

सर, शुरू में ही जिस वक्त बजट की बात शुरू की थी मनीष जी ने पिछली बार, तो उन्होंने जो छोटी–छोटी इच्छाएँ हर आदमी की होती हैं, वहीं से शुरू किया था। चाहे जैसे मां–बाप के इलाज की बात उन्होंने करी थी। उन्होंने जो है, जैसे आज सर, हमारे कुछ दिन पहले पुलवामा में बहुत सारे साथी शहीद हुए। वो शहीद हुए, अब सरकारें उसके ऊपर क्या करेंगी? उनके ऊपर क्या पॉलिसी बनी हुई है? हमारे देश में सर, कोई पॉलिसी ही नहीं बनी हुई है उसके लिए। उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं शायद मिलेगा। कौन सी सरकार, कौन से राज्य की सरकार कितनी सहायता राशि उसके परिवार को देती है, देती है–नहीं देती है इसके ऊपर। पर हमारी सरकार सर वहाँ से भी शुरू हुई। एक करोड़ रुपये की सहायता राशि जब सरकार देती है, तो वो सम्मान भी देती है और सही मायने में सहायता भी देती है। कभी भी, कोई भी राशि, किसी के भी जीवन का मूल्य नहीं लगा सकती, पर ये एक चीज है।

सर, बस खत्म कर रहा हूँ। दो–तीन बातें और छोटी–छोटी सी कह

देता हूँ। बहुत छोटी–छोटी सी बातें कह रहा हूँ। मैं बड़ी चीजें छू ही नहीं रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी लोग बोलेंगे। मनीष जी भी बोलेगे।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं।

श्री नितिन त्यागीः ठीक है। मैं कन्क्लूड करता हूँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना सुंदर बजट पेश करने के लिए मैं मनीष जी को बहुत–बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने लक्ष्मी नगर की जनता से, अपनी पूर्वी दिल्ली और दिल्ली की जनता की तरफ से कि, और धन्यवाद प्रभु का करता हूँ कि उनकी कृपा से आप हमारे दिल्ली के वित्त मंत्री हैं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों का बहुत–बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही 28 फरवरी, 2019 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 28 फरवरी, 2019 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।